गुरुवार, 25 फ़रवरी 1982

6 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 25 फरवरी, 1982/6 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (i), पंक्ति नीचे से सात में "योग करने की आवश्यकता" के स्थान पर "प्रयोग करने की आवश्यकता" पढ़िए ।

पृष्ठ 43, पंक्ति नीचे से 12 में "सी0जी0एस0एच0" के स्थान पर "सी0जी0एच0एस0" पढ़िए ।

पृष्ठ 126, अंतिम पंक्ति में संख्या "227·78" के स्थान पर "127·78" पढ़िए ।

विषय-सूची

अंक 5, गुरूवार, 25 फरवरी, 1982/6 फाल्गुन 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या 63, 66 से 69 और 71	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	17—179
तारांकित प्रश्न संख्या 64, 65, 72 से 79 और 81 और 82	17—24
अतारांकित प्रश्न सख्या	
693 से 761, 763 से 774, 776 से 823, 825 से 911 और 913 से 923	24—179
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	179—182
सभापटल पर रखे गये पत्र	182—187
समिति के लिये निर्वाचन	187—189
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	189—201
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बैठक में काश्मीर का प्रश्न उठाते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के नेता द्वारा वक्तव्य दिये जाने का समाचार	189
श्री हरीश रावत	189
श्री पी० वी० नरसिंह राव	189
श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर	193
श्री चित बसु	196
श्री हरिकेश बहादुर	200
नियम 377 के अधीन मामले	201—206
(एक) कर्नाटक राज्य में मस्तिष्क ज्वर को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता देने की मांग	201
श्री बी० वी० देसाई	
(दो) मध्यप्रदेश के सूखा और ओला वृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों की आवश्यकता	
डा० वसन्त कुमार पण्डित	202
(तीन) गुड़ के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और गन्ने का एल्कोहल बनाने के लिए योग करने की आवश्यकता	
श्री पी० राजगोपाल नायडू	202
(चार) राजस्थान के पाली जिले की अकालग्रस्त तहसीलों में राहत कार्यों की आवश्यकता	
श्री मूलचन्द डागा	203
(पांच) मसूरी में साफ्ट-स्टोन के खनन को रोकने की आवश्यकता	
श्री हरीश रावत	203

*किसी नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छः) हांसी को आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, में तालाबन्दी समाप्त करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता	
श्री सुशील भट्टाचार्य	204
(सात) आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा मुस्लिम महिलाओं का कथित अपमान	
श्रीमती गीता मुखर्जी	205
(आठ) औरंगाबाद, बिहार में हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर पुलिस द्वारा अत्याचार	
श्री रामविलास पासवान	205
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	206—253
श्री महाबीर प्रसाद	206
श्री सी० टी० दण्डपाणि	209
श्री जगन्नाथ राव	213
श्री जार्ज फर्नान्डीस	217
श्री कमल नाथ	229
श्री फ्रैंक एंथनी	234
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	241
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार	245
श्री आर० एस० स्पेरो	248
श्री पी० नामग्याल	252

लोक सभा

गुरुवार, 25 फरवरी, 1982/5 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हसन और मंगलौर के बीच रेल सेवा

*63. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हसन और मंगलौर के बीच रेल सेवा संतोषजनक ढंग से चल रही है, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे क्या कदम उठायेगी जिससे उपर्युक्त रेल सेवा माल और यात्रियों को लाने ले जाने का काम संतोषजनक ढंग से पूरा करे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) : जून से दिसम्बर तक की मानसून के दौरान हसन-मंगलूर लाइन पर सुब्रामन्या तथा सकलेशपुर के बीच घाट खंड भारी वर्षा से प्रभावित हुआ था जिसके फलस्वरूप भू-स्खलन हुआ और इस कारण गाड़ी सेवाओं में व्यवधान पड़ा।

इस लाइन पर सक्लेशपुर-सुब्रामन्या घाट खंड पर, इस खंड में स्थिरता प्रदान करने के विचार से, निवारक उपाय जैसे मिट्टी को जमाने और उसे सहारा देने के लिए दीवारों की व्यवस्था करने, नालियों की स्थिति में सुधार लाने आदि काम किये जा रहे हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय, हसन तथा मंगलूर के बीच यह लाइन उस समय से संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही है जब इसका उद्घाटन प्रो० दंडवते ने किया था, जबकि वह रेलमंत्री थे। मंगलूर एक बड़ा बन्दरगाह है और एक मछली केन्द्र है। वहां एक खाद का कारखाना भी है। इसके पीछे का प्रदेश बहुत अच्छा है, जिसमें पश्चिमी घाट के घने जंगल शामिल हैं तथा इसका महत्त्व इसलिए भी है कि वहां कुद्रेमुख लोहा-अयस्क परियोजना भी है।

क्या मंत्री महोदय बताएगे कि यह महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है। मानसून से पहले भी यह लाइन ठीक काम नहीं कर रही थी। मुझे बताया गया है कि इससे सुब्रामण्य-मंगलूर लाइन प्रभावित हुई है। क्या अब मंत्री महोदय बतायेंगे कि ठीक-ठीक कारण क्या है जिसकी वजह से यह लाइन संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सुब्रामण्य-सक्लेशपुर के बीच हसन से मंगलूर तक एक घाट खंड है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण रेलवे लाइन के लिये भूमि समतल बनाने के लिए इसे काटा गया। विशेषकर जून के महीने से अगस्त तक, यह सपूर्ण क्षेत्र मानसून से प्रभावित रहता है और चूंकि इस क्षेत्र की भूमि की स्थिति इन छः महीनों में एक सी नहीं रहती अतः इन छः महीनों के लिये सुरक्षा के उपाय के तौर पर इस खंड को बंद कर दिया जाता है। अब मिट्टी को जमाने, नालियों की स्थिति में सुधार लाने तथा उसे सहारा देने के लिए दीवारों की व्यवस्था करने तथा अन्य कार्यों के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। मुख्य बात लौह अयस्क का परिवहन है जो कि मैसूर राज्य में इकट्ठा किया जा रहा है। मंगलूर पत्तन का निर्माण किया गया है। लेकिन, सुरक्षा को देखते हुए, हमें इस लाइन को बन्द करना पड़ा है। आप जानते ही हैं कि 1980 में तीन सौ इंच बारिश हुई थी।

श्री टी० आर० शमन्ना : हसन बहुत से औद्योगिक और वाणिज्यक नगरों, जैसे—बंगलोर, मैसूर, भद्रावती, शिमोगा, देवनगीरी आदि से जुड़ा हुआ है। दक्षिण कन्नड़ के लोग बहुत ही उद्यमशील हैं, उनके सारे कर्नाटक क्षेत्र में व्यवसाय हैं। इस समय वे इस लाइन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह लाइन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तथा उनके लिए सहायक नहीं है। यदि यह लाइन ठीक से काम करे तो यह वहाँ के लोगों की सहायता कर सकती है और फिर वहां समय-समय पर भाड़े और किराए बढ़ाकर अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जून के मानसून ने निश्चय ही इस क्षेत्र को कुछ सीमा तक प्रभावित किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस लाइन के संतोषजनक ढंग से कार्य न करने का कोई अन्य कारण भी होगा।

क्या मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि वह स्वयं यह देखे कि यह लाइन ठीक ढंग से काम करे ?

इसके अतिरिक्त महोदय, हाल ही में चालू की गई बंगलोर-सेलम लाइन भी संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह देखें इस लाइन को ठीक काम करने में सुविधा हो, और साथ ही रेलवे को होने वाले भारी नुकसान को बचाया जा सके।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं मंत्री महोदय द्वारा कहीं गई इस बात की प्रशंसा करता हूँ कि दक्षिणी कन्नड़ के लोग बहुत उद्यमी हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन दिन-प्रतिदिन इस तरफ ध्यान दे रहा है कि ये लाइनें ठीक ढंग से काम करें तथा वस्तुओं के लाने ले जाने और यात्रियो की यात्रा के लिए इनका उचित उपयोग किया जाये।

श्री ओस्कर फर्नाडीस : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ इस समय लाइन कितने संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है, और क्या अगले मानसून में भी इस रेल सेवा को रोके जाने की कोई संभावना है। यदि ऐसा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं अगले मानसून के बारे में पूर्व घोषणा नहीं कर सकता। अभी इस लाइन को खोल दिया गया है। एक मालगाड़ी चलनी शुरू हो गई है। एक यात्री गाड़ी भी 31 दिसम्बर से इस लाइन पर चलही शुरू हो गई है।

श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय सरकार को इस लाइन पर काम करने वाले नैमितिक श्रमिकों से कोई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : वहां अब कोई नैमित्तिक श्रमिक नहीं है क्योंकि वहाँ अब निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। केवल रख-रखाव का काम है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : वहां बहुत से नैमित्तिक श्रमिक काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं सरकार को नैमित्तिक श्रमिकों की कुछ शिकायतें भेजी हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मैंने भी कुछ शिकायतें भेजी हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इनका प्रश्न वहां कार्यरत गैंगमैनों से सम्बन्धित है।

श्री मल्लिकार्जुन : वहाँ गैंगमैन है जो इन लाइनों पर गश्त लगाते हैं। उनका काम यह देखन, है कि रेलमार्ग नियमित रूप से चल रहा है और उन्हें यह कार्य सौंपा गया है। रेलवे प्रशासन भी नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी सहायता के लिए सभी कदम उठा रहा है। उनके सभी हितों का उचित रूप से ध्यान रखा जा रहा है।

श्री नारायण चौबे : क्या यह सच है कि नैमित्तिक श्रमिक केवल निर्माण के समय काम करते हैं और चालू लाइनों पर या रख-रखाव के कार्य में नहीं होते ? महोदय, मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं ? यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 66, श्री राम गोपाल रेड्डी।

खेल-कूद सम्बन्धी नई नीति

*66. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) खेल-कूद सम्बन्धी नई नीति के अधीन पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिये कल्याण निधि का कार्य-क्षेत्र क्या होगा; और

(ख) उपर्युक्त योजना कब लागू की जायेगी।

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि के कार्य क्षेत्र की जो परिकल्पना की गई है, वह इस प्रकार है :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि तथा प्रतियोगिताओं के दौरान भी घायल खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त सहायता की व्यवस्था करना, जो चोट किस तरह की है, उस पर निर्भर करेगी।

(ii) उन असाधारण खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और जो अपने कठिन प्रशिक्षण के बाद अथवा अन्य प्रकार से अशक्त हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में अथवा मासिक पेंशन अथवा दोनों देकर उन्हें सहायता प्रदान करना, लेकिन यह जैसा केस होगा, उस पर निर्भर करेगी।

(iii) सामान्यत: खिलाड़ियों तथा विपन्नावस्था में रह रहे उनके आश्रितों की तकलीफों को कम करने की दृष्टि से खिलाड़ियों के कल्याण के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था तथा उनका उपयोग।

(iv) वे सभी अन्य कार्य करना, जो उपरोक्त उद्देश्यों के अनुकूल हों।

(ख) आशा है कि निधि सम्बन्धी योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आप खेलों में भाग लेते हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जी नहीं, महोदय। लेकिन मेरा उसमें भाग लेने का इरादा है। महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बहुत ही विस्तृत है तथा सरकार पुरुष खिलाड़ियों एवं स्त्री खिलाड़ियों को सभी सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों की सहायता की गई है ? क्या आपके पास इसके कोई आंकड़े है ?

श्री पी० के० थुंगन : एक नई नीति लागू की जा रही है जो कि अभी तैयार की गई है और जिसे अधिसूचित किया जाना है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इस कार्य के लिए धन किस तरह से जुटाया जा रहा है और यह धन किन स्रोतों से आएगा ? क्या यह केन्द्रीय बजट से लिया जाएगा या किन्हीं अन्य स्रोतों से ?

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक मंत्रालय के योगदान का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं हमने एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए पांच लाख रुपए का प्रबन्ध किया है। परन्तु इस लक्ष्य के लिए केवल इतना ही धन उपलब्ध नहीं होगा। हम विभिन्न खेल परिषदों, विभिन्न राज्यों, सरकारी उपक्रमों तथा व्यापार गृहों आदि से चन्दा लेकर धन जमा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह धनराशि बहुत कम है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। मैं उन्हें कुछ ऐसी ही बात कहना चाहती थी। मैं यह चाहती हूं कि यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस कार्य के लिए कुछ योगदान करने की कृपा करेंगे जिससे कि यह राशि दुगुनी हो जाएगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, जब इन्होंने सदस्यों द्वारा सहयोग देने का सुझाव दिया है, तो मैं इस कोष को 1000 रु० का चंदा देता हूं।

श्री रास बिहारी बहेरा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन खिलाड़ियो पर स्तर सुधारने की योजना बना रही है। यदि हां, तो उनकी योजनाएँ क्या हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : निश्चय ही यह योजना पुरुष खिलाड़ियों तथा स्त्री खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार करने के लिए ही है।

श्री जगदीश टाइटलर : हमारे देश में बहुत से पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें अधिकारिक तौर से कुछ प्रशिक्षण देने के लिए बाहर भेजना होता है। लेकिन होता

यह है कि जब वे विदेश जाते हैं तो अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रबंधकों की संख्या खिलाड़ियों की संख्या से अधिक होती है। हाल ही में ऐसा हुआ है जब मिस पाटनकर को, जो कि बैडमिंटन में तीसरे नम्बर की खिलाड़ी थीं, यूरोपीय देशों के दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। लेकिन धन की कमी के कारण वह नहीं जा सकीं। लेकिन उसमें खेल महासंघ के एक अधिकारी संघ के खर्चे पर वहाँ गए। जब मैंने संघ से इस बारे में कुछ निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा काम नहीं है और यदि पुरुष खिलाड़ी या स्त्री खिलाड़ी बाहर जाना चाहते है तो उन्हें मंत्रालय से सम्पर्क रखना चाहिये। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये तब आपका मंत्रालय ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करने में क्या भूमिका अदा करता है जो कि देश में पहले, दूसरे या तीसरे नम्बर पर हैं ?

श्रीमती शीला कौल : जब कभी ऐसा मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है, हम केवल यह कर सकते हैं कि इन लोगों से इस मामले पर उचित तरीके से विचार करने के लिए कह सकते हैं.........(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : मैं मंत्री महोदय से केवल यह निवेदन करूंगा, वह सुनिश्चित करें कि इन दौरों पर जाने वाले अधिकारियों की संख्या कम की जाये और तब स्वतः ही संघ के खर्चे पर अधिक खिलाड़ी बाहर जा सकेंगे।

श्री पी० के० थुंगन : यह एक सुझाव है.........(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय करने का काम खिलाड़ियों का है, अधिकारियों का नहीं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

गिरिडीह रांची लाइन

***67. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सभा में बार-बार आश्वासन दिये गए थे कि गिरिडीह और रांची के बीच बरास्ता, कोडरमा और हजारीबाग टाउन, एवं बड़ी रेल लाइन बिछाने की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है,

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा, और

(ग) क्या गिरिडीह और रांची के बीच बरास्ता, कोडरमा और हजारीबाग टाउन उपर्युक्त रेल लाइन (223 किलोमीटर) बिछाने के लिए वर्ष 1982-83 के बजट में धनराशि की व्यवस्था की जायेगी और इस सम्बन्ध में अनिश्चितता दूर करने के लिए इस लाइन का निर्माण कार्य पहले किये गये निर्णय के अनुसार आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : रांची से हजारीबाग टाउन और वहां से कोडरमा तथा आगे गिरिडीह तक बड़े आमान की नई लाईन के लिए प्रारंभिक इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जा चुकी है और सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। ज्योंही सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाएगा, इस परियोजना के बारे में निर्णय ले लिया जायेगा, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इस सर्वे की स्वीकृति दी है। मैं मंत्री जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं और मुझे आश्चर्य है कि इसका सर्वे 1977 से चला है और कई बार कम्पलीट हो चुका है। भूतपूर्व रेल मंत्री जी ने 11-12-80 को श्री के० एम० मधुकर के तारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर में कहा था कि 8-10-80 को गिरिडीह और रांची के बीच बरास्ता कोडरमा और हजारीबाग टाउन, यह सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था, मैं उनको उद्धत करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है, यह बात सही है कि वह ट्राईबल एरिया है और उस पर विशेष ध्यान है। सर्वे कम्पलीट हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इन्क्लूड होने जा रहा है।

लेकिन अब मंत्री जी कहते हैं कि सर्वे की स्वीकृति दी है तो यही आश्चर्य है कि कितनी बार इसका सर्वे करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : एक बात आपने नहीं पूछी। आपने तो यह पूछा है कि एश्योरेंस दिया गया है या नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : हाउस में, इस सदन में ही यह बोला है कि इन्क्लूड करने जा रहे हैं और सर्वे हो चुका है। अब यह फिर से सर्वे किस लिए करा रहे हैं ? यह तो आलरेडी हो चुका है।

श्री मल्लिकार्जुन : यह रिप्रेजल सर्वे है, 1980-81 में जो इन्क्लूड किया गया है। सर्वेक्षण किया जा रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण पूरा होगा, बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : पहले कहते हैं कि हो गया है और अब कहते हैं कि होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : सर्वेक्षण किया जा रहा है– **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान् : एक मिनिस्ट्री का एक मंत्री कहता है कि सर्वे हो चुका है, छठी योजना में इन्क्लूड किया जायेगा और उसी मिनिस्ट्री का दूसरा मंत्री कहता है कि सर्वे होने वाला है। मल्लिकार्जुन जी, आप तो दोनों समय में मंत्री थे, उस समय भी थे और अब भी हैं।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं ठीक स्थिति बता रहा हूं। मैं सदन को यह बता रहा हूं कि इस समय उसकी ठीक स्थिति क्या है। सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जाएगी तब इस योजना आयोग की स्वीकृति लेनी होगी। निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा—

श्री राम विलास पासवान : पहले मंत्री का जवाब सही था या इस मंत्री का जवाब सही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझने दीजिए इस सवाल को। **(व्यवधान)**

श्री सुनील मैत्रा : आप पूछिये।

अध्यक्ष महोदय : तो पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, आप उनसे पूछिए कि पहला उत्तर ठीक है या वह जो उन्होंने अभी दिया है। हमें आपसे सुरक्षा चाहिए। क्या वे सदन में गंभीर हैं ? (व्यवधान) हम आप से अपने अधिकारों की सुरक्षा मांगते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी ही तरफ से उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप सुनते ही नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी है। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि मैंने कहा है, कि यह सर्वेक्षण 1980 में आरम्भ हुआ…

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, श्री मल्लिकार्जुन। प्रश्न यह है कि क्या सभा में बार-बार यह आश्वासन दिए गए थे कि गिरिडीह और रांची के बीच बरास्ता, कोडरमा और हजारीबाग टाउन, एक बड़ी रेल लाइन बिछाने की योजना छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है। क्या यह आश्वासन दिया गया था या नहीं ? हमें इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय मैं नहीं जानता कि आश्वासन दिया गया है या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मंत्री से उत्तर देने के लिए कहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति को संभालने दीजिए। आप मुझे स्थिति क्यों नहीं संभालने देते ? क्या आप नहीं चाहते मैं इस प्रश्न का उत्तर दिलवाऊं ? क्या आप तथ्य जानना नहीं चाहते ?

क्या आप इसे स्पष्ट करना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि स्पष्ट उत्तर दिया जाये। आज सुबह जब मैं कागजात देख रहा था तो मुझे यह पता चला कि इसका उत्तर नहीं दिया गया है। आप कृपया अब इसे स्पष्ट कीजिए।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं केवल इतना ही कह सकता कि इस समय इंजीनियरिंग-एवं-ट्रैफिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रारम्भिक सक्षर्वेण पूरा हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे मूल प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं मिला कि क्या आश्वासन दिया गया था या नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, इसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच करली जानी चाहिए थी। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, क्या आपने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

विकासशील देशों की प्रस्तावित बैठक

***68 श्री बी० बी० देसाई :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों तथा नार्थ-साउथ डायलाग के बीच मतैक्य स्थापित करने के विचार से एक सम्मेलन बुलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब तक लगभग 33 देशों ने सहमति व्यक्त की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्नेलन में भाग लेने के लिए चीन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :—(क) : जी हां। प्रधानमंत्री की पहल पर एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के कुछ देशों की एक अनौपचारिक बैठक नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी, 1982 को हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तर-दक्षिण के मसलों के बारे में जायजा लेना और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अवसरों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था।

(ख) और (ग) : इस सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया जिनमें चीन भी शामिल है जिसे इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

(घ) : इनमें जिन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया, वे हैं—सार्वभौम वार्ता, खाद्यान, ऊर्जा, वित्तीय साधन, व्यापार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग।

श्री बी० बी० देसाई : महोदय, प्रश्न को पूछे हुए काफी समय बीत गया है। इस दौरान सम्मेलन हो गया और कल ही यह समाप्त हुआ है।

प्रथमतः हमारी प्रधानमंत्री इस सदन की ओर से नौ-सूत्रीय चार्टर के लिए प्रशंसा तथा बधाई की पात्र हैं जो उन्होंने वहां रखा था और उसके द्वारा सम्मेलन का मार्ग निर्देशन किया था।

दूसरे, समकालीन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि भारत और चीन एक मंच पर इकट्ठे हुए और कुछ विकसित देशों पर आरोप लगाया कि वे उत्तरी और दक्षिणी देशों की वार्ता में सहयोग नहीं दे रहे थे। ये दो बातें हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है।

महोदय, अब विषय पर आते हुए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ सम्मेलन में किन विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा की गई थी, उसके क्या ठोस परिणाम रहे जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हों, उत्तर-दक्षिण वार्ता तथा दक्षिण-दक्षिण देशों के बीच सहयोग के सम्बन्ध में बहुपक्षीय रूप से विकासशील देशों के लिए लाभकारी हों ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, सम्मेलन कल शाम को ही समाप्त हुआ है।

अध्यक्ष ने यह संक्षेप में बताया था—जो कि एक दस्तावेज में है जो सारी रात तैयार होता रहा है और मात्र एक घंटा पहले ही मिला है। वह मेरे पास है। स्वाभाविक है कि उसका विश्लेषण करने, उसकी जांच करने तथा उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में आने में हमें थोड़ा समय लेंगे । सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बताता हूं जो विमर्श के बाद प्रमुख रूप से आई हैं—

(1) 16 मार्च, 1982 को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र पुनः आरम्भ हो तब सभी देशों द्वारा विचार-विमर्श आरंभ कराने हेतु कार्य करने के लिए मतैक्य।

(2) इस बात पर सहमति कि नाजुक क्षेत्रों जैसे—खाद्यान, ऊर्जा, व्यापार और वित्तीय साधनों, में प्रगति करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयत्न किए जायें।

(3) ऊर्जा के बारे में कार्यवाही करने पर सहमति।

(4) ऊर्जा के लिए विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त ऋण।

(5) इस बात पर सहमति कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी में प्रतिकूल बातों को रोकने के लिए उच्च राजनीतिक स्तर पर पहल करके विकासशील देशों द्वारा तथा दाता देशों में राजनीतिक स्तर पर सही समझ सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित तथा समेकित प्रयत्न किए जायेंगे।

(6) दक्षिणी देशों के बीच सहयोग को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) ई० सी० डी० सी० के लिए बहुपक्षीय वित्तीय सुविधा के प्रस्ताव की जांच की जाएगी। यह प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया। यह सुविधा संभाव्यता-पूर्व संभाव्यता तथा परामर्शकारी सेवाओं के संबंध में है।

(ख) संयुक्त उद्यमों के लिए उचित वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में ठोस शर्तों के आधार पर प्रस्ताव पेश किए जायेंगे।

तथा (ग) विकसित देशों के बीच सहयोग के लिए कराका कार्यक्रम के लिए अधिक कारगर क्रियान्वयन तंत्र।

यही भावार्थ है। लेकिन हमें सभी सिफारिशों और विचार-विमर्श के विवरणों की जांच करनी होगी।

श्री बी० वी० देसाई : सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जो कि विकासशील देशों के हित में हैं। जिन कतिपय विषयों पर वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय से अभी संक्षिप्त रूप में कुछ कहने का निवेदन किया गया है। लेकिन चूंकि विषय बहुत

ही महत्वपूर्ण है और इसका सम्बन्ध विकासशील देशों के महत्वपूर्ण पहलुओं हैं, क्या मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि वह इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य दें ताकि सदन को उन विषयों पर मंत्री महोदय से सुनने का मौका मिले ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने वाली है और यह उचित मौका होगा जब मैं माननीय सदस्यों के विचारों से लाभान्वित हूँगा । उनका उत्तर देने की स्थिति में हूंगा ।

श्री गुलाम रसूल कोचक : विकासशील देश अपनी बढ़ती हुई समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की सर्वसम्मति से माँग कर रहे थे। विकसित देश भी अपने रुखों को व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से सहमत थे । विश्व को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं राजनैतिक सिद्धान्तों की नई विचारधारा देने की भारत को प्रतिष्ठा मिली है । इनमें से एक गुट-निरपेक्षता की नीति बनी है । जब हम गुट-निरपेक्षता की इस नीति को आरंभ किया तो विश्व में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उसका मुकाबला किया । आज गुट-निरपेक्षता अपने आप में वास्तविकता बन गई है इसका अपना एक स्वरूप बन गया है । इस तरह से हमने विश्व को दिखा दिया कि हमारी क्या स्थिति है । हम जानते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है । अब विकासशील देशों के संगठित होने की प्रवृत्ति को जानते हुए, तथा उनकी यह इच्छा कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ठीक से किया जाये एवं विकसित देशों का यह रुख कि वे हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते तो क्या मैं इस सम्बन्ध में सरकार का रुख जान सकता हूं ? क्या समय की यह मांग नहीं है कि हमें फिर से उस चुनौती का सामना करना है जैसी चुनौती का हमने गुट-निरपेक्षता की नीति को आरम्भ करते वक्त सामना किया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं और उन्होंने जिस समानान्तर समस्या को उद्धृत किया है वह भी प्रासंगिक है । मैंने सदन को विचार-विमर्श के सारांश के बारे में पहले बता दिया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि विचार-विमर्श के दौरान जो निश्चिय किया है वह वही है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

श्री माधव राव सिंधिया : माननीय विदेश मंत्री ने सामान्य ढंग से अपने पहले उत्तर में जो कुछ कहा है उसके बाद पूछने के लिए कुछ नहीं है । मैं मात्र उसका पुन: स्पष्टीकरण चाहता हूं । अत: क्या यह एक वित्त पोषण की सुविधा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है ?

(2) क्या भविष्य में विश्वव्यापी बातचीत करने की आम नीति का सिद्धांत भी स्वीकार कर लिया गया है ?

(3) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध ऊर्जा संस्था की स्थापना या आम प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है ? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 'हां' में है तो आपसे केवल एक और स्पष्टीकरण की मांग है, और वह यह है कि क्या व्यापार में भावी लाभ और उन्नति के सम्बन्ध में विचारों के अधिक सामंजस्य की दिशा में दक्षिणी देशों में प्रारम्भिक उपाय के रूप में संरक्षण की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न को रोकने के लिए कोई समझौता किया गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंहा राव : वित्त पोषण की सुविधा के सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह संभाव्यता-पूर्व, संभाव्यता एवं सलाह सेवाओं के लिए बनाई गई है। अब यदि हम इससे आरंभ करें तो इससे सहयोग के और अधिक क्षेत्र मिलेंगे और ज्यों-ज्यों हम इस ओर आगे बढ़ेंगे, 'ई० सी० डी० सी०' को अधिक ठोस आधार पर संगठित करना संभव हो जायेगा। जहाँ तक ऊर्जा संस्था को सम्बद्ध करने का प्रश्न है, सम्बद्ध शब्द आमतौर पर विश्व बैंक से जुड़ा हुआ है। विश्व बैंक से सम्बद्ध ऊर्जा संस्था का विचार इसमें निहित है। मैं समझता हूं इसका अपना महत्व है और इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यहां जो अभिप्राय है और जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि यह एक सुविधा अथवा एक संस्थान या एक ढांचा है जो विकासशील देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे की सहायता के लिए परिस्थितियां बनाने में सहायता करती है। संभवतः इससे यही समझा गया है जहाँ तक विश्वव्यापी बातचीत एवं उभय रुख का सम्बन्ध है मुझे विश्वास है कि उभय रुख एवं ठोस प्रयास दोनों ही विचार सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिए गये हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये अन्तिम मुद्दे के बारे में, मुझे डर है, मैं जब तक इस दस्तावेज को अच्छी तरह पढ़ नहीं लेता उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने इस सम्मेलन के उद्देश्य का विवरण पहले ही दे दिया है और हम जानते हैं कि पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने विकासशील देशों पर विशेष रूप से आर्थिक युद्ध की घोषणा पहले से ही कर दी है। हमारी प्रधानमंत्री ने स्वयं सम्मेलन में कहा था कि ये साम्राज्यवादी देश, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के माध्यम से यह काम कर रहे हैं। यदि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्तकर्ता देशों के लिए अपने ढांचे में परिवर्तन करने की मांग कर रहा है। मैं 'दि स्टेटमैन' से उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमें यह शर्तें मानने के लिए बाध्य किया गया यद्यपि सदन में इस बात को मानने से इन्कार किया कि सरकार को इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य किया गया था। अब, क्या विकासशील देशों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी और क्या इस विषय पर भी कोई एक मतैक्य था कि पश्चिमी विकसित पूंजीवादी देशों की विकासशील देशों पर अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लागू करने की नीतियों के विरुद्ध कैसे लड़ा जाये ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि मैंने कहा है कि मैंने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जो कि विचार-विमर्श से निकली हैं। मुझे विश्वास है कि जिन पहलुओं की ओर माननीय सदस्य द्वारा सकेत किया गया, उन पर चर्चा की गई थी। लेकिन एक स्पष्ट और निश्चित उत्तर देने के लिए मुझे सारे विचार-विमर्श के विस्तार में जाना होगा।

श्री मगनभाई बरोट : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में, जो कुछ हुआ है उसकी सुविस्तृत सूची दी है। क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया था कि ये देश जो एक साथ संगठित हो गए हैं, वे खान और खनिजों की दृष्टि से धनी हैं और इसलिए वे अपने खनिज साधनों इसके लिए उपयोग कर सकते हैं और वे स्वयं एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए क्या यह विचार किया गया था कि क्या ओ० पी० ई० सी० देश भी इस संगठन की ओर आकर्षित होंगे और इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर पायेंगे जिसमें स्वयं ये देश धनराशि जुटा सकें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह ई० सी० डी० सी० देशों का सार तत्त्व है और 'ओपेक' देशों का प्रतिनिधित्व भी सम्मेलन में था मैं समझता हूं कि ये इन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई थी।

देश में मिथ्या चिकित्सकों की वृद्धि

*69. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में मिथ्या चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इससे गम्भीर समस्या पैदा हो गई है; और

(ग) सरकार ने ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो लोगों की अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री :(श्री बी० शंकरानन्द) : (क), (ख) और (ग) सरकार को देश में चिकित्सा कार्य कर रहे गैर-पंजीकृत व्यक्तियों की समस्या की जानकारी है। राज्य सरकारों को इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती रही है।

श्री बाल कृष्ण वासनिक : हम कई बार समाचार पत्रों में यह खबर देखते हैं कि नीम-हकीमों का बहुत से लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी देखा गया है कि न केवल अशिक्षित नीम-हकीम बल्कि वे लोग भी उस मानक स्तर के मेडीकल प्रेक्टिशनर नहीं बन पाते, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में जहां के अध्यापक पर्याप्त अनुभवी नहीं हैं और कम मेधावी छात्र भी उन संस्थानों में शुल्क और दान देकर प्रवेश पा लेते हैं इससे न केवल अशिक्षित नीम-हकीम ही बनते हैं वरन् सप्रशिक्षित और शिक्षित नीम-हकीम बनते हैं और फलस्वरूप इससे लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से इस स्थिति की गम्भीरता के बारे में जान सकता हूं और सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य उस विषय के बारे में पूछ रहे हैं जो संभवत उन्हें भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि यहाँ शिक्षित और अशिक्षित नीम-हकीम हैं। मेरे विचार से उन्होंने उन व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रश्न पूछा है जो सभी प्रणालियों के अन्तर्गत कर रहे हैं तथा जो पंजीकृत और मान्यता प्राप्त नहीं है और जिनका नाम राज्य के रजिस्टरों तथा केन्द्रीय रजिस्ट्रारों में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सदन को उत्तर दिया है। संभवत: अब वे उन नीम हकीमों के बारे में कह रहे है जो प्रशिक्षित और योग्य है और इन सब बातों से प्रश्न जटिल बन गया है। मैं नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर दे पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : नीम-हकीमों के पास कोई उत्तर नहीं है !

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : मुझे खुशी होती, यदि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया होता जिसे उन्होंने समझा है··· (व्यवधान)

समस्या की गंभीरता को देखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूरी के कारण देश के बहुत से भागों में चिकित्सा सुविधा सुलभ नहीं है तथा चूंकि उन स्थानों पर योग्य डाक्टर सुलभ नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वहां नीम हकीम पहुंच जाते हैं, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने चलते-फिरते औषधालय या इसी तरह की कोई और योजना बनाई है ताकि दूर-दराज स्थानों में चिकित्सा सुविधा दी जा सके और नीम हकीमों की संख्या कम की जा सके ?

श्री बी० शंकरानंद : राज्यों और केन्द्र द्वारा चिकित्सा परिषद अधिनियम होम्योपैथिक अधिनियम, आयुर्वेदिक अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से रजिस्टर रखे जाते हैं और डाक्टरों ने अपना पंजीकरण करवाया है। वह उन लोगों के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछते जो विभिन्न अधि-नियमों के अंतर्गत अपना पंजीकरण या मान्यता प्राप्त किए बिना चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। वह नीम हकीमों के बारे में बात करते हैं। नीम हकीम का शब्दकोश में अर्थ है—वह आदमी जो उस विषय को जानने का दावा करता है। विशेषकर दवाइयों और चिकित्सा सम्बन्धी निपुणता का, भले ही वह उसे न जानता हो। हम शब्दकोष के अर्थ के अनुसार ही चलते हैं। संभवतः यह उन पर भी लागू होता है जो योग्य है। उस दृष्टिकोण से, मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो योग्य हैं लेकिन फिर भी उन्हें विषय का ज्ञान नहीं है और उन्हें उसका अभ्यास भी नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, योग्य नहीं है फिर भी कई पीढ़ियों से उनके पास चमत्कारिक दवाइयाँ हैं और लोग उनके पास इलाज के लिए जाते हैं। (व्यवधान) वह सरकार से कह रहे हैं कि इन नीम हकीमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। संसद द्वारा अथवा राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जिसमें चिकित्सा शब्दावली में नीम हकीमों का वर्णन किया गया हो। ऐसा कोई कानून नहीं है। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती।

डा० बंसत कुमार पंडित : मंत्री महोदय सीधा उत्तर टालने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो सामान्य ज्ञान की बात है एवं समाचार पत्रों में विशेषकर स्थानीय प्रेस में उन व्यक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं जो पंजीकृत नहीं है। संस्थानों द्वारा भी विज्ञापन जारी किये जाते हैं! वे झूठी और जाली डिग्रियाँ देते हैं और आम आदमी जो भोला भाला है। बिना कुछ समझे अथवा उनके पंजीकरण की वास्तविकता को देखे बिना इन लोगों की तरफ आकर्षित होता है। वे कुछ जाली रजिस्टर नम्बर भी दे देते हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महो-दय इन विज्ञापनों की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय अथवा कहीं और एक कक्ष स्थापित करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लोग पंजीकृत हैं अथवा नहीं, और गरीब लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न और गलत इलाज से बचायेंगे। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा की याचिका समितियों ने गैर-पंजीकृत डाक्टरों के इस मामले पर इस सीमा तक विचार किया है कि याचिका समितियां इन नीम हकीमों के पक्ष में है। उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया है कि हमें इन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कानून आदि बनाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : तो पहले पेटीशंस कमेटीज का इलाज करा दो।

प्रो० श्री मधु दंडवते : वह याचिका समिति पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानंद : बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं उन्हें नीम हकीम नहीं कहता ।

हमने विभिन्न राज्य सरकारों को याचिका समिति द्वारा दिए गए सुझावों को परिचालित किया है कि वे इन लोगों को उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से कोई कानून बना सकते हैं । लेकिन इस पर विभिन्न विचार दिए गए है । बहुत से राज्यों ने इसका पक्ष लिया है और बहुत से अन्य राज्यों ने इसका पक्ष नहीं लिया । महाराष्ट्र और केरल ने ऐसे लोगों को नियमित और पंजीकृत करने के लिए पहले से ही कानून बना रखे हैं । लेकिन बहुत से राज्य इसका विरोध कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने मुझे उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है जो कि धोखेबाज डाक्टर है और जो दवाइयां बेच रहे हैं और विज्ञापनों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं । ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना गृह मंत्रालय के अधिकार में नहीं है ।

डा० कृपा सिंधु भोई : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में श्री सत्य नारायण जाटिया के प्रश्न की ओर बड़े सुन्दर ढंग से संकेत किया है कि प्रत्येक 1000 लोगों के पीछे एक स्वास्थ्य मार्ग दर्शक, 30,000 ग्रामीण जनसंख्या के पीछे एक श्रमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इसी तरह पहाड़ी इलाके में 20,000 लोगों के पीछे एक केन्द्र खोला जाएगा ।

हमें गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था । इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर विवादास्पद है । 'क्वैक' शब्द का अर्थ साधारण है । इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो कि पंजीकृत चिकित्सक नहीं है । जनता पार्टी के शासनकाल में, भूतपूर्व-स्वास्थ्य मंत्री ने गाँवों में लाखों की संख्या में नीम हकीमों बना दिए । हम उन्हें गांवों में राजनारायण के डाक्टर के नाम से बुलाते हैं । हमारी सरकार ने उनका नाम बदलकर स्वास्थ्य मार्ग दर्शक रख दिया है । ये ही वे लोग हैं जो झूठी चिकित्सा कर रहे हैं । गैर-पंजीकृत चिकित्सकों की नीम हकीमी को नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ? लाखों की संख्या में लोगों का जीवन बचाने के लिए, क्या मंत्री महोदय नीम हकीमी को नष्ट करने के लिए सदन के सम्मुख कोई विस्तृत विधेयक रखेंगे । इसी समय, क्या वह कुछ क्षण पूर्व प्रस्तुत की गई सुन्दर तस्वीर को छठी पंचवर्षीय योजना में लागू करने में सफल होंगे ?

श्री बी० शंकरानंद : मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने जो ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शन का परिचय दिया है, वह नीम हकीम नहीं हैं ।

श्री आर० एन० राकेश : आप अनरजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स की जांच कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो कारखाने बन गए हैं, इस प्रकार की कितनी शिकायतें आई हैं और कितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें शेड्यूल कास्ट कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : और कोई सवाल करिये, यह सवाल पैदा नहीं होता ।

विश्वविद्यालय परिसरों से राजनीति समाप्त किया जाना

***71. श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजकता और हिंसा को रोकने के लिए समूचे देश में विश्वविद्यालय परिसरों से राजनीति को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चैयरमैन द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में एक समाचार एजेन्सी के समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चैयरमैन के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक समाचार एजेंसी के पत्रकार के साथ एक भेंट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रश्न के उत्तर में टिप्पणी की थी यदि विश्वविद्यालय परिसर को राजनीति से अलग रखा जाए तो हिंसा और अनुशासनहीनता की घटनाओं में कमी हो सकती है।

वि० अ० आ० के अध्यक्ष ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं किया है और इसलिए इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है, फिर भी बन टीका-टिप्पणियों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न स्पष्ट रूप से उठता है क्योंकि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभापति हैं। यहां सदन के दोनों पक्षों में मुझे मिलाकर कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने कई वर्षों तक कालेज संघों की राजनीति में स्वयं को प्रशिक्षित किया है। कालेज संघ के प्रभावशाली कार्यकरण के लिए उन्हें राष्ट्रीय हित के राजनीतिक मसले उठाने होते हैं और वे सम्पूर्ण रूप से देश के हित में रहे हैं। इसलिए संघ को राजनीति से हटाने का प्रयास भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण धमकी होगी। इसीलिए मैं कहती हूं कि इसकी सरकार पर सीधी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा सरकारी तौर पर दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में, क्या मंत्रालय अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए सभापति के साथ विचार-विमर्श करेगा, तथा क्या उन विचारों में यह सुझाव भी शामिल होंगे कि कालेज संघ के काम करने के लोकतंत्रीय अधिकार और लोकतंत्रीय तरीके को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए ?

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 7 जनवरी को सम्वाददाता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति से भेंट की, और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न हिंसा और अनुशासनहीनता की बढ़ती हुई घटनाओं को दबाने के लिए किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में था तथा उसके जवाब में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति ने कुछ सुझाव दिए और हिंसा तथा अनुशासनहीनता को दबाने के लिए उनके द्वारा एक सुझाव यह दिया गया था कि चुनाव तथा अन्य क्रियाकलाप अन्य तरीके से किए जाने चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान लाखों रुपया खर्च किया जाता है, तनाव बढ़ जाता है जिससे उन विद्यार्थियों के बीच बहुत लम्बे समय के लिए सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं। उनका यह मतलब नहीं है कि विद्यार्थियों के राजनैतिक पहलुओं को दबा देना चाहिए। विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरुकता होनी चाहिए,

लेकिन वह शैक्षणिक संस्थानों में शांति लाने के उद्देश्य से होनी चाहिए। चुनाव का प्रयास थोड़े भिन्न तरीके से होना चाहिए, यही मेरा अभिप्राय है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे यह कहना है कि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा दिए गये वक्तव्य की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। उनके अनुसार, उस वक्तव्य में कहा गया है कि निर्वाचित विद्यार्थी संघ की बजाय वहां विद्यार्थियों के मनोनीत संगठन होने चाहिए। अतः उनका विचार राजनीतिक को खत्म करने का है। मैं मंत्री महोदय की इस विषय पर सकारात्मक प्रक्रिया जानना चाहती हूं।

श्रीमती शीला कौल : यू० जी० सी० सभापति ने कहा है कि उन विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं······(व्यवधान) मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न रखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अच्छे विद्यार्थियों का होना हमारे लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने संवाददाताओं को यह सुझाव दिया है, हमें नहीं। यह बात सम्वाददाता और सभापति के बीच हुई है। उन्होंने कहा है······(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप चाहती क्या हैं ?

श्रीमती शीला कौल : यह संवाददाताओं को दिया गया उनका सुझाव है। यह सुझाव हमें नहीं दिया गया और हमारी तरफ से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया गया। हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। (व्यावधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह सदन में रखा गया था। आप सदन की प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त कर सकते ?

श्री नारायण चौबे : सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वह कोई वचन नहीं दे सकती।

डा० कर्ण सिंह : प्रश्न वास्तव में ही यू० जी० सी० के सभापति द्वारा राजनीति को हटाए जाने के संबन्ध में दिए गये वक्तव्य के बारे में है। यू० सी० जी० की सभापति डा० माधुरी बेन बहुत ही अक्लमंद और समझदार स्त्री हैं। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न विद्यार्थियों को उनके अधिकार से वंचित करने का है। यह प्रश्न विश्वविद्यालय में होने वाले चुनावों की प्रतिक्रिया से संबंधित है। चुनाव प्रचार में लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह सभा के चुनावों से अधिक अस्पष्ट है। निश्चिय ही वह विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व का उचित तरीका नहीं है। मैं समझता हूं यहां प्रश्न उस तरीके का है जिस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों में राजनैतिक जागरुकता और राजनैतिक तत्परता होनी चाहिए। वे ही समाज का मूल हैं। वे राष्ट्र की आशा हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी बुराइयां जो हमारी चुनाव प्रणाली में हैं वे विद्यालय में भी होनी चाहिए। मेरे विचार में यह जरूरी है कि इस मसले पर राष्ट्र को एकमत होना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व के इस प्रश्न पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति पाने के लिए क्षमायाचक और नकारात्मक रुख अपनाने की बजाय सकारात्मक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। आप एक व्यवस्था बना सकते हैं उदाहरणतः अप्रत्यक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। यहां जरूरी नहीं कि यहां भी वही स्थिति हो। बल्कि प्रश्न यह है कि विद्यार्थी संघ को केवल विभिन्न राष्ट्रीय दलों के दबाव पर नहीं वरन्

सच्चे विचारों पर भी सोचना चाहिए। मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार को इस मामले में और अधिक समर्थन देना चाहिए तथा राष्ट्रीय सर्वसम्मति के विचार प्रस्तुत करने चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जबकि यू० जी० सी० के सभापति ने अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया हो। मेरे माननीय मित्र को यह याद होगा कि 'कोठारी' आयोग ने भी अपने-अपने सुझाव दिए थे और यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने श्री खोसला की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जिसने कुछ सुझाव दिए थे जो कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किए गये थे और श्रीमती माधुरी बैन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वहां चुनाव नहीं होने चाहिए।

श्री राजेश पाइलट : अपने राजनैतिक जीवन के पिछले कुछ वर्षों में मुझे जो अनुभूति हुई वह यह कि शिक्षा संस्थानों में यह राजनीति बहुत पैठती जा रही है। कुछ राजनैतिक दल इन संस्थानों से ही बने हुए हैं। क्या सरकार भविष्य में इन शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिज्ञों को कुछ भी करने से वंचित करने का कोई निर्णय कर रही है?

श्री नारायण चौबे : यह एकदम वैसा ही है जैसा श्री पाइलट स्वतंत्रता से पूर्व करना चाहते थे।

श्री राजेश पाइलट : यदि आप राजनीतिज्ञों को संस्थानों में कुछ भी करने से वंचित करते हैं तो सभी समस्याएं विश्वविद्यालय में हल की जायेंगी। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

*64. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के कोई नये उपाय किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) (क) और (ख) : दुर्घटनाओं की रोक-थाम करना एक सतत प्रक्रिया है। विगत में घटित कुछ दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए व्यापक प्रयास शुरू किये गये हैं। रेल कर्मचारियों में सभी स्तरों पर सुरक्षा के प्रति अधिक चेतना पैदा करने के लिए निरीक्षणों की संख्या बढ़ा दी गयी है तथा किसी भी क्षेत्र में पायी जाने वाली त्रुटि को तत्काल दूर करने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों के अन्योन्य वर्ग से भेंट करने के करने के लिए दो उच्च स्तरीय भ्रमण दल, जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी शामिल हैं, नियुक्त किये गये हैं। इन दलों के कार्य को समन्वित करने के लिए रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ निदेशकों को विशेष रूप से नामित किया गया है। कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए रेलवेमैन फेडरेशनों तथा मूल स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के

साथ विचार-विमर्श का आयोजन किया गया है। परिसम्पत्तियों अर्थात् सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, रेल इन्जनों, रेलपथ, सिगनल आदि के अनुरक्षण कार्य की ओर अत्याधिक ध्यान दिया जा रहा है।

संरक्षा के कई उपाय अर्थात् रेल पथ-परिपथन, धुरा काउन्टर, रेलपथ रिकार्डिंग और अभिलेखी कारों, पराश्रव्य दोष पकड़ तथा परिष्कृत सिगनल प्रणालियों की व्यवस्था की जा रही है। इंजन कर्मियों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण प्रारम्भ किये गये हैं और आपात काल में साथ वाले रेलपथ पर ड्राइवरों को सावधान करने के लिए डीजल/बिजली रेल इन्जनों में कौंधक प्रकाश की व्यवस्था की गयी है।

नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

*65. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में इस समय ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : स्वास्थ्य परिचर्या के सम्बन्ध में सरकार एक ऐसा मार्ग अपनाने पर बल देती है जिसमें रोग निवारण स्वास्थ्य संवर्धन तथा उपचारी पहलू शामिल हैं। स्वास्थ्य नीति में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की कल्पना की गई है :—

1. प्रत्येक एक हजार लोगों के लिए एक स्वास्थ्य गाइड तथा प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई देना।

2. सामान्य रूप में प्रति पांच हजार ग्रामीण लोगों के लिए तथा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति तीन हजार लोगों के लिए एक उप-केन्द्र खोलकर तथा एक पुरुष और एक महिला बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध करना।

3. वर्तमान ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर पहले उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना और अन्ततः उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना तथा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ताकि सामान्य में प्रत्येक तीस हजार ग्रामीण लोगों के लिए और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक बीस हजार की आबादी के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल जाए।

4. प्रत्येक एक लाख ग्रामीण आबादी के लिए खोले जाने वाले दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी विशिष्टताओं में उपचार की सुविधाएं देना।

इन एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति

ग्रौर शिशु स्वास्थ्य सेवाएं रोग-प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण सेवाएं संचारी रोगों का नियन्त्रण, विटामिन "ए" की कमी तथा रक्त की कमी से बचाव तथा स्वास्थ्य शिक्षा ग्रौर रोगी परिचर्या भी शामिल है। ये सभी वर्गों की सेवा के लिए बनाई गई हैं।

बंध ग्रौद्योगिक एककों को वैगन

*72. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रनुमोदित प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किए गए बड़ी संख्या में ग्रौद्योगिक एककों को कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में वैगन नहीं मिलते, परन्तु ग्रप्रायोजित एककों को कोयला सहित माल की ढुलाई के लिए ग्रापेक्षित संख्या में वैगन प्राप्त हो जाते हैं।

(ख) यदि हां, तो वैगनों का ग्रावंटन सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली तथा सिद्धान्त क्या हैं ग्रौर पिछले एक वर्ष में ग्रनुमोदित प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित एकाकों तथा ग्रप्रायोजित एककों को उनकी ग्रावश्यकता को देखते हुए ग्रावंटित किये गये वैगनों का प्रतिशत क्या है, ग्रौर

(ग) वैगनों के ग्रावंटन के मामले में ग्रसली ग्रौद्योगिक एककों के सामने ग्राने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। कोयला खान साइडिंगों से कोयले के लदान के लिए उन्हीं उपभोक्ताग्रों को माल डिब्बों का ग्रावंटन किया जाता है जो या तो केन्द्रीय प्रवर्तित प्राधिकारियों या राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। लेकिन, ऐसे कुछ मामले हैं जहां कुछ पार्टियों ने मार्गवर्ती स्टेशनों से कोयले के माल डिब्बों के संचलन के लिए न्यायालय के ग्रादेश ले लिए हैं। इनका रेल प्रशासन द्वारा ग्रनेक उच्च न्यायालयों ग्रौर उच्चतम न्यायालय में जोरदार विरोध किया जा रहा है।

(ख) कलकत्ता स्थित निदेशक, संचलन (रेलवे) प्रत्येक वर्ष ग्रक्तूबर में सभी राज्यों ग्रौर केन्द्रीय प्रवर्तित प्राधिकारियों के नाम पत्र भेजते हैं जिसमें कोयला उपभोक्ताग्रों की प्रत्येक कोटि के लिए ग्रधिकतम सीमा निर्दिष्ट की जाती है। इसके बाद प्रवर्तित प्राधिकारी ग्राने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कोटे की सिफारिश करते हैं। कोटे की जांच की जाती है ग्रौर निदेशक संचलन (रेलवे) द्वारा इसमें यथा-ग्रपेक्षित परिशोधन करके स्वीकार किया जाता है जो इसके बाद सभी सम्बन्धित उपभोक्ताग्रों के लिए स्वीकृति जारी करता है। केन्द्र सरकार द्वारा विनिश्चित प्राथमिकताग्रों ग्रौर कोयले की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृतियों के लिए माल डिब्बों का ग्रावंटन किया जाता है। उन यूनिटों को छोड़कर, जहां न्यायालय से ग्रादेश मिला हो, ग्रप्रायोजित यूनिटों के पक्ष में किसी प्रकार का ग्रावंटन नहीं किया जाता है।

(ग) जैसे ही रेल शीर्षों में कोयले की उपलब्धता में ग्रागे सुधार होगा, ग्रौद्योगिक यूनिटों का ग्रधिक कोयला उपलब्ध किया जायेगा।

ब्रिटेन की सरकार द्वारा स्वीकार न की गई पट्टियों का भारतीय ग्रस्पतालों को सप्लाई किया जाना

*73. **श्री जगपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैंग्रीन, टेटनीस तथा बाटुलिनम रोग के कीड़ों से युक्त पट्टियों की निर्यात खेपों में से स्वीकार न की गई पट्टियों, ब्रिटेन की सरकार ने जिनके जलाये जाने के आदेश दिये थे, भारतीय अस्पतालों में सप्लाई की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि अस्वीकार की गई ये पट्टियां भारतीय अस्पतालों को किस प्रकार सप्लाई की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन सरकार ने जिन सर्जिकल पट्टियों को अस्वीकार कर कर दिया था, वे भारतीय अस्पतालो में सप्लाई की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का खराब खेल

***74. श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान के शिलान्यास समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के खराब खेल के बारे में चिन्ता प्रकट की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह उल्लेख किया गया था कि एक करोड़ सत्तर लाख की जनसंख्या वाले जर्मन जनवादी गणराज्य ने गत ओलिम्पिक खेलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था जबकि खेलों के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन सामान्यत: अपेक्षाकृत कम था ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खेल टीमों के भाग लेने और उनमें खेल प्रदर्शन का दायित्व मुख्यत: भारतीय ओलम्पिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल फैडरेशन/संघों का है, जो स्वायत निकाय हैं । फिर भी सरकार अनुदानों के मामले में उपलब्ध संसाधनों के अन्दर सभी सम्भव सहायता देती है और राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है । विशेष रूप से आगामी एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण प्रबन्ध किए गए हैं ।

"गेट प्रेगनेन्ट, लूज हाउस सर्जन जांब" शीर्षक समाचार

***75. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में गेट, प्रेगनेन्ट, लूज हाउस सर्जन जांब " (गर्भवती बनिए और हाउस सर्जन की नौकरी खोइए) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस आधार पर कितनी महिला डाक्टरों को नौकरी से निकाला गया है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा अस्पतालों को ऐसी अनुमति किस आधार पर दी गई थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : इस संस्था ने पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी जूनियर रेजिडेन्ट (प्रथम वर्ष) की सेवाएं समाप्त नहीं की हैं। इस सम्बन्ध में 1977 में जो हिदायतें जारी की गई थीं उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

बांगला देश के साथ बात-चीत

*76. **डा० कृपा सिंधु भोई** :
श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बांगला देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों देशों से सम्बन्धित कतिपय अनिर्णीत मामलों पर बात-चीत के लिये जनवरी, 1982 में एक बैठक की थी, और

(ख) उक्त बातचीत में क्या प्रगति हुई है और यदि उसके कोई परिणाम निकले हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : नई दिल्ली में 11 से 13 सितम्बर, 1981 तक बंगलादेश के विदेश मंत्री के साथ मेरी बातचीत के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक भारत और बंगलादेश के बीच कुछ अनसुलझे द्विपक्षीय मामलों पर सचिव-स्तर पर बातचीत हुई थी। न्यूमर द्वीप समूह तथा समुद्री सीमा के निर्धारण पर सचिव स्तर की बातचीत से पहले 9 से 12 जनवरी तक अपर सचिव के स्तर पर तकनीकी वार्ता हुई थी।

2. यह पहला मौका था जबकि न्यूमूर द्वीप समूह पर दोनों सरकारों के बीच विस्तृत और ठोस विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्ष अपने-अपने प्रदेशों के अनुरूप उपलब्ध अतिरिक्त सूचना के प्रकाश में और संगत तथ्यों और सिद्धान्तों के आधार पर गहन जांच-पड़ताल के लिए जल्दी ही इस मामले पर फिर विचार-विमर्श करने पर सहमत हुए।

3. समुद्री सीमा के निर्धारण के प्रश्न पर बगलादेश और भारत के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति की समीक्षा की और यह फैसला किया कि किसी परस्पर स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने के लिए बातचीत जारी रखी जाए।

4. तीन वीघा के अनन्तकालीन पट्टे की शर्तों पर सचिव स्तर पर बातचीत की गई। इस बैठक में पट्टे की शर्तों परकोई अन्तिम समझौता नहीं हो सका। दोनों सरकारों के बीच इस विषय पर बातचीत जारी रहने की सम्भावना है।

दूसरे हुगली पुल के काम को जारी रखने के लिए निधि

***77. श्री सैयद मसुदल हुसैन :**

श्री जायनल अबेदिन : क्या नौवहन और **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य के नगरीय विकास मंत्री को आश्वासन दिया था कि वह चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक दूसरे हुगली पुल के काम को जारी रखने के लिए 3.3 करोड़ रुपये की और राशि कीं मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेंगे,

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उक्त राशि शीघ्रातिशीघ्र देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान इस पुल-परियोजना के लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इससे अधिक की धनराशि इस परियोजना के लिए दी जानी संभव नहीं है।

"सॉरी स्टेट आफ सफदरजंग हास्पीटल" (सफदरजंग अस्पताल की दयनीय स्थिति) शीर्षक समाचार

***78. श्री चन्द्रदेव प्रसाद बर्मा :** क्या स्वास्थ्य और **परिवहन कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में "सारी स्टेट आफ सफदरजंग हास्पीटल" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को आपात कालीन वार्ड में जहां रोगियों को बिना चिकित्सा मिले घंटों प्रतिक्षा करनी पड़ती है, के प्रति डाक्टरों के उदासीन रवैये की जानकारी है;

(ग) क्या यह सच है की ऐसे रोगियों को जिन्हें रक्त जांच की आवश्यकता होती है, रात्रि के समय अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाता ;

(घ) क्या यह भी सच है कि शौचालय गन्दे रहते है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या विषेश कदम उठा रही है ;

स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री, (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) इमरजेंसी वार्ड के डाक्टर रोगियों को अपेक्षित परिचर्या सुलभ करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस अस्पताल में रोगियों तथा उनके रिश्तेदारों की अत्यधिक भीड़ होने पर भी अस्पताल के प्रवंधक यहाँ के शौचालयों को यथासंभव साफ रखने का प्रयत्न करते हैं।

(ङ) सरकार अपने अस्पतालों, विशेषकर आपातकालीन विभागों की कार्यकुशलता के बारे में पूर्णरूप से सचेत है। ऐसी सेवाओं में सुधार करने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डिब्बों को उठाने-धरने के लिए गेन्ट्री क्रेनों का निर्माण

*79. **श्री अजय विश्वास :**

श्री ई०के० इम्बीचीबावा क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में डिब्बों उठाने धरने के काम में प्रयोग होने वाली गेन्ट्री क्रेनों का निर्माण करने में अपनी रूचि दिखायी है !

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उद्योग मंत्रालय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : पत्तनों ने गेन्ट्री क्रेनों खरीदने के लिए टेंडर मांगे थे उनके संदर्भ में जेशप एन्ड कंपनी लिमिटेड, ब्रेकवेट कंपनी लिमिटेड, और गार्डन रीचर शिप-बिल्डर्ज एन्ड इंजीनियर्ज से टेंडर प्राप्त हुए है।

(ग) और (घ) : भारी उद्योग विभाग ने मद्रास पत्तनों को गेन्ट्री क्रेने सप्लाई कर का आर्डर जेशप एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता को देने की सिफारिश की है। हाल में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ने उक्त कंपनी को एक गेन्ट्री क्रेन का आर्डर दिया है।

ट्रकों और पर्यटक कारों को दिए गए राष्ट्रीय परमिट

81. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **नौवाहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रकों और पर्यटक कारों को दिए गए राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या क्या है और अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के लोगों को कितने लाइसेंस जारी किए गए है, और

(ख) अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और(ख) : केन्द्रीय सरकार ने ट्रकों के लिए 16,600 राष्ट्रीय परमिट और टूरिष्ट गाड़ियों के लिए 5,150 आल इंडिया परमिट आवंटित किए है जो राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मोटर वेहिकल्स अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार मंजूर किए जाते है। राष्ट्रीय परमिटों के मंजूर करने के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की देने व्यवस्था मोटर वेहिकल्स एक्ट में 1978 में एक संसोधन द्वारा की गयी थी। इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था आल इंडिया टूरिष्ट के परमिटों के मामले में अभी तक नहीं की गयी है। टूरिष्ट गाड़ियों और बसें के लिए आल इंडिया टूरिष्ट परमिटों के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के बारे में मंत्रा-

मय विचार कर रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित अन्य जाति के आवेदकों को राष्ट्रीय परमिट मंजूर करने के बारे में कारवाई हो रही है। उक्त अधिनियम के अनुसार परमिटों का आक्षरण उसी अनुपात में किया जाएगा, जिस अनुपात में सरकार में लोक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के मामले में किया जाता है।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, विभिन्न श्रेणियों और सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय परमिट और आल इंड़िया टूरिस्ट परमिट मंजूर करने के बारे में संपूर्ण स्थिति का तभी पता चल सकेगा, जब मोटर वेहिक्लस एक्ट की धाराओं के अनुसार राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन अर्हता-प्राप्त अवेदकों को कोटा के आधार पर परमिट जारी कर देगें।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय कार्यक्रम बनाया जाना

*82. **उमा कान्त मिश्र** : क्या स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरु किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है। इसलिए इसे जनकार्यक्रम के रुप में चलाया जा रहा है। इसके बारे में बहुत बड़े पेमाने पर जन-जाग्रति लाने तथा लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझाने और उपलब्ध तरीकों के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन-पसन्द का तरीका अपनाने को प्रेरित करने के लिए बहु-प्रचार साधनों और पारस्परिक सम्पर्क के प्रयासों को तेज किया जा रहा हैं। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों को शरीक करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में लोग अधिक से अधिक संख्या में स्वयं आगे आयें, इसके लिए ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

कटक यथा बरहामपुर के बीच पैसेजर गाड़ी

693. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कटक और बरहामपुर के बीच एक पैसेंजर गाड़ी चलाने का सरकार का प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विचार किया जायेगा, और

(ग) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) कटक और बरहामपुर के बीच इस समय अतिरिक्त गाड़ी चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यातायात के औचित्य के अलावा, इन स्थलों के बीच नयी गाड़ी चलाने के लिए कोचिंग स्टाक और टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

डाक्टरों को विदेश जाने से रोकने के लिए कानूनी उपाय

694. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों को विदेश जाने और वहां बसने से रोकने के लिए कानूनी उपाय करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी):(क) और (ख) : फिलहाल सरकार डाक्टरों को विदेश जाने और उनके वहाँ बस जाने को रोकने के लिए कोई कानूनी उपाय करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हरिजन विधवाओं को नौकरी देने का प्रावधान

695. **श्रीमीत विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हरिजन विधवाओं को, उनके पति के स्थान पर रोजगार देने के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे मामलों पर विचार किया गया है और कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ग) क्या इस तरह के मामलों में शीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ अन्य कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) : दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को सहायता प्राप्त स्कूलों के उन मृत कर्मचारियों, जिनकी काम करते समय मृत्यु हुई हो, के आश्रितों को रोजगार कार्यालय प्रक्रिया में ढील देकर नियुक्ति के सम्बन्ध में पहले ही, निर्देश जारी कर दिए हैं।

माल डिब्बों की उपलब्धता

696. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मांग के अनुरूप माल डिब्बे तथा सवारी डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जहाँ तक माल डिब्बों की सप्लाई का सम्बन्ध है, रेलें मांग पत्रों पर काफी निगरानी रखती हैं और अधिमान्य यातायात अनुसूची में यथा उल्लिखित प्राथमिकता और पंजीकरण की सबसे पुरानी तारीख के आधार पर उपलब्ध करती हैं। माल डिब्बों के फेरों में सुधार होने से इनकी उपलब्धता में

और भी सुधार हुआ है और रेलें मांग के अनुसार अधिक माल डिब्बे उपलब्ध करके माल डिब्बों के मांग-पत्रों को पूरा कर सकती हैं ।

जहां तक यात्री यातायात के लिए सवारी डिब्बों का सम्बन्ध है, इसके लिए दो किस्म की मांगे होती हैं;

(क) लम्बी अवधि : पूरे भार सहित गाड़ियां चलाना, नयी गाडियां चलाना, गाड़ियों का विस्तार, आदि

(ख) अल्प अवधि पार्टी के संचलन, सवारी डिब्बों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए तात्कालिक उपाय के रूप में, रेलें आवधिक ओवरहाल के लिए बड़ी देर से रुके, सवारी डिब्बों को समाप्त करने, उनकी अप्रभावकारी स्थिति में सुधार लाने और सवारी डिब्बों के विवरण पर निगरानी रखने के लिए प्रयास कर रही हैं ।

छठी योजना में 1,00,000 माल डिब्बों और 5,680 सवारी डिब्बे खरीदने की व्यवस्था है लेकिन योजना के प्रतिपादन से कीमतों में वृद्धि होने के कारण, यह अनुमान लगाया गया है कि यजोंना नियतन के अन्तर्गत केवल लगभग 78,000 माल डिब्बे खरीदना सम्भव हो सकेगा जिनमें से 64,000 माल डिब्बे उन गतायु माल डिब्बों के बदले होंगे जिन्हें रद्द कर दिया जायेगा, इसी प्रकार, 5,000 सवारी डिब्बे भी रद्द किये जायेंगे, इसी प्रकार, 5 वर्ष की अवधि में 14,000 माल डिब्बों और 600 सववारी डिब्बों की शुद्ध वृद्धि होगी ।

बम्बई उपनगरीय गाड़ी सेवाओं में सुधार

697. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई उपनगरीय गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने, उनको सयम पर चलाये जाने तथा उनमें अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है, और

(ख) गाड़ियों तथा रेल लाईनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) : जी हां, उपनगरीय गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने के लिए उठाये गये कदमों में बिजली गाड़ी डिब्बों की खरीद तथा बांद्रा में फ्लाई ओवर के निर्माण, सिगनल-व्यवस्था, समपारों, बिजली की सप्लाई की प्रणाली और नये कार शेड की व्यवस्था करना शामिल है। मध्य रेलवे में 21 आयातित रेल हैं जो 1951 और 1958 के बीच खरीदे गये थे । इन रैकों का आयु एवं हालत के आधार पर बदलाव करने की आवश्यकता है ।

मैसर्स जेसप्प, कलकत्ता को 239 डी० सी० बिजली गाड़ी डिब्बों के लिए आर्डर दिया गया है । इन डिब्बों की आपूर्ति में देरी हो रही है ।

खिलाड़ियों द्वारा नवें एशियाई खेलों में हिस्सा लेना

698. **श्री भीकू राम जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है रि एशियाई खेल फैडरेशन ने इजराईल के खिलाड़ियों को नवें एशियाई खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) : भारतीय ओलम्पिक संघ, जो * एशियाई खेलों के एशियाई खेल महासंघ का सचिवालय है, द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि एशियाई खेल महासंघ ने इजराइली खिलाड़ियों को * एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति दे दी है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना के दौरान जनता को परिवार नियोजन के लिए शिक्षित करने हेतु आवंटन एवं योजनायें

699. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान जनता को परिवार नियोजन अपनाने के लिए शिक्षित करने हेतु कितनी राशियां आवंटित की गई हैं और क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के सामान की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) छठी योजना में विस्तार शिक्षा, पारस्परिक प्रयासों और जनसंख्या शिक्षा समेत प्रचार कार्यों के लिए 32 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसके अलावा, विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधीन नियुक्त की गई सहायक नर्स मिडवाइफें, बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता (पुरुष) और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता और स्वास्थ्य गाइडें भी प्रेरणा सम्बन्धी कार्य करते हैं और छोटे परिवार के पक्ष में लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और ग्रामीण अस्पतालों तथा औषधालयों को सभी सेवायें, जिनमें सामान भी आ जाता है, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की मार्फत मुफ्त दी जाती हैं। इसके अलावा परिवार नियोजन की गैर क्लीनिकी विधियों के लिए साज सामान लोगों के घरों पर हो सुलभ करने का काम ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को सौंपा जा रहा है, ये गाइड लगभग 1000 आबादी वाले एक गांव में एक के हिसाब से सारे देश में काम करेंगे।

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अमरीका और भारत के बीच समझौता

700. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए भारत एवं अमरीका के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

(ख) क्या अमरीका इस देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है :

(ग) यदि हां, तो अमरीका से कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलने की सम्भावन है, और

(घ) अमरीका से उक्त वित्तीय सहायता कब तक मिलने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : जी हाँ। अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की आंशिक सहायता से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए एक क्षेत्रीय परियोजना शुरू की गई है। इस प्रयोजना के लिए 1980 में भारत सरकार और अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) 400 लाख अमेरिकी डालर।

(घ) यह सहायता 1981-82 से पांच वर्षों की अवधि में मिलने की आशा है।

प्रमुख राज्यों की राजधानियों को सीधी सुपरफास्ट गाड़ियों के द्वारा महत्वपूर्ण इस्पात नगरों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव

701. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के राज्यों की सभी राजधानियां सीधी सुपरफास्ट गाड़ियों के द्वारा बोकारो, जमशेदपुर, हल्दिया, राउरकेला आदि जैसे महत्वपूर्ण इस्पात नगरों के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं,

(ख) क्या सरकार का ऐसी गाड़ियों के लिए कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम दिल्ली में सड़कें

702. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में अधिकतर सड़कें बुरी हालत में हैं,

(ख) क्या भारी यातायात के बावजूद सड़कों की मरम्मत करने अथवा उनको चौड़ा करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या इस क्षेत्र में सुधरी हुई सड़कें बनाने का कोई कार्यक्रम है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) सड़क का सुधार करना एक अनवरत क्रिया है। अधिकांश सड़कों का सुधार दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया गया है या किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन जिन मुख्य सड़कों का सुधार कर रहा है वे हैं—रोड नं० 25 नारायण लोहा मंडी से न्यू राजिन्द्र नगर, रोड नं० 36 रिंग रोड से जेल रोड, बाहरी रिंग रोड (रोड नं० 26) नजफगढ़ रोड से जी० टी० रोड, रोड नं० 41 पीतम पुरा के समीप वजीरपुर से बाहरी रिंग रोड और नारायणा और शकूरबस्ती के समीप रिंग रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाइओवर। दिल्ली नगर निगम जिन मुख्य सड़कों का सुधार कर रहा है वे हैं :—जखीरा से रिंग रोड के साथ-साथ रोहतक रोड जेल रोड के साथ-साथ रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई-ओवर, रोड नं. 34 नजफगढ़ रोड से रिंग रोड के साथ-साथ नजफगढ़ नाले का पुल, मानसरोवर गार्डन में 60 फीट और 80 फीट का सड़क, श्मशान भूमि को जाने वाली सड़क, तिलक नगर से नजफगढ़ रोड और टैगोर गार्डन की बड़ी-बड़ी सड़के।

वनस्पति घी को उचित रंग से रंगने के बारे में निर्णय

703. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति घी के निर्माताओं के लिए इसको रंगना आवश्यक बनाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो रंगने की समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वनस्पति घी की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गए है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) वनस्पति घी के निर्माताओं के लिए उसे रंगना अनिवार्य बनाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

लोकाहा स्टेशन के मालगोदाम के लिए पहुंच सड़क

704. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा के एक सदस्य ने जनरल मैनेजर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

को पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अधीन लोकाहा स्टेशन पर माल गोदाम और प्रतीक्षालय के लिए एक पहुँच सड़क के निर्माण हेतु अभ्यावेदन दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 15-1-82 को पूर्वोतर रेलवे के महाप्रबन्धक को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में लोकहा बाजार स्टेशन पर निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग की गई है:

(1) लोकहा रेलवे स्टेशन से पी० डब्ल्यू० डी० मेन रोड तक के पहुँच मार्ग की मरम्मत।

(2) वर्तमान माल गोदाम की मरम्मत और विस्तार।

(3) प्रतीक्षा कक्ष और विश्रामालय की व्यवस्था।

(ख) वर्तमान कच्चे सड़क मार्ग की मरम्मत की जा रही है। मौजूदा माल गोदाम की हालत संतोषजनक समझी गई है। मौजूदा माल गोदाम का विस्तार करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है। इस स्टेशन पर होने वाले यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष और विश्रामालय को औचित्यपूर्ण नहीं समझा गया है। बहरहाल, दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय वहाँ पहले से ही मौजूद है।

बच्चों का विकास

705. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के संगठित तथा नियोजित विकास के लिए वर्ष 1974 के दौरान एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी और इसके अन्तर्गत एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उक्त चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या कदम उठाये गए हैं,

(ग) इस विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने बच्चों को लाभ पहुँचा, और

(घ) इस मद पर अब तक प्रत्येक राज्य द्वारा अलग-अलग कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 22 अगस्त, 1974 को अपनाई गई थी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में बच्चों के वास्ते उनके जन्म से पहले और बाद में तथा उनके विकास की अवधि के दौरान सेवाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपायों की व्यवस्था की गई है ताकि उनका पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक

विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये उपाय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार इत्यादि के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

2. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बाल नीति में निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था की गई है :—

(1) सभी बच्चों को विस्तृत स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(2) बच्चों की खुराक में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पोषाहार सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यक्रम चलाये जाएंगे।

(3) गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य में साधारण सुधार तथा देखभाल, पोषाहार और पोषाहार शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

(4) राज्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उपाय करेगा तथा उसके लिए साधनों की उपलब्धि को देखते हुए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। स्कूलों में विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों और बच्चों के मामले में वर्तमान बर्बादी और अवरुद्धता को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। ऐसे वर्गों के स्कूल पूर्व बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

(5) जो बच्चे अनौपचारिक स्कूल शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की अन्य पद्धतियों की व्यवस्था की जाएगी।

(6) स्कूलों, सामुदायिक केन्द्रों और ऐसी अन्य संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, खेलों तथा अन्य प्रकार की मनोरंजनात्मक तथा साँस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(7) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों, जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को विशेष सहायता दी जाएगी ताकि अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके।

(8) जो बच्चे सामाजिक रूप से बाधित हैं और अपचारी बन गए हैं अथवा जो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं अथवा किसी दूसरे कारण से निराश्रित हैं उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उनको उपयोगी नागरिक बनने में सहायता की जाएगी।

(9) बच्चों की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से रक्षा की जाएगी।

(10) 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर को किसी खतरनाक व्यवसाय में लगाने अथवा सख्त काम में लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(11) शारीरिक रूप से बाधित, भावनात्मक रूप से परेशान अथवा बौद्धिक रूप से पिछड़े बच्चों को विशेष उपचार, शिक्षा, पुनर्वास और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(12) बच्चों को संकट अथवा प्राकृतिक विपत्ति के समय सुरक्षा और राहत प्रदान करने में अग्रता प्रदान की जाएगी।

(13) प्रतिभाशाली बच्चों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(14) वर्तमान कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सभी कानूनी विवादों में, चाहे ये विवाद माता-पिता अथवा संस्थाओं के बीच हों, बच्चों के हितों को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जा सके।

(15) बच्चों के लिए सेवाओं का प्रबन्ध करते समय पारिवारिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि बच्चों के विकास की क्षमताओं का सामान्य पारिवारिक पड़ौस और सामुदायिक पर्यावरण में विकास हो सके।

3. बच्चों की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत अपनाये गए प्रत्येक उपाय केन्द्रीय राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के अनेक मंत्रालयों/विभागों के द्वारा लागू की गई बहुत सी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

4. राष्ट्रीय नीति का अभिप्राय एक विकास कार्यक्रम अथवा मद नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं। इसके अनेक कार्यक्रम और योजनाएं हैं तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या और व्यय भिन्न-भिन्न है।

5. प्रधानमंत्री द्वारा 14 जनवरी, 1982 को घोषित किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम के 15 वें सूत्र के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या 1000 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं शहरी गन्दी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा गर्भवती माताओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषाहार की सेवाएं प्रदान करती हैं।

विभिन्न पत्तनों पर लंगर डालने के लिए प्रतीक्षा

705. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न बन्दरगाहों पर किसी जहाज को लंगर डालने (बर्थ) के लिए कितने दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इसके पत्तनवार ब्यौरे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : आवश्यक सूचना का विवरण संलग्न है।

विवरण

बड़े पत्तन	वर्ष 1981 में बर्थ के पहले प्रति जहाज ठहराव का औसत समय (दिनों में)											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	
बम्बई	1.09	1.41	1.53	3.75	2.61	2.33	3.41	3.84	4 98	4.41	5.75	1.99	जनवरी से मार्च
कलकत्ता	0.62	0.85	0.37	0.62	0.21	0.51	0.49	0.47	0.76	1.22	0.54	0.11	*तक ब्यौरे में हल्दिया
(हल्दिया को छोड़कर)*													शामिल है।
कोचीन	1.17	0.93	1.88	1.88	0.7	1.27	1.43	0.45	0.94	0.82	0.94	0.86	
कांडला	4.75	3.96	4.79	4.21	4.67	4.63	5.25	8.08	6.46	6.58	10.08	9.58	
मद्रास	1.27	1.49	0.93	1.02	2.49	3.10	4.86	6.22	3.37	2.70	2.35	2.75	
मार्मुगाओ	4.75	5.68	0.94	1.84	2.76	2.12	1.20	2.18	0.86	1.55	2.26	1.31	
न्यू मंगलोर	0.88	1.96	0.34	0.64	0.87	0.32	0.56	1.60	0.46	0.81	0.73	0.73	
पारादीप	1.81	2.17	0.83	2.79	1.54	2.46	1.00	0.65	2.38	7.63	1.00	0.12	
टूटीकोरिन**	0.86	0.34	1.06	0.30	0.38	0.74	0.66	2.05	0.81	4.04	8.82	4.79	**जून 81 से और
विशाखापत्तनम	1.92	1.21	0.59	0.24	0.88	0.43	0.47	0.23	0.41	0.88	0.96	1.21	'क' क्षेत्र के लिए

लिपिक कर्मचारियों की वरीयता सूचियों को अन्तिम रूप दिया जाना

707. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री 25 नवम्बर, 1981 को परिचालित लिपिक कर्मचारियों की वरीयता सूची के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 5375 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर के दूसरे वाक्य में निर्देशित कर्मचारियों की वरीयता सूचियों को लक्षित तिथि, 31 जनवरी, 1982 तक अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो निर्धारित तिथि का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) 4-5 वर्षों से अधिक सेवा काल पूरा करने वाले तथा अभी भी अस्थायी चल रहे लिपिकों को स्थायी किये जाने का जो मामला काफी अर्से से लम्बित मामले को अन्तिम रूप देने में और कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग का विकास

708. **श्री एस० एम० कृष्ण** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे निश्चित योजनाएं किस प्रकार की है जिनके अधीन सरकार का विचार देश में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योगां का विकास करने का है,

(ख) क्या सरकार इस बारे में मार्ग दर्शन करने के लिए किसी विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं हासिल करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग विषय का हस्तान्तरण नौवहन और परिवहन मंत्रालय को दिसम्बर, 1981 में किया गया था। सरकार विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विस्तार और नवीनीकरण करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन कर चुकी है। देश में जहाज मरम्मत उद्योग को विकसित करने के लिए एक 15 वर्षीय विशाल योजना तैयार कर रही है।

(ख) और (ग) : सरकार यार्डों के अध्ययन और उसके विकास के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए यू० एन० डी० पी० विशेषज्ञ की तीन वर्ष के लिए सेवा लेने के बारे में प्रयत्न कर रही है। यह विशेषज्ञ जुलाई, 1982 तक प्राप्त हो जायगा।

माल डिब्बों की बुकिंग में कदाचार

709. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माल डिब्बों की बुकिंग में कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : माल डिब्बों की बुकिंग में कदाचारों को दूर करने के लिए विस्तृत नियम और कार्य-विधियां बनाई गयी हैं और पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किये जाते हैं। विशिष्ट शिकायतों के मामले में रेलों के सतर्कता संगठनों द्वारा निरोधक जाँच और छान-बीन भी की जाती है। जब कभी कदाचार और अनियमितताओं के मामले पकड़े जाते हैं, तब उनके लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कारंवाई की जाती है। नियमों और कार्य-प्रणाली में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो कदाचारों की रोकथाम के लिए उनमें संशोधन भी किया जाता है। माल डिब्बों के आवंटन पर विशेष बल देते हुए, माल डिब्बों की बुकिंग में कदाचार की रोकथाम हेतु समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के कार्यकरण/पुनर्गठन विषयक समिति का प्रतिवेदन

710. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के कार्यकरण और पुनर्गठन की जांच के लिए गठित समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कारंवाई की गई; है और

(ख) संस्थान के शासी निकाय का वर्तमान गठन क्या है और उसकी कार्यविधि क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) समिति द्वारा जांच कर ली गई है। इन शिफारिशों पर सरकार के निर्णय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) संस्थान के संगठनात्मक ढांचे से सम्बन्धित निर्णय ले लिए जाने के बाद संस्थान के शासी निकाय को पुनर्गठित किया जाना है।

दल्ली-राजहरा को रेल लाइन द्वारा जगदलपुर से जोड़ना

711. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर की जनता के प्रतिनिधियों ने दल्ली-राजहरा को रेल लाइन द्वारा जगदलपुर से जोड़ने के बाद में प्रधानमन्त्री को उनकी 28 मार्च, 1981 को वहां की यात्रा के दौरान एक अभ्यावेदन दिया था,

(ख) यदि हाँ, तो योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के बारे में क्या निर्णय किया गया है,

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधानमन्त्री ने आश्वासन दिया था कि इस रेलवे लाइन को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंजूरी दे दी जायेगी, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल मंत्रालय में इस तरह का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार लिया गया था, किन्तु धन की तंगी के कारण इसे योजना में शामिल नहीं किया गया।

(ग) और (घ) : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रूट नं० 160 पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें

712. **श्री आर० मुथुकुमारन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री शालीमार बाग और रीगल के बीच रूट नं० 160 पर चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1861 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण है कि रूट नं० 160 पर चलने वाली बसों के मार्ग को बरास्ता पंजाबी बाग, मोतीनगर, शादीपुर डिपो, शंकर रोड, केन्द्रीय सचिवालय तथा रीगल क्यों नहीं चलाया जा रहा है,

(ख) दिसम्बर, 1981 और जनवरी, 1982 के महीनों में औसतन कितने चक्कर कम लगाये गये,

(ग) क्या इस रूट पर चलने वाली बसों को रीगल पर समाप्त करने के स्थान पर केन्द्रीय सचिवालय पर समाप्त करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है, और

(ङ) सेवा को विशेष रूप से अधिकतम भीड़ वाले, घण्टों के दौरान सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) शालीमार बाग के निवासियों से जहां रूट नं० 160 जाता है, अलग-अलग परस्पर विरोधी मांगें प्राप्त होने के कारण, उक्त रूट को बदलना सम्भव नहीं हो सका है। इस रूट को बदलने के बारे में लगभग दस वेलफेयर एसोसिएशनों ने विरोध किया है। इन एसोसिएशनों को दिल्ली परिवहन निगम ने पुन: पत्र लिखा है कि वे अपनी-अपनी मांगों पर पुन: विचार करलें जिससे यहां के अधिकांश निवासियों के लिए स्वीकार्य निर्णय लेना सम्भव हो सके।

(ख) दिसम्बर 1982 और जनवरी, 1982 के महीनों के बीच जो ट्रिप नहीं किए जा सके, उनकी औसत संख्या इस प्रकार है :—

महीना	ट्रिपों की संख्या			नहीं हुए ट्रिपों का
	निर्धारित	हुए	नहीं हुए	प्रतिशत
दिसम्बर, 81	1860	1540	320	17%
जनवरी, 82	1867	1563	304	16%

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने इस रूट पर और अधिक अच्छी बसें लगायी है जिसके परिणामस्वरूप नहीं हुए ट्रिपों का प्रतिशत गिर कर फरवरी, 1982 में 16 प्रतिशत रह गया है जो अक्टूबर, 1981 में 20 प्रतिशत था । इस रूट पर बस-सेवा में और अधिक सुधार करने के लिए कोशिश की ज़ा रही है ।

ग्रामीण महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता

713. **श्री आर० एस० माने** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, ग्रामीण महाविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की वर्तमान पद्धति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छठी योजना के दौरान कालेजों को विकास सहायता संस्वीकृत करने हेतु जुलाई, 1981 में तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं को संशोधित किया गया है । संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाएं जनवरी, 1982 में परिचालित कर दी गई हैं ।

संशोधित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, छठी योजना अवधि के दौरान पुस्तक उपस्कर और संकाय, सुधार कार्यक्रमों के लिए उन सभी पात्र कालेजों को बुनयादी सहायता उपलब्ध होगी जिनमें डिग्री पाठ्यक्रम में कम-से-कम 150 छात्र और 5 स्थायी अध्यापक हों ।

भवन, स्टाफ, पुस्तकालय और अन्य सुविधा के लिए विकास अनुदान की व्यवस्था उन कालेजों के लिए की जायेगी जिनमें 300 छात्र और दस स्थायी अध्यापक हों तथा जिनमें कम-से-कम चार विभाग हों और उनमें से प्रत्येक में कम-से-कम दो-दो अध्यापक हों । ऐसी सहायता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के मामले में छात्र के दाखिले से सम्बन्धित शर्त में 200 तक छूट दी गई है । एक अलग योजना के अन्तर्गत आयोग ने एक जिले में एक अथवा दो कालेजों को ऐसी सहायता प्रदान करने की सहमति दे दी है जहां एक भी सुविकसित कालेज नहीं है । ऐसे कालेजों को अधिक से अधिक चार लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें कम-से-कम 150 छात्र और 5 स्थायी अध्यापक हों ।

दिल्ली प्रशासन में कार्य कर रहे टी० जी० टी अध्यापकों को वार्षिक वेतनवृद्धि

714. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कार्य कर रहे उन प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की संख्या कितनी है जिन्हें उनके दक्षतारोध मामलों का निपटान न होने के कारण 1 जनवरी, 1980 से अब तक कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें ऐसे भी बहुत से अध्यापक हैं जिन्हें उनके दक्षतारोध मामलों के निपटान के बाद भी अभी तक वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है, जिनके दक्षतारोध मामले 31 दिसम्बर, 1981 तक निपटा दिए गए थे लेकिन उन्हें 1 जनवरी, 1980 से देय वार्षिक वृद्धियों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल:) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीकर और दिल्ली के बीच चलने वाली रेल में अतिरिक्त यात्री डिब्बे

715. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर, झुनझुनू, चिरबा और मुकुन्दगढ़ के लोगों ने सीकर और दिल्ली के बीच चलने वाली रेल में यात्री डिब्बे बढ़ाने जाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग स्वीकार कर ली गई है,

(ग) यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब तक किये जाने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) : 91 अप मेल/18 एक्सप्रेस और 17 एक्सप्रेस/94 डाउन मेल द्वारा सीकर तथा दिल्ली के बीच दो थ्रू डिब्बे चल रहे हैं। इन गाड़ियों में स्थान को देखते हुए कोई अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाना व्यावहारिक नहीं है।

कंनजंक्टीमाइटिस का फैलना और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वेक्षण

716. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में फैली तीव्र रक्तस्रावी कंनजंक्टीमाइटिस के बारे में जानकारी है.

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस बीमारी के फैलने पर एक देश व्यापी, विशेष रूप से दिल्ली के महरौली ब्लाक में सर्वेक्षण किया।

(ग) इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले और देश से इस बीमारी दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए गए, और

(घ) प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमूद बेन एम० जोशी) : (क) इस समय देश में गंभीर रक्तस्रावी कंनजंक्टीवाइटिस की कोई महामारी नहीं है।

(ख) से (घ) : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं

किया है। वैसे, दिल्ली के इर्द-गिर्द कुछ गांवों में यूनिवर्सिटी कालेज ग्राफ मेडिकल साइंसिस, नई दिल्ली के डाक्टरों के एक दल ने महामारी सम्बन्धी जाचें की थीं। इन गांवों में महामारी के दौरान घर-घर जाकर किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि महामारी की अवधि के दौरान गंभीर कंजंक्टीवाइटिस से लगभग 24 प्रतिशत लोग पीड़ित हुए थे। 1 अक्तूबर, 1981 में गंभीर कंजंक्टीवाइटिस की हाल की तथा पहले की महामारियों के फैलने के बारे में उपलब्ध आंकड़ों का हिसाब लगाने तथा जांच के क्षेत्र सुझाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक अध्ययन दल गठित किया, जिससे कि भविष्य में ऐसी महामारियों को रोका जा सके। विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस अध्ययन दल ने सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं:—

1. पूर्व व्यापी महामारी विज्ञान के अध्ययनों द्वारा इसके प्रभाव का अनुमान लगाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2. राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत दलों के जरिये निगरानी की जानी चाहिए। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम दो वर्षों के लिये और यदि आवश्यक हो तो इसे जारी रखा जाना चाहिए।

3 पहले ही सर्वेक्षण किये गये गांवों में पूर्वप्रभावी अनुवर्ती अध्ययन किए जायें। दिल्ली और वेलोर का दोहरा अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।

4. तन्त्रिका विज्ञान के रोगियों, जिन्हें बाद में कंजंक्टीवाइटिस हो जाता है, का पंजीकरण करना तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा संकलन किया जाए।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वाइरस विज्ञान तथा सीरम संबंधी अध्ययन शुरू किये जांए।

6. कंनजंक्टीवाइटिस के रोगियों के एंटी बाडीज तथा वैक्सीन के संभव विकास की स्थिति का अध्ययन शुरू किया जाये।

7. इस रोग के निवारण और उपचार के लिए नई औषधियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाये।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा खरीदे गए जहाज

717. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने पिछले तीन सालों के दौरान कोई जहाज खरीदा है, और

(ख) यदि हाँ, तो किस देश की किस कम्पनी से किन दामों में प्रत्येक जहाज खरीदा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अर्थात 1979, 1980 और 1981 में भारतीय नौवहन निगम ने 17 जहाज खरीदे हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	कम्पनी तथा देश का नाम	जहाजों की संख्या	प्रत्येक जहाज की कीमत
1.	सेन्ट्रोमोर जी डी ए एन एस के, पोलैण्ड।	प्रत्येक लगभग 16,000 डी. डब्ल्यू. टी. का 6 लाइनर माल जहाज	9.3 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति जहाज।

2. मैसर्स सुन्दरलैण्ड शिप बिल्डिर्ज, सुन्दरलैण्ड, यू. के.	प्रत्येक लगभग 16,000 डी. डब्ल्यू. टी. का 6 लाइनर माल जहाज	8,485,310 ब्रिटिश पौंड प्रति जहाज।
3. मैसर्स शिप बिल्डिंग इन्डस्ट्री, उल्जनिक, पुला. युगोस्लाविया।	प्रत्येक लगभग 15,300 डी. डब्ल्यू. टी. का 2 लाइनर माल जहाज	10.3 मिलियन अमरीकी डालर प्रति जहाज।
4. मैसर्स शिपस्कोमर्ज, रोस्तोक, जर्मन प्रजातांत्रिक गणतंत्र	लगभग 13,700 डी. डब्ल्यू. टी. का एक लाइनर माल जहाज।	8.50 करोड़ रुपये
5. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन	लगभग 77,000 डी. डब्ल्यू. टी. का एक माल वाहक।	18.90 करोड़ रुपये
6. मित्सुसीवस्की हेवी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, टोकियो, जापान।	लगभग 41,000 डी. डब्ल्यू. टी. का एम. आर. टैंकर।	21.2 मिलियन अमरीकी डालर

दिल्ली में राजकीय आदर्श हायर सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या

718. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने राजकीय आदर्श हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं और प्रत्येक स्कूल का क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि लारेंस रोड में ऐसा कोई स्कूल नहीं है यद्यपि उससे लगी कालोनियों में ऐसे स्कूल हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और लारेंस रोड के क्षेत्र में ऐसा स्कूल खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली के राजकीय आदर्श सीनियर स्कूलों की संख्या तथा प्रत्येक स्कूल के क्षेत्रों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय आदर्श स्कूल के क्षेत्र में लारेंस रोड का क्षेत्र नहीं आता है। प्रसंगवश, दिल्ली के सभी क्षेत्र इन स्कूलों के क्षेत्र में नहीं आते हैं। जनसंख्या, बसों के आने जाने की सुविधाओं तथा स्कूल के दाखिले की क्षमता को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्कूल को अड़ोस-पड़ोस का स्थान आवंटित किया जाता है।

विवरण

प्रत्येक आदर्श स्कूल का क्षेत्र

1. राजकीय आदर्श स्कूल नं० 1 लुडलो कैसल :

इसके अन्तर्गत सिविल लाइन्स क्षेत्र का अन्डर हिल मार्ग तथा बैलवर्ड मार्ग (दांई ओर

का) मलका गंज, कमला नगर, जवाहर नगर, रूप नगर, सी० सी० कालोनी, जी० टी० मार्ग तथा करनाल रोड से आजादपुर जंकशन तक के क्षेत्र में आने वाली कालोनियां, विश्वविद्यालय क्षेत्र, विजय नगर तथा करनाल मार्ग के बाईं ओर की कालोनियां, तथा अशोक विहार का फेज-2 और 3 शामिल हैं।

2. राजकीय आदर्श स्कूल नं० 2, लुडलो कैसल :

इसके अन्तर्गत सिविल लाइन्स क्षेत्र का तीस हजारी कोर्ट तथा बैलवर्ड मार्ग (बांई ओर का) मोरी गेट, हैमिल्टन मार्ग, कश्मीरी गेट, खारी बावली, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाहौरी गेट सदर बाजार, सदर थाना मार्ग, बारा टूटी तथा पहाड़ी धीरज क्षेत्र शामिल हैं।

3. राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सिविल लाइन :

इसके अन्तर्गत सिविल लाइन्स क्षेत्र का फ्लेग स्टाफ मार्ग तथा रिंग रोड की बाईं ओर का अण्डर हिल मार्ग क्षेत्र अर्थात खैबर पास तथा वाटर वर्क्स, तिमारपुर तथा बनारसी दास एस्टेट, किंग्सवे कैम्प तथा हकीकत नगर, धाका, निरंकारी कालोनी, परमानन्द कालोनी, मुखर्जी नगर, माडल टाउन, आजादपुर, आदर्श नगर, मजलिस पार्क तथा फेज-1 अशोक बिहार शामिल हैं।

4. राजकीय सहशिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, इन्द्रप्रस्थ कालेज के पीछे का मार्ग :

इसके अन्तर्गत सिविल लाइन्स के क्षेत्र का रिंग रोड तथा जी० टी० रोड की दांईं ओर की अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल की कालोनियां शामिल हैं अर्थात शक्ति नगर, प्रेम नगर, राणा प्रताप बाग, रोशनारा मार्ग, सब्जी मण्डी, आजाद मार्केट, बाड़ा हिन्दू राव, दरियागंज क्षेत्र का दिल्ली गेट तथा अजमेरी गेट तथा अशोक बिहार का फेज 1, 2, 3 आता है।

5. राजकीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, विवेक विहार (यमुना पार क्षेत्र) :

यमुना-पार का सारा क्षेत्र।

6. राष्ट्रीय बाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, पश्चिम विहार :

नांगलोई, मुल्तान नगर, शकूरपुर, रानी बाग, सरस्वती विहार, तिलक नगर, अशोक नगर, टैगोर गार्डन, राजौरी गार्डन, रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर, करमपुरा, पंजाबी बाग तथा पश्चिम विहार।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली-धारवाड़ बाई पास

719. **श्री आर० के० महालगी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली-धारवाड़ बाई-पास पर भूमि का अधिग्रहण के बारे में 2 अप्रैल 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली-धारवाड़ बाई पास के लिए किए गए विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है और पिछले साल कितनी प्रगति हुई।

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजना के लिए कोई समय सूची निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी विशेष कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर हुबली धारवाड़ बाई पास के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु नवम्बर, 1981 में 9,24,900/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 300.00 लाख रुपये के अनुमानित व्यय से बाई पास के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है।

विस्तृत सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल, नक्शे तैयार करना और भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी अनुमान का काम लगभग पूरा होने वाला है। जून, 1982 तक भूमि की व्यवस्था पूरी हो जाने की संभावना है तथा तत्पश्चात् निधि की उपलब्धता पर बाई पास के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली के राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति

720. **श्री डुंगर सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र शासित दिल्ली के राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के बारे में क्या नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दो सालों के दौरान प्रिंसिपलों के पद पर पदोन्नति के बारे में अनेक मामले न्यायालय में गए हैं और अभी भी प्रिंसिपलों के लगभग 115 पद रिक्त हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियुक्ति के नियमों में सीधी नियुक्ति का निर्धारित कोटा होने के बावजूद प्रिंसिपल के पद पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई है और इस कोटे का उपयोग अपने आदमियों को पदोन्नति देने में किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नियुक्ति के नियमों के अनुसार सीधी नियुक्ति न करने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रधानाचार्य के पद भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। उक्त नियमों में यह व्यवस्था है कि 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में अनेक समादेश याचिकाएं और प्रति याचिकाएं अनिर्णीत पड़ी समादेश हुई हैं। इन परिस्थितियों में दिल्ली प्रशासन प्रिंसिपलों के 80 रिक्त पद नहीं भर सका है।

(ग) दिल्ली प्रशासन इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(घ) भर्ती नियमों में परिवर्तन करने के लिए उप-प्रधानाचार्य के संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों के कारण अभी तक सीधी भर्ती नहीं की जा सकी है।

कासगंज अनवरगंज सेक्शन

721. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ से समस्तीपुर तक ब्राड गेज लाइन के खुल जाने पर उत्तर पूर्वी रेलवे के कासगंज-कानपुर-अनवरगंज के मीटर गेज मार्ग के सुधार और विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ख) क्या रेलवे लाइन के इस भाग को ब्रांड गेज में बदलने और इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता के अनुसार उत्तरी रेलवे के कासगंज से इटावा तक के मार्ग में नई ब्राड गेज लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कासगंज कानपुर-अनवरगंज खण्ड में, अवस्था के आधार पर रेल पथ के नवीकरण के अतिरिक्त, कोई और सुधार किये जाने का कोई विचार नहीं किया जा रहा।

(ख) जी नहीं।

(ग) लखनऊ से कानपुर और कानपुर से अनवरगंज तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य 1982-83 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इस मामले की आगे जांच की जाएगी। तत्पश्चात कानपुर-कासगंज खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

एटा-बरहन लाइन को कासगंज तक बढ़ाने के लिए 1970-71 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि यह लाभप्रद नहीं होगा। अतः इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गयी।

आल इण्डिया सी० जी०एस० एच० इम्पलाईज एसोसिएशन की दिल्ली शाखा की मांगें

722. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आल इण्डिया सी० जी० एच० एस० इम्पलाईज एसोसिएशन की दिल्ली शाखा ने 8 अप्रैल, 1981 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक से अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की माँगों का ब्योरा क्या है और उनमें से कितनी माँगे पूरी की गई है तथा कितनी माँगें पूरी नहीं की गई हैं; और

(ग) कर्मचारियों की बकाया माँगों को पूरा करने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा) के साथ हुई बैठक में इस संघ के प्रति-

निधियों ने जो मांगें प्रस्तुत की वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों के प्रशासन सम्बन्धी मामलों तथा सेवा और काम की शर्तों के बारे में थीं।

रखी गई 17 मांगों में से 6 पूरी की जा चुकी हैं लेकिन 4 को स्वीकार नहीं किया जा सका और शेष पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) जो माँगें स्वीकार नहीं की गई हैं, वे बुनियादी नीति से सम्बन्धित हैं और निदेशक (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) उन पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं थे।

सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटरी गाजियाबाद में अवर श्रेणी लिपिकों में परिवर्तित करने के लिए भर्ती के लिए नियम

723. **श्री राम किंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री** सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटरी गाजियाबाद में अवर श्रेणी लिपकों के पद के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 अतरांकित प्रश्न संख्या 4285 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने कि कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपोइया लेबोरेटरी गाजियाबाद में अवर श्रेणी लिपिकों के पदों को गैर चयन पदों में परिवर्तित करने के लिए भर्ती के नियमों में संशोधन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके संशोधन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अभी नहीं.

(ख) कतिपय औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और इस दिशा में कारवाई की जा रही है

नकली वदाओं के उत्पादन, विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून

724. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्धेपन से बचाव करने के लिए नकली दवाओं के उत्पादन, विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को हाल में कलकत्ता में हुई आल इण्डिया औप्थेलमेजिकल कानफ्रेंस से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 के अधीन किसी प्रकार की नकली दवा का उत्पादन/बिक्री करना जुर्म है।

चूंकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नकली दवा उत्पादन तथा उस की बिक्री को पहले से ही एक जुर्म माना गया है, इसलिए अंधेपन से बचाव करने के लिए नकली दवाओं के उत्पादन, विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम० बी० रोड नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल में आवश्यक दवाओं की कमी

725. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि क्या दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में विशेषरूप से एम० बी० रोड के अस्पताल में आवश्यक दवाओं की कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुष्प विहार के सभी सेक्टरों और उनसे जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए केवल एक औषधालय है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को आवश्यक दवाओं की सप्लाई करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या पुष्प बिहार के प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग औषधालय और इस से जुडे क्षेत्रों के लिए एक अलग औषधालय खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ग) जी नहीं, दिल्ली के सी० जी० एच० एस० औषधालय में अनिवार्य औषधियों की कोई कमी नहीं हैं। जब कभी सी० जी० एच० एस० फार्मलर की किसी दवा की अस्थायी कमी हो जाती है तो वह औषधि सुपर बाजार तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय आदि के मैडिकल स्टोर संगठन से प्राप्त कर ली जाती है।

(ख) जी हाँ, पुष्प विहार के सभी सैक्टरों तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों के लिए एक/ औषधालय है

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मयूर विहार के लिए बस सेवाएं

726. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अनुसार मयूर विहार से केन्द्रीय सचिवालय/ मन्दिर मार्ग के लिए बस सेवाएं अपर्याप्त हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि दो अतिरिक्त चक्करों के बावजूद अभी भी बस सेवाएं अपर्याप्त है,

(ग) क्या यह भी सच है कि मयूर विहार और उसके आसपास 15000 फ्लेटों में रहने वाले लोगों को आर० के० पुरम, करौल बाग, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन

रेलवे स्टेशनों, जनकपुरी इत्यादि विभिन्न स्थानों के लिए अपर्याप्त बस सेवाओं के कारण अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं,

(घ) यदि हां, तो मयूर विहार से उपयुक्त स्थानों को जोड़ने के लिए कुछ बसों का पुनः मार्गीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है, और

(ङ) मयूर विहार के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम कसरी) : (क) जी हां।

(ख) इस बस सेवा में कुछ कमियाँ अभी भी पायी गयी हैं। दिल्ली परिवहन निगम रूट न० 327 पर जल्दी ही और बसें लगाएगा।

(ग) जी नहीं। मयूर विहार के निवासी राम कृष्णपुरम, करोलबाग और अन्य स्थान को रूट न० 327 पर इसके अनेक स्थानों पर मिलने वाली बसें लेकर जा सकते है।

(घ) और (ङ) मयूर विहार से सेंट्रल-सेक्रेटेरिएट तक रूट न० 327 पर बस-सेवा में जल्दीं ही और बसें लगायी जाएंगी।

इजराइल के बम्बई वाणिज्य दूतावास को बन्द करना

727. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराइल को शांतिप्रिय राज्य न बताने वाला और इसके पृथक्करण की मांग करने वाला हाल का संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भारत सरकार के ध्यान में है ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार इजराइल के बम्बई स्थित वाणिज्य दूयावास को बन्द करने के आदेश देगी ; और

(ग) भारत सरकार इजराइल के विरूद्ध आगे और क्या कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : : (क) संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात कालीन विषेश अधिवेशन में पारित संकल्प को दूसरों के साथ मेल कर भारत ने पेश किया था जिसमें दूसरी बातों के अलावा अन्य सभी सदस्य राज्यों गया है कि इजराइल को सभी क्षेत्रों में अलग कर देने के लिए वे यह कहा उसके साथ राजनयिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध तोड़ दें। इजराइल के साथ भारत सरकार के राजनयिक, सरकारी व्यापार और सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं हैं, उसने बार बार इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल के 'विरूद्ध प्रतिबन्ध से सम्बन्द्ध संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का समर्थन करने में वह किसी से पीछे नहीं रहेगी।

(ख) इस मामले को देख लिया है और इसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) इजराइल की बार-बार आक्रमण करने की और विस्तारवाद की नीति पर अप्रेल में कुवैत में होने वाले गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरों की बैठक में और सितम्बर, 1982 में बगदाद में हाने वाले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विचार किया जायेगा, जिनमें भारत अपनी स्थापित ऐतिसासिक और सैद्धान्तिक नीति के अनुरूप सक्रिय हिस्सा लेगा।

ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया को निर्यात किए गए संक्रमित और प्रदूषित चिकित्सकीय मरहम पट्टी सामग्री के बारे में जांच

728. **श्री माधव राव सिन्धिया :**

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया को निर्यात किए गए संक्रमित और प्रदूषिय मरहम पट्टी सामग्री के बारे में कोई जांच की गई है और अपराधी पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य के इस प्रकार की सामग्री का निर्यात न होने देने को सुनिश्चित करने और उपर्युक्त निर्यात के कारण भविष्य के निर्यात में प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) और (ख) : तीन निर्माता फर्मों पर सन्देह है कि उन्होंने ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि को गैर-संक्रमित शल्य चिकित्सीय मरहम-पट्टियाँ सप्लाई की थीं, इन तीनों में से, एक फर्म के लिये गये नमूने की जाँच रिपोर्टों से पता चला है कि यह उत्पाद मानक कोटि का था। दूसरी फर्म के नमूनों की जाँच रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। तीसरी फर्म का निर्माण लाइसेंस प्राथमिक प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया। मैसर्स जयार एक्सपोर्ट्स जो निर्यात करने वाले व्यापारी है उनका निर्यात निलम्बित रहेगा।

(ग) औषध नियंत्रक (भारत) ने जोनल अधिकारियों को ये हिदायतें दी हैं कि वे शल्य चिकित्सीय मरहम-पट्टी का सामान तैयार करने वाली सभी फर्मों के परिसरों का निरीक्षण करें और विसंक्रमणता जाच करने के लिये नमूने भी लें। 30-12-1981 को चिकित्सकीय मरहम-पट्टियों से सम्बन्धित निर्यात (नियंत्रण) आदेश का संशोधन करके केवल उन्हीं चिकित्सकीय मरहम-पट्टियों को निर्यात करने की अनुमति दी गई है जिन पर इस्तेमाल करने से पहले विसंक्रमित करें "अथवा विसंक्रमित नहीं है" आदि लेबल लगा हो। बढ़िया किस्म की चिकित्सकीय मरहम-पट्टियों के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिये जो कदम उठाये गये है, उनके बारे में हमने अपने विदेशी मिशनों को अवगत करा दिया है जिससे कि भारतीय निर्यात के विरुद्ध प्रचार को रोका जा सके।

प्रति 2000 की जनसंख्या पर ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किया जाना

729. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति 2000 की जनसंख्या के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

1971 में भारतीय सैनिकों का लापता होना

730. **श्री एच० एन० नान्जे गौडा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि 1971 के युद्ध में बहुत से भारतीय सैनिकों को लापता घोषित किया गया था और वे पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और बन्दी बनाए गए थे,

(ख) क्या यह भी सच है कि जैनेवा समझौते के अनुसार युद्ध में बाद दोनों पक्षों से सैनिकों की मृत्यु का साक्ष्य देने की अपेक्षा की जाती है लेकिन ऐसा नहीं किया गया और लापता लोगों के रिश्तेदारों को अब तक उनकी मृत्यु का कोई सबूत नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान रेडियो ने अनेक बार इन भारतीय सैनिकों के बन्दी बनाये जाने की घोषणा की है; और

(घ) क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ सरकारी तौर पर उठाया है और उनकी रिहाई दिलाने का प्रयास किया है और यदि हां, तो इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1971 के भारत-पाक संघर्ष के समय से 40 भारतीय रक्षा कार्मिक लापता बताए जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि वे पाकिस्तानी जेलों में नजरबन्द हैं।

(ख) : जेनेवा अभिसमय की धारा 120 के अनुसार नजरबंद करने वाले देश को कैद के दौरान मरने वाले सशस्त्र सेना कार्मियों के बारे में प्रमाण देने होते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, पाकिस्तान सरकार ने यह नहीं स्वीकार किया है कि ये व्यक्ति उसकी हिरासत में हैं। फिर भी भारत सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है।

(ग) : बताया जाता है कि दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान रेडियो ने कुछ ऐसे अधिकारियों नामों को घोषणा की थी, जिन्हें उसने जीवित पकड़ा था।

(घ) : भारतीय रक्षा कर्मियों की रिहाई और प्रत्यावर्तन के मसले को सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ बार-बार उठाया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार बराबर यही कहती आई है कि उनकी कैद में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं। पाकिस्तानी राज दूतावास से 23 जनवरी, 1982 को जारी एक अधिकारिक वक्तव्य में अपनी इसी स्थिति को दोहराया है। इस मामले को पाकिस्तान के विदेश मन्त्री, श्री आगा शाही की हाल की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। भारत के कहने पर पाकिस्तान लापता रक्षा कर्मियों का पता लगाने के लिए नये सिरे से प्रयास करने पर सहमत हो गया है।

सेना के आदमियों का लगातार पाकिस्तानी जेल में रहना

731. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी (35) पैंतीस अधिकारी 10 साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में बन्द हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मेजर ए० के० सूरी, फ्लाइंग आफीसर सुधीर त्यागी, कैप्टन रवीन्द्र कौरो, मेजर ए० के० घोष उन लोगों में हैं जो पाकिस्तान की जेल में बन्द हैं और उनके रिश्तेदारों ने इसके प्रमाण भारत सरकार को दिए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन भारतीय युद्धबन्दियों का ब्योरा मिस विक्टोरिया शैफील्ड द्वारा प्रकाशित 'भुट्टों ट्रायल एंड एक्सक्यूशन" नामक एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मन्त्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय से लापता बताए गए 40 रक्षा कार्मियों (35 अधिकारी और 5 अन्य रैंक) के बारे में यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तान की जेलों म बन्द हैं।

(ख) ये चारों नाम उन चालीस रक्षा कार्मियों की सूची में शामिल हैं जो 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय से लापता बताए जाते हैं। इन चारों अधिकारियों के जीवित होने का प्रमाण है जो पाकिस्तान सरकार को भेज दिए गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने अब भी यही कहा है कि पाकिस्तानी जेलों में ये चार अथवा अन्य कोई रक्षा कर्मिक नहीं है। हमने पाकिस्तान सरकार से पुनः यह अनुरोध किया है कि हमने अब उन्हें जो जानकारी उपलब्ध कराई है उसके आधार पर वे इस मामले की फिर से छानबीन करें।

(ग) कुमारी विक्टोरिया शेफील्ड द्वारा प्रकाशित "भुट्टो ट्रायल एण्ड एक्सीक्यूशन" नामक पुस्तक में सिंध जेल में भारतीय युद्ध बन्दियों के कैद होने के बारे में केवल सरसरी तौर पर उल्लेख किया गया है। उस पुस्तक में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।

कृत्रिम दवाओं के बारे में समिति की रिपोर्ट

732. **श्री जेवियर अराकल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समिति ने कृत्रिम दवाओं के बारे में कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(ग) ऐसी कितनी दवाएं हैं जिन पर विकसित देशों में प्रतिबन्ध है और भारत में आयात तथा वितरित की जा रही है;

(घ) ऐसी दवाओं और इनका आयात करने वाली फर्मों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन फर्मों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) औषधि और फार्मेस्यूटिकल उद्योग से सम्बन्धित हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में नकली औषधियों और उनके विरुद्ध अभियान चलाने से सम्बन्धित समस्याओं का जिक्र किया था।

(ख) इस सम्बन्ध में उनकी सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(1) राज्यों को चाहिए कि वे नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कानून और आसूचना सेल गठित करें।

(2) राज्य औषधि सलाहकार बोर्ड गठित किए जाएं जिनमें चिकित्सा व्यवसाय, पुलिस विभाग, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योग और व्यापार क्षेत्र के व्यक्ति शामिल किए जाएं।

(3) औषधि नियंत्रण उपायों को सख्त करने और नकली औषधियों के खतरे से जूझने के लिए जनता, चिकित्सा व्यवसाय के सदस्यों, सामाजिक संगठनों और उपभोक्ता परिषदों का सहयोग प्राप्त करने की बात पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए।

(4) नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री तथा गुणवत्ता के मानकों से सम्बन्धित अपराधों में अन्तर किया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) : कुछ देशों द्वारा मार्केट से कतिपय औषधियों को हटाने की सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से प्राप्त होती है जिसने अब तक ऐसी 18 औषधियों के बारे में सूचना दी है। जब कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसी देश द्वारा मार्केट से किसी औषधि के हटाये जाने की सूचना मिलती है और यदि वह औषधि भारत में इस्तेमाल की जा रही होती है तो औषध नियंत्रक (भारत) देश के चिकित्सा विशेषज्ञों से जिन में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी शामिल है, उनकी राय जानने के लिए यह परामर्श लेता है कि क्या सरकार भी उन पर वैसी ही कोई कार्रवाई करे। ऐसी ही विशेषज्ञ सलाह के आधार पर औषधि को हटाने या न हटाने का निर्णय लिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ देशों में मार्केट से हटी बतलाई गई इन 18 औषधियों में से 7 औषधियों को भारतीय मार्केट से लेने की हमने भी कार्रवाई की है; 6 अन्य औषधियों को देश में निर्मित किए जाने की अनुमति ही नहीं दी गई और शेष 5 औषधियों अर्थात् (1) हार्मोनल प्रैगनेंसी टेस्टिंग ड्रग्स, (2) निट्रोफूरन कम्पाऊंड्स (3) फेनफौर्मिन, (4) आक्सी-क्विनोलीन्स डेरीवेटिव्स और (5) हाइजर डोज़ लाइनस्ट्रोनोल प्रोडक्ट्स के बारे में यह सतर्क निर्णय लिया गया कि कुछ मामलों में इन औषधियों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते इनके लेबलों पर चेतावनी का ब्यौरा दिया हुआ हो।

आयुर्वेदिक और एलोपेथिक दवाओं का मिलान

733. **श्री रेणुपद दास :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आयुर्वेदिक दवाओं और एलोपेथिक दवाओं की एक निश्चित मात्रा का मिलान आदमी के लिए हानिकारक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन दवाओं पर शीघ्र रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अक्तूबर, 1981 में हुई अपनी बैठक में औषधि परामर्शदायी समिति ने यह महसूस किया कि ऐसे योगों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इन दो चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों की भिन्न-भिन्न क्रिया हो सकती है और रोगी को अलग-अलग पद्धतियों की दवाइयाँ देते हुए अलग-अलग सावधानियों/चेतावनियों का पालन करना पड़ेगा। अतः उन्होंने ऐसे योगों को हटाने की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) : यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा।

नेताजी सुभास चन्द्र बोस की भस्मी

734. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या 14 जनवरी, 1982 के ट्रिब्यून में प्रकाशित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई श्री एस० सी० बोस के इस वक्तव्य की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि जापान से नेताजी की तथा-कथित भस्मी को लाने की अनुमति न दी जाये, और

(ख) : यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

विदेशी मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) : जी, हां।

(ख) : सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई श्री एस. सी. बोस द्वारा व्यक्त विचारों पर गौर किया है।

भिखारियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर बनाया गया संगठन

735. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भिखारियों द्वारा अखिल भारतीत स्तर पर एक संगठन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : यद्यपि प्रेस में इस सम्बन्ध में रिपोर्ट छपी है, सरकार को इस बारे में सरकारी रूप से कोई सूचना नहीं मिली है।

'पहियों पर राजमहल' रेलगाड़ी में अतिरिक्त सुविधाएं

736. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैभवयुक्त 'पहियों पर राजमहल' रेलगाड़ी में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो किन सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टाटानगर एक्सप्रेस को मेजा रोड स्टेशन पर रोकना

737. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977 से पहले टाटानगर एक्सप्रेस इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच मेजा रोड स्टेशन पर रुकती थी और उसके बाद इसका वहां रुकना बन्द कर दिया गया है,

(ख) क्या तत्कालीन रेल मंत्री ने दिसम्बर 1981 के द्विवसीय पखबाड़े में आदेश जारी किये थे कि टाटानगर एक्सप्रेस को मेजा रोड स्टेशन पर छः महीने के लिए परीक्षण के तौर पर रोका जाए, और

(ग) यदि हां, तो टाटानगर एक्सप्रेस के मेजा रोड स्टेशन पर अब तक न रुकने के क्या कारण हैं और इसका वहाँ कब रुकना शुरू होगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : जी हां। बहरहाल, पुनर्विचार करने पर अगली समय सारणी से मेजा रोड स्टेशन पर 161/162 टाटानगर एक्प्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया था क्योंकि चालू समय सारणी की अवधि में किसी ठहराव की व्यवस्था से गाड़ियों के समय पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

रीवां अर सीधी शहरों को रेल मार्ग द्वारा जोड़ना

738. **श्री उमाकांत मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां और सीधी शहरों को रेल सेवा द्वारा जोड़ने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेलम-अत्तूर लाइन पर ऊपरिपुल

739. **श्री के० अर्जुनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सेलम शहर में राजकीय जनरल अस्पताल के निकट सेलम से अत्तूर लाइन पर एक ऊपरिपुल के निर्माण का अनुरोध किया है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त स्थान सेलम शहर के बीच में और वहाँ अस्पताल और एक बस अड्डा होने के कारण भारी संख्या में लोगों का आना-जाना लगा रहता है, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार वर्तमान नियमों के अनुसार उक्त ऊपरिपुल का 50 प्रतिशत खर्च वहन करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवत माननीय सदस्य का आशय दक्षिण रेलवे के वृद्धाचलम-सेलम मीटर लाइन खंड पर सेलम टाउन और सेलम मार्केट स्टेशन के बीच कि० मी०. 190/14-15 पर स्थित वर्तमान समपार से है। इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के बारे में अभी तक तमिलनाडु सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही इस प्रश्न की जांच की जायेगी कि क्या लागत में भागीदारी के आधार पर इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करना यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है।

बांसपानी जसपुरा लाइन का द्वितीय चरण

740. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में देतोरी और क्योंझर के बीच बांसपानी-जसपुरा रेल लाईन के निर्माण के द्वितीय चरण की मंजूरी दे दी गई है,

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है,

(ग) क्या निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरु किये जाने की संभावना है, और

(घ) उक्त रेल लाइन के निर्माण के द्वितीय चरण के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : 18 करोड़ रुपये की लागत पर निर्माण के लिए यह काम (चरण ॥) अनुमोदित कर दिया गया है ।

(ग) : जी नहीं ।

(घ) : अभी निश्चित नहीं है ।

छात्रों के लिये किराये की रियायती दर

741. **डा० बसंत कुमार पंडित ।** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों से रियायती दर पर रेल का किराया लेने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक छात्रों को वर्ष में किसी भी समय वास्तविक यात्रा के लिए किराये में 50 प्रतिशत रियायत देने का है, जैसा कि इंडियन एयर लाइन्स द्वारा किया जाता है, और

(घ) क्या यह रियायत बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि में रहने वाले छात्रों पर लागू होगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) : मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के सदाशयी विद्यार्थी जब शिक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए यात्रा करते हैं, तब उन्हें दूसरे दर्जे में 50 प्रतिशत की रियायत पहले ही स्वीकार्य है। उन्हें इस सुविधा की अनुमति शिक्षा संबंधी दौरों, छुट्टियों के दौरान अपने घरों को जाने और परीक्षा/ प्रशिक्षण केन्द्रों को जाते समय यात्रा करने के लिए दी जाती है। हर रोज अपने निवास-स्थानों और शिक्षा संस्थानों के बीच यात्रा करने के लिए सीजन टिकटों के किराये में भी उन्हें इसी प्रकार की रियायत दी जाती है।

भारतीय हाकी खिलाड़ियों का खेल

742. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सनेकार को भारतीय हाकी खिलाड़ियों के हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खेल की स्थिति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उन परिस्थितियों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है जिनके अन्तर्गत भारतीय खिलाड़ियों को अपने शुरू के वर्षों में अन्य देशों के अपने प्रतिद्वन्दी खिलाड़ियों की तुलना में गुजरना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) जब कि सरकार कि भारतीय हाकी खिलाड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों के हाल के प्रदर्शन की पूरी जानकारी है, परन्तु इसकी विदेशों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों की स्थितियों के बारे में अत्यंत सीमित जानकारी है। तथापि पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की सहायता संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय खेल महा संघों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता देती है :

(1) भारतीय टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजि करने के लिए ;

(2) सीनियर, जूनियर तथा सब जूनियर स्तर के राष्ट्रीय चैम्पियन शिपों तथा अखिल भारतीयों प्रतियोगिताओं के आयोजन में अधिक घाटे की पुर्ति के लिए ;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए भेजी जाने वाली खेल टीमों के भाड़े के लिए ;

(4) सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत मैत्री मैच खेलने के लिए आने वाली विदेशी टीमों के आतिथ्य सरकार के लिए;

(5) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए ;

(6) राष्ट्रीय खेल महासंघों के वैतनिक सहायक सचिवों के वेतन के लिए ;

(7) न खर्च होने वाले खेल उपस्कारों को प्राप्त करने के लिए ;

इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष/महिला खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना करने का फैसला किया है। इस कोष के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं. इस कोष का अपेक्षित कार्य क्षेत्र निम्नलिखित होगा :

(1) उन खिलाड़ियों को, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान अथवा प्रतियोगिताओं के दौरान जख्मी होते हैं, उनकी चोट की किस्म के आधार पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना ;

(2) उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देश को प्रतिष्ठित करते हैं और जो कठिन प्रशिक्षण के बाद से अपंग हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा उपचार के रूप में का मासिक पेन्सन के रूप/अथवा दोनों के लिए, मामले के गुणों के अनुसार उपयुक्त सहायता प्रदान करना ;

(3) साधरणतया खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा उनके तथा विपनावस्था में रहे/उनके आश्रितों के दुखों को दूर करने के लिए इस कोष की व्यवस्था करना और उसका उपयोग करना ; और

(4) वह सभी कार्य करने जो कि ऊपर लिखित उद्देश्यों के प्रासंगिक हों :

हर वर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी दिये जाते हैं। हर एक पुरस्कृत खिलाड़ी को दो वर्ष के लिए 200 रू० प्रति मास की छात्रवृति दी जाती है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में झा समिति की स्टेट्स रिपोर्ट

743. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जांच करने वाली झा समिति की "स्टेट्स रिपोर्ट" की मुख्य बातें क्या हैं; ।

(ख) इस रिपोर्ट को ध्यान में रख कर क्या कार्यवाही की गई हैं और

(ग) क्या झा समिति के गठन के बाद सरकार को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) समिति ने अनेक कार्य दल नियुक्त किए, कुछ सामग्री एकत्र की और कुछ अध्ययन किए, लेकिन वह विभिन्न विषयों पर अपना मत व्यक्त करने तथा निर्धारित समय के अन्दर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थी।

(ख) कार्यकारी परिषद ने 29 जनवरी, 1982 की हुई अपनी बैठक में स्टेट्स रिपोर्ट को अभिलेख बद्ध करने का प्रस्ताव पारित किया। तथापि, परिषद ने नोट किया कि इसी बीच केन्द्रों स्कूलों ने पिछले दस वर्षों में अपनी उपलब्धियों तथा विकास के अपने भावी बोध को भी

दर्शाने वाले उस दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय की छठी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) झा समिति की नियुक्ति के बाद अनेक संसद सदस्य जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों को एक निरीक्षणात्मक जांच का आग्रह करते रहे हैं, क्योंकि उनके विचार में विश्वविद्यालय के प्रशासन में कई अनियमिततायें होती रही हैं।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में शिक्षा स्तर में सुधार की योजना

744. **श्री रास विहारी वहेरा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिले के थयोमुल रामपुर खण्ड में अभी तक किसी व्यक्ति ने मैट्रिक पास नहीं किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य के इन जनजातीय पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कोई विशेष योजना बना रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) : सम्बन्धित राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा वह उनसे प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे के ठेकेदारों द्वारा धोखाधड़ी

745. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने ने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोड़ियों के ठेकेदार पहले नीचे मिट्टी डालकर ऊपर रोड़ी बिछा देते हैं और रोड़ियों के नीचे बिछी मिट्टी के भी पैसे वसूल करते हैं, क्योंकि रोड़ियों के मूल्य की अदायगी ढेर के माप के आधार पर की जाती है, और इस प्रकार वे रेल विभाग को धोखा देते हैं।

(ख) क्या यह कार्य रेल कर्मचारियों की सांठ गांठ से किया जाता है,

(ग) क्या इस कदाचार की पुष्टि के लिए जांच की गई है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले,

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी के जो मामले सरकार के ध्यान में आए हैं उनमें रेलवे बाडों के अन्दर काम करने वाले ठेकेदारों का हाथ नहीं है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क): जी नहीं, तथापि एक निरोधक जांच के दौरान एक ऐसा मामला पकड़ में आया है जिसमें एक ठेकेदार को

मिट्टी तथा रेत के ढेर पर पत्थर की रोडी की तह लगाकर रेलों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपर (क) के उत्तर में बताये गये मामले के अतिरिक्त जिसमें ठेकेदार के विरुद्ध की जाने वाली यथोचित कारंवाही विचाराधीन है, ऐसा और कोई मामला देखने में नहीं आया।

(ङ) और (च) : रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को किसी एजेंसी या व्यक्तियों द्वारा उठाइगीरी और चोरी के विरुद्ध रेल परिसम्पत्ति की रक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है। वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों को प्राय: पर्याप्त समझा जाता है।

महानगरों में बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां

746. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चार बड़े महानगरों में बिजली से चलने वाली रेल गाड़ियां चलाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो इन महानगरों के नाम क्या हैं और चालू योजना के दौरान इस योजना का कार्य कब शुरू हो जाएगा, और

(ग) पूरी योजना के पूरा होने पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। दिल्ली और कलकत्ता के लिए महानगर रेल परिवहन योजना पर कार्य चल रहा है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली गाड़ियां पहले से ही चल रही हैं।

(ग) 1980-81 के मूल्यों के आधार पर मेट्रो रेलवे कलकत्ता पर 560 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। दिल्ली में रिंग रेलवे के विद्युतीकरण पर 34.18 करोड़ रुपये लागत आयेगी।

जखपुरा-बंसामनी रेल लाईन के प्रथम चरण का पूरा होना

747. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जखपुरा से दैतोरी तक जखपुरा-बंसामनी रेल लाइन के निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो गया था और मार्च 1981 में इस पर रेलगाड़ियों का आना-जाना शुरू हो गया था,

(ख) क्या यह सच है कि इस रेल लाइन के चालू होने के बावजूद दैतोरी और तोपका से लोह अयस्कों के लदान की व्यवस्था नहीं की गई,

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार ने लोह अयस्कों के लदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, लोहे अयस्कों के लदान के लिए आवश्यक प्रबन्ध पूरे कर लिये गये हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन पर चलने वाले रेल डिब्बों का अभाव

748. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन पर चलने वाले रेल डिब्बों की कमी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकार ने यह कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) से (ग) जी हां, कुछ गाड़ियां पूरे निर्धारित डिब्बों के साथ नहीं चल रही हैं। मरम्मत किये जाने वाले सवारी डिब्बों की संख्या 14 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक है और मरम्मत कारखानों की क्षमता अपर्याप्त है। सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए धन की उपलब्धता में कठिनाइयां हैं और इसके साथ-साथ आश्यकता के आधार पर सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए देश में क्षमता की कमी है। इन कठिनाईयों के कारण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये जा रहे सवारी डिब्बों की संख्या अधिकांशत: गतायु सवारी डिब्बे के बदलाव के कारण ही समायोजित हो जायेंगे और बहुत थोड़े सवारी डिब्बे अतिरिक्त सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जायेंगे। तथापि, इन कमियों के बावजूद मरम्मत की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अतिरिक्त सवारियों की निकासी की क्षमता की व्यवस्था करने के लिए बेहतर कर्षण द्वारा दोनों सिरों पर इंजन लगा कर स्थान को मानकीकृत करके गाडियों के भार में वृद्धि करने के उपाय किये जा रहे हैं। तथा जहां सम्भव हो, रेकों का अनुकुलतम उपयोग करके गाडियों के फेर में वृद्धि की जा रही है।

सेन्ट्रल बम्बई के उपनगरीय स्टेशन के दैनिक यात्रियों का औसत

749. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे, बम्बई के मुलुन्द, भांडुए, कंजूर मार्ग विक्रोली, धाटकोपर, विद्या विहार, कुर्ला, चैम्बूर, गोवाडी, मानखुर्द उपनगरीय रेलवे स्टेशन के दैनिक यात्रियों को अनुमानित औसत क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बम्बई में मध्य रेलवे के निम्नलिखित स्टेशनों पर दैनिक यात्रियों की औसत संख्या इस प्रकार है।

स्टेशन का नाम	प्रति दिन औसत
मुलुन्ड	65481
भाण्डुए	71140
मंजुर मार्ग	32787
विख रौली	66135
घटकोपर	156108
विद्या विहार	10219
कुर्ला	172564
चेम्बू	52265
गोवन्डी	41586
मानखुर्द	27458

चांदनी चौक में रेलवे बुकिंग एजेंसी

750 **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और माल की ढुलाई के लिए चांदनी चौक, दिल्ली में उत्तर रेलवे की जो बुकिंग एजेंसी थी उसे बन्द कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस सुविधा को वापस लेने से जनता को असुविधा होगी और रेलवे स्टेशन के बुकिंग खिड़की पर भीड़ बढ़ जाएगी, और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुविधा जनता के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध कराने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : चांदनी चौक, दिल्ली की सिटी बुकिंग एजेंसी के ठेकेदार द्वारा त्यागपत्र दे देने के कारण उसे 31-7-81 से बन्द कर देना पड़ा ।

(ग) और (घ) : यात्रियों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त प्रवन्ध कर दिये गये हैं ताकि जनता को कोई असुविधा न हो । इस सिटी, बुकिंग एजेंसी को चलाने के लिए ज्यों ही कोई उपयुक्त ठेकेदार नियुक्त कर दिया जायेगा, पुनः खोल दिया जायेगा । ठेकेदार की नियुक्ति के लिए आवश्यक कारंवाई शुरू की जा चुकी है ।

स्कूल और कालेजों में नैतिक शिक्षा का अध्ययन

751. **श्री डुमर लाल बैठा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज के युवकों और बच्चों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को रोकने तथा उनमें सार्वभौमिक प्रेम एवं बन्धुत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए अब देश के कालेजों और स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयोगों और समितियों और प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख व्यक्तियों ने विभिन्न धर्मों के नैतिक उपदेशों और नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्कूल और कालेजों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) : सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि छात्रों का चरित्र-निर्माण शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न विशेषज्ञ निकायों का ध्यान भी इस मामले की ओर आकर्षित हुआ है । इन विशेषज्ञ निकायों ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्योन्मुख शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया है ।

2. विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विचारार्थ तथा समुचित कारंवाई के लिए भेज दी गई हैं।

3. केन्द्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नैतिक शिक्षा पर एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार कर रही है। एक राष्ट्रीय कार्यशाला बंगलौर में नवम्बर, 1981 में आयोजित की गई थी तथा प्रारूप पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है। विस्तृत पाठ्य विवरण तैयार किया जायेगा तथा बाद में छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री की श्रेणीबद्ध श्रंखलाएं तैयार की जायेंगी।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में आपेक्षित कारंवाई करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली मद्रास जी० टी० एक्सप्रेस में अधिक डिब्बे

752. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री एम० एम० लारेन्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-मद्रास जी० टी० एक्सप्रेस के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां, 15/16 जी० टी० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाकर यथा-सीघ्र इस गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1980 और 1981 में रेल गाड़ियों में हुई लूटपाट और डकैतियों की संख्या

753. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान रेलगाड़ियों में हुई लूटपाट की घटनाओं और डकैतियों की राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ख) उन डकैतियों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ियों में सशस्त्र गार्ड होने के बावजूद पड़ी,

(ग) कितनी घटनाओं में डाकू पकड़े गए या उनका मुकाबला किया गया,

(घ) क्या रेलगाड़ियों में डकैतियां बढ़ रही हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान गाड़ियों में हुई लूट-पाट और डकैती की संख्या का राज्य-वार ब्योरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ख) गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था के बावजूद, 1980 में डकैती की 39 तथा 1981 में 37 घटनाएं हुईं।

(ग) 1980 में 56 मामलों में तथा 1981 में 63 मामलों में डाकू गिरफ्तार किये गये उनका मुकाबला किया गया।

(च) बढ़ती का रुख देखने में आया है।

(ड.) निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं।

(1) जहाँ तक सम्भव हो, राजकीय पुलिस द्वारा लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस/सवारी गाड़ियों में रात्रि में मार्ग-रक्षी भेजे जा रहे है।

(2) इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए, राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में समुचित वृद्धि की गयी है।

(3) इन्जन कार्मियों को अनुदेश दिये गये हैं कि किसी गाड़ी के अनिर्धारित ठहराव के मामले में मार्ग-रक्षी दल को सावधान करने के लिए वे बार-बार सीटी बजायें।

(4) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय पुलिस के प्राधिकारियो के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(5) डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों को अनुदेश हैं कि ये सावधान रहें तथा मार्ग-रक्षी दल की आवाज पर जल्दी से दरवाजा खोलें। उन्हें यह भी हिदायत दी गयी है कि वे अनधिकृत यात्रियों को न ले जायें।

विवरण

वर्ष 1980 और 1981 के दौरान चलती गाड़ियों में हुई डकैती और लूट-पाट की घटनाओं का राज्यवार ब्योरा।

राज्य	1980		1981	
	डकैती	लूटपाट	डकैती	लूटपाट
आन्ध्र प्रदेश	—	5	4	6
असम	2	4	5	6
बिहार	38	43	27	47
दिल्ली	—	2	—	2
गुजरात	1	3	1	2
गोवा	1	—	—	—
हरियाणा	—	2	2	5
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
केरल	—	—	—	2
मध्य प्रदेश	8	12	9	20
महाराष्ट्र	4	33	94	2
उड़ीसा	5	10	11	4
पंजाब	—	4	—	5
राजस्थान	—	4	6	6
तमिलनाडु	—	5	—	7
उत्तर प्रदेश	20	79	28	59
पश्चिमी बंगाल	20	43	30	23
हिमाचल	—	—	—	—
कर्नाटक	—	3	1	3
जोड़	99	252	131	239

भारत-चीन बातचीत

754. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री भीखू राम जैन :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 में भारत और चीन के बीच बातचीत हुई थी,

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई,

(ग) क्या इस बातचीत के परिणामस्वरूप कुछ मुद्दों पर आगे कार्रवाई के लिए सहमति हुई थी, और

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों का ब्योरा क्या है और आगे बातचीत कब होगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । पीकिंग में 10 से 14 दिसंबर, 1981 तक अधिकारी-स्तर पर बातचीत हुई थी ।

(ख) से (घ) : इस बातचीत के सम्बन्ध में विदेश मन्त्री ने 17 दिसम्बर, 1981 को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था । वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3393/82]

बातचीत के अगले दौर के समय और उनकी विषय-वस्तु के सम्बन्ध में चीनी पक्ष के साथ राजनयिक माध्यमों से विचार-विमर्श किया जाना है।

अफगानिस्तान में रूस की उपस्थिति

755. प्रो० मधु दंडवते :
श्री माधव राव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सेना का अफगानिस्तान में रहना जारी है और निकट भविष्य में उसके हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो यह देश गुट-निरपेक्ष देशों का एक प्रमुख वक्ता होने के नाते हमारी सरकार अफगानिस्तान से रूसी सैनिक हटाए जाने और वहां राजनैतिक वातावरण को सामान्य बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक दस्ते अभी भी मौजूद हैं । लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये सैनिक दस्ते कब तक वहां रहेंगे क्योंकि बातचीत द्वारा राजनैतिक समाधान तलाश करने की दिशा में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) भारत ने अफगानिस्तान समस्या के लिए बातचीत द्वारा राजनीतिक समाधान की हमेशा वकालत की है । भारत सरकार सभी सम्बद्ध पक्षों और इस क्षेत्र के कई देशों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ भी इस सवाल पर सलाह-मशविरा करती रही है ताकि

इस क्षेत्र में तनाव कम किया जा सके; अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा सकें जिनमें कि सोवियत सैनिक दस्तों को अफगानिस्तान से हटाया जा सके। फरवरी 1981 में नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में व्यक्त आम-सहमति में भी राजनीतिक समाधान की तलाश के मार्ग को प्रशस्त करने में भारत के प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है।

माधोपुर और जमालपुर गांवों में रेल विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

756. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलिया जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के बामडीह रोड स्टेशन के निकट माधोपुर और जमालपुर गांवों के कुछ लोगों ने रेल विभाग की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार और रेल विभाग को अनधिकृत कब्जा छुड़ाने के लिए वर्ष 1979-80 में बलिया जिले से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) रेलवे भूमि से पार्टी को हटाने के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने सम्पदा अधिकारी की अदालत में एक मामला दर्ज कराया है और उस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

पानीपत में शेरशाह सूरी मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक उपमार्ग का निर्माण

757. **श्री सूरजभान** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के पानीपत शहर में शेरशाह सूरी मार्ग पर नियमित भारी यातायात के अतिरिक्त बैलगाडियों/ठेलों, रिक्शाओं, साइकिलों तथा अन्य वाहनों के यातायात की जबर्दस्त भीड़भाड़ रहती है जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि कई केन्द्रीय मन्त्रियों ने पहले सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की है कि पानीपत के बाजार से सामान्य यातायात को इस राजमार्ग पर ले जाने के लिए एक उपमार्ग का निर्माण किया जाएगा, और

(ग) यदि हां, तो कब तक उपमार्ग का निर्माण किए जाने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार, 20,000 अथवा अधिक की आबादी वाले शहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सड़क खंड राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में नहीं आते हैं और उन पर राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों का नियंत्रण होता है। पानीपत शहर से जाने वाली सड़क इस कोटि की है। सड़क के इस हिस्से में स्थानीय धीमी गति के वाहनों के कारण भीड़ होती है।

पानीपत के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और धन के उपलब्ध होने तथा अपेक्षाकृत अन्य कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर क्रम से कार्य शुरू किया जाएगा अर्थात चालू-पंचवर्षीय योजना में भूमि उपलब्ध हो जाएगी और निर्माण का कार्य बाद में शुरू किया जाएगा।

बड़े मरम्मत कार्यों को शुरू न किया जाना

758. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनराशि की कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान पड़े मरम्मत कार्य शुरू नहीं किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उन मरम्मत कार्यों का ब्यौरा क्या है जो इस प्रकार रुके पड़े है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यद्यपि मरम्मत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता चालू वर्ष के दौरान आवंटित राशि से अधिक है, फिर भी इसके कारण किसी मुख्य काम को रुकने नहीं दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग किया जाना

759. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा दी जा रही असंतोषजनक सेवा के कारण दिल्ली में उपलब्ध सीमित पुस्तकालय सुविधाओं का ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली के पुस्तकालयों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, नहीं। दिल्ली के पुस्तकालय विभिन्न प्राधिकरणों के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं और उनके पुस्तकालय स्टाफ द्वारा किसी घटिया सेवा के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता और बिहार के बीच अतिरिक्त रेल-गाड़ियों की मांग हेतु अभ्यावेदन

760. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की बिहार आवामी कल्याण पंचायत ने कलकत्ता और बिहार के बीच कुछ अतिरिक्त रेल गाड़ियां शुरू करने के लिए उन्हें दिनांक 13 दिसम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां, हावड़ा/सियालदह और मुजफ्फरपुर और हावड़ा तथा गोरखपुर के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, समस्तीपुर-दरभंगा-नरकटियागंज खंड को बड़ी लाइन में बदलने और हावड़ा और नरकटियागंज के बीच गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) हावड़ा/सियालदह और मुजफ्फरपुर/गोरखपुर के बीच अतिरिक्त गाड़ियों को चलाना कोचिंग स्टाफ की तंगी तथा हावड़ा/सियालदह पर अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

समस्तीपुर-दरभंगा खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अनुमोदन हो चुका है और सकरी-हसनपुर लाइन के निर्माण के साथ इस पर कार्य किया जायेगा। दरभंगा-नरकटियागंज खंड को बड़ी लाइन में बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता बन्दरगाह को माल का भेजा जाना

761. **श्री अजित बाग :**

श्री मुकुन्द मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह को और ज्यादा माल भेजे जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिए हैं कि वे अपना माल कलकत्ता बन्दरगाह को भेंजे, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) सरकार की नीति माल व्यापारियों पर आयात या निर्यात के मामले में पत्तन विशेष का चुनाव करने पर नियंत्रण लगाना नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश माल का आयात प्राइवेट पार्टियों द्वारा किया जाता है। कोई भी जहाज किसी भी पत्तन पर आ-जा सकता है।

(ख) और (ग) : सरकारी खाते में उर्वरक, कच्चा उर्वरक, इस्पात, खाने वाला तेल, अखबारी कागज और सीमेंट आदि जैसे माल के आयात व निर्यात की व्यवस्था करने के लिए जो डिब्बों आदि में बन्द नहीं होकर भारी मात्रा में मंगाया व भेजा जाता है, नौवहन व परिवहन मंत्रालय में "माल का समुचित वितरण कारी स्थायी समिति" नामक एक स्थायी अन्तर्मन्त्रालयी समिति काम कर रही है। इस समिति का काम भी माल के आवंटन के बारे में नियंत्रण लगाना नहीं है बल्कि परस्पर सहमति से हल ढूंढना है। फिलहाल हाल में, आयात करने वाली सरकारी एजेंसियों से कलकत्ता पत्तन को अधिक मात्रा में परिष्कृत उर्वरक, कच्चा उर्वरक, अखबारी कागज और सीमेंट आदि ले जाने का अनुरोध किया गया है।

खड़गपुर रेलवे यार्ड

763. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खड़गपुर रेलवे यार्ड में असन्तोषजनक कार्य की स्थिति के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों का स्वरूप क्या है और प्रशासन ने इनकी जांच की है,

(ग) खड़गपुर स्थित रेलवे यार्डों में वर्ष 1979, 1980 और 1981 में कितनी बार रेलों के पटरी से उतरने की बड़ी तथा छोटी घटनायें हुई हैं,

(घ) उक्त अवधि में खड़गपुर यार्ड में कितने श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, और

(ङ) प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी हां । कर्मचारियों की ओर से रेल पथ सामग्री के बिखरे पड़े रहने, यार्ड की उबड़-खाबड़ बनावट, बेहतर प्रकाश की आवश्यकता आदि जैसी कार्य स्थितियों के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी । इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की गयी है ।

(ग) खड़गपुर और नीमपुरा यार्डों में हुई दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :

	1979	1980	1981
खड़गपुर	14	29	33
नीमपुरा	104	127	375

(घ) दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार है :

	1976	1980	1981
खड़गपुर	4	3	4
नीमपुरा	4	4	5

(ङ) पिछले छः महीनों के दौरान इकट्ठी हुई सिंडर और रेल सामग्री राख और स्प्रिंगों की यार्ड में से सफाई किये जाने के लिए कारंवाई की गयी है । अब यार्ड की सफाई कर दी गई है और प्रकाश की व्यवस्था में भी सुधार कर दिया गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम को घाटा

764. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री डी० एम० पुत्ते गोडा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस निगम को कितना घाटा होने की सम्भावना है,

(ग) घाटे के क्या कारण हैं, और

(घ) कमियों को दूर करके और घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम को 20 करोड़ रुपये तक का (नकद) घाटा होगा ।

(ग) इस घाटे का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली परिवहन निगम का किराया बहुत ही कम है । हालांकि दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाने पर खर्च में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन इसके किराये में लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है । निगम प्रति किलोमीटर बस चलाने का लगभग 3 रुपये का खर्च भी नहीं पूरा कर सक रहा है और बसों से प्रति किलोमीटर केवल 2 रुपये की आय होती है ।

(घ) बसों के चलाने के खर्च को पूरा करने के लिए किराये में संशोधन के सुझाव पर सरकार विचार कर रही है । भविष्य में घाटे को कम करने, घाटा न होने देने के कारण सरकार अब तक संचित घाटे को बट्टे खाते में डालने और दिल्ली परिवहन निगम की पूंजी संरचना को फिर से विनिर्मित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है ।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन का बदला जाना

765. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के कार्य को शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू होगा, और

(ग) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा और यह कार्य कितने चरणों में पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा अभी इस परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी सहायकों का चयन

766. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सहायकों के चयन के लिए दिनांक 12 अगस्त, 1981 और 28 सितम्बर, 1981 को क्रमशः लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लिए गए थे, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम के कब तक घोषित होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (*श्री मल्लिकार्जुन* : (क) *जी हां।*

(ख) प्रवरण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 15-2-82 को नामों का एक पेनल ज्ञापित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना

767. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने राष्ट्रीय महत्व की कुछ सड़कों के नामों को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए सिफारिश की है, और

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य की ऐसी सड़कों के नाम क्या हैं जिनके बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है और इनके निर्माण के लिए क्या अग्रिम कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) : संभवत: माननीय सदस्य का आशय योजना आयोग की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा सुझाये गये रूटों और सीधी सड़कों से है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है। योजना आयोग की रिपोर्ट अभी भी विचाराधीन है। फिलहाल कुछ आवश्यक कारणों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ सड़कें 1-9-80 से राष्ट्रीय मुख्य मार्ग घोषित की जा चुकी हैं जो संयोग से उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सुझाई गई सड़कों की सूची की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 12 भी ब्योरा से जयपुर तक बढ़ाया गया है। आर्थिक कमी को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि इस समय किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे यही बात बिहार सहित सभी राज्यों पर लागू होती है।

कोचीन-मदुरै लाईन

768. **श्री ए० नीला लोहिथा दसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल का इदुक्की जिला इस समय रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ है,

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कोचीन मदुरै रेलवे लाइन के निर्माण द्वारा केरल के, इदुक्की जिले को भी रेलवे के मानचित्र में शामिल करने हेतु कदम उठाने का विचार है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : मदुरै-बोदिनायक्कूर मी० ला० खंड को बड़ी लाइन में बदलने तथा कोच्चियम और बोदिनायक्कूर के बीच एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण के काम को 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के लिए सर्वेक्षण दल द्वारा केरल के इदुक्की जिले को इस लाइन से जोड़ने के प्रश्न की जांच भी की जायेगी।

हृदय रोगियों के लिए "पेस मेकरों" का उत्पादन

769. **श्री चिंगयांग कोंनयक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति इसलिए मर जाते हैं कि वे पेस मेकरो की लागत वहन नहीं कर सकते,

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पेस मेकरों का उत्पादन करने के लिए ठोस कदम उठाने का है,

(ग) क्या देश भर में कम दरों पर पेस मेकर उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार के पास इस बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने जो विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम है, 1975 में एल० आर० डी० ई० बंगलौर द्वारा विकसित किये गये पेस मेकरों के बारे में जानकारी देने के लिये मैसर्स इलैक्ट्रो मेडिकल, इंदौर को लाइसेंस दिया था। इस कम्पनी ने अब तक लगभग 40 पेस मेकर तैयार किये है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में निरोध की बिक्री तथा वितरण

770. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले वर्ष के दौरान कितने निरोध बेचे गए और कितने निरोध नि:शुल्क वितरित किये गये;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने निरोध वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) युवकों में विशेषकर बाहरी ग्रामीण युवा महिलाओं में कान्डोमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है; और

(घ) पिछले वर्ष दिसम्बर, तक विभिन्न राज्यों में राज्यवार कुल कितने निरोधों की बिक्री की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमार कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पिछले वर्ष अर्थात 1980-81 में निरोध के 1295.0 लाख नग बेचे गए। 1980-81 में निरोध के 1363.4 लाख नग नि:शुल्क वितरित किए गए।

(ख) चालू वर्ष अर्थात 1981-82 के दौरान निरोध के 3630 लाख नग (बिक्री और नि:शुल्क वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत) वितरित करने का लक्ष्य है।

(ग) इस कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने और परिवार नियोजन के लिए निरोध अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से एक बहु-प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

दम्पत्तियों को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करने के लिए दूरदर्शन फिल्मों और रेडियो के माध्यम से एक नियमित परिणामोन्मुख प्रचार किया जाता है।

कुछ चुनिंदा राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य गाइडों और बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं को निरोध के विपणन कार्य में लगाया गया है।

(घ) 1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान निरोध की बिक्री सम्बन्धी ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल-दिसम्बर 1981 के दौरान निरोध की राज्यवार बिक्री

राज्य का नाम	अप्रैल-दिसम्बर 1981 के दौरान निरोध की बिक्री (अनन्तिम) दस लाख नगों में
आंध्र प्रदेश	6.94
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का असम ग्रुप	1.62
बिहार	7.44
गुजरात	2.96
हरियाणा	1.65
हिमाचल प्रदेश	0.63
जम्मू और कश्मीर	0.88
कर्नाटक	7.11
केरल	4 50
मध्य प्रदेश	3.72
महाराष्ट्र	9.23
उड़ीसा	2.67
पंजाब	3.87
राजस्थान	2.72
तमिलनाडु	9.69
उत्तर प्रदेश	19.53
पश्चिम बंगाल	9.53
दिल्ली	4.64
चंडीगढ़	0.29
अखिल भारत	109.11*

(*94.9 लाख नगों की बिक्री शामिल है जिसका राज्यवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।)

आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन

771. **श्रीमती कृष्ण साही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली में इलाज कर रहे डाक्टरों के राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन तथा इंण्डियन मेडिकल एसोसिएशन का इस आयोग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : सरकार ने सितम्बर, 1981 में चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की है। इस समिति के सदस्य विभिन्न प्रासंगिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उच्च शिक्षा में प्रवेश दर

772. **श्री ए० के० बालन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश की दर में वर्ष-दर-वर्ष कमी होती जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) : जी, नहीं। यद्यपि उच्च शिक्षा के दाखिले की दर में घट-बढ़ होती रहती है फिर भी 1971-81 दशक के दौरान औसत वृद्धि दर लगभग 3.5% प्रति वर्ष थी। वृद्धि दर में बढ़ोतरी की वर्षवार प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

वर्ष	वृद्धि प्रतिशतता
1971-72	5.7
1972-73	5.0
1973-74	3.1
1974-75	5.9
1975-76	2.5
1976-77	0.2
1977-78	5.5
1978-79	2.1
1979-80	1.2
1980-81	3.9

छपरा जंक्शन पर शायिका (बर्थ) आरक्षण

773. **प्रो० सत्य देव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंकशन स्टेशन से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण रेलों में शायिकाओं (बर्थ) के आरक्षण के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कदम उठाए जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर, छपरा जंकशन स्टेशन पर लम्बी दूरी की गाड़ियों में उपयुक्त आरक्षण कोटा उपलब्ध है ।

दिल्ली की सड़कों पर कुष्ठ रोगी

774. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगी उन्मुक्त रूप से घूम रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कुष्ठ रोग गृहों में भेजने और उन्हें जनता में शामिल होने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में कुष्ठ रोगी देखे जाते हैं। कुरूपताओं से ग्रस्त ऐसे कुछ कुष्ठ रोगी, जिनका रोग बढ़ने से रुक गया है, भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर भीख मांगते हुए देखे जा सकते हैं किन्तु ये सभी विसंक्रमित रोगी हैं और इनसे लोगों के स्वास्थ्य को कोई गम्भीर खतरा नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार का आकार सीमित रखने हेतु विधान

776. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या नियन्त्रण के लिए प्रयासों को मजबूत करने की दृष्टि से सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है; और

(ख) क्या सरकार परिवार का आकार सीमित रखने के लिए विधान बनाने हेतु कदम उठाने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) इसके लिए बहु-प्रचार साधनों तथा पारस्परिक सम्बन्धी नीति का कारगर और विवेकपूर्ण उपयोग करके छोटे परिवार के आदर्श के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जानकारी देने के लिए भरसक प्रयास किए जायेंगे। सभी स्तरों पर सूक्ष्म निगरानी और अनुवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। राज्य सरकारों के परामर्श से प्रशासनिक तंत्र को सुचारू बनाने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे। समय-समय पर इस कार्यक्रम की उच्चतम स्तरों पर समीक्षा की जाएगी ताकि इस कार्यक्रम में रह गई कमी का पता लगाया जा सके और उसे दूर करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य गाइड जो अधिकतर महिलायें ही होंगी। प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन का ज्ञान देने और जानकारी देने तथा लोगों के घरों के पास गैर-क्लिनीक तरीकों के गर्भ-निरोधक सुलभ कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिन राज्यों में कम काम हुआ है उनके चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष उपाय किए जायेंगे।

(ख) सरकार की नीति विधायी उपायों के जरिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने की नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम को अब आन्दोलन के रूप में बढ़ाया जाएगा।

शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट

777. **श्री गदाधर साहा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की रिपोर्टों के अनुसार लगभग 5,00,000 बच्चे शारीरिक दृष्टि से विकलांग हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में इस समस्या की सही तसवीर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सही-सही स्थिति क्या है; और

(ङ) स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या के बारे में अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पोलियों के प्रकोप के बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला है कि अवशिष्ट पोलियों पेरालिसिस के रोगियों में लगभग 60 प्रतिशत बच्चे लंगड़े हैं जिनकी आयु 5 से 9 वर्ष के बीच है। अनुमान है कि देश में लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को पुनःस्थापन उपचार की आवश्यकता है।

(ड•) पोलियों जैसे संचारी विकारों के कारण होने वाली अपंगता के निवारण के लिए रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा बच्चों को दृष्टिहीनता से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। अपंग व्यक्तियों के पुन: स्थापन के लिए जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, सरकार द्वारा बहुत से दूसरे उपाय भी किए गए हैं। इन उपायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के लिए छात्र-वृत्ति सुविधाएं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक साधनों की सहायता, अपंग बच्चों आदि के पुन:स्थापन के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना भी शामिल है।

विशाखापत्तनम में यूनियन प्रतिनिधियों को प्रवेश पत्र दिए जाने से इन्कार करने के बारे में अभ्यावेदन

778. **श्री मोहम्मद ईस्माइल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्ततम में यूनियन प्रतिनिधियों को प्रवेश पत्र दिये जाने से इंकार किए जाने के बारे में फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया, कलकत्ता से दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, नहीं। लेकिन विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट को फरवर्ड सीमेंन्स यूनियन आफ कलकत्ता से 11-12-1981 को उसके 12 पदाधिकारियों को डाक प्रवेश के लिए परमिट देने के लिए एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) : इन पदाधिकारियों में से छह के पास पहले से ही डाक में प्रवेश के लिए परमिट है। इन परमिटों को पोर्ट ट्रस्ट ने फिर से बना दिया है। बाकी छह नए प्रार्थी है। इस प्रकार इस प्रतिवेदन का आशय अतिरिक्त परमिट देना है। चूंकि पोर्ट ट्रस्ट डाक में प्रवेश के परमिटों की मौजूदा संख्या को पर्याप्त समझता है, इसलिए कोई भी अतिरिक्त परमिट उक्त यूनियन को नहीं जारी किया गया है।

नेत्रहीन और बधिर बच्चों के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट

779. **श्री सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जिसमें बताया गया है कि देश में 2,50,000 नेत्रहीन और इतनी ही संख्या में बधिर बच्चे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) यह सच है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 1970-72 में दृष्टि विकार पर अनुसंधान किया था। इस सर्वेक्षण से पता चला कि 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के बीच रोग की दरें गांवों में 0.82 प्रति हजार और नगरों में 0.96 प्रति हजार है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने श्रवण विकारों पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने दृष्टिहीनता नियन्त्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक नेत्र परिचर्या की व्यापक सेवाएं प्रदान करना है। जिनमें जन-संचार साधनों द्वारा नेत्र परिचर्या सम्बन्धी शैक्षणिक प्रयास भी शामिल हैं। विटामिन 'ए' की कमी से बचाव कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में विटामिन की कमी को दूर करने के लिए तेल में मिले विटामिन ए घोल की 2 लाख अन्तर्राष्ट्रीय खुराकें वर्ष में 2 बार दी जाती हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी डी एस तथा दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (दिल्ली और त्रिवेन्द्रम) के सहयोग से श्रवण विकार पर एक इंटरवेंशन अध्ययन चला रहा है।

पाकिस्तान टी० वी० द्वारा भारतीय राजदूत के भाषण में से निकाले गये वाक्य का पाठ

780. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान टी० वी० ने गत गणतंत्र दिवस को, पाकिस्तान के प्रसारण में भारतीय राजदूत के रिकार्ड किये गये भाषण में से मुख्य वाक्य को निकाल दिया था;

(ख) यदि हां, तो निकाला गया वाक्य क्या था;

(ग) सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(घ) उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) निकाले गये वाक्य का मूल पाठ इस प्रकार है :

"इस सन्दर्भ में, मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी और और अन्य भारतीय नेताओं के वक्तव्यों से ऐसी अफवाहें हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिएं कि भारत पाकिस्तान को खत्म करने पर तुला हुआ है।"

(ग) और (घ) : भारतीय राजदूतावास ने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को नोट भेज कर पाकिस्तान स्थित हमारे राजदूत के गणतंत्र दिवस के भाषण से एक महत्वपूर्ण वाक्य निकाल दिये जाने की ओर ध्यान दिलाया था।

कलकत्ता के लिए सर्कुलर रेलवे

781. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :
श्री नीरेन घोष : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज नामक भारत सरकार के एक सलाहकार संगठन ने यह संकेत किया है कि कलकत्ता के ग्रासपास वर्तमान पांच उपनगरीय लाइनों को अर्थात् बल्ली से बल्ली-घाट, बरनागोर से बेलघारिया, कांकुरगाती वोर्ड से सियालदह, सोनारपुर से बजबज तथा एक नई लाइन डमडम से प्रिंसेसघाट को, सम्बद्ध करके कम लागत पर कलकत्ता सिटी को सर्कुलर रेल सुविधा देना सम्भव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्कुलर रेलवे योजना को क्रियान्वित करेगी,

(ग) यदि हां, तो कब तक ग्रौर तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, ग्रौर

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय ग्रौर संसदीय कार्य विभाग के उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कलकत्ता में ग्रौर उसके ग्रास-पास पांच रेलवे परियोजनाग्रों के सम्बन्ध में रेल इण्डिया टेकनिकल ग्रौर इकोनोमिक सर्विसेज द्वारा तकनीकी-ग्रार्थिक व्यवहारिता ग्रध्ययन का काम चल रहा है।

(ख) से (घ : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय ऐतिहासिक ग्रनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए ग्रर्हताएं

782. **श्री ग्रान्नद सिंह :** क्या शिक्षा **ग्रौर समाज** कल्याण **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक ग्रनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए निर्धारित ग्रर्हताएं क्या हैं;

(ख) उसका क्या कार्य है; ग्रौर

(ग) क्या वर्तमान निदेशक ग्रपनी नियुक्ति के समय ग्रर्हता प्राप्त था।

शिक्षा ग्रौर संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय ऐतिहासिक ग्रनुसंधान परिषद के सेवा विनियमों में निदेशक के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक ग्रर्हताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) इतिहास ग्रथवा प्रयुक्त विषयों में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम० ए०;

(2) पी० एच० डी० ग्रथवा समकक्ष स्तर का ग्रनुसंधान प्रकाशन;

(3) शिक्षण ग्रथवा ग्रनुसंधान मार्ग दर्शन में कम से कम 10 वर्ष का ग्रनुभव।

(4) उच्च स्तर की प्रकाशित कृतियां।

(ख) भारतीय ऐतिहासिक ग्रनुसंधान परिषद का निदेशक, कार्यालय का ग्रध्यक्ष होता

है और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संस्था ज्ञापन-पत्र और नियमावली 1972 के अनुसार कार्य करता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान निदेशक इस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूरा करता है परन्तु सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु सम्बन्धी शर्तों को पूरा नहीं करता है।

इतिहास तथा भाषाई पुस्तकों के पुनरीक्षण के लिये चरणवार कार्यक्रम

783. **श्री वृद्धि चन्द जैन** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग देश भर के विद्यालयों के लिए इतिहास तथा भाषाई पुस्तकों के मौलिक पुनरीक्षण का कोई चरणवार कार्यक्रम है जिससे अनपेक्षित 2 पाठ्यपुस्तकों का तथा राष्ट्रीय एकता में बाधक सामग्री को हटाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो चरणवार कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) : राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित/सिफारिश की गई स्कूल की सभी पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करने का निर्णय किया गया है। शुरू मे यह कार्य-क्रम इतिहास और भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के मूल्याकन तक सीमित होगा। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे अवतरणों और दृष्टिकोणों को निकाल देना है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकर हैं। इस कार्य की जटिलता को देखते हुए भारत सरकार के पूर्ण मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार विकेन्द्रित आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्यक्रम के पूर्ण समन्वय तथा कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है।

अभी तक 21 राज्यों ने 4 संघ शासित क्षेत्रों ने कार्यक्रम शुरू किया है। तीन अन्य संघ शासित क्षेत्रों अर्थात चंडीगढ़, लक्षदीप, और अरुणाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि वे निकटवर्ती राज्यों अथवा रा० शै० अ० प्र० परिषद की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा विज्ञान पत्रिका की सिफारिश के अनुसार औषधियों को प्रयोग से हटाया जाना

784. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार को पता है भारतीय चिकित्सा विज्ञान पत्रिका ने सिफारिश की है कि एक निर्धारित अवधि के भीतर 7 प्रकार की औषधियों को प्रयोग से हटाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्रिका की सिफारिशों से सहमत है;

(ग) यदि हां, तो औषधियों को प्रयोग से हटाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पत्रिका की सिफारिशों से सहमत न होने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम• जोशी) : (क) जी हां। औषध परामर्शदात्री समिति की एक उप-समिति ने निर्धारित समय के भीतर सात वर्गों के योगों को हटाने की सिफारिश की थी और भारतीय चिकित्सा विज्ञान पत्रिका में यही बात दी हुई है। औषधि परामर्शदात्री समिति ने अक्तूबर, 1981 में इस उप समिति की सिफारिशों पर विचार किया।

(ख) से (घ) : औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने औषधि परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर 31 दिसम्बर, 1981 को विचार-विमर्श किया और सरकार इस बोर्ड की राय पर यथासमय विचार करेगी।

भारतीय शल्य चिकित्सक एसोसिएशन का 37 वां वार्षिक संयुक्त सम्मेलन

785. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शल्य चिकित्सक एसोसियेशन का 37 वां संयुक्त वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में जनवरी, 1982 के तीसरे सप्ताह में हुआ था;

(ख) इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ग) क्या भयंकर बीमारियों के पता लगाने, उनको रोकने तथा उनके उपचार के बारे में विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) संगठन सचिव ने सूचित किया है कि इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) और (घ) यह सूचित किया जाता है कि भाग लेने वाले 9 संघों ने विभिन्न बीमारितों से सम्बन्धित समस्याओं और विषयों पर विचार करने के लिए बैठकें भी की गई।

नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये की गई कार्यवाही

786. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ख) इस सम्बन्ध में छठी योजना अवधि के दौरान सरकार के क्या प्रस्ताव है, और

(ग) सम्पूर्ण नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में यदि कोई कठिनाइयाँ है तो वे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही नौवहन कम्पनियां हैं परन्तु राष्ट्रीय नौवहन टनेज में सरकारी क्षेत्र का हिस्सा अधिक है। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच टनेज औसत को 55 : 45 तक करने का विचार है। नौवहन उद्योग का राष्ट्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह भी ध्यान देने की बात है कि नौवहन उद्योग एक अत्यन्त पूंजी प्रधान उद्योग है।

चीन-भारत व्यापार सम्बन्ध

787. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए अब तक किन सम्भावनाओं का पता लगा है,

(ख) क्या सरकार उनके साथ नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, और

(ग) यदि हाँ, तो यह किन वस्तुओं के बारे में किया जायेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) 1977 में चीन के साथ फिर से व्यापार शुरू किये जाने के बाद से दोनों पक्षों के कई प्रतिनिधि मंडल एक-दूसरे के यहाँ आए गए हैं। भारत की ओर से एच. एम. टी., एफ. आई. सी. सी. आई., एम. एम. टी. सी., एस. टी. सी. और अन्य जिनमें व्यक्तिगत हैसियत में जाने वाले व्यापारी भी शामिल हैं, चीन की यात्रा कर चुके हैं। इसी तरह चीन भी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कारोबारी संस्थानों के साथ बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल भेजता रहा है। दिसम्बर में पीकिंग में दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच हुए विचार-विमर्श में आपसी व्यापार का विषय भी शामिल था। व्यापार बढ़ाने और उसमें विविधता लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। फिलहाल, किसी समझौते का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

रेलवे के सहायक लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

788. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगा और यदि हाँ, तो क्या उनका मंत्रालय तदनुसार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहा है,

(ख) क्या मंत्रालय ने ऐसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है जो रेल विभाग की सहायक पकक के रूप में कार्य कर सकते हैं,

(ग) यदि हाँ, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनके उत्पादों के नाम क्या हैं,

(घ) क्या सरकारी नीति के अनुसरण में मंत्रालय लघु उद्योग क्षेत्र में अपनी सहायक यूनिटों की स्थापना को अब भी प्रोत्साहन दे रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा उन्हें किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हाँ।

सरकार की यह नीति है कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये और यही नीति रेल मंत्रालय द्वारा अपनायी जा रही है। रेलों द्वारा ऐसी मदों, की खरीद जो केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, केवल लघु उद्योगों से की जाती है।

(ख) से (ङ) लघु उद्योगों की अनुषंगिक मदों के निर्माण के लिए रेलवे का कोई अपनी अलग व्यवस्था करने का विचार नहीं है। बहरहाल, रेलवे क्षेत्र में नये उत्पादन यूनिट स्थापित करते समय अनुषंगिक मदों का निर्माण करने वाली यूनिटों को ऐसी मदों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो देश के भीतर तत्काल उपलब्ध नहीं होती।

भारतीय तथा पाकिस्तानी जेलों में बन्दी

789. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1000 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में पड़े हैं क्योंकि भारत उन्हें लेने से इन्कार करता है;

(ख) क्या उसी प्रकार बहुत से पाकिस्तानी भारतीय जेलों में पड़े हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) उस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हमारी अद्यतन सूचना के अनुसार, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में 300 भारतीय राष्ट्रिक नजरबन्द हैं। इन्हीं में वे 40 रक्षा कार्मिक भी बताए जाते हैं जो 1971 के भारत-पाक संघर्ष के समय से लापता हैं। यह बात सच नहीं है कि भारत ने उन्हें स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

(ख) और (ग) : कुल मिलाकर 249 पाकिस्तानी राष्ट्रिक (जिनमें 150 दोषी पाए जा चुके हैं और 98 पर मुकदमा चल रहा है) भारत में नजरबन्द हैं। पाकिस्तान का कोई रक्षा कार्मिक भारत की हिरासत में नहीं है।

(घ) : पहले पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि उनकी हिरासत में कोई रक्षा कार्मिक नहीं है। लेकिन अब वह इन कार्मिकों को फिर से तलाश करने पर सहमत हो गयी है। जहाँ तक दूसरे बन्दियों का प्रश्न है सरकार उनकी रिहाई और वापसी के सवाल को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रही है।

भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच बस सेवा आरम्भ करना

790. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**

श्री अजीत कुमार साहा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश तथा पड़ोसी देशों के बीच बस सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख):

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त वाराणसी और काठमांडू के बीच आपसी समझौते के आधार पर सीधी बस सेवा चलाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है जो विश्वनाथ-पशुपतिनाथ बस सेवा कहलाती है इस सेवा को चलाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा नामजद एजेन्सी के साथ आवश्यक प्रबन्ध करें।

पत्तनों पर कैंटेनरों को चढ़ाने उतारने के लिए गेन्ट्री क्रेनों का आयात

791. **श्री ऐम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार कुछ पत्तनों पर कैंटेनरों को चढ़ाने उतारने के लिये गैन्ट्री क्रेनों के आयात करने का है,

(ख) यदि हां, तो आयात योजना का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी क्रेनें किन-किन देशों से आयात की जायेगी तथा प्रत्येक देश से कितनी क्रेनें मंगाई गई हैं, और

(ग) इन क्रेनों को किन शर्तों पर आयात किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) बम्बई और मद्रास पत्तनों में से प्रत्येक के लिए एक-एक गैन्ट्री क्रेन आयात करने का निश्चय किया गया है। दोनों पत्तनों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर टेण्डर मंगवाये थे। इसके प्रसंग में उन्हें कुछ टेण्डर प्राप्त हुए हैं जिस पर अभी निर्णय लिला जाना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी का अपनाया जाना

792. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाये जाने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या प्रयत्न किये हैं;

(ख) इस पर कितनी धन राशि खर्च होने की संभावना है; और

(ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक भाषा बनाये जाने की कब तक सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जैसाकि आप जानते होंगे हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रक्रिया नियमों में आधिकारिक भाषा से सम्बद्ध नियम 51 को संशोधित करने के लिए महासभा के प्रक्रिया नियमावली के नियम 163 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। जब ऐसा प्रस्ताव कर दिया जाये तो उसके बाद एक समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर अपनी रिपोर्ट दिए जाने के बाद इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत का अनुमोदन जरूरी होता है। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार करवाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अब तक जो अनौपचारिक विचार-विमर्श किया गया है उसके उत्साह-वर्द्धक परिणाम नहीं निकले हैं। जो भी हो, जब तक हम महासभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में आश्वस्त न हों, औपचारिक रूप से इस तरह का प्रस्ताव रखना स्पष्टतया उचित नहीं होगा।

अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के बाद हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो अनुमान है कि इस काम पर हर दो साल में लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे और अगर मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस खर्च में हर वर्ष बराबर 10 प्रतिशत की वृद्धि होती जाएगी। इससे संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत के अंशदान में 200 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उपस्कर आदि लगाने में भी खर्च होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसा आवृत्ति खर्च हो सकता है जिसके बारे में अभी ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

चूंकि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने से सम्बद्ध प्रस्ताव को अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपेक्षित बहुमत का समर्थन मिलने की संभावना नहीं है इसलिए इस बात का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है कि इस काम में कितना समय लग सकता है।

मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सीटों की दोषपूर्ण बुकिंग

793. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधाओं का किसी-न-किसी रूप में अभाव है तथा आगे के लिए आरक्षण हेतु संदेश न भेजकर तथा सैकण्ड ए० सी० टीयर में मद्रास से नई दिल्ली तक तमिलनाडु एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए वातानुकूलित और सुपर फास्ट का किराया वसूल न करके जिससे उन कारणों से अतिरिक्त राशि के लिए यात्रियों को टिकट परीक्षकों का सामना करना पड़ता है, यात्रियों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनको दूर किया जा सकता है, और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है कि किसी भी स्टेशन पर इस प्रकार की त्रुटियां न हों तथा यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मद्रास सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे के स्टेशनों के आरक्षण का संदेश न भेजने या स्पष्ट प्रभार न लेने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा का मामला जब जब प्रकाश में आता है, उपयुक्त कारंवाई की जाती है।

विश्व कप चैम्पियनशिप में भारतीय हाकी टीम का असंतोषजनक खेल

794. **श्री आर० आर० भोले** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 में हुए विश्व हाकी कप चैम्पियनशिप में भारतीय हाकी टीम को उनके असंतोषजनक बचाव तथा उनके फार्वर्ड खिलाड़ियों के असंतोषजनक खेल के कारण विफलता का सामना करना पड़ा।

(ख) आस्ट्रेलिया के विरुद्ध महत्वपूर्ण खेल में उपयुक्त खिलाड़ी न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) टीम में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए तथा नवम्बर, 1982 में होने वाले

एशियाई खेलों के लिए गति, संसाधन और कौशल का विकास करके टीम तैयार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) यह सच है कि जनवरी, 1982 में हुए विश्व हाकी कप टूर्नामेंट में भारतीय हाकी टीम ने मात्र पांचवा स्थान प्राप्त किया। इसके डिफेन्स और फारवर्ड खेल सहित टीम के खेल प्रदर्शन पर एशियाई खेल, 1982 के लिए भारतीय प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण की देख-रेख के लिए नियुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में, समिति ने विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय हाकी टीम के खेल प्रदर्शन पर भारतीय हाकी संघ, भारतीय ओलम्पिक सघ और राष्ट्रीय हाकी प्रशिक्षक सहित विशेषज्ञ संगठनों और व्यक्तियों से रिपोर्टें और उनकी राय मांगी हैं। काफी रिपोर्टें और राय प्राप्त हो गई हैं।

(ख) भारतीय हाकी संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले गए मैच में किसी एवजी खिलाड़ी को नहीं भेजा गया क्योंकि एवजी खिलाड़ियों को भेजने के लिए जिम्मेदार टीम के अधिकारियों द्वारा यह आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) एशियाई खेल, 1982 के लिए भारतीय हाकी टीम की तैयारी से सम्बन्धित संगठनों को सलाह दी जाएगी कि वे उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित समिति द्वारा उपर्युक्त विशेषज्ञ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दी गई राय पर विचार करने के बाद बताई गई कमियों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। भारतीय हाकी टीम को तैयार करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों में गति, संसाधन और दक्षता विकास शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना और राष्ट्रीय हाकी टीमों को विभिन्न टूर्नामेंटों में भाग लेने का मौका दे कर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजना शामिल है।

कागज उद्योग को कोयले की सप्लाई

795. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारी कागज उद्योग को कोयले की नियमित सप्लाई बरकरार रखने में असफल रहे हैं,

(ख) क्या यह सच है कि रेल प्रधाधिकारियों ने अपर्याप्त माल डिब्बों के कारण तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा मंजूर किये गए कोयले के कोटे में अत्यधिक कमी की है, और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) से (ग) औद्योगिक इकाइयों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रायोजित मांग प्रतिदिन 17,000 माल डिब्बों की होती है। जबकि रेल शीर्षों पर उपलब्धता तथा वास्तविक लदान प्रतिदिन लगभग 11000 माल डिब्बों में होता है। इस अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सरकार (औद्योगिक अवसंरचना के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल समिति) ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए वरीयताएं और कोटे निर्धारित किए हैं। दिसम्बर, 1981 को समाप्त तिमाही के लिए कागज उद्योग के लिए कोयले का कोटा प्रतिदिन 170 माल डिब्बे निर्धारित किया था। नवम्बर, दिसम्बर 1981 और जनवरी, 1982 के पिछले तीन महीनों के दौरान कागज उद्योग के लिए कोयले का लदान प्रतिदिन क्रमशः

173, 188 और 167 माल डिब्बे था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रेलें इस समय कागज उद्योग के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार कोयला माल डिब्बों की आपूर्ति कर रही हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के दैनिक यात्रियों को इनाम के लिए लाटरी निकालना

796. **श्री सोमजोभाई डामोर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम को दैनिक यात्रियों को इनाम के लिए टिकटों की लाटरी निकाली जा रही है,

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1982 तक कितनी लाटरियां निकाली गई हैं,

(ग) कितने यात्रियों ने इनामों का दावा किया है,

(घ) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि प्रारम्भ से जनवरी, 1982 तक के बिना मांगे इनामों की नई सूची प्रकाशित की जाए, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) 43

(ग) जनवरी, 1982 तक 12 इनामो के लिए दावे किए गए।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षित करना

797 **श्री भीखा भाई क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उनके मंत्रालय में पहली जनवरी, 1980 तक भारतीय विदेश सेवा अधिकारयों की कुल संख्या कितनी है तथा उनके अनुसूचित जातियों और अमुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण अनेक पदों को अनारक्षित किया गया है,

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के क्षेत्रों को समुचित विज्ञापन नहीं भेजे गये थे, और

(घ) कया उनके उत्थान में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को विज्ञापन नहीं भेजे गये थे।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) 1.1.80 को 454 भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे, जिनमें 10.1 प्रतिशत अधिकारी अनुसूचित जातियों के और 5.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : भारतीय विदेश सेवा में भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग सभी प्रमुख समाचारपत्रों और साप्ताहिक रोजगार समाचार द्वारा इस परीक्षा का व्यापक प्रचार करता है। विदेश मंत्रालय द्वारा इसका पर्याप्त प्रचार न किये जाने या अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्रों आदि को विज्ञापन न भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षक दिवस पर दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए लाभ की घोषणा

798. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शिक्षक दिवस पर (5 दिसम्बर, 1981) प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों सहित दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए विभिन्न लाभों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन लाभों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्रालय के आदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके अन्तिम वेतनमान पर 2/3 वर्षों तक रहने पर प्राप्य एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि सम्बन्धी नियम को दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका आदि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया यद्यपि पहले अनेक आशवासन दिये गये है ;

(घ) क्या इसको लागू किया जायेगा ! और

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) : गतिरोध वेतनवृद्धि का लाभ 1. 1. 73 से प्रहले पूर्व-संशोधित वेतनमान में उपलब्ध था। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, संशोधन वेतनमान लागू किए जाने पर यह लाभ 1. 1. 73 से पहले वापिस ले लिया गया था।

विवरण

शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितम्बर, 1981 को शिक्षकों के लाभ के लिए निम्नलिखित निर्णय घोषित किये गए थे :

(1) प्रवरण ग्रेड के पदों की संख्या शिक्षकों के कुल संस्वीकृत पदों के 20% तक निर्धारित की है इससे पहले/स्थायी और अस्थाई पदों के केवल 20% पदों की ही जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से विद्मान थे, इस प्रयोजन के लिए गिनती की जा सकत थी।

(2) शिक्षकों के गतिरोध के कारणों का पता लगाने और उनकी पदोन्नति के अवसरों में और अधिक सुधार लाने से संबंधित उपाय सुझाने हेतु एक संवर्ग समीक्षा की जायेगी।

(3) दस्तकार, भाषा, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा और गृह विज्ञान में कनिष्ठ शिक्षकों के वेतन-मान 425-640/-रु० से बढ़ाकर 440-750 रु० तक किया जाना।

(4) छुट्टी संबंधी नियमों को उदार बना दिया है ताकि छुट्टी जमा करने की अनुमति से आधे वेतन पर छुट्टी की वर्तमान सुविधा की बजाय पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी की व्यवस्था की जा सके।

(5) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुरूप एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना की जाएगी ताकि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की पद्धति की व्यवस्था की जा सके।

उपरोक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक की गई प्रगति इस प्रकार है :

(1) उपरोक्त (1) और (3) के निर्णयों को कार्यन्वित करने हेतु आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे।

(2) उपरोक्त (2) में लिए गए निर्णय के अनुसार, एक संवर्ग समीक्षा समिति गठित की गई है और समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

(3) उपरोक्त (4) लिए गए निर्णय को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सम्बद्ध केन्द्र शासित क्षेत्रों/संगठनों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(4) जहां तक उपरोक्त (5) में लिए गए निर्णय का संबंध है, दिल्ली प्रशासन ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से एक संयुक्त पराकर्शदात्री मशीनरी के गठन का अनुमोदन पहले ही कर दिया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी का गठन करने से संबधित आवश्यक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

सबसे छोटी जहाजरानी कम्पनियों (नेशनल वाटम्स) को माल देना

799. **श्री एस ए० दोराई सेबस्तियान** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मीहोम कांफ्रेंस में 1 अप्रेल, 1982 से स्थागित छूट प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश की सबसे छोटी जहाज़रानी कम्पनयों को माल देकर सहायता करने रूप में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है विशेषकर जबकि कांफ्रेंस से सम्बन्ति जहाजरानी कम्पनियां और अधिक कंटेनर तथा सेलूलर (खत्वनेदार) नौकायें खरीद रही हैं

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हाँ,

(ख) भारतीय कंटेनर जहाजी कम्पनियों ने कुछ विशेष उपाय किये हैं जैसे विपणन की पर्याप्त व्यवस्था, विश्वासनीय जहाजी सेवा चलाना और माल व्यापरियों के एसोसिएशनों के साथ निरन्तर बात चीत करना। इन विशेष कोशिशों के परिणामस्वरूप भारतीय जहाजी कम्पनियों का अपने जहाजों से माल ढोने के मामले में कोई गभीर कठिनाई की कोई आशका नहीं है।

भारतीयों जहाजों के अधिकाधिक इस्तेमाल के लिए हाल में जो उपाय किये गए हैं वे नीचे लिखे हैं :

(1) भारतीय नौवहन निगम, सिंधिया स्टीम नैविगेशन एंड इन्डियन स्टीमशीप कम्पनी लि० ने अप्रैल, 1981 से आपस में मिलकर एक संघ बनाया है। जिससे कि मौजूद ब्रेक-ब्लाक सेवा के साथ-साथ कंटेनर युक्त जहाजों को व्यवस्था की जा सके।

(2) भारतीय जहाजों के उपयोग की स्थिति की चार्ज निरन्तर एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है जिसमें सम्बधित सरकारी विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि सदस्य हैं।

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि वे अधिकांश माल भारतीय जहाजों द्वारा लाएं/ले जाएँ।

(4) भारतीय माल व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय जहाजों और भारतीय जहाज पालिकों को प्रश्रय दे जिससे कि वे निर्यातकों और आयतकों की भली प्रकार सेवा कर सकें।

(5) भारतीय जहाज मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मंत्रालय को माड़े की शर्तों में संशोधन करने के बारे में अपने-अपने सुझाव दें, जिनमें विलम्ब शुल्क और शीघ्र प्रेषण आदि की दरें शामिल हैं।

(6) भारतीय जहाज पालिका से अनुरोध किया गया है कि भाड़े के भुगतान के बारे में विशिष्ट शिकायतें भी बताएं।

पर्यटक मोटर गाड़ियों के लिए परमिट

800. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक मोटर गाड़ियों के लिये कितने परमिट मंजूर किये गये हैं तथा प्रत्येक राज्य को क्या नियतन किया गया है ;

(ख) क्या पर्यटकों के यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य में इन मोटर गाडियों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है'

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री सीताराम केसरी): मोटर व्हिकिल्स एक्ट, 1939 धारा 63 (7) के अधीन पर्यटन क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय आधार पर मोटरगाड़ियां चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार परमिटों की संख्या निधारित करती है, जो राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन के द्वारा जारी किये जाते हैं। राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासन के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए आवंटित परमिटों की संख्या संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ख) छोटी मोटर गाड़ियों की परमिटों की संख्या 5.1.1981 को बढ़ाई गई थी। इस संख्या में फिल्हाल कोई वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	5.1.81 तक केन्द्र द्वारा छोटी मोटर गाड़ियों के लिए आंवटित परमिटों की संख्या	केन्द्र द्वारा बड़ी मोटर गाड़ियों के लिए आंवटित परमिटों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	200	50
2.	असम	200	50
3.	बिहार	200	50
4.	गुजरात	200	50
5.	हरियाणा	200	50
6.	हिमाचल प्रदेश	200	50
7.	जम्मू और कश्मीर	200	50
8.	कर्नाटक	200	50
9.	केरल	200	50
10.	मध्य प्रदेश	200	50
11.	महाराष्ट्र	200	50
12.	मणिपुर	200	50
13.	मेघालय	200	50
14.	नागालैण्ड	200	50
15.	उड़ीसा	200	50
16.	पंजाब	200	50
17.	राजस्थान	200	50
18.	सिक्किम	इस राज्य में मोटर व्हिाकिलस-एक्ट अभी लागू किया जाना है।	
19.	तमिलाडु	200	50
20.	त्रिपुरा	200	50
21.	उत्तर प्रदेश	200	50
22.	पश्चिम बंगाल	200	50
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	125	25
25.	चंडीगढ़	125	25
26.	दादरा एण्ड नागर हावेली	125	25
27.	दिल्ली	200	50
28.	गोवा, दमन और द्वीव	125	25
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	125	25
31.	पांडिचेरी	125	25

भारत में विकलांगों की राज्य-वार संख्या और उनका पुनर्वास

801. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विकलांगों की संख्या अब 70 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है और यह 5 मिलियन की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है,

(ख) विकलांग लोगों की संख्या के राज्यवार आंकड़ें क्या हैं और उसे देखते हुए कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और कितने व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी गई; और

(ग) क्या देश भर में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के भारी कार्य के परिप्रेक्ष्य में सरकार का विचार विकलांग वर्ष को विस्तारित करने और विकलांग लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए दीर्घावधि सुधार पर कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन करने का भी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण जिसमें 1971 के दौरान मकानों की सूची बनाने के लिए की गई कार्यवाही पर आधारित पूर्णतया दृष्टिहीन, पूर्णतया मूक और पूर्णतया अपंग व्यक्तियों के आंकड़े राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार आंकड़ों के साथ दिए गए है, विवरण-1 पर सलंग्न है। भारत में विकलाँग व्यक्तियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि के बारे में कोई आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है।

(ख) विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या का राज्य-वार बटवारा विवरण। पर दिया गया है।

विकलाँग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा शुरू होंने से अब तक रोजगार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को दी गई मासिक पेंशन विवरण-3 में दर्शाई गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकलाँग वर्ष को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, अन्तर्राष्ट्रीय विकलाँग वर्ष के दौरान विकलाँग व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे उन्हें चालू वर्ष में भी जारी रखा जाएगा।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण उपाय विवरण-4 में दिए गए हैं।

1981 की जनगणना में गृह-सूचीबद्ध आप्रेशन्स के आधार पर अनुमानित संख्या

क्रम संख्या	भारत/राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र	विकलांग जनसंख्या योग	पूर्णतया दृष्टिहीन योग	पूर्णतया अपंग योग	पूर्णतया गूंगे योग
1	2	3	4	5	6
1.	भारत*	1,118,948	478,657	363,600	277,691
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	130,552	39,902	30,070	30,580
2.	बिहार	98,735	39,719	35,232	23,784
3.	गुजरात	68,399	32,442	32,386	12,571
4.	हरियाणा	1,843	7,650	4,828	3,359
5.	हिमाचल प्रदेश	10,714	3,924	2,695	4,095
6.	जम्मू और कश्मीर	13,795	3,891	5,019	4,885
7.	कर्नाटक	54,730	18,106	19,011	17,613
8.	केरल	31,053	8,178	12,056	10,819
9.	मध्य प्रदेश	101,873	53,451	34,228	14,194
10.	महाराष्ट्र	82,392	36,962	26,365	19,063
11.	मणिपुर	2,167	620	703	844
12.	मेघालय	2,676	1,117	749	810
13.	नागालैंड	2,792	518	573	1,701
14.	उड़ीसा	61,298	27,625	19,911	13,762
15.	पंजाब	19,328	9,047	6,389	2,892
16.	राजस्थान	80,043	46,465	21,517	12,061
17.	सिक्किम	2,483	182	360	1,941
18.	तमिलनाडू	87,431	29,215	30,088	28,128
19.	त्रिपुरा	4,143	1,521	1,494	1,128
20.	उत्तर प्रदेश	164,556	93,618	41,502	29,439
21.	पश्चिमी बंगाल	100,955	29 155	34,129	37,671
	केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	262	69	114	79
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,626	738	401	1,487
3.	चंडीगढ़	345	98	164	83
4.	दादर और नगर हवेली	225	00	63	72
5.	देहली	5,157	1,962	2,158	1,037
6.	गोवा दमन और दीव	1,631	463	643	525
7.	लक्षदीप	155	75	35	45
8.	मिजोरम	1,547	366	430	751
9.	पांडिचेरी	1,042	480	287	275

*असम को छोड़कर

विवरण-2

विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र का नाम	प्रारम्भ की तिथि	31-9-1981 तक रोजगार प्रदान कराए गए व्यक्तियों की संख्या				
		दृष्टिहीन	गूंगे और बधिर	अस्थि विकलांग	श्वास के रोगों से पीड़ित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. बम्बई	मार्च, 1959	231	472	2638	6	3347
2. देहली	मार्च, 1961	301	228	2508	1	3038
3. मद्रास	अप्रैल, 1963	297	521	3636	—	4454
4. हैदराबाद	1962	149	325	2205	—	2679
5. कलकत्ता	अप्रैल, 1963	71	304	1057	—	1432
6. अहमदाबाद	1963	210	60	2013	—	2283
7. बंगलौर	अक्तू० 1963	104	58	1700	—	1862
8. चंडीगढ़ (पंजाब) (जिसे लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया है)	फरवरी, 1964	44	7	2322	—	2373
9. कानपुर	मार्च, 1965	96	46	728	—	870
10. त्रिवेन्द्रम	अक्तू० 1970	5	10	2002	—	2017
11. जबलपुर	दिस० 1971	37	58	590	—	685
12. पटना	जन० 1974	8	5	60	—	73
13. जयपुर	अक्तू० 1975	3	—	234	—	237
14. चंडीगढ़ (हरियाणा)*	अक्तू० 1975					
15. भुवनेश्वर	1976	3	5	32	—	40
16. शिमला*	1977					
17. गोहाटी	फर० 1979**					
18. अगरतल्ला	अग० 1979**					
19. बड़ोदा		—	—	14	—	14
20. सूरत		—	—	13	—	13
21. राजकोट		—	—	20	—	20
योग		1559	2099	21772	7	25,437

नोट:—*विशेष रोजगार केन्द्रों में दोहरे सूचक कार्ड रखे जाते हैं। **विशेष रोजगार केन्द्रों से आंकड़ों सम्बन्धी कोई रिटर्न अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-3

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रदत्त मासिक पेंशन को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	पेंशन देने की राशि
1.	आंध्र प्रदेश	30 रु० प्रति माह
2.	बिहार	30 रु० प्रति माह
3.	गुजरात	30 रु० प्रति माह
4.	हिमाचल प्रदेश	50 रु० प्रति माह
5.	कर्नाटक	40 रु० प्रति माह
6.	केरल	45 रु० प्रति माह
7.	मध्य प्रदेश	60 रु० प्रति माह
8.	महाराष्ट्र	60 रु० प्रति माह
9.	जम्मू एवं कश्मीर	80 रु० प्रति माह (ऐसे व्यक्तियों को 90 रु० प्रतिमाह जिन पर दो से अधिक व्यक्ति आश्रित हैं)
10.	तमिलनाडु	25 रु० प्रतिमाह के साथ-साथ प्रति सप्ताह एक किलो ग्राम चावल और वर्ष में दो साड़ी या धोती।
11.	उत्तर प्रदेश	60 रु० प्रति माह
12.	पश्चिमी बंगाल	30 रु० प्रति माह
13.	देहली	50 रु० प्रति माह
14.	लक्षद्वीप	60 रु० प्रति माह

विवरण 4

देश में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा आरम्भ किए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे बताए गए हैं :—

शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

भारत सरकार दृष्टिहीन, बधिर और अस्थि विकलांग छात्रों को नवीं कक्षा से और उससे आगे छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। यह छात्रवृतियाँ 60 रुपये से 170 रुपये तक प्रति मास हैं। इसके अतिरिक्त दृष्टिहीन विद्यार्थियों को 50 रुपये से 100 रुपते प्रतिमास की दरों पर रीडर भत्ता दिया जाता है। अस्थि विकलांग विद्यार्थी यातायात भत्ते तथा प्रोस्थाटिक और आथोटिक सहायताओं के अनुरक्षण के लिए भत्ते के भी पात्र हैं।

इस योजना को अधिक उदार बनाया जा रहा है ताकि मन्द बुद्धि विद्यार्थी भी इनके

अन्तर्गत आ सकें। वे विकलांग बच्चे जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय 2000 रुपये प्रति-मास से अधिक नहीं है वे अब ये छात्रवृत्तियां पाने के पात्र होंगे।

भारत सरकार ने सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को भर्ती कराने की एक योजना भी आरम्भ की है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लाभ आते हैं :—

(1) प्रत्येक बालक के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 800 रुपये का उपकरण भत्ता।

(2) प्रत्येक बालक के लिए एक वर्ष के लिए 400 रुपये का पुस्तक एवं लेखन सामग्री भत्ता।

(3) 50 रुपये प्रतिमास यातायात भत्ता।

(4) दृष्टिहीन बच्चों के लिए 50 रुपये प्रति मास रीडर भत्ता।

(5) निचले अंगों की अपंगता से ग्रस्त बच्चों के लिए 75 रुपये प्रति मास का मार्गरक्षी भत्ता।

(6) जिन बच्चों के माता पिता की आय 750 रुपये प्रति मास से कम है उनके लिए भोजन और आवास की लागत।

(7) होस्टल में रहने वाले प्रत्येक तीन बच्चों पर एक कर्मचारी को 50 रुपये प्रति मास का विशेष वेतन।

(8) 8 से 10 बच्चों के लिए एक विशेष अध्यापक।

इसके अतिरिक्त जिन विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में समेकित नहीं किया जा सकता, उनके लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था की गई है।

दृष्टिहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में केन्द्र खोले गए हैं। कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान विशेष शिक्षा क्षेत्र में बी० एड० कार्यक्रम चलाते हैं। बधिरों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और बम्बई में प्रशिक्षण कालेज हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

श्रम मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए देश में 32 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। वे विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी तथा व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते है और उनके पुर्नवास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। पुर्नवास की अवधि के दौरान केन्द्र में निशुल्क आवास की व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को खाने के लिए खर्च के लिए 70 रुपये प्रति मास की वृत्ति दी जाती है।

रोजगार

विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार का पता लगाने हेतु तथा रोजगार देने वालों और विकलांगों के बीच एक कड़ी स्थापित करने के लिए विशेष रोजगार केन्द्र स्था-

पित किए गए हैं। अन्य रोजगार केन्द्रों में विशेष रोजगार सैल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सहायक यन्त्र और उपकरण

शिक्षा और रोजगार हेतु विकलांग युवकों को सहायता देने के लिए निशुल्क उपकरण प्रदान कराने की एक योजना सरकार द्वारा आरम्भ की गई है। वे विकलांग व्यक्ति जिनकी आय 750 रुपये प्रति मास से कम है वे 1500 रुपये के सहायक उपकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। जब आय 751 रुपये से 1500 रुपये तक होती है तो विकलांग व्यक्तियों को 750 रुपये के उपकरण की सहायता दी जाती है। निशुल्क प्रोस्थाटिक और आर्थोटिक तथा पुनर्वास सहायता एवं निशुल्क श्रवण उपकरण इत्यादि प्राप्त करने में बहुत से बच्चों को इससे सहायता मिली हैं।

स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता

देश भर में विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुर्नवास गतिविधियाँ चलाने हेतु सरकार ने अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को उदार रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है।

रोकथाम और पहचान

पोलियो से उत्पन्न होने वाली विकृतियों और दृष्टिहीनता इत्यादि की रोकथाम के लिए विटामिन "ए" तथा पोलियो वैकसिन इत्यादि के माध्यम से बालकों के बचाव हेतु गहन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के अन्तर्गत कई सेवाएं हैं जिनमें पूरक पोषाहार, टीके लगाना, एवं स्वास्थ्य परीक्षण तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा होने वाली और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए संदर्भ सेवाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य मार्ग-दर्शक योजना के अन्तर्गत शारीरिक अयोग्यताओं की पहचान के लिग स्वास्थ्य मार्ग-दर्शनों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव है।

विविध

इनके अतिरिक्त सरकार की विकलांग व्यक्तियों को ब्याज की विभिन्नात्मक दर पर ऋण देने, पेट्रोल की खरीद पर रियायत देने, केन्द्रीय सरकार में "ग" और "घ" सेवाओं/पदों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रतों में समतुल्य पदों/सेवाओं में आरक्षण, उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारियों/नियोक्ताओं और रोजगार अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों तथा विकलांग व्यक्तियों के हित के लिए किए गए काम के वास्ते व्यवितयों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजनाएं हैं।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबंदी

802. **श्री के० राममूर्ति : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अभी कितने पाकिस्तानी युद्धबंदी रिहा किए जाने हैं;

(ख) क्या पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कैद भारतीय युद्धबंदियों की तीसरी सूची अभी तक नहीं दी है और यदि हाँ, तो हमारी सरकार के अनुमान के अनुसार कितने भारतीय युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तान में है; और

(ग) उनको रिहा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कोई नहीं।

(ख) 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय से 40 रक्षा कार्मिक लापता बताए जाते हैं और यह समझा जाता है कि वे पाकिस्तानी जेलों में बंद है।

(ग) जिन रक्षा कार्मिकों के बारे में यह समझा जाता है। कि वे पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई और देश-प्रत्यावर्तन के मामले को भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ उठाया है। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री, श्री आगा शाही की जुलाई 1980 में भारत यात्रा के दौरान स्वत: प्रधान मंत्री ने यह मामला उनके साथ उठाया था और हाल ही में श्री आगा शाही की 29 जनवरी से 1 फरवरी, 1982 तक की भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर फिर बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने बराबर यही कहा है कि भारत का कोई भी रक्षा कार्मिक पाकिस्तान की जेलों में नहीं है। फिर भी, भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान अब ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए नये सिरे से कोशिश करने पर रजामन्द हो गया है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कारंवाई के लिए इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाती रहेगी।

मालगाड़ियों का पटरी से उतरना

803. **प्रो० रूप चन्दपाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अगस्त, 1981 से आज तक मालगाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनाओं के समाचार मिले हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : अगस्त 1981 से जनवरी 1982 तक की अवधि में माल गाड़ियों के पटरी से उतरने की 345 घटनाएं हुईं।

हाल ही में घोषित परिवार नियोजन योजना का विरोध

804. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में घोषित परिवार योजना का कुछ राज्यों में विरोध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कदम उठायें गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा, निरन्तर निगरानी तथा विचारों और अनुभव के आदान-प्रदान कर सभी उपाय किये जाते हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में 27-11-81 को टाटानगर नागपुर यात्री गाड़ी के साथ हुई दुर्घटना

805. **श्री ग्रार० पी० षाडंगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 नवम्बर, 1981 को दक्षिण पूर्व रेलवे की चक्राधरपुर डिवीजन में लोटा पहाड़ तथा सोनुग्रा स्टेशनों के बीच टाटानगर-नागपुर यात्री गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पी० डब्ल्यू० ग्राई० चक्राधरपुर के गेंगकुली लोटा पहाड़ तथा सोनुग्रा स्टेशनों के बीच पुराने नट-बोल्टों से बदल रहे थे ग्रौर न तो ग्रगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर की ग्रोर न ही इसकी कोई सूचना दी गई थी ग्रौर न ही उक्त कार्य स्थल पर कोई जिम्मेदार ग्रफसर मौजूद था, ग्रौर

(ग) उक्त दुर्घटना के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय ग्रौर संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) रेल सुरक्षा ग्रायुक्त, कलकत्ता, जो कि पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के ग्रधीन तक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकारी के रूप के कार्य करते हैं, ने इस दुर्घटना की जांच-पड़ताल की है ; उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । बहरहाल, उनके ग्रनन्तिम निष्कर्ष के ग्रनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ग) इस दुर्घटना में लगभग 7,20,000/- रुपये की सम्पत्ति की क्षति होने का ग्रनुमान है ।

विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ता ग्रसन्तोष

806. **श्री चित्त बसु :** क्या शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित विश्वविद्यालय परिसरों में ग्रसन्तोष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मूल कारण क्या हैं; ग्रौर

(ग) इसे कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

शिक्षा ग्रौर संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जबकि देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर छात्रों/शिक्षकों इत्यादि में ग्रसन्तोष ग्रौर ग्रान्दोलन की इक्का-दुक्का घटनाएं होती रहती हैं, परन्तु ऐसा ग्रनुमान लगाना सही नहीं होगा कि परिसर में ग्रसन्तोष बढ़ रहा है ।

(ख) ग्रौर (ग) : ग्रधिकांश मामलों में, ग्रांदोलन नितांत रूप से स्थानीय समस्याग्रों को लेकर ही ग्रारम्भ होते हैं जिनमें से कुछ पाठ्यचर्यायों/परीक्षाग्रों में परिवर्तन करने, निजी शिक्षण को समाप्त करने, सामायिक शैक्षिक सत्र इत्यादि से सम्बन्धित ग्रनुरोध जैसे शैक्षिण स्वरूप के मामले हैं । प्रत्येक मामले में स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना सम्बन्धित प्राधिकारियों का काम है ।

पश्चिमी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों में दक्षता-रोध सम्बन्धी लम्बित मामले

807. **श्री शिव सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री स्कूलों में काम कर रहे श्रेणी-3 कर्मचारियों के दक्षता-रोध सम्बन्धी लम्बित मामलों के बारे में 10 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3060 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में कार्यरत श्रेणी-तीन के लिपिक कर्मचारियों के दक्षता-रोधक सम्बन्धी मामले अभी तक नहीं निपटाये गये हैं और जनवरी, 1980 में पेश किये गये मामले विभाग द्वारा गुम कर दिये गये थे तथा उन्हें नवम्बर, 1981 में पुनः प्रस्तुत किया गया था परन्तु वे अब भी लम्बित पड़े हैं,

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है, अथवा करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) उनके बारे में चारित्रिक पुष्टि तथा गोपनीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने में कितना समय लगेगा और इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ङ.) वर्ष 1980 तथा 1981 में प्रस्तुत किये गये मामले कब तक निपटा लिये जायेंगे तथा इस समय ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हुए है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ॰) : दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दक्षता-रोध सम्बन्धी केवल 8 ऐसे मामले हैं जो कुछ औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण लम्बित पड़े हुए हैं तथा इन मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तथापि, ऐसा कोई मामला गुम नहीं हुआ था, अतः कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

एक भारतीय पृथकतावादी को अमरीका द्वारा बीजा दिया जाना

808. **श्री दौलत राम सारण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने भारत सरकार के विरोध के बावजूद एक ऐसे पृथकतावादी भारतीय को वीजा तथा यात्रा-पत्र जारी किया है जिसका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास ने अमरीका के विदेश विभाग को सूचित किया था कि डा० जगजीत सिंह चौहान का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। लेकिन अमरीका सरकार ने डा० चौहान को इस मामले में छूट दे दी। जहां तक हमारी जानकारी है अमरीका सरकार ने उसे यात्रा प्रलेख नहीं दिए हैं।

डा० जगजीत सिंह चौहान को अमरीका में प्रवेश की अनुमति देने के अमरीका सरकार के निर्णय के विरुद्ध भारत सरकार ने अपनी अप्रसन्नता से अमरीका सरकार को अवगत करा दिया। इसके बाद विदेश मंत्री के नाम एक सन्देश में अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की चिंता को देखते हुए अमरीका सरकार डा० चौहान को भारत की अखंडता और एकता में

अमरीका की दिलचस्पी से अवगत करा देगी और उसे कहेगी कि वह अपने अमरीका प्रवास के दौरान इसे ध्यान में रखे। बाद में हमें बताया गया है कि अमरीका सरकार के ये विचार डा० चौहान को बता दिए गए हैं।

दिल्ली टी० जी० टी० अध्यापकों के लम्बित पड़े मामले

809. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मादीपुर स्थित मिडल स्कूल के कुछ टी० जी० टी० (हिन्दी) अध्यापकों के अर्द्ध स्थायी किये जाने तथा दक्षतारोध पार करने सम्बन्धी मामले वर्ष 1977 से लंबित पड़े हुए हैं, और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) मादीपुर मिडिल स्कूल के एक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (हिन्दी) का अर्द्ध-स्थायी तथा दक्षता रोध पार करने का केवल एक ही मामला 1977 से लंबित पड़ा हुआ है।

(ख) इस संबंध में कोई कारवाई नहीं की जा सकती क्योंकि अध्यापक के विरुद्ध सतर्कता संबंधी एक मामला लंबित पड़ा हुआ है।

गैर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को राजनयिक दर्जा दिया जाना

810. **श्री तारिक अनवर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय कुछ स्वायत और संवर्धनकारी संगठनों के कुछ अधिकारियों को राजनयिक दर्जा देने पर विचार कर रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या भारतीय विदेश सेवा में उपयुक्त अधिकारी नहीं है, जिनकी कमी के कारण, अन्य गैर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को राजनयिक दर्जा दिया जाएगा और

(घ) : क्या यह सच नहीं है कि इससे विदेशों में विभिन्न वाणिज्यिक और व्यापार संगठनों में कार्यरत हजारों व्यक्तियों से अनुरोधों की एक बाढ़ आ जाएगी।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में राजनयिक पासपोर्ट तथा राजनयिक दर्जे को कार्य सचालन के लिए आवश्यक उन्मुक्तियाँ प्राप्त करने और राज्याध्यक्षों के दूतों और उनके राजनयिक सहयोगियों के उचित आदर तथा सम्मान का सुनिश्चय करने के लिए विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये विशेषाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार दिए जाते है। विदेश स्थिति भारतीय राजनयिक अथवा कौंसली मिशनों में राजनयिक दर्जे वाले किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय उसके उचित सम्मान के सुनिश्चय के लिए भारत सरकार ने ऐसे अधिकारियों को राजनयिक दर्जा देने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि राजनयिक दर्जा केवल तभी दिया जाना चाहिए जब किसी अधिकारी को सौंपे गए उत्तरदायित्व

को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए ऐसा जरूरी समझा जाए। वियना अभिसमय के अनुसार भारत सरकार सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, स्वायत्त तथा संवर्धनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को राजनयिक दर्जा नहीं देती है। इन संगठनों के केवल पूर्वी यूरोपीय देशों तथा तीन अन्य स्थानों (ब्रसल्स, तोकियो और आबू धाबी) में तैनात अधिकारी इसके अपवाद हैं जिन्हें इसलिए राजनयिक दर्जा दिया गया है कि वे वहाँ के भारतीय राजनयिक मिशनों के अंग हैं और अपने कार्य संचालन में उन्हें इन सुविधाओं की जरूरत है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

वाणिज्यिक शाखा के कार्यालय लिपिकों के लिए पदोन्नतियों के अवसर

811. **श्री रामेश्वर नीखरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1947 से पूर्व पश्चिमी रेलवे की वाणिज्यिक शाखा के कार्यालय लिपिक क्लेम ट्रेसर तथा कमर्सल इन्सपैक्टरों के पद पाने के पात्र होते थे।

(ख) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य शाखा के कार्यालय लिपिक रेट्स इंस्पैक्टर के पद पाने के लिए पात्र हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : 1947 से पहले की अवधि के बारे में स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) : वाणिज्यिक शाखा में 330-560 रु० के वेतनमान में काम करने वाले उन कार्यालय लिपिकों, जिन्हें दर निर्धारण का ज्ञान होता है, और 330-560 रु० के वेतनमान में काम करने वाले वाणिज्यिक लिपिकों को लिखित उपयुक्तता परीक्षा के आधार पर 425-640 रु० के वेतनमान में दर निरीक्षक के पदों के लिए पात्र बना दिया गया है। पदोन्नति की यह सरणि मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से निर्धारित की गई है।

क्लेम ट्रेसरों की सेवा शर्तें

812. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि क्लेम आफिस मुख्यालय में कार्यालय क्लेम ट्रेसर असिस्टेंट कर्मशल इंस्पैक्टर, भुगतानों के दावों के सम्बन्ध में माल से भरे डिब्बों छोटी-मोटी वस्तुओं/ पार्सलों की खोज करने के लिए स्टेशन रिकार्ड यार्ड रिकार्ड भौतिक रूप से उठाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कर्मचारी दिन में तो काम करते हैं और बिना कोई आराम किए रात को भारत-भर में यात्रा करते हैं;

(ग) क्या उन्हें अखिल भारतीय ड्यूटी कार्ड जारी किए गए हैं क्योंकि उन्हें भारत-भर में जाँच कार्य करना होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो फिर उनकी गिनती सुपरवाइजरी कर्मचारियों में कैसे की जाती हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। तथापि उन्हें जिन स्थानों पर जाँच करनी होती है, वहाँ उन्हें उपलब्ध कराये गये सभी संगत रिकार्डों से आवश्यक सूचना निकालनी होती हैं।

(ख) वे अपना कार्यक्रम अपने नियंत्रण अधिकारी की सहमति से तैयार करते हैं। कार्य-स्थल पर कार्य पूरा करने के बाद वे आवश्यक विश्राम प्राप्त करने के बाद किसी सुविधाजनक रात्रि या दिन की गाड़ी से प्रस्थान करते हैं।

(ग) जी हाँ, अखिल भारतीय ड्यूटी कार्ड पास उन दावा ट्रेसरों/सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों को दिए जाते हैं जिन्हें अपनी सरकारी ड्यूटी के सम्बन्ध में विभिन्न रेलों पर जाना पड़ता है।

(घ) जबकि सहायक वाणिज्यिक निरीक्षकों को पर्यवेक्षी कर्मचारियों के रूप में माना जाता है, दावा ट्रेसरों को पर्यवेक्षी कर्मचारी नहीं माना जाता।

भिखारियों की अधिकतम संख्या वाले राज्य

813. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री चित महाटा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भिखारियों तथा आवारा आदि लोगों की संख्या 10 लाख है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह संख्या बढ़ती ही जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो भारत में वर्ष 1981 के अन्त तक भिखारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(घ) किस राज्य में इस समय सबसे अधिक भिखारी हैं और इन भिखारियों के पुनर्वास के लिए अखिर भारतीय स्तर पर क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ.) क्या ऐसा कोई कानून है जिसके अधीन भिखारियों के लिए भीख माँगना निषिद्ध है, और यदि हाँ, तो यह कानून कितने राज्यों में लागू है और क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त कानून में कोई परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार का विचार देश में भिक्षावृत्ति को कब तक बन्द कर देने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों, आवारा लोगों इत्यादि की अनुमानित संख्या 10,11,679 थी।

(ख) और (ग) : सरकार को इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है तथा 1981 की जनगणना के सम्बन्ध में आँकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) से (च) : 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों, आवारा लोगों इत्यादि की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थी। भिक्षावृत्ति नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जाते है। इस समय 15 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों के भिक्षावृत्ति निरोधक कार्यक्रम हैं। इन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपने-

अपने भिक्षावृत्ति निरोधक अधीनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत भिखारियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास के लिए संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं।

केन्द्रीय सरकार दण्डनीय पहलू की बजाय पुनर्वास पहलू पर अधिक जोर देने के उद्देश्य से केन्द्रशाशित प्रदेशों के लिए भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु एक समान कानून बनाने पर विचार कर रही है जो राज्यों के लिए भी एक नमूने के रूप में होगा।

ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों में असन्तोष

814. **श्री वी० वी० देसाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में रह रहे भारतीय वहाँ अपने लिए न्याय प्राप्त करने हेतु, भारत सरकार से सहायता माँग रहे हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन स्थित बहुत से भारतीयों ने वापस भारत आना शुरू कर दिया है,

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रश्न पर ब्रिटेन सरकार से बात-चीत की थी,

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या इस बारे में भारत सरकार ने कोई हल निकाल लिया है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का मुख्य ब्यौरा क्या है, इस प्रश्न पर ब्रिटेन सरकार से कब तक कोई अन्तिम समझौता हो जाने की आशा है।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यू० के० में बसे भारतीय आप्रवासियों की विभिन्न संस्थाए समय-समय पर अपनी समस्याओं के बारे में लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिशन से सम्पर्क स्थापित करती रहती है।

भारत सरकार उनकी सहायता के लिए जो भी सम्भव होता है करती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खुर्धा रोड-टिटलागढ़ लाईन

815. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खुर्धा रोड तथा टिटलागढ़ के बीच एक रेल लाइन के निर्माण करने करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

अंधता तथा चर्म रोगों के बारे में सर्वेक्षण

816. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बच्चों तथा युवाओं में अंधता तथा चर्म रोग आदि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या आवश्यक निरोधक उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : जी नहीं । त्वचा रोग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक नेत्र परिचर्या की व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए दृष्टिहीनता नियन्त्रण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रखा है । सारे देश के लिए इन सेवाओं का चरणवार ढंग से विकास करने की योजना बनाई गई थी ।

इस कार्यक्रम की कार्य नीति इस प्रकार है :

(1) नेत्र परिचर्या सेवाओं के सम्बन्ध में जन-प्रचार और विस्तार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को तेज करना ।

(2) मोबाइल यूनिटों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र परिचर्या सुलभ करने के लिए नेत्र सेवाएं तैयार करना ।

(3) विभिन्न स्तरों पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में नेत्र परिचर्या की स्थायी सुविधाएं उपलब्ध करना ।

अन्तर्राज्यीय यात्रा की सुविधा देने तथा उसे सुनियोजित करने के लिए समरूप नियम

817. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री बसों को एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में जाते समय अनेक बाधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार अंतर्राज्यीय यात्रा को सुविधापूर्ण बनाने तथा सुनियमित करने हेतु कोई समरूप नियम बनायेगी तथा इनका अनुसरण करने के लिए राज्यों को निदेश भेजेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (सीताराम केसरी) : (क) से (ग) : अन्तर्राज्यीय रूटों पर बसें विभिन्न स्कीमों के तहत मंजूर नियमित परमिटों की संख्या के आधार पर

चलती हैं। अर्थात ये बसें परस्पर समझौते, मोटर-वेहिकल्स ऐक्ट की धारा 63 (6) के अधीन विशेष परमिट और उक्त अधिनियम की धारा 63 (9) के तहत आल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत चलती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में मुसाफिर बसों को आमतौर पर कोई कठिनाई नही होती है, लेकिन उनके परमिट और अन्य दस्तावेजों की प्रावर्तन अधिकारियों द्वारा सीमा चौकियों पर जाँच की जाती है, जिसे मोटर वेहिकल्स एक्ट की धाराओं और अन्य कानूनों का अनुपालन कराया जा सके और यात्रियों द्वारा निषिद्ध माल लाया-ले जाया नहीं जा सके।

नेहरू युवक केन्द्र, छपरा, बिहार के युवा नियामक के विरुद्ध शिकायत

818. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू युवक केन्द्र, छपरा, बिहार में एक युवा नियामक विभिन्न प्रकार के अपराध, गलतियाँ तथा भूलें कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस बारे में उनके मंत्रालय को वर्ष 1980 से अनेक शिकायतें भेजी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (ग) : नेहरू युवक केन्द्र, छपरा (बिहार) के युवक समन्वयक के विरुद्ध प्राप्त हुई एक शिकायत की जांच छपरा के जिलाधीश के जरिये की जा रही है।

भारत में शल्य चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने हेतु सोवियत संघ से माँगी गई सहायता

819. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने देश में शल्य-चिकित्सा सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के लिये सोवियत संघ से वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) यदि हाँ, तो सोवियत संघ से कुल कितनी राशि मिलने की आशा है ?

(ग) यह सहायता संभवत: कब तक मिल जायेगी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित प्रयोग के लिए सोवियत संघ से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है। वैसे, आयुर्विज्ञान और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ के बीच हुये करार के अन्तर्गत संचारी रागों के अनुसंधान, प्रतिरक्षण और वैक्सीन, के उत्पादन रक्त और रक्त के उत्पादों, नेत्र विज्ञान आन्कोलाजी, तांत्रिकाशरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोगी प्रयासों तथा आपासी हित के अन्य अनेक क्षेत्रों में सम्पर्कों के बढ़ाने के साथ-साथ जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों और दक्षों का आदन-प्रदान करने की सहमति हुई है।

हावड़ा से समस्तीपुर तक सीधी रेलगाड़ी चलाना

820. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ बिहार एक्सप्रेस तथा मिथला एक्सप्रेस नामक गाड़िया हावड़ा तथा समस्तीपुर के बीच चला करती थी : और तब भी उनमें हमेशा ही भारी भीड़ होती थी ;

(ख) क्या बाद में इन दोनों गाड़ियों को मुजफ्फपुर तक बढ़ा दिया गया था और अब गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया है जिसके कारण समस्तीपुर, दरभंगा, सीतागढ़ी मधुबनी, चम्पारन के उत्तरी भागों सहरसा तथा अन्य अत्यधिक घनी आबादी वाले जिलों के यात्रियों के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई हैं ;

(ग) क्या हाल ही में हावड़ा-समस्तीपुर सीधी गाड़ी के लिये हावड़ा-समस्तीपुर तथा गोरखपुर के यात्रियों द्वारा प्रदर्शन किये गए थे ; और

(घ) हावड़ा जाने लिए मधुबनी तथा अन्य जिले हेतु एक नई गाड़ी चलाकर अथवा दूसरी श्रेणी की बर्थों का कोटा दुगना करके स्थिति को राहतपूर्ण बनाने के लिए क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) केवल एक जोडी गाडी अर्थात 19 अप/ 20 डाउन मिथिला एक्सप्रेस को 8. 8· 1981 से गोरखपुर तक बढ़ाया गया है ।

(ग) जी हाँ, ।

(घ) राजेन्द्र पुल तथा बरौनी-बछवाड़ा खंड पर लाईन क्षमता के दबाव, हावड़ा/सियालदह में अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और सवारी डिब्बों की कमी आदि संसाधनों की तगियों के कारण फिलहाल समस्तीपुर-हावड़ा के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

बहरहाल, हावड़ा के लिए मधुबनी को 20 डाउन गोरखपुर एक्सप्रेस तथा 22 डाउन मिथिला एक्सप्रेस में दो-दो शायिकाओं का कोटा आवंटित किया जाता है।

खादी ग्रामोद्योग संघ (बिहार) के लिए कपास लाने हेतु वैगन

821. **भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी जिला (बिहार) खादी ग्रामोद्योग संघ को सूरत से कपास लाने हेतु वैगन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बुकिंग सुविधायें उपलब्ध कराकर इस कुटीर उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे कर्मचारी सेवा

822. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान भारतीय रेलवे कर्मचारी सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय

विभिन्न रेलवेज को कार्मिक विभाग के वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी किस तरीके से नियत किये गये थे;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी थे जो उत्तर रेलवे में कार्यरत थे और उसी रेलवे में नियत कर दिये गये थे तथा उनकी नियुक्ति वरिष्ठ वेतनमान में कर दी गई थी;

(ग) क्या उक्त अधिकारी अपने हर अनुरोध पर अन्य रेलवे में उसी पद पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं;

(घ) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जैसे कि उत्तर रेलवे में सीनियर डिविजनल पर्सोनेल आफिसर जिन्होंने अपने ही हित के लिए अथवा लोक हित के लिए किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरण का अनुरोध किया है; और

(ङ) इससे क्या लोक हित होगा और रेलवे बोर्ड की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1981 के दौरान भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय विभिन्न रेलों को कार्मिक विभाग के वरिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारियों का कोई अलग अथवा विशेष वितरण नहीं किया गया था। प्रत्येक रेलवे पर वरिष्ठ वेतनमान वाले कार्मिक विभाग के पदों पर पहले से कार्य कर रहे पात्र अधिकारियों को, उनके द्वारा विकल्प दिये जाने पर, उक्त सेवा में शामिल कर लिया गया था।

(ग) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा तथा अन्य रेलवे सेवाओं के वर्ग "क" (श्रेणी-I) के अधिकारियों, वरिष्ठ वेतनमान स्तरों तक, के बारे में उनके अनुरोध पर अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है बशर्ते ऐसा करने में प्रशासन को सुविधा हो और खाली स्थान उपलब्ध हों।

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और इससे ऊंचे ग्रेडों के पदों के लिए तैनातियां अखिल भारतीय रेलवे के आधार पर की जाती है।

(घ) श्री डी० जे० डी० कुनहा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मुरादाबाद, उत्तर रेलवे ने पश्चिम/मध्य रेलवे के लिए स्थानांतरण का अनुरोध किया है।

(ङ) प्रशासनिक तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण किये जाते हैं।

बड़ोदा स्टाफ कालेज में स्टाफ का प्रशिक्षण

823. **श्री जैनुल बशर :** क्या रेल मंत्री स्टाफ कालेज, बड़ोदा में प्रशिक्षण हेतु वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के चयन के बारे में 24 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उल्लिखित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में उत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित उन अधिकारियों के विवरण क्या हैं जो आगामी दो वर्षों में या इसके आसपास सेवा निवृत्त होने जा रहे हैं और दिसम्बर 1981 और जनवरी, 1982 के महीनों के दौरान बड़ोदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण हेतु जिनका चयन किया गया था;

(ख) क्या सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वह अधिकारियों के इस तरह के चयन में पक्षपात को दूर करने और इस तरह के विशिष्ट प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्ति के बाद उनकी कार्य संभावनाओं में सुधार करने के लिये विभिन्न रेलवेज के स्पष्ट अनुदेश जारी करने के औचित्य पर विचार करेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिमार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित वरिष्ठ वेतनमान के दो अधिकारियों को रेलवे स्टाफ कालेज बड़ोदा में 4-1-82 से 7-1-82 तक चार दिन के लिए "ऊर्जा प्रबन्ध" पर एक लघु पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया गया था। दिसम्बर, 1981 के दौरान किसी को भी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया।

श्री एस० एल० श्रीवास्तव	—	निर्माण प्रबन्धक, यांत्रिक इंजीनियरी विभाग,
श्री एन० के० सिंहल	—	मंडल विद्युत इंजीनियर, विद्युत विभाग,

केवल श्रीवास्तव ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा बाकी है परन्तु जिन्हें उक्त लघु पाठ्यक्रम के लिए नामित किया गया था। उन्हें 31-10-82 को अधिवर्षिता प्राप्त करनी है।

(ख) और (ग) : ये नामांकन अलग-अलग रेल प्रशासनों द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा अर्जित ज्ञान की रेलों के लिए कितनी उपयोगिता होगी। इस सम्बन्ध में पहले से ही अनुदेश मौजूद हैं कि केवल उन्हीं अधिकारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाये जिनकी सेवावधि के कुछ वर्ष बचते हों। रेल प्रशासनों को ये अनुदेश दोहराये जा रहे हैं।

अखिल भारतीय परिवहन परमिट

825. **श्री मोहन पटेल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 तक प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहनों और बसों के लिए कितने व्यक्तियों को अखिल भारतीय परिवहन परमिट जारी किए गए; और

(ख) इस प्रकार के परमिट जारी करने के लिये प्रत्येक राज्य में कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ब्योरा विवरण में संलग्न है।

(ख) जिन आवेदनों पर अभी विचार नहीं किया जा सका है, उनका ब्योरा राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित हैं।

	बसों के लिए	टैक्सियों के लिए
पंजाब	149	292
तमिलनाडु	—	—
पांडिचेरी	—	—
दिल्ली	375	76
हरियाणा	—	227
मणिपुर	—	—
दादरा और नागर हवेली	—	—
अरूणाचल प्रदेश	—	—
चण्डीगढ़	33	134
महाराष्ट्र	—	—
गोवा दमन और द्वीव	—	—
नागालैंड	—	276
उत्तर प्रदेश	452	21

क्रम सं०	राज्य का नाम	छोटी टैक्सियों के लिए केन्द्र द्वारा 5-1-81 को आवंटित परमिटों की कुल संख्या	आज तक प्राप्त सूचना के आधार पर छोटी टैक्सियों के लिए जारी परमिटों की कुल संख्या	बड़ी टैक्सियों के लिए आवंटित परमिटों की कुल संख्या	उपलब्ध सूचना के अनुसार बड़ी टैक्सियों के लिए जारी परमिटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	200	51	50	76
2.	असम	200	3	50	17
3.	बिहार	200	—	50	28
4.	गुजरात	200	76	50	40
5.	हरियाणा	200	99	50	6
6.	हिमाचल प्रदेश	200	161	50	28
7.	जम्मू और कश्मीर	200	11	50	12
8.	कर्नाटक	200	138	50	52
9.	केरल	200	172	50	36
10.	मध्य प्रदेश	200	46	50	—

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	200	200	50	50
12.	मणिपुर	200	—	50	50
13.	मेघालय	200	6	50	14
14.	नागालैंड	200	24	50	50
15.	उड़ीसा	200	49	50	22
16.	पंजाब	200	91	50	18
17.	राजस्थान	200	121	50	57
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	200	200	50	51
20.	त्रिपुरा	200	—	50	—
21.	उत्तर प्रदेश	200	149	50	28
22.	पश्चिम बंगाल	200	3	50	2
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
24.	अरूणाचल प्रदेश	125	1	25	11
25.	चंडीगढ़	125	86	25	12
26.	दादरा एवं नागर हावेली	125	8	25	20
27.	दिल्ली	200	126	50	18
28.	गोवा दमन और द्वीव	125	125	25	25
29.	लक्षदीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	125	—	25	—
31.	पांडिचेरी	125	123	25	25

डाक्टरों का विदेशों में जाना

826. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक्टरों के संघ के 37 वें संयुक्त वार्षिक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया था कि डाक्टरों का विदेशों में जाना रोका जाना चाहिये;

(ख) सम्मेलन में अन्य कौन से मुद्दे उठाए गए; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्मेलन में विभिन्न तकनीकी विषयों के साइंटिफिक पेपरों पर चर्चा हुई।

(ग) सरकार को प्रतिभा पलायन की समस्या के बारे में जानकारी है। डाक्टरों को विदेश जाने से रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) चिकित्सा स्नातकों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने लगा दी गई है।

(2) राज्य और केन्द्रीय लोक सेवा आयोगों की सिफारिशों पर विशेष रू प्राप्त डाक्टरों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।

(3) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने डाक्टरों विशेषकर जो ग्र में सेवा कर रहे हैं, की सेवा शर्तों में सुधार किया है।

(4) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के रोग निरोधक, संवर्द्धक उपचारात्मक और पहलुओं पर जोर देकर समाजोन्मुखी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिये एक यो गई है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये अधिक से अधिक डाक्टर आक

(5) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने गौरवशाली सदस्यता परीक्षाओं का आयो प्रबन्ध किये हैं जो कि विदेशी अर्हताओं अर्थात एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० के समतुल्य होने हैं।

(6) सरकार ने एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की है जो साथ-साथ विभिन्न सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना बाद चिकित्सा कार्मिकों की जरुरतों का सही-सही अनुमान लगायेगी।

खेलकूल की नयी नीति पर कार्यवाही

827. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री अखिल भार परिषद द्वारा पेश की गई खेलकूद की नई नीति पर सरकार द्वारा की गई कार्यव कृपा करेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (पी० सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति प्रारूप पर राज्य सरकारों, संघ-शासित क्षेत्र प्रशासन सम्बन्धित संगठनों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं ताकि मंत्रालय इस मामले में आग कर सके।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद की शासी तथा साधारण सभा का पुनर्ग

828. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा क

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद की शासी तथा साधारण सभा कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इन नए निकायों के सदस्यों के नाम क्या हैं, और गठन कि के लिए किया गया है,

(ग) पूर्ववर्ती समिति का कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हुआ था और को नई समिति का गठन किया गया, और

(घ) नए मण्डलों का गठन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (घ) : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की महा सभा तथा शासी निकाय के पुर्नगठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के संविधान के अनुसार महासभा के गठन के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट संस्थाओं से नामांकन मांगे जाने चाहिए। कुछ नामाँकन प्राप्त हो चुके हैं और कुछ अन्य से अभी उत्तर प्राप्त होने हैं ।

(ख) और (ग) : महा सभा, जो बाद में शासी निकाय का चयन करती है, का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है । पिछली महासभा का कार्यकाल 23 अगस्त, 1981 को समाप्त हो गया था ।

138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के लिए अतिरिक्त डिब्बों की मांग

829. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन और बिलासपुर के बीच चलने वाली 138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में केवल 12 डिब्बे लगाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह डीजल इन्जन द्वारा चलाई जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या डीजल इंजन की क्षमता 16 डिब्बों को खींचने की होती है;

(घ) क्या यह सच है कि इस गाड़ी के साथ 4 और अतिरिक्त डिब्बे लगाने की लोगों ने मांग की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो द्वितीय श्रेणी के चार और डिब्बे कब तक लगा दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय अ संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) : 137/138 बिलासपुर-हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इस समय अपने वर्तमान मार्ग पर 16 सवारी डिब्बों की अधिकतम क्षमता के साथ डीजल रेल इन्जन द्वारा चलायी जा रही है। बिलासपुर से यह गाड़ी 11 सवारी डिब्बों के साथ चलती है और रायपुर में 4 वाल्तेरू-निजामुद्दीन स्लिप कोच इसके साथ लगाये जाते हैं जिससे इनकी कुल संख्या 15 सवारी डिब्बे हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस गाड़ी के साथ हावड़ा और भोपाल के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाला एक स्लिप कोच तथा परसिया और निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में एक बार चलने लावा एक स्लिप कोच लगाया जाता है। इस प्रकार इन दिनों इस गाड़ी के साथ चलने वाले कुल सवारी डिब्बों की सख्या 16 हो जाती है। इसलिए, नियमित आधार पर इस गाड़ी के साथ अतिरिक्त स्वारी डिब्बे लगाये जाने की गुंजाइश नहीं है ।

तथापि, हो सकता है कि कभी-कभार सवारी डिब्बों की कमी के कारण इस गाड़ी के साथ कम सवारी डिब्बे चलाये गये हों। इस गाड़ी को निर्धारित संख्या में सवारी डिब्बों के साथ चलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है ।

डल्ली राजहरा-जगदलपुर लाइन का सर्वेक्षण

830. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस रेल लाइन को आदिवासी क्षेत्र में बिछाने का प्रावधान किया गया है; और

(ग) क्या सरकार की नीति आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों को बिछाने को प्राथमिकता देने की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यद्यपि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता को काफी महत्व दिया जाता है, फिर भी धन की अपर्याप्तता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए।

जड़ी बूटियां उगाने के लिए निगम की स्थापना

831. **श्री पियूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनानी, आयुर्वेदिक और सिद्ध औषधियों में निर्माण के लिए जड़ी बूटियाँ उगाने हेतु एक निगम की स्थापना की है;

(ख) इस निगम के अन्तर्गत कितनी परियोजनायें शुरू की जायेंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में एक परियोजना शुरू करने का है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में परियोजना की अधिकृत पूंजी कितनी है और उस परियोजना से क्या प्रतिलाभ प्राप्ति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत की स्थापना अच्छी क्वालिटी की जड़ी-बूटियों को एकत्र करने, पर्याप्त मात्रा में उनकी खेती करने तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों का निर्माण करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है।

(ख) एक।

(ग) नहीं।

(घ) इस कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपये है और इक्विटी/चुकता पूंजी 32.75 लाख रुपये है। इसके उत्पादन के तीसरे वर्ष में कर देने के बाद लाभ लगभग पांच लाख रुपये होने की सम्भावना है।

ढाका में भारतीय कला प्रदर्शनी में लूट-खसोट

832. **श्री पियूष तिरकी : क्या विदेश मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर ढाका में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में भारत विरोधी नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों ने लूट-खसोट की,

(ख) भारत विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा किए गए नुकसान का ब्योरा क्या है,

(ग) क्या बांगला देश सरकार क्षति पूर्ति करने के लिए सहमत हो गई है, और

(घ) यदि वहां पर किए गए नुकसान का बांगला देश सरकार पर्याप्त मुआवजा नहीं दे पाती तो क्या भारत बांगला देश में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन रोक देगा ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 26 जनवरी, 1982 को गणराज्य दिवस के अवसर पर शिल्पकला अकादमी, ढाका, में आयोजित "इण्डिया टुडे" प्रदर्शनी को लगभग 100 प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुँचाया।

(ख) प्रदर्शनकारियों ने सात चित्रों को क्षति पहुँचाई और महात्मा गांधी के फोटो को नष्ट कर दिया। चित्रों के फ्रेमों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

(ग) इस बारे में बंगला देश के प्राधिकारियों से कड़ा विरोध किया गया है, लेकिन विशेष रूप से इनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनसे नहीं कहा गया है। इस घटना के बाद पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई जिससे उसके अगले दिन से प्रदर्शनी सुचारू रूप से चलती रही। बंगलादेश के प्राधिकारियों ने प्रदर्शनी पर हमला करने वाले कई व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया बंगला देश सरकार ने प्रदर्शनी पर किये गये हमले पर अपना खेद व्यक्त किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने वाले मेडिकल कालेजों के नाम

833. **श्री पियूष तिरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मेडिकल कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करते हैं;

(ख) इन मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची और उनके द्वारा वसूल किए जाने वाला प्रति व्यक्ति शुल्क कितना है; और

(ग) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों को प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की मंजूरी दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981 के शैक्षिक वर्ष के दौरान 8 कालेजों ने प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल किया था जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

कर्नाटक

(1) एस० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा।

(2) जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगिरि।

(3) जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगाम।

(4) कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर सैक्सन।

(5) एम० एस० रमैया मेडिकल कालेज, बंगलौर।

(6) केम्पेगोड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर;

(7) डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर।

आंध्र प्रदेश

(8) सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा।

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह प्रति व्यक्ति शुल्क प्रति सीट 50,000 रुपये से लेकर 25,000 डालर तक है।

(ग) नहीं।

सूरत स्टेशन पर प्रतीक्षालय का निर्माण

834. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ रेक जंक्शन पर यात्रियों के भारी संख्या में आने जाने और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में छावनी होने के कारण रक्षा कर्मियों की आवा-जाही के बावजूद अभी तक वहां पर प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर प्रतीक्षालय बनाने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक बनाए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूरत रेलवे स्टेशन पर दो प्रतीक्षालय हैं जिनमें से एक महिलाओं के लिए हैं और दूसरा पुरुषों के लिए।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सूरतगढ़-अनपगढ़ लाइन का बदला जाना

835. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ जंक्शन से अनपगढ़ तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा,

(ख) क्या इस बड़ी लाइन की मण्डी, धरसाना जो कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सबसे बड़ा बाजार है तक बढ़ाये जाने का निर्णय ले लिया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुरतगढ़-अनपगढ़ मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में आयान परिवर्तन करने का काम, 1982-83 में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। बहरहाल, उपर्युक्त लाइन को चित्तौड़गढ़ तक बढ़ाने के

लिए सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है और परियोजना की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा।

सूरतगढ़ से राजस्थान नहर के अंतिम छोर तक लाइन

836. **श्री कुंभाराम आर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ जंक्शन (राजस्थान) से लेकर राजस्थान नहर के अंतिम छोर तक रेल लाइन बिछाने की मांग राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी,

(ख) क्या उक्त मांग स्वीकार कर ली गई है और यदि हां, तो उस के लिए कार्य के कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मार्च, 1977,

(ख) और (ग) : धन की अत्यधिक तंगी के कारण, इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है।

बहरहाल, राजस्थान क्षेत्र में रेल द्वारा यात्रा करने की सुविधाओं में सुधार करने के लिए सूरतगढ़-सरूपसर-अनूपगढ़ और सूरतगढ़-बीकानेर मीटर लाइन खण्डों का बड़ी लाइन में बदलाव का काम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है।

1-1-81 से 31-12-81 तक जी० टी० एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस द्वारा लिया गया चालन समय

837. **श्री डी० एल० ए० शिवा प्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जी० टी० एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस द्वारा नई दिल्ली से मद्रास, और मद्रास से नई दिल्ली तक आने जाने में 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक लिये गये चालन समय का ब्योरा क्या है और यह गाड़ियां अपने गन्तव्य स्थल पर निर्धारित समय पर पहुंची अथवा देरी से,

(ख) यदि वे देरी से पहुँची तो प्रतिदिन कितने घण्टे और कितने मिनट देरी से, और

(ग) प्रत्येक दिन गाड़ी के देरी से चलने के क्या कारण थे।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) गाड़ियों का असमान्य रूप से विलम्ब से चलने का मुख्य कारण दुर्घटनाएं थीं। खतरे की जंजीर खींचना, इन्जनों की खराबी, सवारी डिब्बे और माल डिब्बे में खराबी, आंदोलन और यतायात सम्बन्धी पहलु आदि अन्य कारण शामिल है।

विवरण

15/16 मद्रास-नयी दिल्ली जी० टी० एक्सप्रेस और 121/22 मद्रास-नयी दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस के विलम्ब से चलने का विवरण

महीना	15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस.		16 अप जी० टी० एक्सप्रेस.		12 डाउन त० ना० एक्सप्रेस.		122 अप त० ना० एक्सप्रेस.	
	60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक	60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक	60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक	60 मिनट तक	60 मिनट से अधिक
जनवरी '81'	2	17	1	12	—	8	1	4
फरवरी	1	12	—	7	1	2	1	2
मार्च	6	13	1	11	5	2	2	5
अप्रैल	2	11	4	10	2	4	5	4
मई	4	13	2	9	2	3	1	7
जून	3	13	2	7	3	3	—	7
जुलाई	1	10	2	10	—	5	—	6
अगस्त	4	13	—	8	—	4	—	3
सितम्बर	2	14	1	15	—	4	1	3
अक्टूबर	1	15	2	16	1	5	1	5
नवम्बर	3	14	2	7	—	7	1	7
दिसम्बर	5	19	5	12	2	8	2	8

भारतीय रेल मजदूर संघ से अभ्यावेदन

838. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री भारतीय रेल मजदूर संघ, बम्बई के अभ्यावेदन के बारे में 18 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4484 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल मजदूर संघ के 3 जुलाई, 1981 के अभ्यावेदन में की गई मांगों पर विचार किया गया है और उन पर अब तक कोई निर्णय ले लिया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मांग पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : भारतीय रेलवे मजदूर संघ, बम्बई से प्राप्त अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुख्य माँगें की गयी थीं। माँगों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख नीचे किया गया है :—

माँग	की गयी कार्रवाई
(1) कार-परिचरों की कोटि को वाणिज्य विभाग की पदोन्नति	(1) अधिकांश रेलों पर डिब्बा परिचरों को पहले ही वाणिज्य विभाग से संबंधित

की सरणि में शामिल करना।

पदोन्नति की सरणि में शामिल किया गया है। बहरहाल, पदोन्नति की सरणि का निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रीय रेलों द्वारा श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है, जो स्थानीय हालात तथा रेलवे पर व्याप्त कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति पर निर्भर करता है।

(2) पिछले बकायों को पूरा करने के लिए इस कोटि में कुल पदों के 50 प्रतिशत पदों को अपग्रेड करना।

(3) "ग" और "घ" समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अपग्रेडेशन को पर्व व्याप्ति प्रभाव देना।

(2) और (3) : इस कोटि में 50 प्रतिशत पदों के अपग्रेडेशन की मांग को स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(4) आरक्षित कैरिजों और सैलनों से सम्बद्ध यांत्रिक कार-परिचरों के पक्ष में इसी प्रकार की कार्रवाई करना।

(4) 200-240 रुपये के वेतनमान में सैलून कार परिचर रेलवे के सवारी व माल डिब्बा विभाग से सम्बन्धित हैं और उनकी अगली पदोन्नति उसी विभाग में होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पदोन्नति की सरणि का निर्णय रेल प्रशासनों द्वारा श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श करके किया जाता है जो स्थानीय हालतों और रेलों पर व्याप्त कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति आदि पर निर्भर करता है। सामान्यत: कर्मचारियों की पदोन्नति की सरणि उसी विभाग में होती है, जहां वे काम करते हैं। इसलिए यह मांग कि सैलून परिचरों को वाणिज्य विभाग में पदोन्नति की सरणि में रखा जाय, स्वीकार नही की जा सकती।

बम्बई मण्डल में पेंशन के विचाराधीन मामले

839. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री मंहगाई भत्ते के एक भाग को पेंशन में शामिल करने के बारे में 18, दिसम्बर, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के बम्बई मण्डल में 30 जुलाई, 1977 से पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के 550 विचाराधीन पेंशन मामलों का निपटाम करने के लिए क्या विशेष प्रयास किये गये थे,

(ख) उसमें क्या प्रगति हुई है, और

(ग) यदि कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं और इन मामलों के निपटान के कार्य में तेजी लाने के लिए कौन से ले विशिष्ट कदम उठाने का विचार है।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 18.12.80 के अतरांकित प्रश्न सं० : 4446 के उत्तर में उल्लिखित पेंशन को सभी बकाया मामलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी संघ, डोम्बीवाली का अभ्यावेदन

840. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त निदेशक, वेतन आयोग (रेल बोर्ड) को 28 मार्च, 1981 को अखिल भारतीय सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी संघ, डोम्बीवाली जिला थाणे (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन मिला था।

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गई विभिन्न माँगें क्या हैं।

(ग) प्रत्येक माँग के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) : अपर निदेशक, वेतन आयोग (रेलवे बोर्ड) को अखिल भारतीय सेवा निवृत्त रेल कर्मचारी संघ, डोम्बीविल, जिला थाणे, महाराष्ट्र, का 28, मार्च, 1981 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, मार्च, 1981 में माननीय रेल मंत्री को रेलवे के पेंशन भोगियों की शिकायतें दूर करने के सम्बन्ध में डोम्बीविली पेंशन भोगी एसोशिएशन के अध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था - अक्टूबर, 1981 में उपयुक्त उत्तर भी दे दिया गया है।

अभ्यावेदन में निम्नलिखित माँगें की गयी थीं :

(1) अनुग्रह पेंशन की राशि बढ़ा कर कम से कम कम 100 रुपये प्रति माह करना,

(2) अनग्रह पेंशनभोगियों की विधवाओं को परिवार पेंशन देना, और

(3) राजकीय रेलवे भविष्य निधि (अंशदायी) नियमों के अन्तर्गत अप्रैल, 1957 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को कुछ अनुग्रह पेंशन राहत देना।

(ग) और (घ) : प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(1) अनुग्रह पेंशन की राशि बढ़ाकर कत से कम 100 रुपये प्रतिमाह करना

जब अनुग्रह पेंशन की शुरु की गयी थी, उस समय इस पशन की राशि प्रतिमाह केवल 15 रुपये और 22.50 रुपये के बीच थी। जब कभी नियमित पेंशनभोगियों को कोई राहत दी जाती

थी। तो अनुग्रह पेंशन की राशि भी तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इस समय अनुग्रह पेंशन की राशि प्रतिमाह 97.50 रु पये और 150 रुपये बीच है ।

(2) अनुग्रह पेंशन भोगियों की विधवाओं को परिवार पेंशन देना।

1 अप्रेल, 1957 से पहले अंशदायी राजकीय रेलवे भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त उन कर्मचारी को जिन्हें पेंशन योजना का विकल्प देने का अवसर प्राप्त नही हुआ था, अनुकम्पा के आधार पर ही अनुग्रह पेंशन दी गयी है । परिवार पेंशन केवल उन्हें ही दी जाती है जो सामान्य रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होते है । अत: अनुग्रह पेंशन भोगियों की विधवाओं को परिवार पेंशन देने के सम्बन्ध में विचार करना संभव नहीं है।

(3) राजकीय रेलवे भविष्य निधि नियमों के अधीन 1.4.57 के बाद सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को कुछ अनुग्रह पेंशन राहत देना

इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके पहले ही विचार किया जा रहा है ।

"म्यूनिसिपल डाक्टर्स डिमांड" शीर्षक समाचार

841. **रामसिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "म्यूनिसिपल डाक्टर्स डिमांड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें न लागू किये जाने पर प्रकाश डाला गया था ; और

(ख) एक दशाब्दी से अधिक बीत जाने के बाद भी इन सिफारिशों को लागू न किये जाने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को उसी प्रकार क्रियान्वित करने का निश्चय किया है जिस प्रकार भारत सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के लिए लागू कर रहा है। कुछ डाक्टरों को अभी तक पूरे लाभ नही मिल सके है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली जांच अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ।

रेलवे पैनलों और समितियों के सदस्यों को निःशुल्क पास

842. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के कितने और कौन-कौन से पैनल और समितियां हैं तथा इन पैनलं और समितियों के कितने-कितने सदस्य हैं,

(ख) इनका गठन किन-किन उद्देश्यों से किया गया था, और

(ग) क्या ऐसे सभी पैनलों और समितियों के सदस्यों को भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए निःशुल्क मानार्थ पास दिये जाते हैं ।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : इस समय केवल एक समिति अर्थात रेलवे सुधार समिति ऐसी है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सरकारी सदस्वों सहित 7 सदस्य हैं । अन्य सभों परामर्श समितियां भंग कर दी गयी हैं ।

(ख) आने वाले दशकों में प्रत्याशित यातायात को सम्हालने के लिए संगठन की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से व्यापक रुप में रेल संचलन की समीक्षा करने और रेल संचलन के विभिन्म पहलुओं पर रिपोर्ट देना ।

(ग) जी नहीं । जब समिति की बैठक के सम्बन्ध में यात्रा करना आवश्यक होता है तभी गैर-सरकारी सदस्यों को केवल किसी निश्चित स्टेशन से निश्चित स्टेशन तक वातानुकूलित दर्जे चैक पास की अनुमति दी जाती है ।

मस्तिष्क ज्वर से मौत

843. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री भारत में प्रत्येक राज्य में मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों के अद्यतन आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) मस्तिष्क ज्वर एनसेफलाइटिस जिनमें जापानी एनसेफलाइटिस, प्रमस्तिष्कीय मलेरिया आदि शामिल हैं, जैसे रोगों के एक ग्रुप के कारण होता है । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से मिली सूचना के अनुसार जापानी एनसेफलाइटिस के कारण हुई मौतों के नवीनतम आंकड़े नीचे दिए गये हैं—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 जनवरी से दिसम्बर मौतें (अनन्तिम)	1982 मौते (तक)
1. असम	41	अप्राप्त
2. आन्ध्र प्रदेश	437	3 (31.1.82)
3. बिहार	25	अप्राप्त
4. कर्नाटक	229	12 (8.2.82)
5. केरल	2	अप्राप्त
6. पांडिचेरी	17	अप्राप्त
7. त्रिपुरा	16	अप्राप्त
8. तमिलनाडू	290	10 (10.2.82)
9. उत्तर प्रदेश	26	अप्राप्त
10. पश्चिम बंगाल	34	अप्राप्त
	1117	24

विदेश सेवा "बी" के कर्मचारियों द्वारा किया गया विरोध

844. **श्री सतेन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सेवा "बी" के अधिकारियों की विदेश सेवा "ए" में पदोन्नति होने के बाद भी उनकी पोस्टिंग आदि के सम्बन्ध में भेद-भाव बरता जाता है;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों ने इसके विरुद्ध विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को हल करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए द्रुत कार्यक्रम

845. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक द्रुत कार्यक्रम शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) सरकार ने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करने के लिए एक कार्य नीति बनाई है। इस नीति की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्य कार्य निष्पादन में पीछे रह गए हैं उनके लिए क्षेत्रीय विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह होगी कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत, जो अब पूर्ण रूप से केन्द्रीय निधि से चलने वाली योजना बन गई है, स्वास्थ्य गाइड (जो अधिकतर महिलाएं ही होंगी) प्रत्येक परिवार को परिवार नियोजन का ज्ञान और सूचना देने, तथा लोगों के घरों के पास गैर क्लीनिकी तरीकों के गर्भनिरोधक सुलभ करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त बहुप्रचार साधनों तथा पारस्परिक संचार सम्बन्धी नीति तेज कर कारगर और विवेकपूर्ण उपयोग करके छोटे परिवार के आदर्श के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जानकारी देने के लिए भरसक प्रयास किये जाएंगे। सभी स्तरों पर सूक्ष्म निगरानी तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकारों के परामर्श से प्रशासनिक तन्त्र को सुचारू बनाने और प्रेरणा कार्य में सुधार करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। समय-समय पर इन कार्यक्रम की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाएगी ताकि इस कार्यक्रम में रह गई कमी का पता लगाया जा सके और उसे दूर करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जा सके।

दिल्ली के अध्यापकों के संगठनों की संयुक्त परिषद द्वारा केन्द्रीय बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करने की धमकी

846. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय की समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के अध्यापकों के संगठनों की संयुक्त परिषद में केन्द्रीय बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करने और अपनी सात वर्ष पुरानी मांगों पर जोर देने के लिए 11 मार्च से हड़ताल करने की धमकी दी है,

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं,

(ग) उनमें से कितनी मांगें पूरी की गई है, और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हड़ताल की वजह से स्कूलों के छात्रों को हानि न हो ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली शिक्षक संगठन की संयुक्त परिषद की मुख्य मांगें तथा सरकार द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) यदि शिक्षक केन्द्रीय बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करते हैं, तो निर्धारित परीक्षाओं को संचालित करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किये जायेंगे ।

विवरण

(ख) तथा (ग) दिल्ली शिक्षक संगठन की संयुक्त परिषद की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

1. वेतनमानों का संशोधन;
2. 8 वर्षों की सेवा पूरी करने पर चयन ग्रेड प्रदान करना;
3. (1) कनिष्ठ शिल्प शिक्षक, (2) कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा शिक्षक, (3) कनिष्ठ गृह विज्ञान शिक्षक, (4) कनिष्ठ भाषा शिक्षक, (5) कनिष्ठ संगीत शिक्षक, (6) कनिष्ठ नृत्य शिक्षक तथा (7) प्राथमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों के मामले में 425-640 रु० के वेतनमान को 440-750 रु० के वेतनमान में बदलना;
4. शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश की व्यवस्था करना;
5. प्रतिपूर्ति योजना के बदले में सभी शिक्षकों के लिए चिकित्सा भत्ता;
6. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पद्धति पर सर्वाधिक अधिकारों के साथ संयुक्त परामर्श-दात्री मशीनरी की व्यवस्था करना;
7. चिकित्सा, इंजीनियरी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा;
8. विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रणाली पर सेवा-निवृति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाना जिसे बाद में 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सके ।

9. दिल्ली में 10+2 शिक्षा की पद्धति पर सभी स्कूलों को 12 वर्षीय स्कूल तक बढ़ाया जाए; तथा

1. शिक्षकों की मांगों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय इस प्रकार हैं—

(क) शिल्पकला, भाषा, गृह विज्ञान, संगीत और नृत्य जैसे जो 425-640 रु० के वेतनमान में हैं, अध्यापकों इत्यादि/कनिष्ठ अध्यापकों/का वेतनमान बढ़ाया जाना है तथा 440-750 रु० के वेतनमान में मिलाया जाना है।

(ख) अवकाश सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है ताकि अवकाश इकट्ठा करने की अनुमति सहित पूर्ण वेतन पर 10 दिन के अर्जित अवकाश की व्यवस्था की जा सके।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र को पहले ही मंजूर किया गया है और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के गठन से सम्बन्धित अपेक्षित अधिसूचना भी जारी की गई है।

(घ) अध्यापकों के गतिरोध के कारणों का पता लगाने तथा उनके पदोन्नति के अवसरों में और सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया जाना है।

(ङ.) प्रवरण ग्रेड में पदों की संख्या को, अध्यापकों के सभी स्वीकृति पदों के 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। इससे पहले इस प्रयोजन के लिए स्थाई तथा अस्थाई पद जो तीन वर्षों से या उससे अधिक वर्षों से चले आ रहे थे उनको ही लिया जाता था।

सिगनलों के फेल हो जाने के कारण रेल दुर्घटनाएं

847. **श्री एम० रामगोपाल रेंड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान सिगनल फेल हो जाने के कारण कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं, और

(ख) इस बारे में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नहीं।

(ख) सिगनल उपकरणों का उपयुक्त अनुरक्षण और परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के छात्रों द्वारा हड़ताल

848. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:श्रीमती गीता मुखर्जी : श्री धर्मबीर सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के छात्रों ने इस संस्थान के निदेशक की नियुक्ति न किए जाने के कारण अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का निर्णय किया है; और

(ख) हां यदि, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अनिवासी (नान रेजिडेंट) नर्सों की पदोन्नतियों के अवसर तथा अन्य सुविधाएं

849. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अनिवासी नर्सों को ओ० पी० डी० तथा विभिन्न विशेषज्ञता द्वारा क्लिनिकों, जहाँ वे अपनी ड्यूटी के रूप में दवाईयां, उपकरणों आदि का प्रभार सम्भालती है और ई० एन० टी० तथा गाइनेकोलोजी में में छोटे आपरेशनों में भी सहायता करती है, में ड्यूटी देनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके लिए उपयोग के लिए अस्पताल के परिसर के कपड़े बदलने के लिए कोई पृथक कमरा या बाथरूम नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनको 330 रुपये का कम वेतनमान अदा किया जाता है और 15 वर्षों की सेवा करने के बाद भी उनके पदोन्नति में कोई अवसर नहीं है जबकि रेजिडेंट नर्सों को बेहतर वेतनमान दिये जाते है और उनके पदोन्नति के अवसर भी अच्छे है; और

(घ) इन नर्सों के लिए सरकार का कब और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां ।

(ख) उनके उपयोग के लिए इस अस्पताल में कपड़े बदलने के लिए एक छोटा कमरा और एक बाथरूम है ।

(ग) नान रेजीडेंट नर्सों के रूप में उनको नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इन नर्सों को 330-480 रुपये का वेतनमान दिया जाता है और इन्हें सभी छुट्टियां तथा रविवारों की छुट्टियां दी जाती है जबकि रेजीडेंट नर्सें (पूर्णकालिक) तीन पारियों (छुट्टियों और रविवारों समेत सुबह, शाम और रात्रि) में एक दिन में 8 घंटे काम करती है । डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की नान-रेजीडेंट नर्सें 425-640 रुपये (रेजीडेंट नर्स का वेतनमान) का चयन ग्रेड लेने की पात्र हैं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सफदरजंग तथा डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेजीडेंट और नान रेजीडेंट नर्सों के वेतनमान में असमानता

850. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : श्री के० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने "रेजिडेंट" और "नान रेजिडेंट" नर्सों के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाली नर्सों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमानों की शिफारिश की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सफदरजंग अस्पताल में "रेजिडेंट नर्सों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विंगों सहित इसके बहिरंग रोगी विभाग में काम करने वाली "नान रेजिडेंट" नर्सों के लिए भी इन वेतनमानों की अनुमति दी है जबकि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ओ० पी० डी० में काम करने वाली नर्सों को कम वेतनमान दिये जा रहे है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नर्सों के वेतनमान में समानता लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) जी नहीं, रेजिडेंट (पूर्णकालिक नर्सें, जो तीन शिफटों (8 घन्टे की शिफट) में कार्य करती हैं, का वेतनमान 425-940 रुपये है, जबकि सफदरजंग अस्पताल के वहिरंग रोगी विभाग में काम करने वाली नान रेजिडेन्ट नर्सों का वेतनमान 330-480 रुपये है। ये नर्से (नान-रेजिडेन्ट) बहिरंग रोगी विभाग में केवल प्रातः काम करती है। सफदरजंग अस्पताल के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विंग में कार्य करने वाली नर्से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की कर्मचारी हैं। ये नर्से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और इन्हें अस्पताल से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय में तथा सी० जी० एच० एस० औषद्यालय से अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब इन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें तीन शीफ्टों में दिन-रात कार्य करना होता हैं।

जो नर्से सफदरजंग अस्पताल तथा डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नान-रेजिडेन्ट (अंशकालिक) नर्सों के रूप में कार्य कर रही हैं उन्हें 330-560 रुपये का वेतनमान दिया जाता है।

(ग) काम की जिम्मेदारियों तथा कामकाज के घण्टों में भिन्नता के कारण ही वेतनमानों में भिन्नता है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में सुविधायें

851. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन वार्डों में आपातकालीन वातावरण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें आपात कालीन वार्ड में रोगियों की शोचनीय दशा और गम्भीर हालत के बारे में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के आपात कालीन वार्डों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) जी हां। परन्तु डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आपातकालीन विभाग की कार्य स्थिति असन्तोषजनक नहीं है।

(ग) सरकार यह समझती है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा दिल्ली के अन्य अस्पतालों में सन्तोषजनक सेवाएं उपलब्ध की जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन संस्थानों के कार्यों में सुधार लाने के लिए यथा आवश्यक सुविधाएं बढ़ा दी गई है।

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था

852. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम सहित दिल्ली में परिवहन व्यवस्था में भारी गिरावट और दिल्ली परिवहन निगम को हुई भारी हानि की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अगले दो वर्षों में कितनी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी; और

(ङ) अगले दो वर्षों में दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें पुरानी पड़ जाएंगी।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली सड़क परिवहन विधि (संसोधन) अधिनियम 1971 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत 3-11-71 को बना था। इस दायें के रूप में भूतपूर्व दिल्ली परिवहन उपक्रम से 15 करोड़ रुपये का संचित घाटा मिला। तब से यह निगम बराबर घाटे पर चल रहा है। इस घाटे का ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ग) दिल्ली की यातायात व्यवस्था का आधार मुख्यत: दिल्ली परिवहन निगम की बसें है। जिनकी सहायता के लिए प्राइवेट आपरेटरों की बसें भी है। दिल्ली परिवहन निगम की बसों की अच्छी तरह देखभाल रखकर और आय की हानि को रोककर दिल्ली परिवहन निगम की क्षमता में सुधार किया जाता रहा है। दिल्ली में यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए नीचे लिखे उपाय अपनाए गए हैं।

(1) एक और सेन्ट्रल वर्कशाप स्थापित की गई है। इस वर्कशाप में 3000 बसों की देख रेख की जा सकती है। इस वर्कशाप की क्षमता में और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि यहाँ पर 6000 बसों तक की देखभाल हो सके।

(3) दिल्ली में इलेक्ट्रिक ट्राली बस शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(2) रिंग रेलवे पर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने और पूरक साधन के रूप से उचित बस सेवा शुरू करने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

(घ) 1982-83 में 158 बसें और 1983-84 में 581 बसें बेकार हो जाएंगी।

विवरण

प्रारम्भ से निगम का कुल घाटा और निवल घाटा

(लाख रुपये)

वर्ष	घाटा	बसों के पुराने हो जाने पर खर्च	दूसरी परिसम्पत्तियों के पुराने हो जाने पर खर्च	सरकारी ऋण पर ब्याज	निवल घाटा	अवधि से पहले समंजन	कुल	संचित घाटा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) निगम के बनने के पहले 2.11.1971							1522.16	1522.61
(ख) निगम के बनने के बाद								
31.1.71 से 31.3.72	56.30	41.93	1.87	63.06	163.16	—	163.16	1685.61
1972-73	211.90	115.60	4.72	203.10	535.32	—	535.32	2220.93
1973-74	250.78	133.85	4 85	233.62	623.10	—	623.10	2844.03
1974-75	580.63	166.52	5.90	344.34	1097.39	—	1097.39	3941.42
1975-76	441.06	255.97	10.76	535.20	1242.99	—	1242.99	5184.41
1976-77	59.30	319.97	14.45	646.32	1040.04	—	1040.04	6224.45
1977-78	580.62	324.97	15.89	695.76	1617.24	—	1617.24	7841.69
1978-79	706.66	305.36	18.63	818.46	1849.11	(—) 100-14	1748.97	9590.66
1979-80	443.66	338.86	18.96	969·13	1770.61	—	1770.61	11361.27
1980-81	1084.77	369.49	31.75	1752.29	3238.30	(+) 1227.48	4465.78	15827.05
कुल निगम— अवधि (ख)	4415.68	2272.52	227.78	6261.28	13177.26	(–) 1127.34	14304.60	14304.60
क—ख का कुल जोड़							15827.05	15827.05

जनवरी, 1982 में तीन रेल दुर्घटनाएं

853. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1982 में हुई हाल ही की तीन रेल दुर्घटनाओं की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि दो मामलों में दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थीं जबकि तीसरी दुर्घटना रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के कारण हुई थी, और

(ख) क्या किसी जांच समिति ने रेलवे को इन गड़बड़ियों, जो बढ़ रही हैं, की रोकथाम और उनको कम करने के उपाए सुझाए हैं ।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चूंकि तीन दुर्घटनाओं का विवरण नहीं दिया गया है, इसलिए सुस्पष्ट सूचना देना सम्भव नहीं है ।

बहरहाल, जनवरी, 1982 के दौरान 87 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी, जिनके कारण नीचे दिए गए हैं—

1. रेल कर्मचारियों की गलती	30
2. रेल कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की गलती	6
3. उपस्करों की खराबी	34
4. तोड़-फोड़	2
5. संयोगवश	8
6. कारण की जांच पड़ताल की जा रही है,	7

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाने और उसी प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के बारे में उपाय सुझाने के लिए सभी दुर्घटनाओं की विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है जो प्रत्येक अलग-अलग दुर्घटनाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है ।

इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के साथ अमानवीय बर्ताव

854. **श्री बी० वी० देसाई : श्री रशीद मसूद : श्री जगपाल सिंह : श्री अर्जुन सेठी : श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्री निहाल सिंह : श्री एच० के० एल० भगत : श्री राजेज कुमार सिंह : श्री कमलनाथ : श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 18 जनवरी, 1982 को इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारी के साथ किए गये अनुशंस और अमानवीय बर्ताव के विरुद्ध पाकिस्तान के समक्ष जोरदार विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को जांच के बाद रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान ने यह कार्यवाही क्यों की;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिशन ड्राइवर को केवल इस बात के लिए पीटा गया कि वह वे गोपनीय बातें बताये जिन्हें बताने से उसने इन्कार कर दिया था; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की, जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, रोकथाम के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान प्राधिकारियों ने आवश्यक जांच करने और उसके परिणामों से हमें अवगत कराने का आश्वासन दिया था। उनकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने भारतीय दूतावास के ड्राइवर की अवैध रूप से नजरबन्दी और उसे क्रूरतापूर्वक पीटने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया है।

गत तीन महीनों से दौरान रेल दुर्घटनायें

855. **श्री बालकृष्ण वासनिक : श्री एन० के० शेजवलकर : श्री रास बिहारी बहेरा : श्री के० लकप्पा : श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : श्री ए० के० बालन : श्री हन्नान मोल्लाह : प्रो० रूपचन्द पाल : श्री विजय कुमार यादव : श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के विभिन्न जोनों में 31 जनवरी, 1982 को समाप्त हुए तीन महीना में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें से प्रत्येक रेल दुर्घटना में कितने-कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए;

(ग) प्रत्येक मालले में रेल दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक दुर्घटना में रेलवे को कुल कितनी हानि हुई;

(ड.) दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा अदा किया गया है; और

(च) सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाव में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 256।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 129 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2-0 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) प्रथम दृष्ट्या कारणों सहित इन दुर्घटनाओं के कारण नीचे दिए गए हैं—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	89
(2) रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गलती	22
(3) उपस्कर की खराबी	
(1) यांत्रिक उपस्कर की खराबी	58
(2) रेल-पथ की खराबी	10
(3) तोड़-फ़ोड़	1
(4) संयोगवश	6
(5) कारण जो सिद्ध न हो सका	2
(6) कारण को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	68
जोड़	256

(घ) अब तक 172.7 लाख रुपये की राशि की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) अभी तक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। यद्यपि, मर वाले व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में 1,93,150 रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(च) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी एक मात्र सबसे बड़ा कारण मानवीय गलती है इसलिए कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में हाल ही में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं—

(1) मानवीय गलती को रोकने के उपाय निर्धारित करने के लिए 23-1-82 को महा-प्रबन्धकों की एक बैठक बुलाई गई थी। उच्च स्तर के दो दलों का गठन किया गया है जिनमें विभिन्न विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी शामिल किए गए हैं। ये दल किसी क्षेत्र में मौजूदा कमियों को सुधारने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिक समुहों में मिलते रहेंगे।

(2) इन दलों के काम पर निगरानी रखने का काम रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ निदेशकों को विशेष रूप से सौंपा गया है।

(3) रेल संचलन की संरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कर्मचारियों के प्रतिनिधिक समुहों के साथ बैठकें आयोजित करके रेल कर्मचारियों का सक्रिय रूप से शामिल होना सुनिश्चित किया गया है।

(4) रेल प्रशासनों को फुट प्लेट निरीक्षण को सघन करने के लिए परामर्श दिया गया है।

(5) अपनी डयूटी कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करने के लिए रेल-पथ परिपथन, धुरा काउन्टर, पराश्रव्य दोष संसचकों आदि. जैसी तकनीकी सहायता की व्यवस्था भी की जा रही है।

(6) रेल-पथ, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों जैसी अवसंरचना वाली परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

आसाम में उड़ाई गई रेल लाइन

856. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की रंगापाड़ा-तेजपुर ब्रांच लाइन पर आसाम में उग्रवादियों द्वारा रेल लाइन उड़ाए जाने के कारण 2 जनवरी, 1982 को गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्था हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 82 के दौरान, जब आसाम के आन्दोलनकारियों ने अपना आन्दोलन आरम्भ किया था, उनके द्वारा बहुत सी रेल लाइनें उड़ा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन उग्रवादियों की गतिबिधियों के कारण दिसम्बर और जनवरी तथा फरवरी, 1982 के दौरान रेलवे की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) स्थिति में अब कितना सुधार हुआ है?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1982 में चार स्थानों पर लाइन उड़ाई गई थी।

(ग) जनवरी 1982 में आसाम में रेलवे की कुल 71,00/-रुपये की क्षति हुई। बहरहाल, दिसम्बर 1981 तथा फरवरी 1982 में कोई क्षति नहीं हुई।

(घ) स्थिति कुछ हद तक सुधर गई है। जनवरी 1982 के बाद, रेल लाइन पर किसी विस्फोट की सूचना नहीं मिली है।

विकासशील देशों की बैठक में भाग लेने के लिए नेपाल को आमन्त्रण

857. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नई दिल्ली में जो बैठक बुलाई है उसमें नेपाल को भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया है;

(ख) आरम्भ में नेपाल को उक्त सम्मेलन में न बुलाए जाने का मुख्य कारण क्या है;

(ग) सम्मेलन के लिए कितने देशों को भाग लेने से अलग रखा गया है और सम्मेलन में वास्तव में कितने देश भाग लेंगे; और

(घ) इस सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन क्या है?

विदेश मन्त्री (पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : प्रधान मन्त्री ने नई दिल्ली में 32 देशों के राज्याध्यक्षों की कोई बैठक नहीं बुलाई है। लेकिन कुछ चुने हुए विकासशील देशों के वरिष्ठ अधिकारियों को, नई दिल्ली में 22 से 24 फरवरी, 1982 तक आयोजित विचार-विमर्श के लिए अवश्य आमंत्रित किया गया था जिनमें नेपाल भी शामिल है।

(ग) किसी देश को शामिल न करने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि इनमें ऐसे ही देशों को बुलाया गया था जो न्यूयार्क में जी-27 की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं या फिर उन देशों को बुलाया गया था जिन्होंने नई दिल्ली विचार-विमर्श में शामिल होने के लिए खास दिलचस्पी दिखाई थी। इस बैठक में 44 देशों ने भाग लिया।

(घ) इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर-दक्षिण मसलों से सम्बद्ध स्थिति का जायजा लिया जाय और उत्तर-दक्षिण सहयोग के अवसरों और सम्भावनाओं पर विचार किया जाए।

विश्वविद्यालयों में चुनावों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन की राय

858. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा 9 जनवरी 1982 को व्यक्त की गई तथा समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से चर्चित राय की जानकारी है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव समाप्त किये जाएं और उनके स्थान पर छात्र संघ नियुक्त किए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने प्रेस साक्षात्कार में विचार व्यक्त किया था कि परिषदों में छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए चुनावों के माध्यम की अपेक्षा किसी और मापदण्ड पर विचार करना अच्छा होगा। अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए मापदण्डों में ऐसे उत्कृष्ट छात्र शामिल हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य किया हो, एन० सी० सी० के उत्तम कैडिट हों, विभिन्न खेल टीमों के कैप्टन हों, ऐसे छात्र जिन्होंने भिन्न-भिन्न विषयों आदि में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

अध्यक्ष द्वारा प्रेस साक्षात्कार में व्यक्त किए गए विचारों पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

मिनी बस के कन्डक्टर द्वारा महिला यात्री को परेशान किया जाना

859 **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "वुमन हैं सफर्ड आफ हर करेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या कन्डक्टर और ड्राइवर के विरुद्ध कारवाही करने की दृष्टि से तथ्यों का पता लगाने हेतु उस महिला यात्री से मिलने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : ज्योंही यह समाचार मिला त्योही पुलिस अधिकारियों ने बस के ड्राइवर और महिला यात्री के नाम आदि का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। हालांकि प्रेस रिपोर्टर से बस का ब्यौरा मिल गया है, लेकिन ठीक-ठीक हुलिया नहीं मिलने के कारण पुलिस अधिकारी अभी तक महिला यात्री का पता नहीं लगा सके है।

बस के ड्राइवर का चालान 3 फरवरी, 1982 को किया गया और इसके खिलाफ मोटर वेहिकल्स 1939 की धारा 116 के अधीन मुकदमा चलाया जा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम के कन्डक्टर की पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने समन किया है जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही जा सके। दिल्ली परिवहन निगम के बस के कन्डक्टर द्वारा नियमतः टिकट के पीछे बकाया राशि की नहीं लिखाने के अपराध के लिए भी।

बस कन्डक्टर के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अलावा कण्डक्टर के बिना सिग्नल मिले ड्राइवर द्वारा बस चलाने के लिए उक्त बस के मालिक के खिलाफ भी कारण बताओं का नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों से हुई घातक दुर्घटनाएं

860. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों की तुलना में इस निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी घातक दुर्घटनाएं की गई और यातायात सम्बन्धी अपराध किए गए;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में गत तीन वर्षों के दौरान नई बसें शामिल करके प्राइवेट बसों के स्थान पर प्रति वर्ष कितनी बसें और जोड़ी गई;

(ग) क्या सरकार ने प्राइवेट बसों के कार्यकरण के बारे में कोई आलोचनात्मक समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उनके कार्यकरण में सुधार के लिए क्या उपाय किए हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : दिल्ली परिवहन निगम व निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों से गत तीन वर्षों के दौरान हुई घातक दुर्घटनाएं और यातायात सम्बन्धी अपराधों की संख्या नीचे दी जा रही है।

घातक दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष	प्राइवेट बसें	निगम की बसें
1979	88	100
1980	73	121
1981	27	161

यातायात सम्बन्धी अपराधों की संख्या

वर्ष	प्राइवेट बसें	निगम की बसें
1979	कुछ नहीं	1117
1980	1544	1221
1981	572	1794

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नई लगाई गई प्राइवेट बसों व हटाई गई बसों की संख्या नीचे दी जा रही है।

वर्ष	नई बसें	हटाई गई बसें	वर्ष के अन्त में कुल बसें
1971	110	156	824
1980	116	301	639
1981	103	283	459

(ग) और (घ) यद्यपि स्थिति की खासतौर पर कोई समीक्षा नहीं की गई है लेकिन प्राइवेट आपरेटरों की बसों के चलने की देखरेख निगम के यातायात विभाग के निरीक्षक कर्मचारियों द्वारा रखी जाती है और जब कभी कोई ट्रिप नहीं होता या कोई अन्य कमी पाई जाती है तब प्राइवेट आपरेटरों को आवश्यक निदेश जारी किये जाते हैं।

पाकिस्तान की अभिरक्षा में भारतीय सेना के कार्मिक

861. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :
श्री रामस्वरूप राम :
श्री ए० टी० पाटिल :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत स्थित पाकिस्तान के दूतावास के कथन को उदधृत किया गया है कि 1971 के संघर्ष के बाद गुमशुदा 40 भारतीय सैनिकों में से कोई भी सैनिक पाकिस्तान की अभिरक्षा में नहीं है ;

(ख) क्या सरकारी स्रोतों के अनुसार बहुत से भारतीय सैनिकों के अभी भी पाकिस्तान की अभिरक्षा में होने का विश्वास किया जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त भाग (क) के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० बी० नरसिंह राव) ; (क) : जी, हाँ।

(ख) : जी, हां।

(ग) : पाकिस्तान सरकार हमेशा यही कहती रही है कि उसकी हिरासत में कोई भी भारतीय सैनिक कार्मिक नहीं है। हमने अपने पास उपलब्ध यह जानकारी पाकिस्तान सरकार को भी दी है कि कुछ सैनिक कार्मिक अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हो सकते हैं। 29 जनवरी से 1 फरवरी, 1982 तक अपनी भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए फिर से कोशिश करने का यकीन दिलाया। भारत सरकार इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करती रहेगी।

पत्तनों के विकास के लिए रखी और खर्च की गयी राशि

862. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में पत्तनों के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान और दिसम्बर 1981 तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना नीचे दी जा रही है :—

बड़े पत्तन वर्ष	निर्धारित राशि	(रुपये करोड़ में खर्च की राशि)
1980-81	98.34	54.87
1981-82	100.03	40.00 (दिसम्बर "81 तक)

(ग) नीचे लिखी योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 1980 के पहले दी गयी जिस पर काम जारी रहेगा ।

(1) बम्बई के बुच्चर द्वीपसमूह में चौथा आयल बर्थ ।
(2) न्यू मंगलोर पोर्ट में कुद्रेमुख लौह धातु पत्तन सहुलियतें ।
(3) विशाखापत्तनम पोर्ट में तीसरे वेगन द्वीपलर का निर्माण ।
(4) परादीप पोर्ट में आयल और हैंडलिंग प्लाँट में सुधार कार्य ।
(5) परादीप पोर्ट में दूसरा कारगो वर्थ का निर्माण कार्य ।
(6) बम्बई में पेट्रोलियम आयल लुब्रिकेंट टैंकर्स की हैण्डिलिंग के लिए दो उच्च शक्ति टग्स की खरीद ।

नीचे लिखी योजनाएं/स्कीमें 1.4.1980 के बाद स्वीकृत की गयी ।

1. **कांडला पोर्ट**

(क) छठा जनरल कारगो वर्थ ।
(ख) न्यू आयल जेट्टी ।

2. **बम्बई पोर्ट**

(क) कंटेनर हैंडलिंग उपादान ।

3. **कोचीन पोर्ट**

(क) कोचीन पोर्ट के विकास के लिए इंटेग्रटेड स्कीमें आयल और फटिलाइजर वर्थ का निर्माण ।

4. **मद्रास पोर्ट**

(क) कंटेनर टर्मिनल ।
(ख) जवाहर गोदी का विस्तार ।

5. **न्यू मंगलोर पोर्ट**

(क) एक अतिरिक्त जनरल कारगो बर्थ का निर्माण ।

6. **विशाखापत्तनम पोर्ट**

(क) जनरल तथा बल्क कारगो बर्थ का निर्माण ।

7. टूटीकोरिन पोर्ट

दो अतिरिक्त बर्थ का निर्माण।

8. परादीप पोर्ट

(क) तीसरे जनरल कारगो बर्थ का निर्माण।

(ख) परादीप फर्टिलाइजर प्लांट के लिए परादीप पोर्ट में एक फर्टिलाइजर बर्थ का निर्माण।

9. मार्मुगाओ पोर्ट

(क) बहुद्देश्यीय कारगो बर्थ।

भारत के राजदूत को नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविन्स की यात्रा हेतु अनुमति न दिया जाना

863. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान स्थित भारतीय राजदूत को पाकिस्तान सरकार द्वारा नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर प्रोविन्स की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया था ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने अनुमति न देने के लिए क्षमा याचना की है, और

(घ) यदि नहीं, तो पाकिस्तान सरकार के ऐसे बर्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : हमने पाकिस्तान सरकार से बलपूर्वक अपनी इस चिन्ता से अवगत कराया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास के सदस्यों को जैसी सुविधाएं प्राप्त है, वैसी सुविधाएं इस्लामाबाद तथा कराची स्थित भारतीय मिशनों के सदस्यों को प्राप्त नहीं होती है।

दिल्ली रिंग रेलवे

864. **डा० कृपा सिंधु भाई** :

श्री मनी राम बागड़ी :

श्री हरिहर सोरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में उपनगरीय सेवाओं के लिए दिल्ली रिंग रेलवे पर प्रथम विद्युत चालित गाड़ी चलाने के बारे में उत्तर रेलवे ने क्या प्रगति की है ;

(ख) एशियाई खेलों के दौरान इससे यातायात सम्बन्धी बढ़ी हुई मांग कहां तक पूरी होगी; और

(ग) "इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट" सेवा आरम्भ करने से रेल सेवाओं में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रिंग रेलवे पर बिजली गाड़ियां चलाने से सम्बन्धित कार्य नवम्बर, 1980 में शुरू किया गया था और यह कार्य 65% तक पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) बिजली उपनगरीय गाड़ी सेवाओं को शुरू कर दिये जाने से रेलों द्वारा रोजाना लगभग 2.7 लाख यात्रियों की निकासी की जायेगी।

(ग) इस समय 13 उपनगरीय गाड़ी सेवाएं चलाई जा रही है और जब पूर्ण रूप से गाड़ीं सेवायें चला दी जायेंगी जो लगभग कुल 80 सेवायें हो जायेंगी।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रवेश के लिए विनियम

865. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यार्थियों के प्रवेश से सम्बन्धित भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिए कितने प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे रिक्त सीटों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों से भरे; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में राज्यों द्वारा राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) एम० बी० बी० एस० पाठयक्रम में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों के अनुसार क्वालिफाइंग/प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत अंक रखे गए हैं जबकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंक रखे गए है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों के अनुसार यदि किसी राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए आरक्षित रखे गए स्थान न्यूनतम निर्धारित अपेक्षाएं पूरी न कर सकने के कारण न भरे जा सकें तो ऐसे रिक्त स्थान अखिल भारतीय आधार पर पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएं। दिसम्बर, 1981 में केन्द्रीय सरकार ने उन सभी राज्य सरकारों केन्द्रशासित क्षेत्रों को जिनमें मेडिकल कालेज है, अनुसूचित जाति अनुचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित एम० बी० बी० एस० के स्थान भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों के अनुसार ही भरने की सलाह दी थी।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही 1982-83 के शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिलों के समय ही मालूम हो सकेगी।

बच्चों में कुपोषण और अन्धेपन को रोकने के लिए कार्यवाही

866. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 30,000 बच्चे इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष अन्धे हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में दिसम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में इस बारे में हुई आल इण्डिया मराठी कांग्रेस में क्या निष्कर्ष निकाले गये; और

(ग) बच्चों में कुपोषण और अन्धेपन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी हां ।

(ख) बम्बई में दिसम्बर, 1981 में हुए अखिल भारतीय मराठी साइंस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में यह कहा गया है लेकिन उस कांग्रेस में इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही एक राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत एक से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोषणज दृष्टिहीनता से बचाने के लिए छः-छः महीने बाद विटामिन "ए" आई० यू० की भारी खुराकें (दो लाख) दी जाती हैं । परिधीय स्तर के कार्यकर्ताओं के जरिये विटामिन "ए" की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग पर बल देते हुए पोषण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक लगभग 2 5 करोड़ स्कूल पूर्व आयु के बच्चों को लाया जा चुका है और इस कार्यक्रम से बच्चों के बीच दृष्टिहीनता की घटनाओं के कम हो जाने की आशा है। समाज कल्याण विभाग भी बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न पोषणिक कार्यक्रम चला रहा है।

कृषि में रसायनिक उर्वरक के उपयोग के द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा

867. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० टी० आर० सी० पत्रिका ने कहा है कि कृषि में रासायनिक उर्वरक का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों के विषैले तत्व खाद्य और पेय जल में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं;

(ग) क्या पत्रिका ने यह भी कहा है कि उर्वरकों में उपयोग के कारण पर्यायवरणीय समस्याएं पैदा होती हैं, परिचालन दिक्कतें, मेट हीमोग्लोबिन रक्तता और हेटरोसमाइन्स रोग बढ़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कदम उठाए जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आई० टी० आर० सी० जनरल में "उर्वरक उद्योग के पर्यावरणिक खतरा' संबंधी लेख में यह बताया गया है कि नाइट्रोजन उर्वरक को पूर्णरूप से उपयोग में न लाने से पर्यावरणिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भी या खाद्य पदार्थों के रासायनिक कम्पोजिशन में परिवर्तन हो जाता है।

(ख) नाइट्रोजन कम्पाउंडस का नाइट्रेट में आक्सीकरण हो जाता है और पानी में इसका स्तर 10 पी० पी० एम० से अधिक होने पर यह खतरनाक हो जाता है। अम्लीय स्थितियों में खाद्य के नाइट्रेड और नाइट्राइट गौण अमाइन के साथ प्रतिक्रिया के कारण नाइट्रोसमाइन उत्पन्न कर सकते हैं। ये नाइट्रोसमाइन कैंसर उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है।

(ग) इस जनरल में बताया गया है कि शिशु खाद्य निर्मित करने में न पचाए जा सकने व ले नाइट्रेट मिलाए जाने से बच्चों में रक्त संचार की समस्याएं और मेथिमोग्लोनीनेमिया बढ़ रहा है।

(घ) पर्यावरण विभाग कोई उपचारी उपाय बताने से पहले सारे मामले का गहराई से अध्ययन करना चाहती है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अस्पताल के एक रसोइए की मृत्यु

868. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में हाल ही में अस्पताल के एक रसोइये की मृत्यु के बारे में यह आरोप लगाया गया है कि यह डाक्टर की असावधानी के कारण हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं। इस अस्पताल में एक रसोइये की मृत्यु हुई थी लेकिन वह किसी डाक्टर की उपेक्षा के कारण नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुछ औषधियां हटा लेने के लिए औषध सलाहाकार समिति की सिफारिश

869. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री के० लकप्पा : डा० सरदीश राय : श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित औषध सलाहकार समिति ने कुछ औषधियों को जो उनके विचार से जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बाजारों से शीघ्र हटा लेने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है और प्रश्न में उल्लिखित समिति से आशय सम्भवतया औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित औषध सलाहकार समिति से है।

औषध सलाहाकार समिति ने अक्तूबर, 1981 में हुई अपनी बैठक में निर्धारित खुराक वाले 22 योगों को हटाने की सिफारिश की। इन सिफारिशों पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा हाल ही में विचार किया गया। सरकार द्वारा इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली हिन्दी अकादमी का गठन

870. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उप राज्यपाल की अध्यक्षता के अधीन दिल्ली हिन्दी अकादमी का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी अर्हतायें क्या और इन्हें किस आधार पर शामिल किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी हां।

(ख) सदस्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विख्यात व्यक्ति, सम्मानित लेखक, पत्रकार और साहित्यकार इसके सदस्य हैं।

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	श्री एस० एल० खुराना, उप राज्यपाल, दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री भीकूराम जैन, संसद सदस्य	सदस्य
3.	श्री अक्षय कुमार जैन, भूतपूर्व सम्पादक, नवभारत टाइम्स	सदस्य
4.	श्री गोपाल प्रसाद व्यास, प्रैस-सम्वाददाता तथा कवि	सदस्य
5.	डा० विजेन्द्र स्नातक, विख्यात लेखक और आलोचक, दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व लेक्चरर	सदस्य
6.	डा० निर्मला जैन, हिन्दी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
7.	श्रीमती आदर्श मिश्रा, शिक्षा सचिव, दिल्ली प्रशासन	सदस्य
8.	श्री विनोद कुमार मिश्रा, सम्पादक, "हिन्दुस्तान"	सदस्य

"काला-अजार-ए रूरल हैल्थ प्राबलम"

871. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के अनुसंधान और विकास संगठन में तकनीकी सलाहकार ने मैसूर में हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 69 वें अधिवेशन में "काला-अजार-ए रूरल हैल्थ प्राबलम" पर एक पेपर प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पेपर में उठाई गई मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थय ऐवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) काला आजार से सम्बन्धित पेपर में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य स्थानों पर पिछले कुछ वर्षों में यह रोग स्थानिक मारी के रूप में फिर से फैलना।

2. इससे पहले की यह रोग देश में भयानक रूप धारण कर ले, इसको फैलने से रोकने के लिए शीघ्र पर्याप्त उपाय करना।

3. उष्णकटिबन्धीय रोग सम्बन्धी अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ाना।

4. बड़ी तादाद में दवाइयां बनाने के लिए उत्पन्न क्षमता का विकास करना।

(ग) विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस रोग पर काबू पाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे है। तकनीकी मार्ग दर्शन, प्रशिक्षण, एपी डिमियोलांजिकल सर्वेक्षण और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए लाइन ड्रग्स प्राप्त करके भारत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

सेलम-मेट्टूर रेल लाइन का विद्युतीकरण

872. **श्री के० अर्जुन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम के माध्यम से दक्षिण रेलवे में मद्रास से इरोड रेलवे लाइन के विद्युतीकरण में सरकार यात्री और मालगाड़ियों की शीघ्र ढुलाई के लिए सेलम से मेट्टूर लाइन का विद्युतीकरण करने पर विचार करेगी;

(ख) क्या मेट्टूर में वर्तमान तापीय बिजलीघर को देखते हुए एक दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार भारी यातायात का सामना करने के लिए सेलम और मेट्टूर के बीच यात्री रेलगाड़ी के चार फेरों (ट्रिप) का अनुमति देने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) 549/550 मैट्टूर डैम-सेलम मिली-जुली गाड़ी में वर्तमान स्थान का पूर्णरूपेण उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैट्टूर और सेलम के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

सेलम में यात्रियों के लिए सुविधा

873. **श्री के० अर्जुनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्र की विपुल जन संख्या के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रेलवे के सेलम जंक्शन में 'त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस' के पाँच मिनट के लिए रुकने की व्यवस्था शीघ्र कराने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समय में परिवर्तन और त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस के न रुकने के कारण सेलम जंक्शन में रात के 9 बजकर 20 मिनट और मध्य रात्रि के 12 बजकर 20 मिनट के बीच कोई भी रेलगाड़ी नहीं है;

(ग) क्या सरकार दक्षिण रेलवे में मद्रास से कोयम्बतूर तक दोबारा समय में परिवर्तन करने पर पुनर्विचार करेगी;

(घ) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए पेरकोड एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि मद्रास में सुबह के 6 बजे पहुँचा जा सके और वहां से थोड़ा विलम्ब से इरोड के लिए जाया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेलम में त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस में कोई कोटा नहीं है हालांकि यह अपनी वापसी यात्रा में सेलम जंक्शन पर रोकी जाती है और क्या वह इस कोटे की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कर्य विभाग के उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इसका आशय 20 उप तिरुवनन्तपुरम मद्रास मेल से है जिसका 1-10-81 से सेलम पर व्यवहार समाप्त कर दिया गया था। सेलम में शाम से प्रात: तक 8 मेल/एक्सप्रेस गाड़िया ठहरती है। इनमें से चार गाड़िया सेलम को मद्रास से और केरल में शेरूवण्णूर के दक्षिण को भी जोड़ती हैं। 20 अप मेल को सेलम पर फिर से ठहराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) 82 उप तिरुवनन्तपुरम बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस सेलम में 21.50 बजे रुकती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं। ऐसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है क्योंकि यहां जल्दी जल्दी कई रेलगाड़ियां चलती है।

(ङ) जी हां। बहरहाल इस स्टेशन पर आरक्षण की माँगों को मद्रास सैन्ट्रल को संदेश भेजकर पूरा किया जाता है।

सेलम-मेट्टूर लाइन के क्रांसिग पर पंचायत रोड को चौड़ा करना

874. **श्री के० अर्जुनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे क्षेत्र में सेलम जिले में मीहेरी के खंड विकास अधिकारी ने पंचायत यूनियन के खर्च पर कोविलूर के निकट सेलम मेट्टूर रेलवे लाइन के क्रासिंग पर पंचायत रोड को चौड़ा करने के लिए पालघाट के डिवीजनल मैनेजर को अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वहाँ फाटक अथवा चौकीदार की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ अधिक यातायात नहीं है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मेट्टूर आर० एस० में इस प्रकार की क्रासिंग है जहां न तो फाटक है और न ही चौकीदार है हालाँकि कोविलूर लेविल क्रासिंग (रेल फाटक) की तुलना में वहाँ पर पर्याप्त यातायात है; और

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि न तो पंचायत यूनियन और न ही पंचायत इस व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है और इसलिए क्या सरकार खंड विकास कार्यालय के खर्च पर वर्तमान पंचायत रोड को चौड़ा किए जाने की अनुमति देगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन वर्तमान समपार को चौड़ा करने लिए पंचायत यूनियन, मीहेरी से 26-12-81 को एक पत्र मिला था। वह समपार पंचायत यूनियन/राज्य सरकार के खर्च पर ही चौड़ा किया जा सकता है। इस समपार पर चौकीदार की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है। फिर भी, पूर्व रेलवे द्वारा इस पहलू की जाँच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे की पंचायत यूनियन या पंचायत की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। इसके लागत पंचायत या ब्लाक विकास अधिकारी द्वारा वहन की जाएगी इसका निर्णय सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाना चाहिए। रेलवे नियमों के अनुसार निपेक्ष की शर्तों पर ही यह कार्य प्रारम्भ कर सकती है।

सेलम और मेट्टूर के बीच चल रही यात्री रेल गाड़ियों के अधिक ट्रिप और बोगियां

875. **श्री के० अर्जुनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में सेलम और मेट्टूर (तमिलनाडू) के बीच कितनी यात्री रेल गाड़ियां चल रही हैं और प्रत्येक ट्रेन और ट्रिप में कितने डिब्बे लगाए गए है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें भारी यातायात रहता है क्योंकि ओमलूर और म्यूर को जोड़ते हुए दोनों सेलम और मेट्टूर बड़े नगर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या एक दिन में चार ट्रिपों की अनुमति दी जाएगी और प्रत्येक ट्रिप में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाएगी; और

(घ) क्या सेलम और मेट्टूर के बीच एक दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मेट्टूर और सेलम के बीच दूसरे दर्जे के दो सवारी डिब्बे और दूसरे दर्जे में एक माल एवं ब्रेक वान डिब्बा सहित एक जोड़ी मिली-जुली गाड़ियों के साथ चलाई जा रही हैं। चूंकि इस गाड़ी में वर्तमान स्थान का पूर्ण रुपेण उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने या अधिक गाड़ियाँ चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) जी नहीं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जाँच के लिए पेनल

876. प्रो० नारायण चन्द पराशर : श्री चित्त महाटा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद क्या हैं और इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति को अपना प्रतिवेदन अनुमानतः किस तारीख तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या राज्यों में विश्वविद्यालयों के लिए भी ऐसी कोई समिति गठित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो यह सम्भवतया किस तारीख तक गठित की जायेगी; और

(ङ.) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जाँच करने हेतु एक समिति नियुक्त की है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. डा० श्रीमती माधुरी आर० शाह — अध्यक्ष
अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

2. डा० जी० राम रेड्डी — सदस्य
कुलपति
उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद।

3. प्रो० रईस अहमद — सदस्य
(भूतपूर्व कुलपति कश्मीर विश्वविद्यालय)
भौतिकी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

प्रो० (श्रीमती) आशिमा चट्टर्जी — सदस्य
रसायन विभाग,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

5. डा० रमेश मोहन, — सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान,
हैदराबाद।

6. श्री आर० के० छाबड़ा, — सचिव
सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है—

यह जांच करना कि—

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति, परिसरों में समय-समय पर अशान्ति के कारण और उनके लिए उपचारी कार्रवाई;

(ग) छात्रों, अध्यापकों और प्रशासनिक स्टाफ की शिकायतों को दूर करने और इन विश्वविद्यालयों में सामूहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक तंत्र की पर्याप्तता;

(घ) राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार करने की वांछनीयता तथा विश्वविद्यालय के कार्यों में उनके सम्मिलित होने की सीमाएं निर्धारित करना; और

(ङ.) सुधार के ऐसे अन्य उपाय सुझाना जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण को सुक्षम बनाने और परिसरों के अध्ययन और छात्रवृत्ति के लिए प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हो।

समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अभी कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को हल करना

877. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ अब तक सीमा सम्बन्धी मामलों को हल किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले पर पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में वार्ता हुई थी, और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : (क) से (घ) श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत की कोई भू-सीमा नहीं है। भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पूर्णतः अंकित है।

भू-सीमा का अंकन तथा सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में भारत और बांगलादेश ने 16 मई, 1974 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने इस करार की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत-बंगलादेश सीमांकन करने के लिए कार्रवाई की है।

1967 में भारत-बर्मा सीमा करार पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत-बर्मा सीमांकन कार्य चल रहा है।

कच्छ के रन सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान सीमा करार के आधार पर किया गया था जिसमें इसके लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। भारत और पाकिस्तान

के बीच शिमला करार में देश के बीच की समस्याओं का शान्तिपूर्ण बातची
द्विपक्षीय समाधान ढूंढने की व्यवस्था है ।

जहां तक चीन-भारत सीमा का प्रश्न है, दोनों देशों के प्रतिनिधि मं
काफी विस्तार से विचार-विनिमय किया है, और हालांकि भारी मतभेद बने हु
आशा करते है कि इस विचार-विनिमय से एक-दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा
जा सकेगा । अब हम इस बात पर विचार कर रहे है कि इस मामले क
जाये ।

न्यू मूर द्वीप पर विवाद

878. **श्री अमर राय प्रधान**

श्री चित्त महाटा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू मूर द्वीप के स्वामित्व पर विवाद के सम्बन्ध में भारत सर
निर्णय क्या है ; और

(ख) बांगलादेश और भारत के बीच इस प्रयोजन के लिए ि
हुई थीं ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) नई दिल्ली में 11
1981 तक बंगला देश के विदेश मंत्री के साथ मेरी बातचीत के दौरान ि
अनुसार नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक भारत और बंगला देश
स्तर पर कतिपय द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई थी, जिसमें न्यू मूर द्वीप
दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रदेशों के अनुसार सभी संगत तथ्यों और सिद्धान्त
गहन जांच-पड़ताल के लिए अतिरिक्त सूचना का आदान-प्रदान किया और इस
हुए कि जल्दी ही इस मामले पर फिर विचार-विमर्श करेंगे ।

(ख) यह पहला मौका था जबकि दोनों सरकारों के बीच इस विषय
ठोस विचार-विमर्श किया गया ।

तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन

879. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करें

(क) क्या सरकार ने हाल ही में छठी योजनावधि में निर्माण-कार्य
सम्बलपुर रेल लाइन को शामिल करने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य वित्त
में शुरू किये जाने का विचार है :

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त 160 किलोमीटर तालचेर-सम्बलपुर रेल
करने की लक्ष्य तारीख क्या है : और

(घ) प्राक्कलन और लागत के बारे में ब्यौरा क्या है और उपर
कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के निर्माण कार्यालय

880. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे निर्माण कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) रेलवे के इन निर्माण कार्यालयों को किन-किन स्थानों पर खोला गया है :

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि वह इस राज्य में अपने मंत्रालय का एक निर्माण कार्यालय खोले :

(घ) क्या उपरोक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है : और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अनुमानतया कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : क्षेत्र में "निर्माण कार्यालयों" का प्रबन्ध विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जिनमें महाप्रबन्धकों के ओहदे के अधिकारियों से लेकर सहायक इंजीनियरों और निर्माण निरीक्षकों तक के अधिकारी होते हैं। भारतीय रेलों पर कुल मिलाकर मुख्य इंजीनियर (निर्माण) तथा अन्य उच्चतर अधिकारियों के चौदह कार्यालय हैं। ये कार्यालय विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर स्थापित किये गये है :—

इन चौदह कार्यालयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	सम्बन्धित प्रमुख अधिकारी का पदनाम	वह स्थान जहां कार्यालय स्थित है
मध्य	1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण	बम्बई
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बम्बई
पूर्व	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	कलकत्ता
उत्तर	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	दिल्ली
पूर्वोत्तर	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	गोरखपुर
पूर्वोत्तर-सीमा	1. महाप्रबन्धक/निर्माण	गुवाहाटी
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	गुवाहाटी
दक्षिण	1. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बेंगलूर
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	मद्रास
दक्षिण-मध्य	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	सिकन्दराबाद
दक्षिण-पूर्व	1. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	कलकत्ता
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बिलासपुर
पश्चिम	1. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बम्बई
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	अहमदाबाद

इनके अतिरिक्त, महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रमुख कार्यालय स्थित हैं। चुने हुए केन्द्रों में विद्युतिकरण परियोजनाओं के लिए भी प्रमुख कार्यालय मौजूद हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ.) : राज्य सरकार को बता दिया गया है कि उड़ीसा में कार्यकारी इंजीनियरों के प्रभार में कुछ निर्माण कार्यालय पहले से ही स्थित हैं। उन्हें यह भी बताया गया है कि चालू निर्माण कार्यों के आकार के अनुसार जब भी आवश्यक होगा, इस प्रकार के क्षेत्र कार्यालयों का ग्रेड बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

ग्रामीण परिवार कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रम

881. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ ग्रामीण परिवार कल्याण संबंधी नीति अपनाई जा रही है :

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि सुधार किये गये स्वास्थ्य कार्यक्रम से जन्म दर और बच्चों में मृत्यु की दर कम करने में सहायता मिली है तथापि देश में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) छठी योजनावधि में जन्म दर के लक्ष्य को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से परिवार नियोजन के नये कार्यक्रम अपनाने का विचार है : और

(घ) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को भेजे जाने वाले प्रस्तावित किन्हीं नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में।

(ख) जी हाँ, क्योंकि सुधरे हुए स्वास्थ्य कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जन्म दर के समान ही मृत्यु दर भी कम हुई है।

(ग) ग्रामीण इलाकों में पहले से ही बनाये गए ढांचे को उसी प्रकार जारी रखने के अलावा इन इलाकों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में निम्नलिखित योजनायें चलाने का विचार है :—

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में 1984 के मध्य तक की जनसंख्या के आधार पर 5000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र के दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 40,000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोलना।

(2) 1.12.1981 से केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर खर्च वहन करने की योजना की बजाए 1.4.82 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना को क्रियान्वित करना।

(3) 35 उप-मण्डलीय/तालुक स्तर के अस्पतालों में प्रसवोत्तर कार्यक्रम का विस्तार करना।

(4) अन्तरराष्ट्रीय सहायता से 12 राज्यों के पिछड़े हुए 46 जिलों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण ढांचे को मजबूत करना।

(5) 4 राज्यों के 12 जिलों के ग्रामीण इलाकों में मार्गदर्शी आधार पर स्वीकृत प्रशिक्षित दाइयों को शामिल करने की योजना का विस्तार करना।

(6) 1977-78 से 1979-80 तक मंजूर किये गये 700 भवनों को पूरा करने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1100 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में कार्यालय और रिहायश के निमित्त आवास की व्यवस्था करना।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इस कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में राज्यों को आवश्यक गाइड लाइने जारी की जाती हैं। विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की नवीनतम स्थिति पर विचार विमर्श करने और इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में उनको पेश आने वाली कमियों/अड़चनों पर काबू पाने के लिए राज्यों को आम मार्गदर्शन प्रदान के लिए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों का एक सम्मेलन 2 फरवरी, 1982 को हुआ था।

रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव।

882. **श्री सुभाष चन्द्र बोस उल्लूरी :**

श्री एच० एम० नन्जे गौडा :

श्री वीरभद्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत दो वर्षों के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए इस मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का है : और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दुर्घटनाओं के मामलों की जांच करने के लिए इस समय उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश के ग्रामीण भागों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देख-रेख के लिए योजनायें।

883. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या चिकित्सा सेवाओं को पर्यावरण इंजीनियरिंग और अर्ध चिकित्सीय सेवा के उपचार के लिए जनशक्ति विकास की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिसम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता में भारतीय ग्रामीण चिकित्सा संघ के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ के निदेशक द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि गांवों को असुरक्षित और अपर्याप्त जल की सप्लाई के कारण लगभग 2 करोड़ 50 लाख बच्चे (विशेषकर शिशु) दस्त लगने की बीमारी का शिकार हो जाते है ; और

(घ) देश के ग्रामीण भागों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देख-रेख का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्रवाही की योजना बनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) स्वास्थ्य संघ का प्रबन्ध करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की अधिक कमी नहीं है। तथापि, छठी योजना में प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षित कार्मिक संबंधी माँग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को प्रशिक्षित करने संबंधी सुविधाओं में वृद्धि कर दी गई है।

जहाँ तक पर्यावरणिक इंजिनियरी का संबंध है, निर्माण तथा आवास मंत्रालय और इसकी जलपूर्ति तथा सफाई की अंतर्राष्ट्रीय दशक पर इसकी अपेक्स समिति ने इस मामले पर विचार किया है और लोक इंजिनियरिंग प्रशिक्षण में वृद्धि करने के लिए उपाय सोचे गये हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है।

(ख) जी हाँ। इस भाषण का मुख्य विषय जन स्वास्थ्य परिचर्या के सामान्य विचार की पुनरीक्षा करना था जिसे आई० सी० एस० एस० आर० और आई० सी० एम०आर० अध्ययन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई और सरकार को प्रस्तुत की गई सभी के लिए स्वास्थ्य एक वैकल्पिक रणनीति नामक रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

(ग) जी नहीं। केवल अपर्याप्त और असुरक्षित जल की सप्लाई ही अत्यधिक अतिसार का कारण नहीं है अपितु मल का सही ढंग से निपटान न हो पाना लोगों को वैयक्तिक स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी का होना तथा भोजन संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान का घटियास्तर भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए सुरक्षित जल सप्लाई की योजना को सफाई के साथ मिला दिया गया है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या का एक न्यूनतम कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है जिसमें मुख्य और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, स्वास्थ्य गाइड योजना, चिकित्सा शिक्षा और ग्राम स्वास्थ्य योजना को समय अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम आवश्यकता परिचर्या कार्यक्रम भी शामिल है।

रक्त क्षीणता और गलगण्ड के मामलों में वृद्धि

884. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों में रक्त क्षीणता और गलगण्ड के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या लोह सहित "फोर्टीफाइड साल्ट" के उत्पादन में गत तीन वर्षों में कमी हो रही है;

(ग) क्या खाद्य और पोषण बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर पीड़ित क्षेत्रों में अपने वितरण के "आइडाइज्डफोर्टी फाइड साल्ट" और "कंसेट्रेट" की परियोजना को शुरू करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश राज्य में मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत रक्त क्षीणता और गलगण्ड से प्रभावित किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ङ) देश में रक्त क्षीणता और गलगण्ड के रोग को रोकने के लिए हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है, इसमें कितने परिवार शामिल किये जायेंगे, अपेक्षित "फोर्टीफाइड साल्ट" की मात्रा और इसका मूल्य कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गरीब लोगों में गलगण्ड और रक्त क्षीणता की घटनायें अधिक होती हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय गलगण्ड सर्वेक्षणों से पता चला है कि हिमालय बेल्ट के बाहर के इलाकों में गलगण्ड के इक्का-दुक्का इलाके हैं।

(ख) रक्त क्षीणता की रोकथाम के लिए चार केन्द्रों में लोहयुक्त नमक बनाने के सफलतापूर्वक परीक्षण किये गए हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के पहले चरण में ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या वाले चुनींदा इलाकों के लोगों में लोह की कमी से रक्त क्षीणता की रोकथाम के लिए केवल लोहयुक्त नमक वितरित किया जाये। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि इस सलाहकार बोर्ड का एक सदस्य है।

(घ) पोषण की कमी से होने वाली रक्त क्षीणता से बचाव के कार्यक्रम में अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आयरन और फोलिक ऐसिड की गोलियाँ बांटी जा रही हैं। जहाँ तक गलगण्ड का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश के चार जिलों अर्थात् सिधी, सरगूजा, रायगढ़ और शाहडोल में गलगण्ड रोग के होने का पता चला है। 1982 के दौरान इस राज्य के गलगण्ड से प्रभावित इलाकों में आयोडिकृत नमक सप्लाई करने के लिए शाहडोल जिले में एक आयोडाइजेशन प्लांट स्थापित करने का विचार है।

(ङ) राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गलगण्ड महामारी वाले इलाकों में इस रोग के शुरू होने पर सभी परिवारों को आयोडिकृत नमक दिया जाता है। भारत सरकार आयोडिकृत नमक की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। 1980-81 के दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लाये गये इलाकों में गलगण्ड नियंत्रण पर 19 लाख रुपये खर्च किये। जहां तक लोहयुक्त नमक से रक्तक्षीणता के नियन्त्रण का

सम्बन्ध है, ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोहयुक्त नमक के उपयोग के बहु-केन्द्र अध्ययन पर लोह फोर्टीफाइड नमक पर वैज्ञानिक कार्यदल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस अध्ययन से पता चला है कि रक्तक्षीणता को नियन्त्रण करने के लिए लोहयुक्त नमक प्रभावकारी है। रक्तक्षीणता के लिए विकासशील और नियन्त्रण कार्यक्रम के संदर्भ में सरकार इन परिणामों पर विचार कर रही है।

भारतीय नौवहन निगम के बारे में सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

885. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ, समिति द्वारा गठित कार्यकारी दल ने भारतीय नौवहन निगम के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें निहित मुख्य सिफारिशें क्या है और उनमें से प्रत्येक पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय नौहवन निगम लिमिटेड को एक संयुक्त क्षेत्र के उद्यम में बदलने का निर्धारिण करने के विशेष प्रयोजन के लिए उपरोक्त कार्यकारी दल गठित किया गया था; और

(ङ) उस पर सरकार की अन्तिम प्रतिक्रिया क्या है।

नौवहन और परिवहन मत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित अध्ययन दल ने नौवहन क्षेत्र (भारतीय नौहवन निगम और मुगल लाइन लिमिटेड) के बारे में अपनी रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति को दी है। अध्ययन दल ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

परिवार नियोजन के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा प्रोत्साहन और निरुत्साहन

886. **श्री एन० के० शेजवलकर** :

श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) परिवार को नियोजित करने के लिए सरकार ने कौन से प्रोत्साहन और निरुत्साहन प्रस्तावित या निर्धारित किए है ;

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) आर्थिक और रोजगार के लाभों के अलावा अपनाने वालों और प्रेरकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहनों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार की सामग्री और सेवायें मुफ्त प्रदान की जाती हैं। लूप तथा नसबन्दी स्वीकार करने वालों को आपरेशन के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए मजदूरी की हानि का मुआवजा दिया जाता है। पहली दिसम्बर, 1981 से पहले पुरुष/महिला नसबन्दी के स्वीकारकर्ताओं को 70/- रुपये की राशि दी जाती थी। इसके अलावा नसबन्दी आपरेशन करवाने वाली एजेन्सियों को औषधियों, खुराक, परिवहन तथा विविध खर्चों की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक पुरुष नसबन्दी आपरेशन के लिए 30/- रुपये तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी आपरेशन के लिए 50/- रुपये की राशि भी दी जाती थी। इस राशि को 1-12-1981 से संशोधित कर दिया गया है :—

	महिला नसबंदी आपरेशन संशोधित दर	पुरुष नसबंदी आपरेशन संशोधित दर
स्वीकारकर्ता की राशि	70	70 कोई परिवर्तन नहीं
औषधियां और मरहम पट्टियां	25	15
खुराक	30	10
परिवहन	15	15
विविध (पेस्ट की फीस सहित)	30	40
योग (रुपए)	170	150

इसके अलावा, 1979 में कुछेक शर्तों के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन करवाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनों की एक योजना भी शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, एक वेतन वृद्धि जो भविष्य की वेतन वृद्धियों में समाविष्ट नहीं की जायेगी तथा मकान बनाने के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि पर ब्याज की दर में 1/2 प्रतिशत की छूट देय है। इस योजना को कुछेक राज्यों और अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनाया है।

(ख) इस स्थिति का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(अनुबन्ध 1-4) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-3394/82]

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि के अलावा कुछ राज्य सरकारें अपने संसाधनों में से नकद राशि और सामग्री के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही हैं। अलबत्ता यह राशि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य विशेष में भी समय-समय पर भिन्न-भिन्न रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का बनाया जाना

887. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्रीमती कृष्णा साही :

श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ख) इसका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है और इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गई हैं।

(ख) यह रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1981 को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए जिस शक्ति सम्पन्न समिति का गठन किया गया था उनकी रिपोर्ट मिल गई है।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :—

(1) इस बात की समीक्षा करना कि निम्नलिखित के सम्बन्ध में संसद के अधिनियम द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वे इन संस्थान द्वारा कहां तक प्राप्त किए गए हैं।

(क) अपनी सभी शाखाओं में स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न के विकास के सम्बन्ध में ताकि भारत में सभी मेडिकल कालेजों और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को चिकित्सा शिक्षा के उच्च स्तर का प्रदर्शन किया जा सके,

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकलाप की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कामिकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम किस्म की शैक्षिक सुविधाओं को एक स्थान पर उपलब्ध करना, और

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्म निर्भरता प्राप्त करना।

(2) संस्थान की ग्रामीण और नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धी परियोजना का उनके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित बातों का मूल्यांकन करना।

(क) लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करना।

(ख) छात्रों को और अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध करना, और

(ग) रोग विज्ञान तथा उपचार के लिए कम आधुनिकतम साधनों के अधिक उपयोग को आरम्भ करना।

(3) अनुसंधान सम्बन्धी संगठनात्मक ढांचे का मूल्यांकन करना और अनुसंधान के क्षेत्र में किए गये कार्य का मूल्यांकन करना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है इसका भी निर्णय करना।

(4) संस्थान द्वारा उपलब्ध की गई अस्पताली सेवाओं का एक राष्ट्रीय संस्थान के उपचार तथा रोगी परिचर्या के लिए क्या आशा की जा सकती है उनके संदर्भ में मूल्यांकन करना।

(5) संस्थान के शैक्षिक और प्रशासकीय गठन को और अधिक युक्ति-युक्त तथा सुचारू बनाने की आवश्यकता को यदि कोई हो, ध्यान रखते हुए मूल्यांकन करना ताकि उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके।

(6) विश्वविद्यालय के पैटर्न पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को इस बात को ध्तान में रखते हुए कि इसमें लोगों के लिए सेवा विभाग नहीं है पूर्ण स्वायतत्ता प्रदत्त करने के बारे में विचार करना और अधिनियमों को संशोधित करने के लिए सुझाव देना ताकि महत्वपूर्ण और नीति सम्बन्धी प्रश्न विभिन्न संस्थाओं को देकर किए जा सके और दिन प्रतिदिन की सामान्य प्रशासनिक समस्याएं स्थानीय प्रशासन द्वारा निपटायी जा सकें।

शिक्षा संस्थाओं और खेल-कूद संगठनों में खेल-कूद सुविधाओं का विस्तार करना

888. **श्री रास बिहारी बहेरा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों और प्रतियोगिताओं के लिये खेल स्तर में सुधार लाने के लिये शिक्षा संस्थाओं और खेल-कूद संगठनों में खेल-कूद सुविधाओं का विस्तार करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिये योजना और कार्यक्रम में हाल की उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) : भारत के संविधान में खेल राज्य विषय के अन्तर्गत आता है, अतः खेल सुविधाओं के विकास में शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। फिर भी, भारत सरकार भी स्कूलों में ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना/अनुरक्षण के लिए स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेल के मैदानों के विकास के लिए स्कूल स्तर पर और कालेज/विश्वविद्यालय स्तर पर खेल छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए; विश्वविद्यालय में विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए व्यायाम शालाओं के निर्माण और विश्वविद्यालयों

तथा कालेजों में खेलों के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही है।

एशियाड, 1982 के संदर्भ में देश में खेलों का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में ये उपाय शामिल हैं :—

(1) 22 राष्ट्रीय खेल संघों ने (नौवें एशियाई खेलों के विषयों से सम्बन्धित) भारतीय टीमें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के परामर्श से और अखिल भारतीय खेल परिषद तथा प्रशिक्षण देख-रेख समिति के अनुमोदन से व्यापक योजनाएं तैयार की हैं।

(2) भारतीय टीमों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की देख-रेख के लिए संसद सदस्य श्री राम निवास मिर्धा, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(3) जहाँ आवश्यक है, विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। देश में निर्मित न होने वाले जटिल खेल उपकरण और खेल प्रशिक्षण फिल्में आयात की गई हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। पात्र पुरुष/महिला खिलाड़ियों के लिए भारत और विदेशों में पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था की जा रही है।

(4) प्रशिक्षण ले रहे पुरुष/महिला खिलाड़ियों के लिए खुराक की राशि बढ़ाकर 25/-रु. प्रति दिन कर दी गई है। प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए सेवारत पुरुष/महिला खिलाड़ियों को विशेष अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

(5) खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि बनाई जा रही है।

(6) भारतीय टीमों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में अन्तरंग प्रशिक्षण हाल, कृत्रिम घास पथ और हाकी के लिए कृत्रिम घास का मैदान बनाकर भौतिक सुविधाएं सुलभ की जा रही हैं।

जो विशेष उपाय किए जा रहे हैं उनके परिणाम हमारी 1981 की उपलब्धियों में परिलक्षित होते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) एशियाई खेल-कूद प्रतियोगिता, टोकियो में भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 9 कांस्य पदक जीते।

(2) भारत ने एशियाई महिला हाकी चैम्पियनशिप, क्योटो जीती।

(3) भारत ने मेरडेका कप फुटबाल टूर्नामेन्ट, कुआलालामपुर में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।

(4) भारतीय हाकी टीम ने अपने यूरोपीय दौरे में खेले 17 मैचों में से 13 मैच जीते, 2 अनिर्णित रहे और 2 हारे। टीम ने इटली में छह देशों का अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट भी जीता।

(5) ब्रिस्बेन में हुए लघु राष्ट्र मण्डलीय खेलों में भारत ने 12 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।

(6) भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 4 हाकी टैस्ट मैचों में से भारत ने 1 मैच जीता, 1 अनिर्णित रहा और 2 हारे।

(7) कलकत्ता में हुए एशिया पैफिसकि गोल्फ चैम्पियनशिप में भारत ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया (एशियाई देशों में द्वितीय स्थान)।

(8) एशियाई बास्केट बाल कन्फेडरेशन चैम्पियनशिप, कलकत्ता में भारत ने पाँचवा स्थान बनाए रखा।

(9) एशियाई नौका-दौड़, बम्बई में भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।

(10) एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप, लाहौर में भारत ने (2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत कर) तीसरा स्थान प्राप्त किया।

(11) भारत ने द्वितीय एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप, सिंगापुर में महिलाओं की प्रतियोगिताओं में चौथा स्थान और पुरुषों की प्रतियोगिताओं में पांचवा स्थान प्राप्त किया।

सुल्तान पुरी और उसके पास की कालोनियों में प्रसूति केन्द्र

889. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुल्तानपुरी और उसके पास की मंगोलपुरी तथा नांगलोई कालोनियों में, जहां लगभग 6 लाख से अधिक जनसंख्या है, प्रसूति केन्द्र नहीं हैं जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के जन्म के समय मृत्यु की अनेक घटनाएं हो जाती हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस क्षेत्र में कुछ प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए और 300 बिस्तरो वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं, इस क्षेत्र के निवासियों को प्रसूति और शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रसूती, शिशु और परिवार कल्याण केन्द्र चल रहे हैं:—

(1) प्रसूती शिशु और परिवार कल्याण केन्द्र, मंगोलपुरी, समुदाय केन्द्र।

(2) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण, मंगोलपुरी ब्लाक।

(3) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण केन्द्र, सुल्तानपुरी।

(4) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण, नाँगलोई।

(5) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण केन्द्र, ज्वालापुरी समुदाय केन्द्र।

(6) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण केन्द्र, मादिपुर डी०डी० ए० आफिस काम्पलैक्स।

(7) प्रसूति शिशु और परिवार कल्याण, शक्कूरपुर डी० डी० ए० आफिस काम्पलैक्स।

(8) प्रसूति गृह, शकूर बस्ती।

(9) इस क्षेत्र में 300 पलंगों वाले अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आदेशों और अनुदेशों का संकलन

890. डा० ए० यू० आजमी : क्या परिवार और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बन्धित नियमों को अद्यतन बनाया गया है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आदेशों और अनुदेशों का संकलन भी कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केवल केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में जारी किए गये वर्तमान आदेशों तथा हिदायतों के संकलन को अद्यतन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : जी नहीं, आदेशों तथा हिदायतों के संकलन को सभा पटल पर रखना सांविधिक अपेक्षा नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि

891. डा० ए० यू० आजमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या उपया किए गए हैं, क्योंकि समाचार-पत्रों द्वारा पिछले दिनों इनकी आलोचना की जाती रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जहाँ तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सम्बन्ध है, डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, रोटरी कैंसर अस्पताल तथा तन्त्रिका विज्ञान और कार्डियो-थोरासिस केन्द्रों में अतिरिक्त पलंग उपलब्ध करने का विचार है। जहां तक सफदरजंग अस्पताल का सम्बन्ध है वर्तमान 1207 पलंगों के अलावा उनमें वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जहाँ तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का सम्बन्ध है, अस्पताल का प्रबन्ध बोर्ड, अस्पताल के उपयुक्त प्रबन्ध के लिए निरन्तर बैठकें करता रहता है। एक विशेष कैजुएल्टी आपातकालीन समिति की आपाती विभाग के काम-काज की निगरानी करने के लिए हर सप्ताह बैठक भी बुलाई जाती है और वह इसके और सुधार के बारे में उपाय सुझाती है। रोगी परिचर्या सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए एक कन्ट्रोल रूम भी दिन-रात कार्य करता रहता है। जहां तक सफदरजंग अस्पताल का सम्बन्ध है दुर्घटना तथा आपाती सेवाओं, जिन्हें पुनर्गठित किया गया है, के साथ-साथ अस्पताल की सभी सेवाएं संतोषजनक रूप से चल

रही हैं सभी आपाती मामलों में दिन-रात विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करने के लिये भी कदम उठाए गये हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ से सम्बन्धित समीक्षा समिति की रिपोर्ट

892. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, और स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ के कार्यकरण की जांच करने के लिए नियुक्त समीक्षा समिति की रिपोर्ट की शक्तिप्राप्त समिति ने जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक;

(ग) क्या शक्ति-प्राप्त समिति को रिपोर्टों सहित समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) हां।

(ख) से (घ) : सरकार पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लेने की लिए शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

893. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के क्योंझर आदिवासी जिले में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : छठी योजनावधि 1980-85 क दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र खोलने का विचार है। ये नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ, कहाँ खोले जाने हैं, इनका निर्णय राज्य सरकार को करना है क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र खोलने का काम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।

बम्बई उपनगरीय सेवा के लिए ई० एम० यू० रैक्स

894. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** · क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने बम्बई उपनगरीय सेवा के लिए कलकत्ता की कम्पनी मैसर्स जैसप्स को ई० एम०यू० रैक्स सप्लाई करने के लिए क्रयादेश दिया है :

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश का ठीक-ठीक ब्योरा क्या है और यह किस तारीख को दिया गया तथा कितने रैकों की मांग की गई है :

(ग) कितने रैक सप्लाई कर दिए गए हैं :

(घ) सभी रैक कब तक सप्लाई कर दिए जायेंगे : और

(ड.) यदि कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। मध्य और पश्चिम रेलों की बिजली गाड़ी यूनिटों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेल मंत्रालय द्वारा आर्डर दिये गये हैं।

(ख) 239 बिजली गाड़ी यूनिटों के लिए जिनमें 3 कारों वाले 79 यूनिट और दो अतिरिक्त मोटर शामिल हैं, एक आर्डर 10-11-1978 को दिया गया था।

(ग) 3 कार यूनिटों की पुरी सुपुर्दगी अभी तक नहीं की गयी है। लेकिन 20 ट्रेलर यानों की सुपुर्दगी की जा चुकी है।

(घ) इनके 1984-85 तक पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है।

(ड.) शुरू में बी० एच० ई० एल० द्वारा बिजली कर्षण उपस्करों की सप्लाई में कुछ देर हुई थी। अब ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो चुके है। मेसर्स जेसप्प को कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां हुई थीं, जिनका समाधान कर लिया गया है और फर्म ने श्रृंखलाबद्ध उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने 20 ट्रेलरयानों की सुपुर्दगी दे दी है। आशा है कि जून 82 से वे मैच्ड रैक सैटों की सुपुर्दगी करने लगेंगे।

चेम्बूर में नया टिकट घर

895. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में चेम्बूर के दैनिक यात्रियों की ओर से उत्तर दिशा की तरफ एक नया टिकट घर खोले जाने की जोरदार मांग की जा रही है : और

(ख) यदि हां, तो यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए नया टिकट घर खोलने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का बिचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : 1-1-1982 से चैम्बूर स्टेशन की उत्तरी दिशा में हाल ही में एक अस्थाई टिकट घर खोला गया है।

पश्चिम और मध्य रेलवे, बम्बई उपनगरीय सेवा से अर्जित मासिक आय

896. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे बम्बई उपनगरीय सेवा और मध्य रेलवे बम्बई उपनगरीय सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की दैनिक औसत क्या है : और

(ख) पश्चिमी रेलवे बम्बई उपनगरीय सेवा तथा मध्य रेलवे बम्बई उपनगरीय सेवा से अर्जित आय का मासिक औसत क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : उपनगरीय गाड़ियों में चलने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या तथा मध्य और पश्चिम रेलवे पर ऐसे यात्रियों से होने वाली सबसे बाद के वर्ष अर्थात् 1980-81 की औसत मासिक आमदनी नीचे दी गयी है :—

	यात्रियों की औसत दैनिक संख्या (दस लाख में)	यात्रियों से होने वाली औसत मासिक आमदनी (करोड़ रुपयों में)
मध्य	2.08	2.60
पश्चिम	2.15	2.44

ताप बिजलीघरों से बकाया मालभाड़े की वसूली

797. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप-बिजलीघरों की ओर बकाया उस भारी राशि को वसूल कर लिया गया है, जो उस कोयले से मूल्य और माल भाड़े के रूप में उनकी ओर बकाया थी, जो कि औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा बुक किया गया था, परन्तु इन ताप बिजलीघरों को भेजा गया था :

(ख) यदि हां, तो किन-किन ताप बिजलीघरों की ओर यह राशि बकाया है और कितनी कितनी बकाया है तथा कब-कब से बकाया है :

(ग) अब तक इसकी वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं : और

(घ) उन औद्योगिक उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई, जिनका कोयला इन बिजलीघरों को भेज दिया गया था ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कालेजों में रैंगिंग

898. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :
श्री हरिनाथ मिश्र : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में देवनगिरि मेडिकल कालेज के प्रथम वर्ष के एक छात्र द्वारा, कालेज के सीनियर छात्रों की अमानवीय रैंगिंग के कारण की गई आत्महत्या की जानकारी है :

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि रैंगिंग के नाम पर कालेजों में भारी

ज्यादतियां की जाती हैं और इस दिशा में किए गए प्रयास अपेक्षित नतीजे को प्राप्त करने में असफल रहे हैं :

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कालेज के छात्रों के एक विशेष वर्ग में पनप रही इस अमानवीय निकृष्ट प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कड़े उपाय करने का है ; और .

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवननिरि के एक छात्र द्वारा 11 जनवरी, 1982 को रैगिंग के परिणामस्वरूप तथाकथित आत्महत्या की रिपोर्ट मिली है।

(ख) से (घ) : देश में कुछ संस्थाओं में रैगिंग की घटनाओं की इक्का-दुक्का रिपोर्ट मिली है। सरकार ने जुलाई, 1975/जून 1978 में सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय संस्थाओं के प्रमुखों को सलाह दी थी कि रैगिंग पर रोक लगा दी जानी चाहिए और जो इसमें शामिल होते हैं उन्हें तुरन्त दण्डित किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय केन्द्रों पर पूर्णकालिक सुरक्षा बल की स्थापना

899. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा और अनुशासनहीनता को रोकने के लिए देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय केन्द्र में एक स्थायी पूर्णकालिक सुरक्षा बल की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है :

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) : सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का मूल्यांकन

900. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों में प्रतिभा का पता लगाने और उसका विकास करने के प्रयोजन से 18 वर्ष पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना शुरू की गई थी,

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि शहरी छात्रों की तुलना में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित ग्रामीण छात्रों के लिए यह योजना कहां तक सहायक और लाभप्रद रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(घ) ग्रामीण छात्रों के लिए बेहतर प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करने हेतु इस योजना में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं :

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 1963 में, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना शुरू की थी, जिसे 1977 में संशोधित करके इसका नाम 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना' रखा गया।

(ख) और (ग) : रा० शै० अ० प्र० परि० ने जुलाई, 1973 में योजना की कार्य-पद्धति की समीक्षा करने तथा इसके सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की। 1976 के आंकड़ों के आधार पर समिति को यह पता चला कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या में से 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24 प्रतिशत अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों तथा 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से थे।

(घ) योजना को विकेन्द्रित करने का एक प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विचाराधीन हैं, जिसके अन्तर्गत प्रथम स्तर का चयन राज्य स्तर पर किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें चयन पद्धति में अधिकाधिक भाग लें। यह आशा की जाती है कि इससे प्रतिभा का व्यापक रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी तथा अन्तिम चयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के छात्र अधिक संख्या में आएंगे।

इसके साथ-साथ 1981 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों केलिए 50 छात्रवृत्तियां आरक्षित की गई हैं।

गत छः महीनों के दौरान रांची और राउरकेला के बीच बोकारो-मद्रास मेल में डकैतियां

901. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मद्रास जाने वाली 'बोकारो-मद्रास मेल' में राँची और राउरकेला के बीच गत छः महीनों में बार-बार पड़ने वाली डकैतियों की जानकारी है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या प्रभावित यात्रियों की ओर से इन घटनाओं का पूर्ण विवरण देते हुए एक अभ्यावेदन मंत्री को भेजा गया था :

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है :

(ङ.) क्या इस नाजुक क्षेत्र में डाकुओं से यात्रियों की रक्षा करने के लिए गाड़ी में विशेष सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की जाएगी :

(च) यदि हां, तो कब : और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले 6 महीनों के दौरान गाड़ी नं० 89 अप बोकारो-मद्रास एक्सप्रेस में डकैती की दो घटनाएं हुई हैं जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(1) पहली घटना 8-10-1981 को हुई जिसमें अपराधियों ने पिस्तौल और भोजालि दिखाकर दूसरे दर्जे के 3-टियर डिब्बे से यात्रियों का 18, 182 रुपये का सामान लूटा था जब गाड़ी वानो और बंगूरबेला रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही थी। राजकीय रेलवे पुलिस, हटिया ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला सं० 2 दिनांक 9-10-81 दर्ज किया था।

(2) दूसरी घटना 10-12-1981 को हुई जब गाड़ी वानो-नवगांव रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही थी। इस मामले में भी, अपराधियों ने पिस्टल और भोजालि दिखाकर दूसरे दर्जे के डिब्बे से यात्रियों का 25,000 रुपये का सामान लूटा था। राजकीय रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला सं० 3 दिनांक 11-12-81 दर्ज किया था।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्यावेदन की प्रति सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारी को अर्थात् जमशेदपुर भेज दी गयी है। यह मामला मुख्य सचिव, बिहार सरकार के ध्यान में भी लाया गया है।

(ड.) और (च) : कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार इन क्षेत्रों में सशस्त्र पुलिस गार्ड गाड़ियों में मार्गरक्षी के रूप में चलते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में वितरण के लिए प्रतिबन्धित औषधियां

902. **श्री जेवियर अराकल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में औषध-नियन्त्रक ने भारत में वितरण के लिए कितनी औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है और इन औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में अनेक नकली औषध-निर्माता हैं और यदि हां, तो इस मामले में औषध-नियन्त्रक द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि भारत में काल-व्यधित दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी बेन एम० जोशी) : (क) औषध नियन्त्रक (भारत) ने राज्यों के औषध नियन्त्रक प्रधिकारियों को लिखा है कि वे निम्नलिखित औषधियों के निर्माण को बन्द कर दें। 1980-81 अमीडोपाइरिन और वे दवाइयां जिनमें अभी डोपाइरिन मिलाया जाता है।

1981-82 पेंसिलीन आइ आइंटमेंट।

(ख) देश में मिलावटी औषधियों के निर्माण और बिक्री की रिपोर्टें भारत सरकार के ध्यान में कभी-कभी आती रहती है। लेकिन बड़े पैमाने पर मिलावटी औषधियों के निर्माण और बिक्री की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम 65 के उप-नियम (17) के अन्तर्गत औषधि विक्रेता को किसी दवाई की मियाद समाप्त हो जाने के बाद उसे बेचने, स्टाक में रखने की मनाही है। किन्तु विक्रेता को मियाद समाप्त हो चुकी ऐसी दवाइयों को, बेची जाने वाली दवाइयों के स्टाक से अलग रखने की अनुमति है और उसे दवाइयां पैकेटों या डिब्बों में रखनी चाहिए, जिनके उपर 'बिक्री के लिए नहीं' साफ साफ लिखा होना चाहिए। इस उपबन्ध का आशय यह है कि विक्रेता मियाद समाप्त हो चुकी दवाइयों को बदलने/प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्माता को वापस कर सकें। बिक्री लाइसेंस की इस शर्त का उल्लंघन करना औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय है और ऐसे मामले में कैद की सजा जो 3 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। औषधियों की बिक्री के बारे में ये उपबन्ध राज्य औषधि नियन्त्रण प्रधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं।

बेरोजगार डाक्टर, नर्स और हैल्थ टैक्निशियन

903. **श्री जेवियर अराकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार डाक्टरों, नर्सों और अन्य हैल्थ-टैक्निशियनों की संख्या में हो रही वृद्धि पर ध्यान दिया है; और

(ख) क्या सरकार ने डाक्टरों में बेरोजगारी के मामलों का कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार को डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के अन्य वर्गों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की जानकारी है।

(ख) नहीं।

मेडिकल कालेजों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के उपाय

904. **श्री जेवियर अराकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि मेडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) मेडिकल कालेजों की संख्या में हो रही वृद्धि को रोंकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कितने मेडिकल कालेजों को अपने से संबद्ध नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ देश में नये मेडिकल कालेज खोलने को विनियमित

करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को संशोधित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

905. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा, और

(ख) वर्तमान समय में इस लाइन की कुल माल ढुलाई क्षमता की तुलना में इसके कितने प्रतिशत भाग का उपयोग हो रहा है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग ने इस परियोजना की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है।

(ख) 25 में से सिर्फ 9 उप खण्डों पर अर्थात् 1153 कि० मी० में से 507 कि० मी० पर कुल क्षमता का प्रतिशत उपयोग 80 प्रतिशत या इससे अधिक है। अन्य 16 खण्डों पर फालतू क्षमता है। क्षमता में सुधार करने के लिए आमान परिवर्तन के लिए अन्य उपाय किये जायेंगे।

भारत बंगलादेश सीमा का सीमांकन

906. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और बंगलादेश के बीच सीमा पर एक विशाल क्षेत्र का सीमांकन किया जाना अभी शेष है;

(ख) क्या तीन बीघा तथा अन्य सीमा सम्बन्धी मुद्दों के पट्टा-प्रलेख के प्रारूप पर बंगलादेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नवम्बर, 1981 में कोई वार्ता हुई थी; और

(ग) कुल कितने क्षेत्र का का सीमांकन किया गया शेष है और वार्ता के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) : भारत और बंगलादेश दोनों ने भूमि सीमा के सीमांकन तथा सम्बन्धित मामलों के बारे में 16 मई, 1974 को हस्ताक्षरित करार की व्यवस्थाओं के अनुरूप भारत-बंगलादेश सीमा के अंकित करने के लिए कदम उठाए हैं। अब तक कुल लगभग 4046 किलोमीटर लम्बी सीमा में से 3320 किलोमीटर सीमा को अंकित किया जा चुका है। सीमा के बाकी हिस्से के सीमांकन का काम जारी है। बंगलादेश के विदेश मंत्री और मेरे बीच नई दिल्ली में 11 से 13 सितम्बर, 1981 तक हुई बातचीत में दोनों सरकारें 1974 के करार के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए कोशिशें तेज करने पर सहमत हो गये है।

पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले के "तीन बीघा" क्षेत्र को बंगलादेश के पान बारी मोजा (पी० एस० पत ग्राम) को दाहा ग्राम क्षेत्र के साथ मिलाने के लिए बंगला को स्थाई पट्टे

पर दिये जाने के लिए 27 और 28 नवम्बर, 1981 को ढाका में बातचीत हुई थी। तीन बीघा के पट्टे की शर्तों पर नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी, 1982 तक दोनों सरकारों के बीच सचिव स्तर पर पुन: विचार-विमर्श हुआ। इन दोनों बैठकों पर पट्टे की शर्तों पर अन्तिम रूप से कोई समझौता नहीं हो सका। इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी रहने की आशा है।

रेल की पटरी और इंजन डिब्बे आदि का बदला जाना

907. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 54,000 किलोमीटर लम्बी विद्यमान रेल की पटरियां और भारी संख्या में इंजन डिब्बे आदि बहुत बुरी स्थिति में है और इनको शीघ्र बदलने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने रेल की पटरियों और इंजन डिब्बे आदि को बदलनें की कोई योजना तैयार की है;

(ग) बदली जाने वाली लाइनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और कितने डिब्बों को बदला जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है तथा यह काम कब शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलपथ यह सही नहीं है कि 54,000 मिलोमीटर रेलपथ की अधिकांश भाग बहुत बुरी हालत में हैं। लेकिन लगभग 75,000 कि० मीं० रेल पथ में से लगभग 13,000 किलोमीटर रेलपथ का योजनाबद्ध आधार पर बदलाव करने की आवश्यकता है।

2. चल स्टाक यह सही नहीं है कि चल स्टाक बडी संख्या में बुरी हालत में है। जिस चल स्टाक की आवधिक ओवरहाल और अन्य निर्धारित तथा गैर-निर्धारित मरम्मत की जानी है उसे कारखानों और मरम्मत लाइनों/शेडों में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

भारतीय रेलों में 1-4-81 को कुल गतायु चल स्टाक (बड़ी लाइन और मीटर लाइन) तथा छठी योजना की को शेष अवधि के दौरान जमा होने वाला गतायु स्टाक नीचे दिया गया है।

	1-4-81 को गतायु स्टाक	1-4-81 को कुल बेड़े से गतायु का प्रतिशत	1981-85 के दौरान जमा होने वाला गतायु स्टाक	छठी योजना के दौरान कुल जमा होने वाला गतायु स्टाक
माल डिब्बे (चौपहिये)	37184	7.00	18744	56558
सवारी डिब्बे	2505	7.34	3301	5606
भाप इंजन	149	2.09	144	293
डीजल इंजन	11	0.47	2	13
बिजली इंजन	26	2.51	15	41

इन गतायु चल स्टाक का प्रस्तावित बदलाव कार्यक्रम भाग (ग) के उत्तर में दिया गया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) 1. रेलपथ—बदलाव की जाने वाली लाइनों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। लेकिन, 1-4-83 को यथासम्भाविता अनुमोदित रेल पथ नवीकरण का रेलवेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

मध्य रेलवे	944 कि० मी०
पूर्व रेलवे	889 कि० मी०
उत्तर रेलवे	1151 कि० मी०
पूर्वोत्तर रेलवे	687 कि० मी०
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	875 कि० मी०
दक्षिण रेलवे	858 कि० मी०
दक्षिण मध्य रेलवे	1212 कि० मी०
दक्षिण पूर्व रेलवे	712 कि० मी०
पश्चिमी रेलवे	1286 कि० मी०
	जोड़—8616 कि० मी०

2. चल स्टाक—चल स्टाक चल परिसम्पत्ति है। इस सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति बताना सम्भव नहीं है। गतायु स्थिति और प्रत्येक रेलवे की अन्य आवश्यकता पर आधारित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बदलाव लेखे में खरीदा गया चल स्टाक। अलग-अलग रेलवे को आवंटित कर दिया जाता है।

(घ) 1. रेल पथ : छठी पंचवर्षीय योजना में रेल पथ नवीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये (शुद्ध) की व्यवस्था की गई है। 1980-81 और 1981-82 में इसके लिए क्रमशः 70 करोड़ रुपये और 130 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। रेल पथ के बदलाव कार्य को एक सतत प्रक्रिया है और ये कार्य हालत तथा योजनाबद्ध आधार पर किये जाते है। 1980-81 में 1296 किलोमीटर रेल पथ का नवीकरण किया गया था और 1981-82 में 1500 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण किये जाने की सम्भावना है।

2. चल स्टाक : छठी पंचवर्षीय योजना में चल स्टाक के बदलाव के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस आवंटन के अन्तर्गत लगभग 78,000 माल डिब्बे खरीदना सम्भव हो सकेगा जिनमें से 64,000 माल डिब्बे गतायु माल डिब्बों के बदलाव के लिए प्रयुक्त किये जायेंगे। इसी प्रकार 5,600 सवारी डिब्बे खरीदने की सम्भावना है जिनमें से 5000 डिब्बे गतायु डिब्बों के बदलाव के लिए प्रयुक्त किये जायेंगे जिनकी संख्या योजना के दौरान 7,000 हो जाने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर को फैलने से रोकने के लिए केन्द्रीय दल का दौरा

908. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री टी० आर० शमन्ना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मस्तिष्क ज्वर को फैलने से रोकने के लिए एक केन्द्रीय दल को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय दल ने इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कोई दीर्घावधि उपाय सुझाए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह बीमारी अब भी फैल रही है और यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को पर्याप्त संख्या में, स्थाई आधार पर दवा छिड़कने के पम्प उपलब्ध कराये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : जापानी इनसेफलाटिस के फैलने का पता लगाने के लिए नवम्बर, 1981 में राष्ट्रीय वाइरस संस्थान, पुणे की एक टीम ने जापानी इनसेफलाइटिस से प्रभावित राज्यों का दौरा किया। जिनमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है। जापानी इनसेफलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को नियन्त्रण उपायों को तेज करने तथा प्रभावित जिलों के तालुक अस्पतालों में रोगियों का उचित इलाज करने की सलाह दी गई। सूअरों के सेगरीटेशन का प्रयत्न किया जा रहा था। यह सुझाव दिया गया कि जिन क्षेत्रों से बुखार के कम रोगी सूचित किये गये हैं वहाँ के यथासम्भव अधिक-से-अधिक रोगियों का युग्मित सीरा भेजा जाए। इससे जे० ई० वी० इटियालाजी रोग का पता चल जाएगा या यह समाप्त हो सायेगा ताकि जापानी इनसेफलाइटिस की महामारी से ग्रस्त क्षेत्रों का सही-सही पता लगाकर उन क्षेत्रों में सीधे उचित निगरानी कार्य तथा नियन्त्रक कार्य किए जा सकें।

देश में जापानी इसेफलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए जापानी इसेफलाइटिस सम्बन्धी एक तकनीकी समिति भी गठित की गई है।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार दी गई सूचना के अनुसार इस समय जापानी इसेफलाइटिस के कुछ ही मामले बताए गये है। फिर भी इस रोग को रोकने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित छिड़काव करने वाली मशीनें स्थाई तौर पर दे दी गई हैं—

टिफा	4
टिगा	2
लिको	2
फोनटन	6
वैफाग	8

भारत श्रीलंका मत्स्य क्षेत्रों का सासांकन

909. **श्री जी नरसिम्हा रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका और भारत के मछुआरे एक-दूसरे के मछली पकड़ने के प्रयोजन से बने आर्थिक क्षेत्र में प्रायः घुस जाते हैं, जिससे झगड़े हो जाते हैं और इससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो जाता है;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्र के सीमांकन के लिए श्रीलंका के अपने प्रतिपक्ष के साथ कोई बैठक आयोजित करने का तथा मछुआरों को इसके बारे में समझाने की पहल करने का प्रयास किया है; और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई पहल की गई है, तो आपसी लाभ की स्थिति को बरकरार रखने के लिए क्या समझौते किये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यह सच है कि श्रीलंका और भारत के मछुए कभी-कभी भटक कर एक-दूसरे के प्रादेशिक समुद्र में चले जाते हैं। आमतौर पर यह असावधानी के कारण होता है क्योंकि नौवहन सम्बन्धी पर्याप्त उपस्कर का अभाव है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के बीच इस समस्या पर समय-समय पर बातचीत होती रही है और इस विषय पर पिछली बैठक 11 दिसम्बर, 1981 को हुई थी। यह निर्णय किया गया था कि दोनों सरकारें अपने मत्स्य क्षेत्रों की सीमाओं के बारे में मछुआरों को बराबर बताती रहेंगी। वर्तमान समुद्री सीमा का प्लवों अथवा अन्य वैकल्पिक साधनों की मदद से स्पष्ट सीमांकन का मामला इस समय विचाराधीन है।

मणिपुर और कारा के बीच 332 डाउन गया-हावड़ा सवारी गाड़ी के दूसरी श्रेणी के यात्री डिब्बे में लूटपाट

910. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 23 जनवरी, 1982 को पूर्वी रेलवे के गया-कियुल सेक्शन पर मणिपुर और कारा रेलवे स्टेशनों के बीच 332 डाउन गया-हावड़ा सवारी गाड़ी के दूसरी श्रेणी के यात्री डिब्बों में यात्रा कर रहे अनेक यात्रियों के सामान को लूट लिया गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधी को पकड़ लिया गया है; और

(ग) रेलवे यात्रियों की जान और माल की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किये गये है?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ। 23-1-82 को पूर्व रेलवे के गया-क्यूल खंड पर मानपुर-वजीरगंज रेलवे स्टेशनों के बीच 332 डाउन गया-हावड़ा पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बा संख्या 3799 में यात्रा कर रहे 5-6 यात्रियों का कुछ अपराधियों द्वारा छुरे तथा पिस्तौल की नोक पर 2000 रुपये का सामान लूट लिया गया था।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस चौकी गया ने 23-1-82 को भारतीय दंड संहिता की धारा 349 के अधीन मामला संख्या 13 दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) रेल यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के लिए, निम्नलिखित उपाय किये गये है—

1. जहाँ तक सम्भव हो, राजकीय पुलिस द्वारा लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों में रात्री में मार्ग रक्षी भेजे जा रहे हैं।

2. अपराधों पर वेहतर और कारगर ढंग से नियन्त्रण रखने के लिए, बिहार में राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि कर दी गई है।

3. इंजन कर्मियों को अनुदेश दिये गये है कि किसी गाड़ी के अनिर्धारित ठहराव के मामले में मार्ग रक्षी दल को सावधान करने के लिए वे बार बार सीटी बजाएं।

4. स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल राजकीय पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती है।

पारादीप बन्दरगाह पर सामान से लदे जहाजों के लिए ठहरने के स्थान (बर्थ) अधिक बनाये जाने का प्रस्ताव

911. **श्री अनादि चरण दास : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में माल जहाजों के ठहराने के लिए निर्मित स्थान (बर्थों) की कुल संख्या (बन्दरगाह वार) क्या है;

(ख) उड़ीसा में पारादीप बन्दरगाह पर माल जहाजों के ठहराने के लिए कितनें स्थान (बर्थ) बनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव पारादीप बन्दरगाह पर जहाजों के ठहरने के लिए कुछ और अधिक स्थान (बर्थ) बनाये जाने की स्वीकृति देने का है;

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पारादीप बन्दरगाह पर माल जहाजों के ठहराने के लिए कुल कितने स्थान बनाये जाने की आशा हैं;

(ङ.) पारादीप बन्दरगाह पर माल जहाजों के ठहराने के लिए नये स्थान (बर्थ) बनाए जाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश के सभी बड़े पत्तनों के प्रत्येक में कुल जनरल कारगो बर्थ (भारी माल के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बर्थों को छोड़ कर) की संख्या नीचे दी जा रही है—

जनरल कारगो बर्थ की संख्या

पत्तन	मौजूदा	स्वीकृत/निर्माणधीन	कुल
कांडला	5	1	6
बम्बई	49	—	49
मार्मुगश्रों	5	1	6
न्यू मंगलोर	4	1	5
कोचीन	9	—	9
टूटीकोरिन	4	2	6
मद्रास	16	3	19
विशाखापत्तनम	8	1	9
परादीप	1	2	3
कलकत्ता	32	—	32
हल्दिया	2	—	2

(ख) एक

(ग) श्रौर (घ) : छठी पंचवर्षीय योजना के श्रन्त तक पारादीप में दो श्रतिरिक्त कारगो बर्थ तथा एक फटिलाइजर बर्थ की स्थापना की जायेगी।

(ङ.) द्वितीय, जनरल कारगो बर्थ की मुजूरी 24-7-78 को दी गई थी तथा मार्च, 1983 तक इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। तीसरें जनरल कारगो वर्थ की मजूरी 30-7-81 को दी गई तथा इसके निर्माण के लिए टेण्डर को श्रन्तिम रूप दिया जा रहा है। फटिलाईजर बर्थ की मंजूरी 27-1-1982 को दी गई तथा श्रारम्भिक कार्य शुरू किये गये हैं।

महिलाश्रों के साथ बलात्कार को रोकने के लिए सामाजिक शिक्षा देने की योजना

913. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**
श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या शिक्षा श्रौर समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाश्रों के साथ बलात्कार को सामाजिक शिक्षा के माध्यम से रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए गए हैं; श्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा श्रौर संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) : सामाजिक बुराइयों, जिसमें महिलाश्रों के विरुद्ध श्रपराध सम्मिलित है, के विरुद्ध श्रभियान श्रायोजित करने के सम्बन्ध में सरकार की योजनाएं हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि सुरक्षात्मक श्रौर सामाजिक विधानों के कार्यान्वियन के लिए श्रग्रता के श्राधार पर कार्यवाही की जाए। सामाजिक बराइयों श्रौर महिलाश्रों के विरुद्ध श्रत्याचारों तथा

पारम्परिक और सामाजिक रुखों में परिवर्तन लाने के लिए प्रारम्भ एक अभियान से जन-साधारण की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु उन्हें शिक्षित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। कुछ संगठनों ने आत्म रक्षा में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के कार्य-क्रमों को प्रारम्भ किया है जिसमें जूडो इत्यादि शामिल हैं। प्रचार माध्यमों का भी प्रयोग किया जा रहा है, सामाजिक और संरक्षीय विधानों को लागू करने की समस्या पर भी हाल में सम्पन्न राज्यों के समाज कल्याण विभागों के सचिवों की बैठक में विचार-विमर्श हुआ था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबोधन और कार्यान्वयन हेतु नए सिरे से दबाव बढ़ाने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर समाज कल्याण प्रशासन को मजबूत करें।

हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

914. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हिंदी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी;

(ख) क्या उस बैठक में हिन्दी की एक रूप प्रशासनिक तथा कार्यशील शब्दावली तैयार करने के लिए एक निर्णय लिया गया था और उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई रूप रेखा अथवा प्रतिवेदन तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक प्रयोग करने हेतु लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में हिंदी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक नहीं बुलाई थी तथा मंत्रालय को इस तरह की बैठक में हुए विचार विमर्श के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) से (घ) : उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे विद्युतीकरण संगठन को इलाहाबाद से फरीदाबाद स्थानान्तरित करना

915. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे विद्युतीकरण संगठन को इलाहाबाद से फरीदाबाद अथवा नाग-पुर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुन: विचार कर रही है जिसे पहले छोड़ दिया गया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व रेलमंत्री ने दिनांक 29 अक्टूबर, 1981 के अपने पत्र में यह बताया था कि इस संगठन को इलाहाबाद से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव त्याग दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डल्ली-बेलाडिल्ला रेलवे लाइन

916. **लक्ष्मण कर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डल्ली-राजहरा-बेलाडिल्ला रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो इस लाइन का सर्वेक्षण कब किया गया था और उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उपरोक्त लाइन की लम्बाई कितने किलोमीटर है; और

(घ) उस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डल्ली राजहरा से बेलाडिल्ला (किरान्दुल) तक एक नयी सीधी लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

बचेली और किरनदुल, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना

917. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलाडिल्ला लोह अयस्क परियोजना क्षेत्र में बचेली और किरनदुल में केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और बस्तर जिले के जन-जाति छात्रों के लिए 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981 के दौरान बस्तर जिले के कितने जन-जाति छात्रों को प्रवेश दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) बेलाडिल्ला लोह अयस्क परियोजना क्षेत्र में किरनदुल और बचेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं ।

केन्द्रीय विद्यालयों में सामान्यतया दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं :—

(1) रक्षा कर्मचारियों सहित स्थानान्तरणीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे;

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे;

(3) अस्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे; और

(4) एक स्थान पर न रहने वाले अन्य व्यक्तियों के बच्चे जिनमें केन्द्रीय विद्यालयों में अपनाई गई अध्ययन प्रक्रिया को अपनाने के इच्छुक, सिविल जनसंख्या शामिल है।

दाखिले के लिए उक्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिलों का 15% तथा 7½% क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इन आरक्षणों में पारस्परिक परिवर्तन हो सकते हैं।

इन विद्यालयों में बस्तर जिले के जन-जातीय छात्रों के दाखिले हेतु कोई विशेष आरक्षण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी और पिछड़े जिलों में चलते-फिरते स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करना

918. **श्री नवीन रवाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के आदिवासी और पिछड़े जिलों में कुछ चलते-फिरते स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बाते में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में खोले गए ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक शान्ति और मैत्री सन्धि

919. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने भारत-सोवियत सन्धि की तरह पाकिस्तान के साथ शान्ति और मैत्री सन्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस संदर्भ में किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री आगाशाही के साथ भारत की यात्रा पर आए पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ 30 जनवरी, 1982 को प्रधानमंत्री की मुलाकात में सोवियत संघ के साथ हमारी मैत्री-सन्धि के बारे में उनसे प्रश्न पूछे थे। इसके उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि पाकिस्तान चाहे तो उसके साथ भी इसी तरह की संधि पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में बेची गई गर्भधारण परीक्षण औषधियां

920. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में ओइस्ट्रोजन/प्रोजे-

स्ट्रोन मिश्रण की कुछ "डार्योनियल" गर्भधारण परीक्षा संबंधी औषधियां भारत में बेची जाती जाती हैं जबकि उनके अपने देश में उन पर प्रतिबन्ध लगा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एक भारतीय प्रोफेसर द्वारा किये गये विस्तृत अनुसंधान से यह सिद्ध हो गया है कि इन औषधियों से भ्रूम सम्बन्धी विकार उत्पन्न हो सकते हैं जिनके फलस्वरूप विकृत बच्चे पैदा होते हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने दिनांक 3 मई, 1979 को लोकसभा में यह आश्वासन दिया था कि इन औषधियों पर भारत में प्रतिबन्ध लगाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ओइस्ट्रोजन/प्रोजेस्ट्रोन मिश्रणों के कुछ हारमोनल उत्पादन भारत में बेचे जाते हैं यद्यपि ये उत्पादक 6 देशों-स्वीडन, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, बेलजियम और यू० के० में बन्द कर दिए गए हैं। भारत में बेचे जाने वाले उत्पादों में जर्मन रिमेडीज बाम्बे की डायोमिमन, मैसर्स रूसेल, बम्बई की अमेनोरोन, मैसर्स ग्लाक्सो, बम्बई की सीरोडायल आदि हैं। पहले ये उत्पाद गर्भ का निदान करने के लिए बेचे गए थे। किंतु अब ये मिश्रण गर्भ का शीघ्र पता लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं बल्कि ये गौण अर्नातव के उपचार के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन औषधियों के पैकेटों या इनमें रखे जाने वाले साहित्य पर निम्नलिखित चेतावनी दी जाती है :—

"इस बात का प्रमाण है कि हारमोनल मिश्रणों का गर्भावस्था के दौरान इस्तेमाल करने से भ्रूण में अपसामान्यता उत्पन्न हो सकती हैं। अत: इसका इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान या गर्भ का पता लगाने के लिए तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि गर्भ की पुष्टि हो जाने से उसका समापच करने का निश्चय न कर लिया गया हो।"

(ख) जी, हां।

(ग) 3-5-1979 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9571 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि :—

> "गर्भ समापन के उद्देश्य से इन हारमोनल उत्पादकों के दुरुपयोग को देखते हुए इन मिश्रणों के निरन्तर बेचे जाने के प्रश्न पर इस विषय के चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेकर फिर से जांच करने का विचार है"

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अनुभव किया है कि कुछ स्त्री रोगों में ये दवाइयां लाभकारी हैं और यदि इन औषधियों की बिक्री को पूर्णतया बन्द कर दिया जाता है तो गर्भ का आरम्भ में पता लगाने के परीक्षण को छोड़कर अन्य हालातों में रोगी और चिकित्सक उनके लाभदायक प्रयोग से वंचित हो जाएंगे। भारत के प्रसूति और स्त्री रोग सोसायटीज के संघ ने भी, जिनसे इस बारे में सलाह ली गई थी, इन मिश्रणों पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की है। इस समय हारमोनल उत्पादों को गर्भ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल

में लाने की अनुमति नहीं है और ये उत्पाद केवल गौण अर्नातव उपचार में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तथापि, इस विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से यह फिर पूछा गया है कि क्या "गौण अर्नातव उपचार" की चेतावनी के बावजूद देश में इन हारमोनल उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए अथवा नहीं।

पुरातत्व विभाग के अधीन मन्दिर एवं स्मारक

921. **श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पुरातत्व विभाग द्वारा कितने मन्दिरों एवं स्मारकों का संरक्षण किया जा रहा है; और

(ख) उन स्मारकों/स्थानों के नाम एवं पते क्या है जहाँ पर प्रवेश टिकट के द्वारा होता है और सरकार को उससे कितनी वार्षिक आय होती है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अधिसूचना की प्रविष्टियों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों की संख्या 3479 है।

(ख) जिन संस्मारक में टिकट के आधार पर प्रवेश की अनुमति है, स्थानों सहित उनके एक सूची विवरण रूप में संलग्न है।

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अर्जित राजस्व क्रमश: 33,72,800 रुपये 35,14,600 रुपये और 34,92,000 रुपये था।

विवरण

उन स्मारकों की सूची जहां टिकट के आधार पर प्रवेश की अनुमति है

क्रम सं०	राज्य	जिला	परिक्षेत्र	स्मारकों के नाम
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद शहर	चार मीनार (दूसरी मंजिल तथा उससे ऊपर)
2.	बिहार	पटना	कुमराहर	मौर्य कालीन प्रासाद स्थल
3.	बिहार	पटना	नालन्दा	अर्जित क्षेत्र में घिरी हुई सभी स्तूप संरचनाएं तथा इमारतें
4.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल (शाहजहांबाद)	दिल्ली का किला, पुरातत्वीय क्षेत्र
5.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल	हुमायू का मकबरा, इसका चबूतरा, उद्यान, चहार दीवारी तथा प्रवेश द्वार
6.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जेल	चहार दीवारी के साथ सफदरजंग मकबरा, प्रवेशद्वार उद्यान के पूर्व में स्थित मस्जिद
7.	दिल्ली	दिल्ली	महरौली जेल	कुतुब मीनार
8.	मध्य प्रदेश	छतरपुर	खजुराहो	पश्चिमी मंदिर-समूह (मातंगेश्वर मन्दिर को छोड़कर)
9.	मध्य प्रदेश	रायसेन	सांची	बौद्ध स्मारक
10.	तमिलनाडु	दक्षिण अर्काट	गिंगी	गढ़ी, जिसमें कृष्णगिरि तथा राजगिरि पहाड़ियों पर बने स्मारक भी शामिल हैं
11.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	अजन्ता	अजन्ता की गुफाएं
12.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	रबिया दुर्रानी का मकबरा (बीबी का मकबरा)
13.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एलोरा	एलोरा की गुफाएं (गुफा सं. 16)
14.	महाराष्ट्र	बम्बई	कन्हेरी	बौद्ध गुफाएं
15.	महाराष्ट्र	कोलाबा	घारपुरी	एलीफेंटा गुफाएं (गुफा सं० 1 से 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	महाराष्ट्र	पूना	कार्ला	गुफा मन्दिर तथा अभिलेख				
17.	कर्नाटक	बोजापुर	बीजापुर	गोल गुबन्द (रोजा)				
18.	कर्नाटक	मण्ड्या	श्रीरंगपदनम	दरिया दौलत बाग महल				
19.	कर्नाटक	मैसूर	सोमनाथपुर	केशव मन्दिर				
20.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़	चित्तौड़गढ़ विजय स्तम्भ				
21.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा किला, पुरातत्वीय क्षेत्र				
22.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	एत्मादुद्दौला का मकबरा				
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा	फतेहपुर सीकरी	फतेहपुर सीकरी का स्मारक समूह				
24.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	ताज का स्मारक-समूह				
25.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सिकन्दराबाद	अकबर का मकबरा				
26.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ	माडल रूम रेजिडेंसी				

कोटा-छबड़ा रेलवे लाइन के स्टेशनों पर माल की बुकिंग का निलम्बन।

922. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा-छबड़ा रेलवे लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशनों ने रेलवे को प्रभागीय मैनेजर, कोटा राजस्थान के आदेशों के अनुसार कोटा और छबड़ा स्टेशनों के बीच के स्टेशनों के लिए माल की बुकिंग निलम्बित कर दी है :

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में उनको अभ्यावेदन दिये हैं : और

(ग) क्या इस मामले में जांच की जाएगी ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों पर फिल्म का निर्माण

923. **श्री चित्त महाटा :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री सत्यजीत राय द्वारा बनाई जाने वाली विदेशी टेलीविजन पर प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत बाल श्रमिकों पर एक फिल्म बनाने की अनुमति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) फ्रांस के टी० वी० चैनल 3 से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में श्री सत्यजीत राय ने जून, 1980 में एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, इसका अभी कोई उत्तर नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : सत्तारूढ़ दल पश्चिम बंगाल तथा केरल में चुनाव स्थगित कर रहा है (व्यवधान)। हम बहुत चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिये।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, जार्ज फर्नान्डीस तथा ए० नीलालोहिथादसन नाडार ने रेलवे बजट के साथ में प्रस्तुत होने से पहले कथित पता लग जाने सम्बन्धी प्रश्न के नोटिस दिये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने कल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध नियम 222 के अधीन यह कहने के लिए नोटिस दिया है कि उपनगरीय रेल भाड़े में वृद्धि होगी।

बजट का पता चलने सम्बन्धी नोटिस रेल मंत्री को भेजे गये थे। मैंने कल डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का नोटिस भी 24 फरवरी, 1982 की सभा को कार्यवाही सहित रेल मंत्री को भेज दिया था।

मुझे उनसे एक विस्तृत नोट मिला है जिसमें मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि रेल बजट का पहले पता चल गया था और इसकी पुष्टि में एक विस्तृत तथा तथ्यपूर्ण विवरण दिया है।

जहाँ तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री एम० एस० गुजराल के द्वारा 23 फरवरी, 1982 को बजट प्रस्तुत होने के बाद, प्रेस कांफ्रेंस में दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है, उस बारे में रेल मंत्री ने 25 फरवरी, 1982 को अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि :—

> "रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध लाये गये विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, मैं आगे यही कहूंगा कि चेयरमैन की इच्छा रेल टैरिफ जांच समिति की सिफारिशों को प्रकाश में लाना था। उन्हें उपनगरीये भाड़े में वृद्धि करने का न तो अधिकार था और न ही इसकी घोषणा करने की उनकी कोई इच्छा थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार वृद्धि करने का सरकार का कोई विचार नहीं है और मैं अब भी वही कहूंगा जो कुछ मैं इस बारे में अपने बजट भाषण में कह चुका हूं।"

जहाँ तक रेल बजट का पता चलने का प्रश्न है। मेरे से पहले के वक्ता कह चुके हैं कि प्रस्तुत होने से पहले बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार के कब्जे में रहता है।

अतः विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लेकिन निश्चय ही औचित्य का प्रश्न है। यद्यपि आर्थिक विश्लेषकों तथा समाचार पत्रों द्वारा आगामी बजट के सम्भावित पहलुओं के बारे में भविष्यवाणियां करना अस्वाभाविक नहीं है, फिर भी यह ध्यान रखना सरकार के अपने ही हित में है कि बजट प्रस्तावों को पहले संसद में ही बताये और बजट का पता चलने सम्बन्धी प्रश्न उठाये जाने के लिए कोई भी कारण तथा गुंजायश न रखी जाये।

जहां तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री गुजराल का सम्बन्ध है, रेल मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा इस स्पष्ट आश्वासन कि उपनगरीय रेल भाड़ों में वृद्धि नहीं होगी, को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर और जोर न डाला जाये। फिर भी इस बात पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं कि यदि प्रेस कांफ्रेंस संसद में बजट प्रस्तुत करने के बाद की जानी है तो सम्बन्धित मंत्री के लिए यह अधिक अच्छा होगा कि वह इस प्रेस कांफ्रेंस को स्वयं करें जहां, जरूरत हो तो उच्चतम अधिकारी भी उपस्थित हो सकते हैं।

मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्रेस कांफ्रेंस में कोई भी ऐसी बात न बोली जाये जिसका सभा में पहले दिये गये ब्यानों से मेल न हों और नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों में सूचना को पहले सभा के अन्दर सदस्यों को बताना ही उचित है और किसी अन्य मंच पर इसे संसद से बाहर प्रकट करना उचित नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : हमने गढ़वाल चुनाव को लगातार स्थगित करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, आप बाधा क्यों डाल रहे हैं ? मैंने प्रो० चक्रवर्ती को अनुमति दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : गढ़वाल चुनाव के लगातार स्थगित होने के कारण केन्द्रीय सरकार......

अध्यक्ष महोदय : आशा है कि आप मेरे साथ तथा अपने साथ न्याय करेंगे। मैं इसी विषय पर दो बार चर्चा की अनुमति दे चुका हूं। यदि आप और चर्चा के इच्छुक हैं तो मैं नहीं रोकूंगा। आप कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कुछ कहने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी उन बातों को न टालें जिन्हें हम केवल तकनीकी आधारों पर आपके सामने रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

यह केवल गाड़ी के आने से पहले की एक पाइलट कार है।

अध्यक्ष महोदय : आप नींव रख रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं कहना चाहूंगा कि हम चुनाव आयोग के कार्यकरण पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने में दिलचस्पी रखते है कि संविधान के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाये और सरकार को इसके कार्यान्वयन में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। यदि हमें पता चले कि सरकार पश्चिम बंगाल तथा गढ़वाल की तरह कुछ चुनाबों को टालना चाहती है...

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे वाक्य पूरा करने दें। इतना कष्ट न करें। मैं यही कह रहा हूं कि यदि सवैधानिक प्रावधानों का उचित आदर न हो और जानबूझ कर कुछ चुनाव क्षेत्रों को इस सभा में प्रतिनिधित्व करने से रोका जाये तो यह सभा का निरादर है।

अध्यक्ष महोदय : वाक्य कभी-कभी बहुत लम्बा हो जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : यह सभा का निरादर है। प्रधान मंत्री कुछ व्यक्तियों से आतंकित हो सकती हैं और पिछले दरवाजे से उन लोगों को इस सभा में आने से रोकना चाहती हैं। उसके लिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती द्वारा पूछी गयी बात के उत्तर में मैंने यही कहा है कि मैं इस पर चर्चा के लिए दो बार अनुमति दे चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : वह एक भिन्न बात है। उसके बाद...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। मैं चर्चा की अनुमति दे सकता

हूँ, एक स्थगन प्रस्ताव की नहीं। मैंने यही कहा है। मैं दो बार दे चुका हूं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप तीसरी बार चर्चा कर सकते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : यह सरकार की निंदा करना है। हम एक चुनाव क्षेत्र को इतने अधिक समय तक सभा में प्रतिनिधित्व करने से रोकने के लिए सरकार की निंदा करना चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। श्री वीरेन्द्र पाटिल।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : ऐसा क्यों है ?

प्रो० मधु दंडवते : सरकार की निंदा करने का क्या तरीका है ?

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे भी चाहें, चर्चा कर सकते हैं। मैं दो बार अनुमति दे चुका हूं। मैं उन्मुक्त नहीं हूं। मैं आपको एक बात का आश्वासन दे चुका हूं। लेकिन यदि आप अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान)। सभापटल पर पत्र रखे जायें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूपराम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 193 के तहत आपको नोटिस दिया है कि मुजफ्फरनगर कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। मुजफ्फरनगर कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो चरणसिंह पर स्ट्रिकचर्स पास किये हैं। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला बनता है, मेरा आपसे अनुरोध है...

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं अनुमति नहीं देता।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोधय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, मैंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है, उसका पोट क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। मैं इसके लिए लिए अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान शिपय्याड लिमिटेड विशाखापत्तनम में वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचना, तथा परिवहन निगम निधि समिति का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3358/82]

(2) (एक) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन निगम (यात्री जहाजों का निर्माण और सर्वेक्षण) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 446 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3259/82]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पोत परिवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथलय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3360/83]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागन विकास निगम के बारे में विवरण

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गेहूँ पिसाई आटा मिल्स (लाइसेंस देना और नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 50 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3362/82]

(2) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3362/82]

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) मद्रास आदि का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रति वेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रतिक्षण बोर्ड दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3363/82]

(2) (एक) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यकारिणी समिति के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता के वर्ष, 1980-81 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3364/82]

(3) (एक) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए एल० टी० संख्या 3365/82]

(4) (एक) मौलाना आजाज प्रौद्योगिक कालेज, भोपाल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति।

(दो) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

5. मौलाना आजाद प्रौद्योगिक कालेज भोपाल के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3366/82]

(6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष, 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3367/82]

(7) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1980-81 के वार्षिक परीक्षाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या 3368/82]

(8) प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास के वर्ष 1980 81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3369/82]

(9) (एक) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ वाराणसी के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति ।

(दो) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ वाराणसी के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ वाराणसी के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या 3370/82]

(11) (एक) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1980 81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी के संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3371/82]

(12) (एक) बौद्ध दर्शन विद्यालय, लेह लद्दाख के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) बौद्ध दर्शन विद्यालय, लह लद्दाख, कें वर्ष 1980-81 कें कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेंजी सँस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3372/82]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थाई पुल उपयोग फीस) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक - जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 6 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3373/82]

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के वर्ष 1979-80 आदि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं—

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3374/82]

(2) (एक) स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 337:182]

भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 109, जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिसके द्वारा रेलवेज रैड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 की क्रम संख्या में संशोधन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 110, जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा रेलवेज रैड टैरिफ (पहला संशोधन) नियम, 1978 की क्रम संख्या में संशोधन किया गया है।

(तीन) रेलवेज रैड टैरिफ (संशोधन) नियम, 1982, जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 111 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या टी० एल० 3376/82]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम तथा वित्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 77 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग के एककों सहित कुटीर क्षेत्र में निर्मित माचिसों पर शुल्क की रियायती दर को 31 मार्च, 1982 से आगे जारी रखने के बारे में हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3377/82]

(2) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 55 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित देशों से नई दिल्ली में हुए विकासशील देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये आये प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों को उक्त अधिनियम की धारा 35 (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3378/82]

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान सोसाइटी पटियाला का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन तथा विवरण

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान सोसाइटी पटियाला के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान, पटियाला के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3379/82]

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 10 के साथ पठित नियम 4 (सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अध्यक्ष द्वारा यथा निर्दिष्ट रीति से, श्री ज्योतिर्मय बसु के निधन से रिक्त हुए स्थान पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शेष कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 10 के साथ पठित नियम 4 (सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य अध्यक्ष द्वारा यथा निर्दिष्ट रीति से, श्री ज्योतिर्मय बसु के निधन से रिक्त हुए स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शेष कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय: श्री रावत।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : आपने बहस का मौका दिया···

अध्यक्ष महोदय : मैं और मौका दे सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ······लेकिन जब आज भी वही स्थिति चल रही है, जो पहले थी, तो क्या आज हम सरकार से जवाब न मांगे ? इसीलिए हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा बहस करें।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : हम सरकार को सेन्सर करना चाहते हैं। वह सरकार जो चुनाव नहीं करा सकती है, उसे बने रहने का अधिकार नहीं है। चुनावों को स्थगित कराने की क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी प्रकार बोलते रहेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कहां गम्भीर हैं ? कौन समझता है इस गम्भीरता को ? क्या आपके साथी गम्भीर हैं ?

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं तीसरी दफा बहस करा सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

(श्री सत्य साधन चक्रवर्ती, श्री सुनील मैत्रा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की बैठक में कश्मीर का प्रश्न उठाते हुए पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा वक्तव्य दिये जाने का समाचार

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय मैं विदेश मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नांकित विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की हाल में जेनेवा में हुई बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डल के नेता द्वारा कश्मीर का प्रश्न उठाते हुए दिया गया कथित वक्तव्य और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया ।"

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 38वें अधिवेशन में, जो आजकल जेनेवा में हो रहा है, पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री आगा हिलाली ने आत्म निर्णय के अधिकार से सम्बद्ध एक विषय पर हस्तक्षेप करते हुए जम्मू और काश्मीर का जिक्र किया । उन्होंने इस सन्दर्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का भी उल्लेख किया । इसके बाद श्री हिलाली ने काश्मीर की तुलना फिलिस्तीन और नामीबिया तक के मसलों से की । जम्मू और काश्मीर में एक के बाद एक आम चुनावों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए श्री हिलाली ने कहा और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं, "विदेशी सेना के अधिकार अथवा विदेशी प्रभुत्व के अन्तर्गत हुए किसी भी 'चुनाव' को आत्मनिर्णय के अधिकार का वास्तविक प्रयोग नहीं कहा जा सकता ।"

जैसा कि मैंने 19 फरवरी को सदन में बताया था पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हाल की

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भारत यात्रा के समय हमारी जो बातचीत हुई थी उससे एक ऐसे वातावरण का सृजन हुआ था कि जो युद्ध न करने की प्रस्तावित सन्धि और शान्ति एवं मित्रता की सन्धि के विशिष्ट मुद्दों पर बात करने के लिए अनुकूल था। लेकिन मुझे यह मानना पड़ता है कि बाद में मानवाधिकार आयोग में श्री हिलाली के आपत्तिजनक वक्तव्यों से यह वातावरण खराब हो गया है।

श्री हिलाली ने काश्मीर के सवाल को उस समय उठाया जबकि औपनिवेशिक अथवा विदेशी प्रभुत्व अथवा विदेशी अधिकार के अधीन लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार देने से सम्बद्ध एक मुद्दे पर विचार किया जा रहा था। यह बात कहना असंगत था कि जम्मू और काश्मीर में, जो भारत का एक अभिन्न अंग है, ऐसी ही स्थिति है। वास्तव में जम्मू और काश्मीर के उन लोगों को ही, जिन्हे दुर्भाग्यवश जबरदस्ती पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में रहना पड़ रहा है, भारत में स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ रहने वाले उनके भाइयों के साथ मिलने का और अपने मत का प्रयोग करने का वैध अधिकार नहीं दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को न मानने वाला और अपने दायित्वों को पूरा न करने वाला पाकिस्तान ही है, भारत नहीं।

शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को द्विपक्षीय रूप से और शान्तिपूर्ण तरीकों से दूर करने का वचन लिया है। यह वचनबद्धता जम्मू और काश्मीर पर भी उतनी ही लागू होती है। इसलिए, शिमला समझौता होने के बाद से पाकिस्तान ने जब कभी किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर तथाकथित काश्मीर-प्रश्न को उठाया है, हमने उस पर आपत्ति की है और इस प्रकार के उल्लेखों का विरोध करते हुए कहा है कि ये उल्लेख शिमला समझौते का उल्लंघन है। अभिप्रेत यह कि पाकिस्तान के प्राधिकारी इस सम्बन्ध में भारतीय लोगों की तीव्र भावनाओं को अच्छी तरह जानते हैं। इस सन्दर्भ में और अपने सम्बन्धों को सुधारने के बारे में दोनों देशों की सरकारों के अभिव्यक्त इरादों के सम्बन्ध में भी जम्मू और काश्मीर का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में इस गलत तरह से उल्लेख करके पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने विदेश सचिव के स्तर की प्रस्तावित वार्ता को नुकसान पहुँचाया है।

हमने श्री आगा हिलाली के ब्यान का सावधानी के साथ अध्ययन किया है। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि इतना वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक जो भारत में भी अपने देश का उच्चायुक्त रह चुका है, पाकिस्तान की सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा ब्यान दे सकता है और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसे इस बात का अन्दाज न हो कि भारत में इसकी कितनी तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए हम यह महसूस करते हैं कि विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, हमने दिल्ली में पाकिस्तान के राजदूत को यह बता दिया है।

भारत सरकार ने बराबर ही पाकिस्तानी सरकार और वहां के लोगों के प्रति सच्ची मित्रता की अपनी इच्छा प्रदर्शित की है। भारत के शांतिपूर्ण इरादों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बार-बार दोहराया गया है, जिसका अद्यतन उदाहरण प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य है कि सन्धि हो या न हो, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा। यही हमारी नीति है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : अध्यक्ष जी, मानव अधिकार कमीशन जैसे संगठन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा काश्मीर के मामले की तुलना नामिबिया और फिलिस्तीन से

करना वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने भारत के विदेश सचिव की पाकिस्तान यात्रा को

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

स्थगित किया है, उससे भी भारत की जनता के मन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि की इस कार्यवाही से जो आक्रोश था उसे सही शब्दों में व्यक्त किया है। लेकिन आपको याद होगा पिछले इस्लामिक कान्फ्रेंस में, जो सऊदी-अरब में हुई थी, जनरल जिया द्वारा इस मामले को उठाया गया था और आज भी श्री हलाली साहब ने इसको रिपीट किया है। मुझे और हमारे देश के प्रायः सभी लोगों को, मैं समझता हूं कि इस बात की शंका होगी कि पाकिस्तान ने जो नो-वार-पैक्ट आफर किया था, जिसे भारत पहले कर चुका था, उसके पीछे उनकी कहीं यह छिपी हुई मंशा तो नहीं थी, यह उद्देश्य तो नहीं था कि उनको उनके कुछ मास्टर्स द्वारा जो हथियार मिलने में रुकावट हो सकती थी, वे हथियार उनको प्राप्त हो जायें। मैं समझता हूं कि इस नो-वार-पैक्ट की आड़ में कहीं वे हथियार तो प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि उनको एफ-16 से भी कहीं आधुनिकतम हथियार अमरीका से प्राप्त हुए हैं। इसकी आड़ में पाकिस्तान ने, करांची के निकट जो न्युक्लियर प्रोटैक्ट है, जैसी कि अखबारों में रिपोर्ट है, करीब चार किलो प्लयूटोनियम तैयार किया है, जिससे कि वे लोग किसी भी समय न्युक्लियर डिवाइस तैयार कर सकते हैं। जैसी कि अखबारों में पिछले दिनों रिपोर्ट थी, पश्चिम एशिया के कुछ राष्ट्र जिनमें सऊदी-अरब, तुर्की, सोमालिया, मुराको, ओमन और जार्डन आदि राष्ट्रों के कुछ नाम थे, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान एक संगठन तैयार करना चाहता है। इसकी आड़ में मुझको तह आशंका प्रतीत होती है कि अभी हाल में तुर्की और सऊदी अरब ने अमरीका से जो एक-एक अरब रुपये के हथियार प्राप्त किये हैं पाकिस्तान उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

एक तरफ तो पाकिस्तान की इस प्रकार की कार्यवाहियां हैं कि वह चारों तरफ से हथियार इकट्ठे कर रहा है, दूसरी तरफ बराबर "नो-वार-पैक्ट" की रट लगा रहा है—कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दुनिया के सामने एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता हो कि वह भारत के साथ लड़ना नहीं चाहता है लेकिन उसकी आड़ में वह अपनी आणविक क्षमता को, अस्त्र-शस्त्र की क्षमता को, सैनिक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का जो अब तक का कान्डक्ट रहा है-- एक तरफ उसने "नो वार पैक्ट" की बात कही है और दूसरी तरफ आपको अच्छी तरह से याद होगा—पाकिस्तान में हमारे जो राजदूत हैं वह वहां के रुग्ण नेता खान वली खां से भेंट करना चाहते थे, मानवीय आधार पर मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया। एक तरफ भारत में, डा० स्वामी के अनुसार, पाकिस्तान के राजदूत ने बी० जे० पी० के सम्मेलन में भाग लिया, दूसरो तरम पाकिस्तान में हमारे राजदूतावास के कर्मचारियों को लोगों ने पकड़कर पीटा, जो राजनीतिक शिष्टाचार के बिलकुल विपरीत बात थी। पिछले दिनों पाकिस्तान दूतावास के कुछ कर्मचारियों को जब जासूसी में लिप्त पाया गया और हमने उनको निकालने की कार्यवाही की तो उन्होंने हमारे कुछ कर्मचारियों को अकारण वहां से निष्कासित किया। पाकिस्तान के अखबारों में लगातार इस प्रकार की खबरें छपती हैं जिनमें प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है, उनके परिवार के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। अभी हाल में पाकिस्तान-टाइम्ज में एक खबर छपी है, जिसका उल्लेख हमारे अखबारों में भी आया है कि हिन्दुस्तान की प्रधानमन्त्री पाकिस्तान से

युद्ध करना चाहती हैं जबकि हिन्दुस्तान की जनता पाकिस्तान से मैत्री चाहती है। उसमें हमारे देश के कुछ विरोधी दलों के नेताओं का भी उल्लेख किया गया है।

पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें भी हुई—जैसे साड़ी भारतीय पहनावा है, इसके प्रति वहां के शासकों के मन में किस प्रकार की भावना है वह परिलक्षित होती है, उन्होंने इस भारतीय परिधान पर रोक लगा दी। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो "नो-वार-पैक्ट" की बात करता है दूसरी तरफ इस प्रकार की कार्यवाहियां करता है जो शिमला पैक्ट की भावना के बिलकुल विपरीत है। उसकी इस तरह की कार्यवाहियां उस बातचीत को दृष्टि में रखते हुए जो निकट भविष्य में होने वाली थीं और जिसके लिए मैत्री तथा सदभावना का वातावरण होना चाहिए, उसको दूषित करती हैं।

इस सन्दर्भ में मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की वास्तविक मंशा क्या है? इसको आज हमारे देश के लोगों के सामने स्पष्ट करना बहुत जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो कि हम तो दोस्ती की भावना से पाकिस्तान की इन कार्यवाहियों को नजरअन्दाज करते रहें, हम इन बातों को न उठायें कि पाकिस्तान में किस तरह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से वहां के सैनिक शासक लोगों की आवाज को बन्द किए हुए हैं, किस तरह से वहां की जनता को साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है, किस तरह से वहां के अखबारों पर सेन्शरशिप लगा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि जिनमें वहां के राष्ट्रपति भी शामिल हैं और आगा हिलाली जैसे प्रबुद्ध राजनयिक भी शामिल हैं, काश्मीर के मामले को मानव-अधिकार सम्मेलन में उठाते हैं।

दुनिया हमारी इस नम्रता को, हमारे इस भाईचारे की भावना को, हमारी सद्भावना को कहीं कमजोरी न समझे, इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मैं तो यह भी चाहता हूं और मेरी यह प्रार्थना है—मैं नहीं समझता कि राजनीतिक भाषा में यह बात ठीक है या नहीं—कि हमको स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जनता हिन्दुस्तान के साथ मैत्री चाहती है, पाकिस्तान की प्रजातांत्रिक ताकतें हिन्दुस्तान के साथ मैत्री चाहती हैं, इसलिए हमको कहना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के अन्दर प्रजातन्त्र कायम नहीं होगा, तब तक हम पाकिस्तान से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। वहां के जो सैनिक शासक हैं, मेरी आशंका है इस बात की वे हिन्दुस्तान के साथ कभी मैत्री नहीं चाहेंगे क्योंकि हिन्दुस्तान के साथ मैत्री होने की स्थिति में वहां पर सैनिक शासकों की सत्ता खतरे में पड़ सकती है। हिन्दुस्तान के साथ युद्ध का सा वातावरण बनाए रखना, हिन्दुस्तान के प्रति घृणा बनाये रखना, वहां के सैनिक शासकों के अपने व्यक्तिगत हित में है। इस सारे परिपेक्ष्य में, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, उस पर हमें विचार करना चाहिए और आप ने अपनी तरफ़ से बातचीत का जो रास्ता खुला रखा है और जिस तरीके से आप ने भारत की सद्भावना को प्रकट किया है, उस सब की सराहना करते हुए, मैं यह चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की जनता की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को निश्चित तौर पर आप ध्यान में रखें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं तो माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गये विचारों के प्रति आभार ही प्रकट कर सकता हूं। यह बात हमारी बातचीत में एक बहुत ही कठिन और नाजुक दौर के समय आई है। मैं इस निर्णय को इस सभा में कोई प्रसन्नता से घोषित नहीं कर

रहा हूं। मैं अपने और सरकार के विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि यह अनिवार्य हो गया है कि इस मार्ग को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है; इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनेवा में यूनाइटेड नेशन्स की ह्यूमेन राइट्स कान्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री हलाली द्वारा काश्मीर के प्रश्न को उठाने से वास्तव में एक बहुत बड़ी शंका की स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान एक तरफ तो हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ हम पर खंजर चलाने की भी कोशिश कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार पहले भी शिमला एग्रीमेंट के बाद उसने ऐसा किया था। शिमला एग्रीमेंट के बाद एक बात यह तय हुई थी कि जो भी हमारी समस्यायें हैं, वे द्विपक्षीय वार्ताओं और शान्तिपूर्ण माहौल में तय होंगी। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रश्न को उठाते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है।

पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में हमारे एक शायर ने, एक मित्र लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा शेर कहा है :

"कुछ ऐसे भी हैं सांप आस्ती के जो डसते नहीं हैं लहू चाटते हैं,
गले मिलने वालों में वो भी हैं शामिल, जो मिल-मिल कर हर दम गले काटते हैं।

हम लोग गले मिलने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। हमारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे नेता श्री लालबहादुर शास्त्री जी और हमारी प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लगातार यह कोशिश की है कि काश्मीर जो भारत का अविभाज्य अंग है, उसके लोग शान्ति से, सद्भावना से, एकता से हिन्दुस्तान में रहें और शान के साथ जियें, वहीं दूसरी ओर हमें यह बिल्कुल स्पष्ट देखने में आता है कि पाकिस्तान ने आक्रमण करके, 1948 में जो एक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, उस तथाकथित आजाद काश्मीर की स्थिति आज बड़ी उलझनपूर्ण है। 4 जुलाई, 1977 के बाद से, जब से पाकिस्तान में राष्ट्रपति सैनिक शासन का वातावरण आया, हम लगातार देखते हैं कि सत्तारूढ़ होने के पश्चात् से जिया साहब क्या-क्या कहते व करते रहे हैं। सत्तारूढ़ होने के पश्चात् उन्होंने कहा था कि हम तीन महीने में पाकिस्तान में चुनाव करायेंगे लेकिन न वहां पर चुनाव हो रहे हैं, न वहां पर शांति है, न वहां पर अमन है। वहां पर उग्रवादी युवकों में असन्तोष है। अभी अभी भुट्टो जी के सुपुत्र के नेतृत्व में वहां की रावलकोट जेल में हमला बोल कर युवकों ने जेल से अपने आठ साथियों को छुड़ा लिया और जिया प्रशासन यह सब देखता रहा।

जून 1980 से वहां की अदालतों के अधिकार सीमित किये जाते रहे हैं। जनता के अधिकार सीमित करने के विरोध में वहां के वकीलों ने जून 1980 में अवज्ञापूर्ण आन्दोलन चलाया। 4 जुलाई, 1981 को क्वेटा और कराची में वहां के युवकों ने अवज्ञापूर्ण आन्दोलन चलाया। श्री जिया ने निजामे मुस्तफा की स्थापना की। इसके साथ सैनिक प्रशासन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्लामी प्रशासन का सहारा लिया और वहां पर जकात और अशद जैसा धार्मिक कर लगाया।

पाकिस्तान में शिया लोगों की 25 प्रतिशत आबादी है। शिया लोगों ने इसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया। झुककर जिया को यह मानना पड़ा कि जो लोग यह कर देंगे उनसे हम लेंगे, जो नहीं देंगे, उनसे हम नहीं लेगे।

आज वहां पर युवकों ने अपना एक संगठन बनाया है जिसका नाम अल जुल्फीकार है। पाकिस्तान की सैनिक सरकार इस संगठन के सदस्यों का सफाया कर रही है। इससे वहाँ के युवकों में बड़ी उग्र भावना पनप रही है। वहाँ पर, कराची में, पिछले दिनों पुलिस इन्सपेक्टर मौ० इस्लाम हिमानी की हत्या की गयी। आज भी वहां पर युवकों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं। पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोग वहां के सैनिक प्रशासन के जुल्मों से छुटकारा पाने के लिए तड़प रहे हैं। जनता वहां पर अपनी स्वतन्त्रता के लिए, अपने प्रदेश की स्वायतत्ता के लिए बराबर चुनावों की माँग करती आ रही है। परन्तु जिया साहब ने चुनाव न करा कर संसद भंग कर 287 सदस्यों की एक मजलिस शूरा बना दी है। इस तरह से पाकिस्तान में प्रजातंत्र की हत्या एक बार फिर की गई है। वहाँ की जनता बराबर प्रजातांत्रिक ढग से रहने की कोशिश करती आ रही है। इस तरह का व्यवहार वहां के सैनिक प्रशासकों का अपनी जनता के साथ हो रहा है।

पाकिस्तानी प्रशासक नो वार पैक्ट जैसे प्रस्ताव वे इसलिए भेजते हैं कि अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो भी उनको लड्डू मिले और अगर हम इसे अस्वीकार करते हैं तो भी उन्हें लड्डू मिल जाए। इस तरह से वे दोनों स्थितियों में लड्डू हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने अफगानिस्तान में रशियन फौजों का हौवा खड़ा करके अमेरिका से एफ-16 विमान तथा एम-60 टैंक प्राप्त किये। इसके अलावा वे चाहते हैं कि हम नो वार पैक्ट को अस्वीकार करें तो वे अफगानिस्तान में रूस और भारत दोनों का हौवा खड़ा करके दूसरे देशों से आर्थिक और सैनिक मदद प्राप्त करें।

भारत की पाकिस्तान के साथ 15 सौ किलोमीटर लम्बी सीमा है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपने टेलीविजन, रेडियो और अखबारों के द्वारा हमारे यहाँ जो खालिस्तान का आन्दोलन चला था जो कि अब खत्म हो गया है, उसको खूब उछाला और उसका खूब समर्थन किया। पहले उनकी सेनायें जो पंजाब बार्डर पर थीं उसको वहां से हटा कर वे जम्मू कश्मीर और राजस्थान की सीमाओं पर ले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को छोड़कर और बहुत सी समस्याओं को उठा रहे हैं। कृपया सही विषय पर बोलिए।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर तीन लाख पचास हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं जिनमें सशस्त्र सेनाओं के 15 डिविजन, 2 बख्तरबंद डिविजन, तीन तोप खाने और 15 वायु सेना रेजीमेंट शामिल हैं। दो हजार मध्यम व भारी तोपें, राकेट बटालियन, एम० 60 टैंक, और दूसरे टैंक और टैंक भेदी मिसाईल हमारी सीमाओं पर उन्होंने तैनात की हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय की बात कीजिए।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : एक उन्होंने बिल्कुल अनवारन्टेड, इररेलेवेन्ट, अननेसेसरी सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार सम्मेलन में उठाया। उन्होंने वहां पर कश्मीर का उल्लेख किया और उस सवाल की तुलना पैलेस्टीन और नामिबिया से की। वे कश्मीर के बारे में कैसे सवाल उठा सकते हैं जबकि उनके यहां कभी चुनाव नहीं हुए। हमारे यहां 1952 से बराबर चुनाव सामान्य माहौल में होते रहे हैं। जहां लोगों ने निष्पक्षतापूर्वक और शान्ति के साथ अपने वोट दिए और दूसरी ओर हम पर आरोप लगाया जाता है कि विदेशियों की प्रभुता के साए में चुनाव हुए हैं।

कुछ तत्व हमारे देश में भी हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ विरोधी नेता हमारे देश में हैं जो मिलकर गला काटने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन तत्वों से हमको सावधान रहना है।

पाकिस्तान में अखबारों पर सेंसर है। हमारे हाई-कमिश्नर श्री नटवर सिंह को खान वली खां विपक्ष नेता जो बीमार हैं, से छोटी सी मुलाकात के लिए इन्कार कर दिया गया। पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। एमनेस्टी इन्टरनेशनल ने कहा है कि एशिया में जितनी ज्यादा फाँसी की सजा पाकिस्तान में दी गई है, उतनी कहीं भी नहीं दी गई। 10 हजार लोगों को कोड़े लगाए गए। मेहन्दी हसन, फैज अहमद फैज, कवियों पर, प्रोफेसरों पर, पत्रकारों, वकीलों और युवकों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ऐसे माहौल में केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है।

शान्ति की बात भी और युद्ध की तैयारियाँ भी—यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसी परिस्थितियों में "नो वार पैक्ट" के सिलसिले में विदेश सचिव श्री साठे को पाकिस्तान न भेजने के निर्णय की मैं तारीफ करता हूं और क्या इस सूचना की कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान एम्बेसी से प्राप्त हुई है ? इसके अलावा क्या कदम उठाएंगे, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय मैं विवरण के अन्त में पहले ही कह चुका हूं कि हम पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। यह बात हमने दिल्ली स्थित पाकिस्तान के राजदूत को बता दी है।

महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित रहने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, इस वातावरण को पैदा करने के लिए हमने रात और दिन लग कर कार्य किया। जब श्री आगा शाही यहाँ आए थे उस समय हमने अनुकूल वातारण पैदा कर लिया था। यह सब बात सदन को, माननीय सदस्यों को और सारे देश को पता है। मुझे इस बारे में कुछ सूचना श्री बी० आर० भगत से भी मिली है जो कि लोक सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और जो जेनेवा में हमारे प्रतिनिधि बनकर गये थे। मुझे यह विश्वास है कि पहले जेनेवा में भी एक ऐसा वातावरण बन गया था, जिसमें हम यह आशा कर सकते थे कि इस वार्तालाप के हित में, जो कि एक वातावरण में आरम्भ हुआ था, इस प्रकार के विवादास्पद या द्विपक्षीय मामले नहीं उठाए जायेंगे। इस प्रकार की आशा की करने के पीछे हमारे पास कारण थे। अचानक ही कुछ ही दिनों के अन्दर वे उठाये गये और उठाया भी ऐसे ढंग से गया जो कि विशेष रूप से आपत्ति-

जनक था। अतः यह असंतोष की ही बात नहीं है, अपितु इस प्रकार की बात होना भी एक प्रकार का षडयन्त्र है।

जब श्री भगत यहां वापिस लौटकर आयेंगे तो और मुझे आशा है कि वह कुछ ही दिनों में आ जायेंगे, तब वह ही हमें इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे। परन्तु मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। और हमें दोनों देशों के दीर्घकालीन सम्बन्धों के हित में यह निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस प्रकार के दूषित वातावरण में, जैसा कि आज देख रहे हैं, वार्ता में वास्तव में प्रगति नहीं हुई होती और वे परस्पर-विरोधी रूप धारण कर लेतीं। अतः दीर्घकालीन सम्बन्धों के हित में, हमने यह निर्णय लिया है। हमारा अपना दृष्टिकोण है और हमें अपने दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराया है। हमें अपने उन सिद्धान्तों पर अडिग रहना है जिन पर हम वर्षों से चलते आ रहे हैं। इसीलिए हम किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं, हमने कोई अन्य निर्णय नहीं लिया है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जब विदेश मन्त्री महोदय भारत सरकार की इस अटूट इच्छा को व्यक्त करते हैं कि हमें पाकिस्तान की सरकार और जनता से मैत्री सम्बन्ध रखने चाहिए तो इस बात पर मैं भी उनके साथ हूं। परन्तु हाल ही में बहुत से मामले उठाये गये हैं और मैं उन मामलों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

पहली बात तो यह है कि शिमला-समझौता, भारत और पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की एक टिकाऊ और स्थायी रूपरेखा प्रदान करता है। और यह बात आपको और सारे देश को पता है। शिमला-समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: (1) शक्ति का प्रयोग न करना, (2) जम्मू और कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान शान्तिपूर्ण बात-चीत द्वारा निकालना, (3) भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद में, तीसरे किसी पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना, बल्कि विरोध करना।

शिमला समझौते का यही सार है। यहां पर द्विपक्षवाद निर्णायक का महत्व रखता है और भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों के बीच इसे सुदृढ़-आधार या मूल सिद्धान्त माना गया है। श्री आगा हिलाली का यह वक्तव्य और पहले भी कई अवसरों पर पाकिस्तान के कई प्रवक्ताओं द्वारा दिये वक्तव्य स्पष्ट रूप से उस शिमला समझौते का पूर्ण रूप से उल्लंघन हैं, जिसमें आपसी सम्बन्धों पर बल दिया गया है। उन्होंने तो शिमला समझौते के मूलाधार पर ही प्रश्न-चिन्ह लगा दिया है।

यदि आप अनुमति दें तो मैं आजके 'दि स्टेटस मैन' से उद्धरण दे सकता हूं जिसमें कहा गया है:

> "पाकिस्तान के प्रवक्ता ने बताया कि मानव अधिकार आयोग की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि श्री आगा हिलाली द्वारा जम्मू और कश्मीर का उल्लेख, इस समस्या के प्रति पाकिस्तान के सुविदित रवैये के अनुरूप ही था, जिसे शिमला समझौते में मान्यता प्राप्त है।"

अतः, यदि पाकिस्तान के प्रवक्ता का यह वक्तव्य सही है, या सही मान लिया जाए तो पाकिस्तान शिमला समझौते के आधार का भिन्न ही अर्थ लगता है; और उससे बिल्कुल अलग

तथा पूर्णतया विरोधी व्याख्या करता है या अर्थ लगाता है जो कि हम लोग शिमला समझौते से लेते हैं।

सरकार की इस बात से सहमत होते हुए कि वार्ता को जारी रखने के प्रयास किये जाएं, यह मुख्य प्रश्न खड़ा होता है कि आपसी बातचीत के लिए क्या आधार बच रहता है। यदि आपसी बात-चीत के इस आधार को अर्थात शिमला समझौते को पाकिस्तान सरकार उस भावना से नहीं लेती है जैसा के हम उसे समझते हैं तो क्या इस समस्या पर पाकिस्तान के साथ वार्ता जारी रखने का कोई आधार है या कोई आधार बना रहता है? इस मुद्दे पर सरकार को स्पष्टीकरण देने की आवश्यता है।

यदि और अधिक खोलकर कहा जाए तो उन्होंने शिमला समझौते की आपसी बातचीत या सम्बन्धों की भावना को स्वीकार ही नहीं किया है। वे तो अलग ही ढंग से शिमला समझौते की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है जिस प्रकार हमने स्थिति को समझा है, वे वैसा नहीं मानते हैं। अतः क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि यदि शिमला समझौते के आधार पर आम स्वीकृति नहीं भी है तो भी क्या सरकार बातचीत जारी रखेगी? मैं चाहता हूँ कि वह इस बात का उत्तर दें।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कश्मीर में जनमत-संग्रह का एक ऐसी बात है जिसे पाकिस्तान सरकार ने न केवल पहले भी कई अवसरों पर उठाया है, परन्तु आज भी उठाती है, जहाँ कहीं वह इसे उठाना उपयुक्त समझती है। अब, मन्त्री महोदय ने इस विशेष वक्तव्य में जिसकी प्रति हमें दी गई हैं, एक अस्पष्ट बात कही है। इसमें कहा गया है—"भारत ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव की अवहेलना की और इसके दायित्वों का पालन नहीं किया।" क्या हमें शान्त रूप से साफ-साफ यह नहीं कहना चाहिए कि जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है कश्मीर में जनमत-संग्रह कराने के लिए राष्ट्रसंघ का संकल्प हमारे लिए एक मृत-दस्तावेज है। हम साफ-साफ ढंग से इस बात को क्यों नहीं कह देते, क्योंकि आज की बदली हुई परिस्थितियों में जनमत-संग्रह की बात असंगत हो गई है? कश्मीर का भारत में विलय एक वास्तविक सच्चाई है और इसे बदला नहीं जा सकता है तथा कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है। यदि सरकार की यही स्थिति है जैसी कि आप स्वीकार करते हैं तो आप अपनी स्थिति इस तरह रखने के बजाय दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से यह क्यों नहीं कहते हैं कि जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, कश्मीर में जनमत-संग्रह कराने का राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव भी हमारे लिए एक मृत दस्तावेज है? स्पष्टीकरण के लिए मेरा तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि पहले एक सुझाव दिया गया था और अभी दिया जा रहा है कश्मीर की असली नियन्त्रण-रेखा को ही भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय-सीमा मान लिया जाए। इस सम्बन्ध में आपका वक्तव्य स्पष्ट नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किसने दिया है? मैंने तो नहीं दिया है।

श्री चित्त बसु : आपको पता है। मैं बिना किसी का नाम लिए कहता हूं कि इस प्रकार के वक्तव्य बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों ने दिए हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि वह हमें इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया से हमें अवगत

करायें, विशेष कर इस समय जबकि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं।

मैं चौथा स्पष्टीकरण यह चाहता हूं कि सभा को याद होगा कि आगाशाही ने अपने अन्तिम दौरे में; पाकिस्तान की युद्ध-वर्जन सन्धि के बारे में भारत के रवैये का स्वागत करते हुए इसे रचनात्मक प्रतिक्रिया बताया था। अब श्री आगा हिलाली का वक्तव्य खटकता है। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या राष्ट्रसंघ आयोग में दिये गए श्री आगा हिलाली के वक्तव्य को पाकिस्तान सरकार नें स्वीकृति दी थी? क्या यह सब पाकिस्तान सरकार की स्वीकृति से हुआ था? क्या सरकार यह भी समझती है कि पाकिस्तान पर एक भारी दबाव पड़ रहा है, विशेषकर पश्चिमी देशों की ओर से तथा विशेषतया अमरीका की ओर से; और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की भारी सप्लाई के बाद, पाकिस्तान अपनी स्थिति को बदल रहा है; जो कि श्री आगा हिलाली के हाल में दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट है? क्या सरकार इन चार बातों को स्पष्ट करेगी?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अन्तिम मुद्दे का पहले उत्तर हेतु हुए मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में इस पर अपनी टिप्पणी दे दी है मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं :

> "हमने श्री आगा हिलाली के बयान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि एक ऐसा वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक जो भारत में भी अपने देश का उच्चायुक्त रह चुका है, पाकिस्तान की सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा बयान दे सकता है।

श्री चित्त बसु : इसको विस्तार में कहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं कह चुका हूं। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने की अपनी भाषा हो सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव उस समय तो ये सदन से उठकर बाहर चले गये थे।

श्री चित्त बसु : मैं उनकी बात सुनने के लिए काफी पहले अन्दर आ गया था। इस पर मेरे दूसरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अन्तिम प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देने का अर्थ उत्तर की समाप्ति नहीं होता है।

श्री चित्त बसु : आप प्रारम्भ कर रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जब दो देशों के बीच सम्बन्धों में कुछ मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तथा जब अधिकारों पर कुछ अधिक जोर दिया है तथा सम्बन्धों पर कोई जोर नहीं दिया जाता तो यही होता है। ठीक यही इस मामले में हुआ है। श्री आगा शाही यहाँ आये। हमने उनके साथ विचार विमर्श किया। वह इस बात से सहमत थे कि दोनों देश शिमला समझौते के प्रति वचनवद्ध हैं और यदि कोई युद्धवर्जन संधि की जाती है तो वह शिमला समझौते को मजबूत बनाने के लिए होगी न कि इसको कमजोर बनाने के लिए। इन सब मामलों पर चर्चा

की गई थी तथा इन सभी पहलुओं पर समझौता हो गया था। यदि श्री आगा हिलाली के वक्तव्य के द्वारा वातावरण को दूषित न किया गया होता तो इन मामलों पर भारत और पाकिस्तान में जो भी मतभेद हैं उन सभी का समाधान करने के लिए हम बैठ गए होते और हमने यह सफलतापूर्वक कर लिया होता तथा ऐसी अवस्था में पहुंच गए होते जहां पर हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा सुझाई गई युद्धवर्जन संधि या अनाक्रम समझौता या मित्रता संधि की निकट भविष्य में स्पष्ट सम्भावना बन गई होती। यह किसी एक प्रश्न को उठाने का सवाल नहीं है जैसा कि वे कहते है कि उन्हें उठाने का अधिकार है। हम उस पर बिल्कुल नहीं है हम सिद्धांत के प्रश्न पर है और यदि वे प्रश्न उठाते हैं तो हम क्या करें? हमारा अपना दृष्टिकोण है। हम अपनी बात पर दृढ़ हैं। हमने अपने आप इस पर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आन्दोलन नहीं किया। वे यह कहते आ रहे हैं। हम उनको कहते आ रहे हैं कि ऐसा न करिये। हम उनको कह रहे हैं कृपया ऐसा न कहिए क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता है। हम इससे आगे नहीं बढ़ पायेंगे परन्तु उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यह प्रश्न उठाकर उन्होंने कश्मीर को ले नहीं लिया। कुछ अवसरों पर जब उन्होंने इस प्रश्न को नहीं उठाया तो उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। आसमान नहीं टूटा और इस प्रश्न को उन्होंने ऐसे समय पर उठाया है जबकि ये सम्बन्ध तथा ये वार्तायें बहुत ही कठिन तथा नाजुक अवस्था में थी जहां पर एक गलत कदम, एक गलत वक्तव्य के कुछ ऐसे परिणाम हो सकते है जैसे कि हुए है—जिनके ठीक होने में कुछ समय लगेगा। यही मुद्दा है जिस पर हम बहुत अधिक महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत की जनता बहुत अधिक महसूस कर रही है और अभी भी हमारे सम्बन्धों के कुछ पहलुओं पर जनता बहुत अधिक महसूस करती है। अतः जैसा हमारा इतिहास रहा है उसके कारण विशेष रूप से इस अवस्था में चौकस तथा सावधान रहना आवश्यक था और जैसा कि मैंने कहा कि हम यह विश्वास कर सकते है कि उस तरफ भी यह महसूस किया गया है और कुछ सम्भावना तथा आशा थी कि यह ऐसे समय नहीं उठाया जाना चाहिए था। अचानक पांच छः दिनों में क्या हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस सब वक्तव्य के लिए अनुदेश दिये गये थे। यही मैंने कहा है और यही सारी बात का मूल है।

जनमत संग्रह तथा माननीय सदस्य के द्वारा उठाये गये दूसरे प्रश्नों के बारे में भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है। इस वक्तव्य में मैंने हरेक बात नहीं ली है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है मैंने केवल वक्तव्य के प्रश्न तथा उसके बारे में हमने जो कुछ किया है मैं उसी तक सीमित रहा हूं। क्योंकि मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शब्दों तक ही सीमित रहना था। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा रवैया बदल गया है हमारा रवैया वैसा ही है जैसा कि सर्वविदित है।

नियन्त्रण की वास्तविक रेखा का विषय भी हमारे तर्क में सम्मिलित है। हम समूचे जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए जिसमें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर भी सम्मिलित है, संघर्ष कर रहे हैं। अतः अगला प्रश्न उठता ही नहीं है। हम बार-बार अपने रवैये को दोहरा कर इसमें कुछ जोड़ नहीं रहे है। मैं एक भिन्न प्रश्न की बात कर रहा हूं क्योंकि क्या जो कुछ हुआ है उसको टाला जा सकता था या टाला जाना चाहिए था। हम महसूस करते है कि इसको टाला जाना चाहिए था, यह टाला नहीं गया और उसका यह परिणाम है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं सभा का अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मुस्कराहट से ही यह स्पष्ट हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : स्पष्ट बात यह है कि उनको भूख लगी हुई है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह हम सभी को अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न भाग है और इस मामले में कोई दो राय नहीं है। यह इस देश में सभी सरकारों द्वारा दोहराया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि पाकिस्तान बार-बार कश्मीर के प्रश्न को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। शिमला समझौते में ऐसे विषयों को द्विपक्षीय चर्चा द्वारा समाधान करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु फिर श्री आगा हिलाली ने इस प्रश्न को 'मानवीय अधिकार आयोग' में उठाया। ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान शिमला समझौते का बहुत अधिक सम्मान नहीं करता है। पाकिस्तानी नेताओं ने काश्मीर की तुलना फिलिस्तीन तथा नामिबिया से की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह शिमला समझौते की धारणा के विरुद्ध है पाकिस्तान ने हमारे विरोध को भी अस्वीकार किया है तथा समाचार पत्रों में यह छपा है कि उन्होंने कहा है कि विरोध तर्क रहित है। यह बहुत ही तीखा वक्तव्य है साथ ही मैं तो कहूंगा कि यह अत्यधिक अक्खड़ भी है। पाकिस्तानी नेताओं ने हमेशा युद्धवर्जन सन्धि की बात की है। अब उन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी परन्तु दूसरी ओर वे जो कुछ कहते हैं तो उससे केवल भ्रान्ति ही पैदा होती है मेरी राय यह है कि यदि हम वास्तव में अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहते है तो हमें ऐसी बातों को टालना चाहिए। स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से रूस से गठबन्धन किये हुए है। यदि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे वक्तव्य देंगे तो यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है तथा इससे समस्याएँ ही पैदा होंगी। पाकिस्तान ने आणुविक आविष्कार किया है और अब अमरिका से हथियार ले रहा है। इन बातों से हमारे मन में कुछ सन्देह पैदा हो रहा है और हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार की बातों के पीछे अमरिका का हाथ है। पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता है जिसके लिए मना किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें अमेरिका का स्वार्थ है। अमेरिका की सरकार यह नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध रहें और इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ-ही-साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वार्ता के दरवाजे भी बन्द नहीं किये जाने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का पाकिस्मान द्वारा अधिकृत कश्मीर को छुड़ाने के लिए उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत करने का विचार है; यदि नहीं तो क्यों ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जिस स्थिति में हम है लगता हैं माननीय सदस्य उससे बहुत आगे चले गये हैं। यहां हम एक सम्बन्ध की बात कर रहे है जिसे दोनों देश वाँछनीय समझते है तथा इस सम्बन्ध को कैसे स्थापित किया जाये। वह सम्बन्ध पहले से शिमला समझौते में निहित हैं। हम इसको मजबूत बनाना चाहते है। पाकिस्तान इसको मजबूत बनाना चाहता है। मैंने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। श्री आगा शाही ने भी इसी सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। मानवीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं उसकी बहुत बाद में आने की सम्भावना है। अभी ऐसी बातें सोचना एक बहुत ही असमय बात है क्योंकि अभी सरकारी स्तर की वार्ताओं में विभिन्न कारणों की

वजह से बाधाएँ पड़ रही हैं। अतः हमें एक-एक कदम आगे बढ़ाना है। जैसा कि मैंने कहा है कि विदेश सचिव को भेजकर जो पहला कदम हम अपनी ओर से उठाना चाहते थे उसी में कठिनाइयाँ आ गई है। अतः हमें यह देखना है कि हम क्या कर सकते हैं उसको सम्भव बनाने के लिए हम दोनों देश क्या कर सकते हैं अतः हमने दरवाजे खुले रखे है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है जब मैंने यह कहा था वे ही बाहर चले गये थे अब वे आ गये है तो मैं कहूंगा कि दरवाजा खुले हैं और मैं उनसे सहमत हूँ कि दरवाजे खुले रहने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए
2 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पन्द्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक राज्य में मस्तिष्क ज्वर को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को सहायता देने की मांग

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य दे रहा हूँ।

मैं सभा को तथा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान मस्तिष्क ज्वर (ब्रेन फीवर) की ओर दिलाना चाहता हूँ जिससे कर्नाटक राज्य में लगभग 462 व्यक्ति मर चुके है। इस जापानी एनसिफलाइटिस रोग ने जिसे मस्तिष्क ज्वर (ब्रेन फीवर) भी कहते है, पिछले दो वर्षों में राज्य में बहुत सी जाने ली हैं। पिछले वर्ष इसके 837 मामलों का पता चला जिनमें से 236 व्यक्तियों की जानें गई और वर्ष 1979 में 911 व्यक्ति इससे पीड़ित हुए जिसमें से 226 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। सबसे अधिक कुप्रभाव कोलार जिले में हुआ। बिमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गए उपाय विफल रहे हैं। इस स्थिति पर ध्यान देते हुए जिसे राज्य सरकार नियन्त्रण में नहीं ला पाई, मैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से इसे गम्भीरता से लेने तथा राज्य में स्थिति को और बिगड़ने से बचाने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि रोग राज्य के अन्य भागों में न फैले। यदि विदेशी सहायता अपेक्षित हो तो किसी भी देश से किसी भी कीमत पर सहायता लेने में संकोच नहीं बरता जाना चाहिए। जापान से प्राप्त टीकों के अप्रभावी रहने से रोग का उपचार लाक्षणिक रहा है। यह भी समाचार मिला है कि इससे बच्चे पंगु हो जाते हैं। धन के अभाव के कारण राज्य सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही पर्याप्त नही रही है। अतः केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र राज्य की सहायता करनी चाहिए।

मैं एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगायें तथा इस मामले में राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता प्रदान करें।

(दो) मध्यप्रदेश के सूखा और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों की आवश्यकता

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

गत वर्ष वर्षा न होने के कारण पूरा मध्यप्रदेश सूखा ग्रसित रहा। गरीब किसानों तथा आम जनता को अपार कष्ट मिला।

इस वर्ष बहुत ही आशा थी कि फसल बहुत अच्छी होगी, पर गत वर्ष से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। हाल की असामयिक भयंकर वर्षा भीषण ओलावृष्टि तथा शीत के कारण समस्त मध्य प्रदेश प्रभावित हुआ, विशेषकर मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग—राजगढ़, गुना, विदिशा जिला। ओलावृष्टि तथा भयंकर वर्षा ने सिर्फ फसल को ही नष्ट नहीं किया अपितु जनसाधारण को तथा पशु-पक्षी को भी अत्याधिक नुकसान पहुचाया। करोड़ों रुपये की फसल चौपट हो गई। कितने ही कुएँ धंस गये। हजारों की संख्या में बेचारे पशु-पक्षी मर गये। मवेशियों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। गरीब जनता के सैंकड़ों झोपड़े गिर गये, विशेषकर—राजगढ़, गुना तथा विदिशा जिला इसकी चपेट में आया। इन जिलों में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ।

ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह ग्रसित जनता को अधिक-से-अधिक अनाज उपलब्ध करावे, लोगों को आर्थिक सहायता दी जाय। राज्य शासन द्वारा माँग की पूर्ति शीघ्र की जाय जिससे कि तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य खोले जा सकें। प्रभावित क्षेत्रों की जनता से राजस्व वसूली, तकावी वसूली तथा बैंकों के ऋण की वसूली भी माफ की जाय अथवा स्थगित की जाय।

जो भी थोड़ी-सी फसल बची है उसे बचाने के लिए कीटनाशक औषधियाँ तत्काल ही भेजी जानी चाहिए और किसानों को मुफ्त वितरण होना चाहिए।

इसी प्रकार देश के अन्य प्रदेश भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार को युद्ध स्तर पर इस समस्या पर विचार एवं कार्य करना चाहिए। इस समस्या पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इत्यादि विवरण सदन में बताये।

(तीन) गुड़ के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और गन्ने का एल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग करने की आवश्यकता

श्री पी॰ राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ।

देश में लगभग 55 प्रतिशत गन्ने का गुड़ बनाया जाता है। गुड़ उत्पादक या तो छोटे अथवा सीमांत किसान होते हैं। गुड़ उत्पादन कुटीर अथवा प्राथमिक उद्योग बन गया है जिसमें लाखों कृषि कर्मिक लगे हुए हैं।

इस समय गुड़ के मूल्य इतने कम हो गये हैं कि इससे उत्पादन व्यय के बराबर भी नहीं मिल पाता अत: गुड़ उत्पादकों को हानि उठानी पड़ती है तथा इससे कृषि में रही मजदूरों को भी होनि हो रही है।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गुड़ के अन्य देशों को निर्यात की अनुमति दे दी है, परन्तु उसका मूल्य नहीं बढ़ रहा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके कारणों का पता लगाये तथा गुड़ का न्यूनतम मूल्य नियत करके कृषकों की सहायता करे और गुड़ की खरीद करे जिससे कि गुड़ उत्पादकों को हानि न उठानी पड़े।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि और चीनी मिलें खोली जायें ताकि उनको गन्ने की अधिक खपत हो सके तथा गुड़ का उत्पादन कम हो।

पावर एल्कोहल बनाना सरकार के अधीन है। यदि गन्ने के रस से इसके निर्माण के लाइसेंस दे दिये जाये तो एल्कोहल का उपयोग परिवहन में मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिए किया जा सकेगा जैसा कि अन्य देशों में होता है जिससे डीजल तथा अन्य तेलों के आयात में कमी की जा सकेगी।

अत: निवेदन है कि पावर एल्कोहल के उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग किया जाये।

(चार) राजस्थान के पाली जिले की अकालग्रस्त तहसीलों में राहत कार्यों की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्तव्य ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पाली राजस्थान में पाली जिले की विशेष रूप से तहसील पाली में समस्त गाँवों और अन्य आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीण अनु-जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों की दयनीय एवं शोचनीय स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं। पूरे तीन वर्ष बरसात न होने से गरीब लोग भूख के कगार पर खड़े हैं। सरकार ने अभी तक राहत कार्य इन क्षेत्रों में नहीं खोले हैं। लोगों ने अपने घर के पीतल के बरतन तक बेच दिये है और कर्जा इतना ले लिया हैं कि उनको अब कहीं से और कर्जा नहीं मिल रहा है। अकाल राहत कार्य न खुलने से लोगों की क्रय शक्ति टूट गई है। लोग भयंकर अकाल की चपेट में है। कई गाँवों में पेय जल तक उपलब्ध नहीं है। चारे की भारी कमी के कारण पशु भारी संख्या में मरने लगे हैं। सस्ता धान पर्याप्त मात्रा में गाँवों में नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय है कि काफी ओवर ड्राफ्ट ले चुकी है और नये अकाल राहत कार्य चालू करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कुछ राहत मिल सके।

(पांच) मसूरी में साफ्ट-स्टोन के खनन को रोकने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : मसूरी भारत वर्ष की सुन्दरतम पर्यटक नगरी है। यह नगरी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है जहाँ कि अच्छी क्वालिटी का सोफ्ट स्टोन पाया जाता है। इस सोफ्ट स्टोन के खनन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई लोगों को खनन कार्य के लिए लीज पट्टे दिये गए हैं। इन लीज धारकों द्वारा खनन नियमों की सर्वथा अवहेलना कर

खनन कार्य किया जा रहा है जिसे न तो भारत सरकार वन प्रान्तीय सरकार के माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करवाते हुए सुव्यवस्थित करने की चेष्टा की जा रही है। खनन किए गए क्षेत्र को पुनः रिक्लेम करने के कार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप भयंकर भू-क्षरण हो रहा है। इस सोफ्ट स्टोन पर आधारित कई भट्टियां देहरादून शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रही है। इन भट्टियों में किसी भी प्रकार की प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था नहीं हैं।

प्रदूषण, भू-क्षरण तथा अव्यवस्थित तथा सारे खनन कार्य से शिवालिक की पहाड़ी पर स्थित सुन्दरतम मसूरी के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो रही है। पेय जल के स्रोत सूख रहे है। मसूरी की कमर पर एक मेखला के रूप में किए जा रहे खनन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शिवालिक की इन पहाड़ियों पर कोढ़ पैदा हो गया है। इस नगर का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हो रहा है, जिसे तत्काल बचाया जाना आवश्यक है।

स्थानीय लोगों द्वारा बराबर इस बात की मांग की जा रही है कि इस क्षेत्र में खनन कार्य को तत्काल बंद किया जाए, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

वर्तमान खनन अधिनियम पूर्णतः खानों के लीज धारकों के पक्ष में हैं। इस अधिनियम के तथा इसके उपबन्ध के रहते प्रदेश सरकार के लिए यह अनिवार्य सा है कि वह इच्छुक वर्तमान लीज धारक को पुनः एक बार और 20 वर्ष के लिए माईनिंग कार्य हेतु लीज प्रदान करे। मैं समझता हूँ कि इस उपबन्ध को तत्काल समाप्त करना आवश्यक है ताकि प्रदेश सरकार समाप्त हो रही लीजों को रिन्यू न कर सके।

अतः खान मन्त्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय को इस सन्दर्भ में तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(छः) हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में तालाबन्दी समाप्त करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (वर्दवान) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। श्रमिक संगठनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर 19 जनवरी, 1982 को पूरे देश में एक दिन की आम हड़ताल के बाद हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल हरियाना के प्रबन्धकों ने 20 जनवरी, 1982 से मिल बन्द कर दी।

24 जनवरी, 1982 को प्रबन्धकों ने एक तरफा गैर-कानूनी तालाबन्दी कर दी जिससे लगभग 1500 श्रमिक तथा कर्मचारी बेकार हो गये। प्रबन्धकों ने क्षमा याचना पत्र के फार्म मजदूरों को भेजे हैं तथा उनसे कहा है कि पुनः काम पर लौटने के लिए शर्त यह है वे पहले इस फार्म को भर कर दें। क्योंकि यह शर्त श्रमिकों के लोकतन्त्रीय अधिकार पर कुठाराघात है, अतः उन्होंने ऐसी अपमानजनक शर्त को स्वीकार नहीं किया।

हरियाणा सरकार ने विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया है तथा वह खुले आम मिल के प्रबन्धकों का पक्ष ले रही है। उसने हांसी स्पिनिंग मिल्स वर्कर्स यूनियन तथा एच. सी. एस. एम. प्रोग्रेसिव एसोसिएशन को जन सभाओं के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने तक की अनुमति नहीं दी है।

मिल के प्रबन्धकों तथा हरियाणा सरकार के रवैये से मिल मजदूरों तथा इद्रर तथा गांवों की जनता में रोष फैल रहा है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके ऐसी कार्यवाही करें जिससे कि हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० अविलम्ब चालू हो जाये तथा सभी मजदूरों को काम पर ले लिया जाये। मजदूरों को प्रबन्धकों द्वारा लादी गई तालाबन्दी की अवधि की मजूरी दी जाये। विवाद के दौरान स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन के रवैये की जांच कराई जानी चाहिए।

(सात) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा मुस्लिम महिलाओं का कथित अपमान

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मामला उठाती हूं। धर्म के नाम पर छद्मवेश में कार्य करते हुए कुछ गुंडा तत्वों ने यह बात उठायी है कि मुस्लिम महिलाओं को फिल्में देखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में घटीं। इन तत्वों ने अपमानजनक प्रदर्शन भी आयोजित किये। आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में मुस्लिम साम्प्रदाय के समझदार स्त्री पुरुषों ने लोकप्रिय विरोध द्वारा इसे रोका। यदि इस बात को दृढ़तापूर्वक न रोका गया तो यह बुराई अन्य राज्यों में भी फैल जायेगी। सभी समुदाय के लोगों को, विशेषतः मुस्लिम समुदाय के लोगों को तो मुस्लिम महिलाओं को अनुचित रूप से इस प्रकार तंग किये जाने की बात को रोकना ही चाहिए, जैसा कि हैदराबाद में किया गया, सरकार को भी इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर अविलम्ब ध्यान दें तथा राज्य सरकार से आग्रह करें कि इस प्रकार की कार्यवाहियों से प्रभावित होने वालों की दृढ़तापूर्वक रक्षा की जाए तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

(आठ) औरंगाबाद बिहार में हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर पुलिस द्वारा अत्याचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में हरिजन एवं गरीब पुलिस जुल्म के शिकार हो रहे हैं। विगत एक माह से पुलिस और बड़े लोगों के सांठ-गांठ से गया और औरंगाबाद जिले में कांच, परैया और गोह प्रखंडों में हरिजन एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं की इज्जत खुले आम लूटी जा रही है। हरिजनों को नक्सली करार देकर जेल में बंद कर देना, बिना वजह घरों में घुस जाना, जेवर और सम्पत्ति लूट लेना, बच्चों को मारना-पीटना, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आम बात हो गई है।

विगत एक माह के अंदर उक्त प्रखंडों के चार सौ से अधिक निर्दोष व्यक्तियों को निराधार मुकद्दमों में फंसा कर जेल में बंद कर दिया गया है।

आम गरीबों को भय है कि जिस ढंग से पुलिस एवं बड़े लोगों का मन बढ़ता जा रहा है दोनों के सांठ-गांठ से किसी दिन भी हरिजनों एवं पिछड़ों का नर संहार हो सकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करे और वहां फैले आतंक के वातावरण को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार बिना वजह झूठ-मूठ के मुकद्दमों में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों को रिहा करें। हरिजनों एवं पिछड़ों के जान-माल की रक्षा करें तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

——

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मामले को लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री महाबीर प्रसाद कांग्रेस (आई) अपना भाषण जारी रखें। वह 9 मिनट पहले ही ले चुके हैं।

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर इस माननीय सदन में अपने विचार रखे और कुछ आज भी संक्षेप में रखना चाहता हूं।

श्रीमान्, किसी भी देश की उन्नति या किसी भी देश को ऊंचा करने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साध्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कल मैं सरकार की जो नीति है, सरकार की तरफ से नीतिगत प्रश्नों पर जो दिशा पकड़ी गयी है, उसके सम्बन्ध में इस माननीय सदन में बता रहा था। मान्यवर इस देश में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किये। दोनों सदनों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर उन्होंने जो दृष्टिपात किया था, उस पर मैं सरकार को बताना चाहता हूं। उसमें अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिए, पिछड़े और देहाती इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए, गन्दी बस्तियों में सफाई का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए और उनको रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करने तथा भूमि बाँटने की बातें कही गई हैं।

कल उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि के बंटबारे के संबंध में बात की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पहले भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था और ग्रामीण अंचलों में हरिजनों, पिछड़ी जातियों, अल्प संख्यकों आदि को प्राथमिकता के आधार पर जमीन बांटी गई थी और कहीं-कहीं पर उनको कब्जा भी दिया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि गत वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव गढ़ई में 50 लोगों को जमीन बांटी गई। उन गरीबों ने वहां पर फसल बोई और जब फसल पककर तैयार हो गई तो जिन व्यक्तियों की जमीन ली गई थी वे कोर्ट से स्टे आर्डर ले आए और फसल कटवा ली।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार सरकार जो पिछड़े वर्गों की भलाई करना चाहती है, इसमें कठिनाई आएगी। यह कहा गया कि यह भूमि संबंधी मामला है, इसलिए प्रदेश सरकार इसे देखेगी। इस तरह से उन लोगों को कभी कब्जा नहीं मिल सकेगा। इसलिए इन चीजों में सुधार करना पड़ेगा, तभी हमारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम आगे बढ़ सकेगा।

इसके साथ-साथ, जमीन आवंटित की गई है, वहां पर "सी०एच०" लिख दिया गया है। उस व्यक्ति के नाम से चाक-आउट चल रहा है, जिस व्यक्ति से जमीन ली गई है। इस तरह से हमें कार्यक्रमों में सफलता नहीं मिलेगी।

आर्थिक पक्ष को छोड़कर हम वैज्ञानिक पक्ष की ओर देखें। उस पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि भारत-वर्ष वैज्ञानिक प्रगति के मामले में पीछे जा रहा है; लेकिन जब मैंने इस बात का आकलन किया तो पाया कि ऐसा नहीं है। गत दो वर्षों में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक कितने आगे बढ़े हैं इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। रोहिणी, एपल और भास्कर-2 को छोड़कर हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है। इससे साबित होता है कि विश्व में भी भारतवर्ष ने विज्ञान के क्षेत्र एक उदाहरण पेश कर दिया है और कर रहा है।

मैंने धन्यवाद के प्रस्ताव का आकलन किया है। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल की ओर भी वह विशेष ध्यान दे। अभी गत 6 फरवरी को माननीय प्रधान मंत्री जी हमारे निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव में गई थीं और वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मेलन को सम्बोधित किया था। उन्होंने वहां यह घोषणा की थी कि मैं पिछड़े हुए क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान दूंगी। उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल का मतलब गोरखपुर जनपद ही नहीं है। बल्कि उसमें बस्ती, गोरखपुर, बलिया, बिहार के इलाके अर्थात लखनऊ से पूर्व का जितना हिस्सा है वह आ जाता है। उस हिस्से को भी मानचित्र में स्थान मिलना चाहिए और उसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो सिद्धान्त आपने तय किए हैं, जो आधार रखे हैं उसके आधार पर क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए, रिजनल इस्वैलेंसिस को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। इसकी आपने घोषणा भी कर रखी है। सदियों से पूर्वांचल का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान जी जब पहली मार्च को जवाब दे तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आश्वासन भी दें कि किस प्रकार से उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है।

प्रो० रंगा साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं जोरदार शब्दों में इस शेर के साथ समर्थन करता हूं:

लोग कहते हैं कि जमाना बदलता है।
इंसान वे है जो जमाने जो बदल देते हैं।

इस प्रकार प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के लिए 20 मिनट आवंटित किये गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्रीमान, मैं रंगा जी के प्रति, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उचित सम्मान...(व्यवधान)

उचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए, प्रो० रंगा द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने सभी विकासात्मक क्रियाकलापों, जिनमें सरकार के उत्पादक क्रियाकलाप, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भूमिका औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्धियां, मित्र देशों विशेषतः पड़ोसी देशों के साथ संबन्ध बढ़ाने में भरने की रुचि, मुद्रा स्फीति की प्रवृतियों को रोकने के लिए किये गए उपाय शामिल हैं, के साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम को, जो कि पांच वर्ष से बन्द पड़ा रहा, समुचित रूप से क्रियन्वित किये जाने का भी उल्लेख किया है।

हरिजनों तथा आदिवासियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों तथा जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी क्रियाकलापों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति ने सभी बातों को लिया है।

पृष्ठ 3, पैरा 9 में राष्ट्रपति ने मुद्रास्फीति रोकने के उपायों का वर्णन किया है। ये है, अधिक उत्पादन करना, क्षमता आदि का अधिक उपयोग करना आदि। न केवल राष्ट्रपति ने, अपितु विश्व बैंक, जिसने इस सरकार के क्रियाकलापों एव आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन किया है, के अध्यक्ष ने भी सरकार के श्रेष्ठ कार्यों तथा देश की दृढ़ वितीय स्थिति का वर्णन किया ?

मैं विश्व बैंक की 1981 की रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :—

"भारत की आर्थिक नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। संसाधनों की बदलती हुई स्थिति और भुगतान संतुलन सम्बन्धी कठिनाइयों के एक और अवसर का सामना करने के लिए की जा रही तैयारी को देखते हुए यह पता चलता है कि भारत ने बड़ी तेजी से स्थिति में सुधार किया है। आज के भारत की आर्थिक स्थिति आधे दशक पूर्व की स्थिति से बहुत मजबूत है और इसलिए यह बाहर के वातावरण के प्रभावों का सामना करने में समर्थ रहेगी।"

अतः, न केवल राष्ट्रपति ने हमारी आर्थिक स्थिति की प्रशंसा की है, अपितु विदेशी शक्तियों के लिए भी, उनमें से कई हमारे विकास को पसन्द नहीं करती, इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह गया है कि वे बहुत से क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार करें।

उसी प्रकार पैरा 2 से 9 में राष्ट्रपति ने हमारे मूलभूत उद्योगों तथा अन्य एजेंसियों के उत्तम कार्य-निष्पादन का वर्णन किया है। इस प्रकार देश में अनाज तथा अन्य उद्योगों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने तीन और महत्वपूर्ण मामले रखे हैं जिनका देश में बहुत प्रभाव हुआ है।

एक, प्रधान मंत्री ने कहा है कि "यह उत्पादकता वर्ष है।"

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है बीस सूत्री कार्यक्रम।

तीसरी बात है विपक्षी दलों के और राजनीतिक दलों के नेताओं से राष्ट्रीय समस्याओं एवं मामलों पर सहयोग की अपील, क्योंकि इस समय देश पर भीतरी एवं बाह्य दबाव बढ़ रहा है।

इस ओर के भी बहुत से मित्रों ने कहा हैं कि सरकार को कुछ शर्तें पूरी करनी चाहिएं। मैं नहीं जानता कि वे शर्तें कौन-सी है जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। निःसन्देह इनमें ठोस

कुछ नहीं है । परन्तु श्री दंडवते के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । विपक्ष सरकार को समर्थन दे सकता है । वे केवल आपस में एक हो जाते हैं । वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिपक्ष की एकता लोगों ने देख ली है, उन्हें देश को गुमराह किया और अन्त में स्वयं को ही नष्ट कर दिया । कई लोग कहते हैं कि सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण वे परस्पर एक नहीं हो पाये । परन्तु मुझे सन्देह है कि इन राजनीतिक पार्टियों के कोई सिद्धान्त है भी या नहीं ।

(व्यवधान)

एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है । जिसमें सरकार आगे बढ़ रही और वह है ग्रामीण जनता के विकास के लिए आर्थिक कार्यक्रम अर्थात समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति घटक योजना कार्यक्रम गन्दी बस्ती सुधार इत्यादि कार्यक्रम हैं । सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की है । इसी तरह हम दो वर्ष की अवधि के अन्दर 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने जा रहे हैं जहाँ भी पानी उपलब्ध हो वहीं से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए । हमारे प्रो० यहीं पर हैं वे साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) से सम्बन्धित हैं । तमिलनाडु सरकार केरल से पानी लेना चाहती है । पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल बेकार जा रहा है. उसको कोयम्बटूर जिले, मेरे जिले तथा दूसरे स्थानों को मोड़ा जा सकता है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अब आप श्रीमती गांधी से बहुत अच्छी तरह अपील कर सकते हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इन सब वर्षों में वहां पर साम्यवादी सरकार थी हम केरल सरकार से कोयम्बटूर जिले में 2 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र सिंचित करने के लिए कुछ पानी देने के लिए निवेदन करते रहे और हमने उनसे कहा कि हम उन्हें धन देंगे परन्तु उन्होंने मना कर दिया । न केवल यही किन्तु कोयम्बटूर जिले के लिए पीने के पानी के लिए भी हमने केरल से पानी की माँग की थी किन्तु इसे भी अस्वीकृत किया गया । उन्होंने दो जलाशयों का निर्माण करने के लिए तमिलनाडु सरकार से मांग की थी । तमिलनाडु सरकार ने 1972 में केरल में जलाशय के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये दिये ताकि वे कोयम्बटूर शहर को पानी भेज सकें । परन्तु 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह जलाशय अभी तक पूरा नहीं किया जा सका । इसी प्रकार कावेरी जल के प्रश्न को भी सुलझाया जाना चाहिए । मैं माननीय प्रधानमंत्री जो इस समय सदन में बैठी हैं, से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा इन मामलों को जितना शीघ्र सम्भव हो सके सुलझायें । मैं समझता हूं कि हो सकता है कि सरकार इसी वजह से एक राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी या कुछ इस तरह की एजेन्सी का गठन करने जा रही है । मैं इस विकास एजेन्सी को बनाने के प्रयत्नों का स्वागत करता हूं ।

मकान बनाने के लिए स्थानों के बारे में यह कहा गया है कि सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया है । मुझे कहना चाहिए कि जहां तक मकानों के लिए जगह के वितरण का सम्बन्ध है यह शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है । हरिजनों, आदिवासियों तथा दूसरे कमजोर वर्गों को मकानों के लिए जगह देना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । परन्तु इसको उचित तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया है । हाल ही मे फरवरी 1982 में मैंने एक प्रैस रिपोर्ट देखी थी कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं । कुल राज्यों में से केवल तीन या चार राज्यों ने इनका अनुपालन किया है तथा इस मामले में कुछ रुचि ले रहे हैं......

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा केरल।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह केवल कागज पर ही हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : दूसरे राज्यों के बारे में मैं नहीं जानता कि क्या कारण हैं; सरकार को इस मामले में पूछताछ करनी चाहिए। योजना केन्द्र के द्वारा बनाई जा रही है। केन्द्र द्वारा धनराशि भी दी जा रही है। कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि वे छठी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करने हेतु दो तीन राज्यों में गई हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री को दिए गए सभी आंकड़े ठीक थे या नहीं। परन्तु राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन पर नजर रखने के लिए एक निगरानी रखने वाली एजेन्सी होनी चाहिए। हो सकता है मेरे मित्र यह कहें कि यह संघीय राजतन्त्र के विरुद्ध है। ऐसी कोई बात नहीं है। यह राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के बीच केवल एक समन्वय का कार्य है। यह केवल यह जानने के लिए है कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए निर्धारित की गई धनराशि का उचित ढंग से उपयोग किया गया है या नही। अतः मेरा यह सुझाव है कि ऐसी निगरानी रखने वाली एजेन्सियाँ तुरन्त बनायी जानी चाहिए ताकि वे प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गयी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ने श्री लंका का दौरा किया। श्री लंका में तमिल मूल के लोगों के साथ कुछ समस्यायें हैं। कई बार हमने भी प्रधानमंत्री तथा सरकार को इस बारे में अभ्यावेदन दिए हैं। महोदय, श्री लंका सरकार श्री माओ भंडारनायके शास्त्री समझौते से सहमत हो गई है। वह समझौता पहले ही समाप्त हो चुका है। हमारी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम समझौते का नवीनीकरण करने नहीं जा रहे हैं। श्रीलंका सरकार कहती है कि सन्धि अभी भी कायम है। मेरी आशंका यह है कि यदि श्री लंका सरकार श्री लंका में इन राज्य विहीन लोगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो उन लोगों की क्या हालत होगी? इस मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि वे तथाकथित राज्यविहीन लोग श्री लंका मूल के ही लोग हैं वे वहां जाकर बसे नहीं है उनको वहाँ जाकर बसने वाले लोग कहा जा रहा है। यह उनका कार्य है कि वे श्री लंका सरकार के साथ संघर्ष करे और अपनी वैध नागरिकता प्राप्त करें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है हमारी सरकार स्वतन्त्र क्षेत्र के पक्ष में है। परन्तु श्री लंका सरकार ने कुछ विदेशी एजेन्सियों अर्थात् विदेशी सरकार अथवा कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियों को अड्डे बनाने की पेशकश की है। श्री लंका सरकार तथा अन्य मंत्रियों ने इसका भी खंडन किया है। मुझे हाल ही में सूचना मिली है कि श्री लंका सरकार ने कोस्टल बरमूडा नाम की अमरीकी कम्पनी को 640 एकड़ भूमि दी है। उनका उद्देश्य जहाजों को इंधन देने का है। इसको त्रिकोमाली कहते हैं। समझौते के अनुसार कम्पनी दूसरे देशों के सभी जहाजों को ईधन दे सकती है परन्तु आपातकाल में वे दूसरे देशों के जहाजों को ईंधन देने से मना कर सकते हैं।

अतः मैं प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे श्री लंका सरकार से

इस बारे में बात करें क्योंकि यह हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र मानने की नीति के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

अब मैं अपने राज्य की बात करता हूं। औद्योगिक विकास में वास्तव में ही स्थिरता आ गई है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यों की परवाह नहीं करते। केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार की कठिनाइयों की जानकारी है। हाल ही में अपने एक भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई धन नहीं दिया है। वे तमिलनाडु में कोई निवेश नहीं कर रहे हैं। निवेश 8 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गया है। यही उन्होंने कहा है। राज्य सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वे केन्द्र से आग्रह करें। वह केन्द्र सरकार के सामने दूसरे प्रस्ताव रखते हैं परन्तु राज्य के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करते। वह कुछ अन्य बातों के लिए प्रस्ताव करते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे अन्य बातें क्या हैं ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरे साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के मित्रों को इस विषय में जानकारी है क्योंकि वे उनके मित्र हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार को द्वितीय मद्रास की शहरीकरण की विकास योजना के लिए विश्व बैंक से 40 लाख 20 हजार डालर का तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास योजना के लिए 240 लाख डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में तमिलनाडु में वन विकास के लिए स्वीडन सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है। मेरा एक मात्र निवेदन यह है कि इस राशि का उचित प्रकार से सदुपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को इस पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। उसी की स्थिति के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि मुझे इस पर खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु में आप शक्ति में नहीं हैं परन्तु आप वहां की 'पावर' की स्थिति की बात कर रहे हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है। राष्ट्रपति के भाषण में यह कहा गया है कि उसी की स्थिति अच्छी है। केन्द्र विभिन्न राज्य सरकारों से आंकड़े इकट्ठा करता है। वे ही केन्द्र को आंकड़े और सूचना भेजते हैं और यह कहते हैं कि उसी की स्थिति बेहतर है, परन्तु, महोदय, मैं कोयम्बतूर के बहुत से उद्योगपतियों से मिला हूं उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें नियमित रूप से बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है बिजली की पूर्ति घटाकर 35 प्रतिशत की गयी है। किसानों को दिन के समय बिजली प्राप्त नहीं होती है। उन्हें केवल रात के समय ही मिलती है और वह भी 3 घंटे के लिए।

अब मैं आपको तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं तथा इसको राज्य सरकारों द्वारा किस प्रकार संभाला जा रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमने इसके बारे में प्रधानमत्री को भी अभ्यावेदन दिया है तिरुचेन्दूर में एक सत्यापनी अधिकार की हत्या की गई थी। हमने सदन में तथा सदन से बाहर भी यह मांग की थी कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। तमिलनाडू सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और मुख्यमन्त्री ने तत्काल ही पाल आयोग' नाम से एक आयोग का गठन किया।

उन्होंने इस आयोग का गठन अपने आप नहीं किया बल्कि केन्द्रीय सरकार से पत्र मिलने पर ही किया। इस आयोग ने पता लगाया कि वह आत्महत्या नहीं वरन् वह हत्या थी। उसने कहा कि जांच अधिकारी की हत्या की गई थी। सम्बन्धित मंत्री, एच० आर०, ई० मंत्री, हत्या होने के अगले दिन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वह आत्म हत्या के अलावा कुछ नहीं है। आयोग ने यह कहा है कि यह हत्या का मामला है। जब आयोग ने ऐसा कहा है तो फिर राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है ? राज्य सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाय, आयोग के निष्कर्ष का खंडन करते हुए आयोग की रिपोर्ट का एक प्रत्युत्तर जारी किया। मेरे नेता घटना की उचित जांच किए जाने की मांग करते हुए मदुराई से तिरुचेन्डुर की 200 कि० मी० से अधिक लम्बी यात्रा पर गए। और उन्होंने यह निवेदन किया कि मुख्यमंत्री को इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कराने के लिए स्वयं कहना चाहिए। हालांकि हम यह जानते थे कि वह ऐसा नहीं करेंगे फिर भी हमने सोचा कि वह ऐसा करेंगे। इण्डियन एक्सप्रेस में यह कहा गया है कि तमिलनाडु में पुलिस राज है। हालांकि सरकारी तौर पर यह घोषणा नहीं कि गई कि वह पुलिस राज्य है, फिर भी गैर सरकारी रूप में वह पुलिस राज्य की तरह ही कार्य कर रहा है। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि पुलिस पर नियमों और विनियमों के विरुद्ध कार्य करने के लिए किस तरह दबाव डाला जा रहा है। जब श्री करुणानिधि एक जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे तब एक युवा श्री रामास्वामी ने उन पर एक लम्बे चाकू से हमला करने और श्री करुणानिधि की हत्या करने का प्रयत्न किया। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध क्या मामला दर्ज किया गया ? श्री रामास्वामी के विरुद्ध मद्यनिषेध अधिनियम की धारा 4(1) (ङ) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया। वह चाकू लिए हुए था और उसने हमला करने और हमारे नेता की हत्या करने का प्रयत्न किया। अब मद्यनिषेध अधिनियम के तहत उस पर 50 रु० या इसके लगभग जुर्माना किया जाएगा।

लेकिन एक दूसरे मामले में, जब अखिल भारतीय अन्ना मुनेत्र कषगम सरकार के वित्त मंत्री अपनी कार में जा रहे थे तो चन्द्र बाबू नाम के एक लड़के ने उसकी कार पर पत्थर फेंका। पुलिस ने माइलापुर के चंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 307 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयत्न करने के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया। एक मामले में तो एक असामाजिक तत्त्व ने एक नेता को मारने का प्रयत्न किया, फिर भी वह मामला धारा 307 के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया लेकिन दूसरे अन्य मामले में, जबकि एक लड़के ने कार पर मात्र पत्थर फेंका था फिर भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के लोग क्या सोचेंगे ? यदि कोई एक छोटा-सा पत्थर फेंकता है तो उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप लगाया जाता है लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक लम्बा चाकू लेकर किसी नेता पर हमला करने का प्रयत्न करता है तो उस पर उसी धारा के अंतर्गत आरोप नहीं लगाया जाता। इस प्रकार राज्य सरकार स्वयं ही तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि वह इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएँ नहीं हो। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है।

महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूँ। मेरे मित्र पूछ रहे थे कि डी० एम० के० इस सरकार का समर्थन क्यों करती है ? इसका सीधा-सा कारण यह है। डी० एम० के० एक स्थायी सरकार चाहती है। यही कारण है कि हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम शक्तिशाली हैं। हमारा विचार है कि श्रीमती गांधी के अलावा भारत में कोई अन्य नेता, कोई दूसरा राजनीतिक नेता केन्द्र में स्थाई सरकार नहीं बना सकता।

एक माननीय सदस्य : कब तक ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी राय उस समय प्रकट कर सकते हैं, जब आप बोलें। इन्होंने अपना मत प्रकट किया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह मात्र आलोचनात्मक मूल्यांकन है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : महोदय, हमारे मित्रों को इससे असुविधा होती है। लेकिन मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। महोदय, हमारे मित्रों ने व्यक्ति पूजा की बात कही है। कुछ लोग जन्म से ही नेता होते हैं, कुछ लोग नेता बनाए जाते हैं। कोई नेतागिरी के लिए लड़ रहा है। कोई व्यक्ति जनसाधारण के नेता है। उनमें, मेरा विचार है श्रीमती गांधी जन-नेता है। वे जनता की नेता हैं, और इस राष्ट्र की नेता है। महोदय, मैं प्रो० रंगा द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रिय मित्र प्रो० रंगा द्वारा प्रस्तुत और श्री एच० के० एल० भगत द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जब हम धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते है तो यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण अवसर होता है और हमें इस पर उच्च स्तर पर चर्चा करनी चाहिए। स्वयं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उच्च स्तर की बात कही है और कुछ ऐसी बातें कही है जो प्रगति और उन्नति का द्वार खोलती प्रतीत होती हैं। उन्होंने पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया हैं और उन समस्याओं और चुनौतियों का भी उल्लेख किया है जो देश के सामने हैं और संसद सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे एकजुट हो और छठी योजना के पहले दो वर्षों में अब तक प्राप्त उपलब्धियों को दृढ़ करे, एवं बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। राष्ट्रपति का अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करना पारम्परिक है। यह पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा करने के समान है और राष्ट्रपति महोदय उन विभिन्न उपायों की ओर भी संकेत करते हैं जो सरकार आगामी वर्ष में करना चाहती है। राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत किए गए तथ्यों और आंकड़ों का किसी भी विपक्षी सदस्य ने खण्डन नहीं किया। वे इनका खण्डन नहीं कर सकते, चूंकि यही तथ्य है। लेकिन मुझे यह देखकर दुःख हुआ है कि पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों की प्रशंसा करने में किसी भी विपक्षी सदस्य ने एक भी शब्द नहीं कहा है। यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

लोग पाँच वर्ष के लिए किसी दल को सत्तारूढ़ करते हैं। लोगों ने श्रीमती गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस (आई) का चुनाव भारी जनमत से किया था और उन्होंने सरकार बनाई तथा पिछले दो वर्ष की उपलब्धियाँ विशेषकर श्रीमती इंदिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व, सूझबूझ,

एवं दूरदृष्टि के कारण ही सम्भव हुई है। यह एक ऐसा तथ्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, भले ही वह सत्तारूढ़ दल का हो अथवा किसी विपक्षी दल का।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, सिंचाई-क्षमता में भी सराहनीय वृद्धि हुई है। उर्वरक उत्पादन भी बढ़े है, पेट्रोल की खोज में भी सफलता मिली है और विदेशी मण्डियों को हमारे निर्यात में भी वृद्धि हुई है। लेकिन हमें इन उपलब्धियों को दृढ़ बनाना है और देखना है कि हम इन दृढ़ उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ें तथा उन्हें और मजबूत बनाएँ।

हमने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी सराहनीय प्रगति की है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह 1340 लाख टन तक पहूँच गया है। तथापि हरित क्रांति केवल दो राज्यों—पंजाब और हरियाणा—तक ही सीमित है। आकार में छोटे होने पर भी वे देश के अन्न के भण्डार बन गये हैं। लेकिन चावल उत्पादक राज्यों में चावल के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि नहीं हुई है। हरित क्रांति वहां नहीं पहुँची है और वहां के कृषक कृषि के आधुनिक तरीकों को उपयोग नहीं कर पाए है अथवा उन्हें अपना नहीं पाये हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि कृषि उत्पादन में सराहनीय वृद्धि नहीं हो पाई है। और इसलिए हर राज्य को अपना निजी सुरक्षित भण्डार बनना चाहिए ताकि कम उत्पादन के वर्षों में, जब राज्य के कुछ भागों में सूखा पड़ता जाये, सुरक्षित भण्डार से राज्य के अकाल ग्रस्त इलाकों को सहायता दी जा सके। ऐसा नहीं किया गया है और जब अकाल या सूखा पड़ती है तो सब सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र की ओर देखते है। यदि केंद्र किसी एक या अधिक कारणों से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्रदान नहीं कर पाता तो बहुत गलतफहमी हो जाती है। इसलिए, उत्पादन को बढ़ाना सभी राज्यों का पहला कर्तव्य है। हमें राज्यों के कृषि उत्पादन के आंकड़े प्राप्त नहीं होते। यहां तक कि राज्य में भी मुझे आंकड़े नहीं मिल पाते। जैसा कि मैंने कहा है, अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाना प्रत्येक राज्य का प्रथम कर्तव्य है।

हमारे कृषि-फार्म बहुत छोटे होते हैं। अमरीका की तरह हमारे यहां यन्त्रीकृत फार्म नहीं है। समय की अंतराल में ये फार्म आकार में और भी घट जायेंगे। अतः हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम खेती के आधुनिक तरीके अपनायें। फर्मों को सघन गहन खेती अपनानी चाहिए, जिससे कि उन्हें लाभ हो सके, अन्यथा. इतने उत्पादन से उनका समृद्धिशाली होना असम्भव है।

दूसरे, चावल उत्पादक राज्यों में, धान की फसल के बाद, कोई अन्य फसल नहीं उगाई जाती है। कृषि-विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कृषि वैज्ञानिकों का यह कर्तव्य है कि वे कृषकों के पास जाएं और उन्हें यह सलाह दें कि धान की पैदावार के बाद कौन-कौन सी अन्य फसलें ली जा सकती हैं। धान मुख्य फसल हैं। दूसरी फसल के होने से किसान को, भूमि से कुछ और आय हो सकती है.

यद्यपि बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी बिजली की कटौती प्रायः होती रहती है। ऐसा क्यों है? जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 56 और 60 को देखने से पता चलता है, राज्य बिजली बोर्डों का कार्य संतोषजनक नहीं है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हाल ही में योजना आयोग और ऊर्जा मत्रालय ने प्रत्येक राज्य में जाकर प्रत्येक

सरकार के कार्य की जांच-पड़ताल करने तथा बिजली के उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए कृषि बल की स्थापना की है।

उड़ीसा की कुल स्थापित क्षमता 914 मेगावाट है। इसमें से 75 प्रतिशत भाग जल-विद्युत का है। वास्तविक उत्पादन तो केवल 464 मेगावाट ही है। जल-विद्युत एकक भी पूर्णरूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिसका कारण है जलाशयों में जल की कमी जिसका कारण है वर्षा की कमी जो कि जंगलों के कटाव और भू-क्षरण के परिणामस्वरूप है। यहां तक कि आज से 20 वर्ष पूर्व स्थापित किये गये तालचेर ताप-बिजलीघर ने भी कभी अधिकतम क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं किया। अतः, महोदय मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी बिजली एकक के लिए अधिकतम सीमा तक उत्पादन करना सम्भव होगा या यह केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन करेगा? जब हम 2,000 मेगावाट की क्षमता वाला सुपर-पावर ताप-बिजलीघर स्थापित करते हैं और यदि वह अपनी इस क्षमता का 50 प्रतिशत ही उत्पादन करता हैं तो फिर देश में हमारी बिजली की पूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है जिसका और आगे प्रभाव देश के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ता है। महोदय मुझे आशा है कि योजना आयोग और ऊर्जा मन्त्रालय इस समस्या के प्रति सजग हैं और वे राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्डों को इस समस्या से छुटकारा दिलाकर अधिकतम सीमा तक बिजली उत्पादन में उनकी सहायता करेंगे।

हमारा निर्यात व्यापार भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुका है। हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं और हमारा निर्यात व्यापार केवल दक्षिण-पूर्व एशिया या एशिया या अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि यूरोप और अमरीका के विकसित देशों के साथ हमारा निर्यात व्यापार चलता है। भुगतान संतुलन की स्थिति से निर्यात व्यापार की कार्यकुशलता को नहीं जांचा जा सकता हैं। भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो सकता है, क्योंकि हमारे आयात में वृद्धि हो रही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा निर्यात व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। यह ठीक चल रहा है और इसमें और सुधार की गुंजाइश है और प्रभारी मंत्रालय निर्यात व्यापार को सुधारने और बढ़ाने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है।

हम तेल की खोज का कार्य भी कर रहे हैं। हम तट पर और तट से दूर तेल खोजने में सफल रहे हैं। हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज की हैं। हमें कावेरी और गोदावरी के मुहानों पर भी तेल मिला है। मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा है कि महानदी के मुहाने पर भी हमें तेल मिला है। कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर 160 लाख टन हो गया है और हमें आशा है कि 1985 तक हम स्वदेशी उत्पादन से ही देश की दो-तिहाई मांग की पूर्ति करने लगेंगे क्योंकि तेल-शोधन की क्षमता भी बढ़कर 370 लाख टन हो गई है। 1990 तक तो हम तेल और तेल-उत्पादों में आत्म-निर्भर बनने में पूर्ण आशा कर सकते है।

इसके बाद, हमारी विदेश नीति भी हमें अच्छे फल दे रही है। जैसे-जैसे महाशक्तियों का तनाव, वैर-भाव बढ़ता जाता है, हमारी गुट-निरपेक्ष नीति और अधिक मान्य होती जाती है। हथियारों की होड़ मची है और यहाँ तक कि हमारे महाद्वीप की स्थिरता भी भंग की जा रही है। अतः चारों ओर बिगड़ते हुए हालत को देखते हुए हम अनुभव करते हैं कि गुट-निरपेक्ष की नीति सही है और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत से देश इस नीति को अपना रहे है।

भारत विकासशील देशों का नेता हो गया है और यह सब प्रधानमन्त्री महोदया के नेतृत्व

उनकी गतिशीलता और उनकी दूरदर्शिता के कारण सम्भव हो पाया है। विश्व-नेताओं ने भी एक दूरदर्शी विश्व राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी प्रशंसा की है। आज वह विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हैं और कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता। हो सकता है विपक्ष को उनका नेतृत्व पसन्द न हो, परन्तु सच बात तो यह है कि उन्हें आने वाले कई वर्षों तक उनके नेतृत्व को स्वीकार करना होगा तथा वे स्वयं को उसके अनुरूप चलाना होगा। अतः, महोदय जब हम अपनी अर्थव्यवस्था का, विश्व में अपनी स्थिति का लेखा-जोखा करें तो, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी भारतीय है। और हमें यह बात संकुचित दलीय दृष्टिकोण से नहीं देखनी चाहिए, या इस पर उस दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम सभी भारतीय है। अतः हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं हम चाहते है कि विश्व में भारत को गौरवमय स्थान प्राप्त हो। यदि ऐसा होता है तो हमें इस पर प्रसन्न होना चाहिए। हमें इस पर गर्व का अनुभव करना चाहिए।

और फिर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ समान रूप से अपूर्व हैं। हम केवल शान्तिमय उद्देश्यों के लिए ही परमाणु-शक्ति के रूप में उभरे है। 18 अप्रैल, 1974 को राजस्थान के पोखरन में जो परमाणु-विस्फोट किया गया था, वह हमारी क्षमता और योग्यता का प्रमाण है। परन्तु हम इसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। स्वयं अपने दो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं जो कि हमारी दूरसंचार प्रणाली को सहायता पहुंचाएगा। ये सभी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धियाँ हैं और भारतीय होने के नाते हमें यह अनुभव करना चाहिए कि भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है।

विचार-विमर्श के लिए दक्षिण-दक्षिण की बैठक बुलाकर हमारी प्रधान मंत्री महोदया ने पहल की हैं और इसमें 44 देशों ने भाग लिया है। सम्मेलन अभी-अभी समाप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य गत अक्टुबर में कानपुर शिविर सम्मेलन में हुई बातचीत को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भरता के लिए कार्यवाही की नीति निर्धारित करना है। प्रथमतः प्रत्येक देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त होनी चाहिए और उसके बाद हम सामूहिक आत्मनिर्भरता की बात सोच सकते हैं। पहले तो स्वयं विकासशील देशों में आपसी सहयोग होना चाहिए और उसके बाद हम विकसित देशों से विकासशील देशों को उनके विकास में प्रगति करने में योगदान और सहायता देने के लिए कह सकते हैं। ये राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मंच पर गत दो वर्ष की उपलब्धियां हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के अंतिम पैराग्राफ में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हम अधिकाधिक उपलब्धियां प्राप्त करें और प्रगति करें। प्रजातन्त्र में मतभेद हो सकते हैं और समस्याओं के प्रति भिन्न रुख हो सकते हैं परन्तु फिर भी बहुमत प्राप्त दल ही सत्ता में होने के कारण नीति निर्धारित करता है। कमियों को बताना विपक्ष का काम है परन्तु आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि जहाँ आवश्यक हो वहीं सरकार की नीति में सुधार किया जाए। परन्तु नकारात्मक रवैया अपनाने से या भिड़ने वाला रवैया अपनाने से उद्देश्य हल नहीं होगा। यह स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। विपक्ष न तो जनता के समक्ष अपनी स्थिति सुधार सकता है और न ही वह देश को जो प्रगति करनी है उसमें योगदान दे सकता है। आज हमारी यह स्थिति

है। यह स्थिति बड़ी सौभाग्यशाली है और मुझे पूर्ण आशा है कि हम उससे अच्छी और कहीं अधिक अच्छी प्रगति कर सकते हैं जो कि हमने गत दो वर्ष में की हैं। छठी योजना के अन्त तक हम आर्थिक और वैज्ञानिक दोनों ही मोर्चों पर प्रौद्योगिकी तथा अन्य कार्यकलापों के क्षेत्रों में कहीं आगे होंगे।

राष्ट्रपति महोदय ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। श्री राम जेठमलानी ने उस दिन सशर्त सहयोग की पेशकश की थी। उन्होंने तीन मुद्दे उठाये थे। पहली बात तो यह थी कि उन्हें यह वचन चाहिए कि इस संसदीय प्रणाली की सरकार को नहीं बदला जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने बिना शर्त सहयोग देने के लिए शर्तें रखी थीं।

श्री जगन्ननाथ राव : उनका कहना है कि उन्हें सरकार से यह वचन मिलना चाहिए कि संसदीय प्रणाली की सरकार को बदला नहीं जायेगा। इस प्रकार का वचन कौन दे सकता है? और यदि ऐसा वचन दे भी दिया जाए तो क्या वह भावी पीढ़ी के लिए बाध्यकारी होगा? राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार भी प्रजातंत्रीय है, प्रधान मंत्री प्रणाली की सरकार भी प्रजातंत्रीय है? प्रधान मंत्री महोदया बार-बार कहती रही हैं कि भारत में लोकतंत्र ही रहेगा। केवल प्रजातंत्रीय प्रणाली ही लोगों के भले के लिए कार्य कर सकती है। उतना आश्वासन बहुत है। परंतु इस बात पर ही जमे रहना कि केवल संसदीय प्रणाली ही जारी रहेगी, राष्ट्रपति पद्धति नहीं ऐसा वचन दिया जाए तो कोई भी ऐसा वचन नहीं दे सकता है और न आवश्यकता ही है। आने वाली पीढ़ी को हम किसी प्रकार का परिवर्तन न करने के लिए कैसे बांध सकते हैं। और संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। समय की आवश्यकतानुसार इसे संशोधित करना पड़ेगा। अतः, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहूँगा कि इस शर्त का कोई अर्थ नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अतः, आपका कहना है कि इसकी कोई सम्भावना नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव : सम्भावना की बात नहीं है। ऐसा समय आ सकता है जब हम और आप यहाँ न हों और जब इसकी आवश्यकता पड़े तो यह करना पड़ेगा।

दूसरे वह चाहते थे कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता पर प्रभाव न पड़े। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। संविधान में उच्चतम न्यायालय को उच्च स्थान दिया गया है। सर्वोच्चता जैसी कोई बात नहीं है संविधान के अन्तर्गत तीन कार्यांग बनाये गये हैं—कार्यपालिका, विधान मंडल और न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार ससद के कानून द्वारा निर्धारित होता है। उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि नहीं है। यह इस कदर सर्वोच्च नहीं है। माननीय न्यायाधीश भी सर्वोच्च मानव नहीं हैं। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार उसी सीमा तक सीमित है जहां तक कि संसद उसे देती है। उनकी इस बात से कि उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि संविधान के अन्तर्गत स्थिति ऐसी नहीं है। वह एक भी ऐसा अनुच्छेद बनाये जिसमें यह कहा गया हो कि यह कार्यकारणी अथवा विधानमडल के भी ऊपर है, सिवाय इसके कि इसके नाम में उच्चतम शब्द है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल उच्चतम न्यायालय है।

श्री जगन्नाथ राव : न्यायपालिका को विधान का पुनरीक्षण करने की शक्ति दी गई है

और यह देखने की शक्ति दी गई है कि क्या बनाये गये कानून नियमानुसार हैं तथा उनसे राज्य अथवा केन्द्र की विधायी सूची का अधिलंघन तो नहीं हुआ है। उल्लंघन की स्थिति में न्याय-पालिका हस्ताक्षेप कर सकती है, परन्तु उसे सर्वोपरि कहने का कोई आधार नहीं है। दूसरे कुछ समय से उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का अधिकार ग्रहण कर लिया है अथवा हथिया लिया है। इसे कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद का दिया गया है। जब भी संसद उचित समझे संविधान का संशोधन कर सकती है। जब कोई संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित कर दिया जाता है, वह संविधान का अंग बन जाता है। और न्यायपालिका उससे बाध्य है। पद भार संभालने से पहले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं कि वे संविधान का पालन करेंगे इसका अनुसरण करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे तथा संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर विचार नहीं करेंगे। इसका निर्णय करने वाले वे कौन होते हैं ? इसका निर्णय संसद को लेना है। केशवानन्द भारती के मामले में भी अनुच्छेद 31 (ग) को, जिसका सम्बन्ध अनुच्छेद 39 (ख) में (ग) की क्रियान्वित से है, वैध माना गया और 42वें संशोधन के अन्तर्गत व्याख्या को पुनः सम्मिलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, सिवाय इसके कि इसे अनुच्छेद 39 के अधीन सभी अनुच्छेदों पर लागू कर दिया गया। अभी हाल में मिनरवा मिल्स के मामले में इसे रद्द कर दिया गया है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है अथवा उन्हें मौलिक अधिकारों का अनुपूरक माना जाये. किसी भी तरह निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 37 के अधीन वे देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत हैं। यदि कोई राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार निर्देशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित नहीं करती तो उनका कोई लाभ नहीं। अतएव हमें इस बात पर ध्यान देना है कि मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धान्तों दोनों को मिलकर ही बिना एक दूसरे को क्षति पहुँचाये क्रियान्वित किया जाये। श्री जेंठमलानी ने भी कहा है कि भारत में प्रेस का मुंह बन्द किया जा रहा है तथा उस पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। मैं उन पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं देखता। वे बहुत से ऐसे समाचार छापते हैं जो कि सरकार की प्रशंसा नहीं करते। जब एक सम्वाददाता पर समाचार प्रकाशित करने पर सभा की मान हानि का आरोप लगाया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया। अतः उनके द्वारा उठाई गई तीनों बातों का कोई आधार नहीं है। वह इन मामलों को न्यायालय में उठा सकते हैं परन्तु संसद में उनकी कोई वैधता नहीं है। अतः मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि नये भारत के निर्माण के लिए सभी सहयोग दें। पंडित जी कहा करते थे कि देश के हर व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में वह भागीदार हैं। हर व्यक्ति को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भारत आर्थिक दृष्टि से अग्रसर हो, सुदृढ़ बने और राष्ट्रों के समुदाय में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करें।

धन्यवाद, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री फर्नान्डीस; उनकी पार्टी को 40 मिनट का समय दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कहना बहुत सही नहीं है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त

असन्तोषजनक है, क्योंकि कोई व्यक्ति सन्तोष अथवा असन्तोष की चर्चा तभी कर सकता है जबकि उसकी कुछ उम्मीदें हों। ऐसी कोई उम्मीदें नही थीं क्योंकि जिस दस्तावेज की अर्थात राष्ट्रपति के अभिभाषण की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, यह सरकार के स्वरूप एवं कार्य शैली के अनुरूप है।

मेरे विचार में इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है, जैसा कि मैं उनके सत्ता में आने के समय से ही बताता आ रहा हूं कि वे लोग समझते हैं कि इतिहास का प्रारम्भ 14 जनवरी, 1980 को हुआ। उससे पूर्व सर्वत्र अन्धेरा था। सर्वत्र अव्यवस्था थी।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : हमने कहा है कि इतिहास का पुनः प्रारम्भ हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री स्टीफन आपने "पुनर्जागरण" शब्द का प्रयोग किया था। आप का बारबलीय कथन था, इतिहास का जन्म 14 जनवरी, 1980 को हुआ। तभी से आप हमें बताते आ रहे हैं कि ये वर्ष समेकीकरण के वर्ष रहे हैं।

वास्तव में, पिछले वर्ष राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बताया कि पिछले 13 महीनों में अर्थात जनवरी 1980 से सत्ता संभालने के समय से सरकार निष्ठा एवं गति से आगे बढ़ी है और तीन वर्ष की अस्थिरता एवं नेतृत्व विहीनता से अर्थव्यवस्था में हुई क्षति को पूरा किया जा सका है। और अब कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमें इन वर्षों को प्रगति के वर्ष बनाना चाहिए। और अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन शब्दों को सम्मिलित किया गया है जैसा कि उन्होंने अपने अभिभाषण के अन्तिम भाग में कहा है कि आगामी 3 वर्ष प्रगति के वर्ष होने चाहिएं।

यह प्रगति किस पर आधारित होगी? यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रारम्भिक पैरा में दिया गया है। हमें बताया गया है:

> "चालू साल में हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार से और संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के ऐलान की बुनियाद पर हम और टिकाव तथा ज्यादा सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ सकेंगे।"

अब हम बुनियादी ढाँचे में सुधार की बात लेते है। अभी कल ही इस सभा में इस्पात और खान मंत्री ने मेरे समेत छः व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का, जो चालू वर्ष के लिए विक्रेय इस्पात उत्पादन के लक्ष्य के बारे में था; उत्तर देते हुए बताया:

चालू वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष के प्रारम्भ में 57.3 लाख टन निर्धारित किया गया था। 1 सितम्बर, 1981 में इस धारणा के आधार पर कि वर्ष की शेष अवधि में अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धि और अच्छी हो जायेगी, इस लक्ष्य में संशोधन करके इसे बढ़ाकर 63 लाख टन कर दिया गया था। चूंकि यह धारणा पूरी नहीं हो सकी अतः सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए कारखानों का उत्पादन कार्यक्रम 57.3 लाख टन के प्रारम्भिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही बना रहा। आशा है वर्ष के अन्त तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

आपने राष्ट्रपति को यह कहने के लिए बाध्य किया है कि चालू वर्ष के दौरान देश के बुनियादी ढांचे में हुए सुधार द्वारा भविष्य उज्जवल हो गया है; और राष्ट्रपति के अभिभाषण के एक सप्ताह बाद आपने कल सभा में कहा है कि कोर सेक्टर में इस्पात के उस अति अनिवार्य क्षेत्र में जिस पर आपकी समूची अर्थ-व्यवस्था, आपकी अर्थ-व्यवस्था का विकास आधारित है, आप निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते—आपको आशा है कि उत्पादन उतना होगा जितना पिछले वर्ष पहले हुआ था—और यह कि आपको अपने 63 लाख टन के संशोधित लक्ष्य को एक बार फिर घटाना पड़ा। और यह सब इस कारण हुआ—कि उच्च स्तर पर बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं अर्थात आपका अनुमान साकार न हो सका। आप व्यवहारिक दृष्टि से अब वहीं हैं जहां आप पिछले वर्ष थे। इस सरकार की समस्याओं में से यह भी एक समस्या है कि व्यवहारिक दृष्टि से वह अपने पहले ही वाले स्थान पर हैं; लेकिन सैद्धान्तिक दृष्टि के आंकड़ों का सहारा लेते हैं; वे आंकड़ों की जादूगरी करते हैं तथा मोटे शीर्षक बनाकर उनका समाचार देते हैं और लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं।

मैं कुछ अन्य आंकड़ों का जिक्र करता हूं जो कल ही उपलब्ध हुए हैं जब हम प्रगति पर चर्चा कर रहे थे, जब हम आगे बढ़ने पर चर्चा कर रहे थे और ये आँकड़े आर्थिक समीक्षा द्वारा प्राप्त हुए हैं; और ये आंकड़े खाद्यान्नों के उत्पादन और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में है। इस्पात आपके विकास प्रभावों का केन्द्र बिन्दु है और खाद्यान्न अंतिम लक्ष्य है: सारा संघर्ष इसी के लिए चल रहा है। मुझे आशा है कि विद्वान प्रोफेसर मुझसे सहमत होंगे।

कल सभा में प्रस्तुत की गयी आर्थिक समीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष, 1980-81 के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 459.5 ग्राम प्रतिदिन थी। अब यह उससे भी कम है जो देशवासियों को 1961-62 में उपलब्ध थी; 1971-72 में उपलब्ध से भी कम है। 1961-62 में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 461 ग्राम प्रतिदिन थी; 1971-72 में 466.5 ग्राम प्रतिदिन थी और श्री स्टीफन आपके वित्त मंत्री द्वारा कल सभा में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा जनता अथवा लोकदल सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार नहीं अस्थिरता तथा दिशा निर्देशनहीनता के लिए जिम्मेवार लोगों की आर्थिक समीक्षा के अनुसार नहीं— बल्कि कल प्रस्तुत आपकी समीक्षा के अनुसार, 1977-78 में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रतिव्यक्ति 417.5 ग्राम थी; 1978-79 यह 480.3 ग्राम थी और एकीकरण के वर्ष में यह 459.5 ग्राम थी।

एक माननीय सदस्य : कितने लाख लोग बढ़ गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या हम यह समझते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ देश में अन्न की खपत घटनी चाहिए ; और आपकी योजना का आधार यही है और यही वह महान आशा है जो देशवासियों के लिए बनाये हुए हैं ? (व्यवधान) क्या आगे बढ़ने का अर्थ यही होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के साथ देश में अन्न की खपत में कमी होगी ? चालू वर्ष के लिए भी इन्होंने हमें कहा है कि खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 2 के पैरा 5 में कुछ ऐसा ही कहा गया है। जिस तरीके से ये आंकड़ों की जादूगरी दिखाते हैं, जिस तरीके से ये भ्रम पैदा करते हैं, उससे इस प्रकार का दृष्टिगत भ्रम पैदा होता है कि प्रगति हुई है। आप विकास को कैसे मापते हैं ? आप अपना सम्बन्ध किस बात से जोड़ते हैं ? इसमें कहा गया है,

"समूचे वर्ष में, पहले के 1320 लाख टन के रिकार्ड उत्पादन से अधिक उत्पादन होगा। इसकी तुलना 1980-81 के 1299 लाख टन के उत्पादन से की जा सकती है जो 1979-80 की अपेक्षा 18.4 प्रतिशत अधिक था।"

सभी मान्यताओं के अनुसार, सरकार की मान्यता के अनुसार, उन सभी की मान्यताओं के अनुसार जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समझते हैं, 1979 का वर्ष एक अभूतपूर्व सूखे का वर्ष था। यदि आप प्राकृतिक विपदा कहें तो बात मेरी समझ में आ सकती है, जैसा कि आपने अपने विरोधियों को हराने के लिए कहा था और आपने विजय पायी। जनवरी 1980 अथवा दिसम्बर 1979 में राष्ट्रीय विपक्ष का नाम लेकर अपने जनता पार्टी तथा लोक दल को पराजित किया और कहा कि वे प्रबन्ध काम नहीं चला सके और देश का शासन न चला सके। लेकिन सत्ता में आने के दो वर्ष बाद तक भी एक ओर इसे उस वर्ष से जोड़ना और सारी खराबियों के लिए विपक्ष तथा तत्कालीन सत्तारुढ़ दल को दोषी ठहराना और दूसरी ओर आंकड़ों का हवाला देकर, 1978-79 तथा 1979-80 के आंकड़ों का हवाला देकर लोगों के बीच विकास का भ्रम फैलाना, इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के लिए सचमुच गम्भीर नहीं है।

इस सरकार की एक समस्या यह है कि इसके पास इन प्रश्नों को हल करने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : वे अपनी योग्यता पर स्वयं ही हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सारी योग्यता एक ही व्यक्ति पर केन्द्रित है; अधिक से अधिक वह एक ही परिवार में केन्द्रित है। शेष या तो निकाले जाने के लिए या खपाये जाने के लिए पंक्ति में में खड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : निःसंदेह। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे मालूम नहीं कि इस समय वहां कौन हैं; यह निर्णय करना उनका काम है। लेकिन जब आप देश का शासन चलाने की बात करते हैं तो—राज्यों की ओर नजर क्यों नहीं दौड़ायी जाती। आखिरकार असली प्रशासन तो वहीं का है। आप कहां से चलना चाहते हैं? क्या आप आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से चलना चाहते हैं? पिछले दो वर्षों से हम आपके मुख्य मंत्रियों को नहीं हटा सके, लेकिन स्वयं ही उन्हें हटा दिया।

परन्तु क्या आपकी पार्टी द्वारा शासित किसी राज्य में कोई भी मुख्य मंत्री अपने को सुरक्षित समझता है? क्या वह जानता है कि वह कब तक अपने पद पर रहेगा? क्या उसे अपने सहयोगियों का सम्मान तथा निष्ठा प्राप्त है। ये प्रश्न हैं जो आपको अपने आपसे पूछने चाहिएं। नेता का अनुकरण करने की एक बात है। मुझे अत्यन्त खेद हुआ जब वरिष्ठ सदस्य मेरे मित्र प्रो० रंगा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद शुरू करते समय कहा कि एक नेता न हो तो और कोई ऐसा नहीं है जो सरकार को बनाये रख सके, पार्टी को बनाये रख सके, तथा देश को बनाये रख सके। यही दुर्भाग्य की बात है कि आप समझने लगे हैं कि एक ही व्यक्ति पार्टी को एक बनाये हुए है। कल यदि वह व्यक्ति न रहे तो

क्या होगा। यदि, आपके अनुसार, एक ही व्यक्ति सरकार को संभाल रहा है तो जब वह नहीं रहेगी तब क्या होगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : तब अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति का स्थान ले लेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जानता हूं कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। (**व्यवधान**) इसी कारण हम जो सरकार अपनाने जा रहे हैं उसका प्रश्न पैदा हो जाता है। परन्तु वास्तविक समस्या यह है : केन्द्र में शासक दल एक व्यक्ति पर निर्भर करता है और राज्यों में जहां प्रशासन में वास्तव में कोई स्थायित्व है, पार्टी तथा सरकार बिना किसी नेता के है। आप हमें बता रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आपने एक और नारा गरीबी हटाओ का लगाया था। मैं नहीं जानता कि उस पक्ष के सदस्य उस नारे के बारे में याद दिलाया जाना पसन्द करेंगे। उस नारे का क्या बना ? (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्यों नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपकी समय सीमा क्या है ?

एक माननीय सदस्य : दस वर्ष।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस तारीख से ?

एक माननीय सदस्य : आज से।

एक माननीय सदस्य : श्री महाजन के अनुसार आज से।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जबकि आप दस वर्ष की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप अपना गतिशील दशक व्यतीत कर चुके हैं। क्या ऐसा नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : वह इसका एक भाग था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गतिशील दशक के अन्त में 42 करोड़ लोग गरीबी के स्तर से निचले स्तर में जीवन यापन कर रहे थे।

एक माननीय सदस्य : कम से कम डाइनेमाइट नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि आवश्यक हुआ तो डाइनेमाइट भी आयेगा। (**व्यवधान**) यदि आप अपनी तानाशाही चलायेंगे तो डाइनेमाइट आयेगा। इसमें हमें कोई संकोच नहीं है। (**व्यवधान**)। वे स्थिरता तथा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति को अथवा सरकार को इस बात का साहस नहीं हुआ कि वे देश को बता सकें कि पिछले वर्षों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जिसे कि आर्थिक विकास के साथ साथ चलना चाहिए, के प्रतिकूल नीतियों का अनुसरण किया गया है।

अभी कुछ दिन पूर्व स्विटजरलैंड में दबोस नामक स्थान पर एक बैठक हुई थी। हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने एक उच्च शक्ति सम्पन्न शिष्टमंडल के साथ वहां जाने की योजना बनायी थी। परन्तु महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश सम्बन्धी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने उद्योगमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को स्विटजरलैंड भेजा। यह बात पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह की थी और हमें बताया गया कि इस भारतीय प्रयत्न का महत्त्व इस बात से

आंका जा सकता है कि सरकारी शिष्टमंडल में तीन प्रमुख सचिव थे। दबोस में क्या हुआ? भारतीय शिष्टमंडल वहां बहुराष्ट्रिकों के साथ मेल-मिलाप बढ़ाने को गया। दबोस वह स्थान है जहाँ पर कि योरुपीय तथा अमरीकी निगमों के पांच-छः सौ प्रमुख अधिकारी प्रति वर्ष एकत्र होते हैं। हमारी सरकार योरुपीय तथा अमरीकी निगमों के प्रमुख अधिकारियों के समारोह में भाग लेने के लिए सरकारी शिष्टमंडल भेजती हैं। बहुराष्ट्रिकों को बताया जाता है कि भारत उन्हें स्वीकार करने को तैयार है। मुझे पता चला है कि आई० बी० एम० प्रतीक्षा में है। मुझे पता चला हैं कि आई० बी० एम० के साथ आई० बी० एम० के पुनः भारत में लाये जाने के बारे में बातचीत चल रही है जिसे कि 1978 में देश से निकाल दिया गया था। मुझे पता चला है कि कोका कोला, जो कि 100000 रुपए लगा कर 1.50 करोड़ रुपए वार्षिक इस देश से कमाते थे, जो कि विश्व में बहुराष्ट्रिकों का मानक संगठन है, को वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली गई हैं। कुछ सप्ताह पूर्व हमारे देश में अमरीकी बहुराष्ट्रिक हितों के आखंडीकन मिस्टर ओरविले फ्रीमैन पधारे। बहुत वर्षों बाद श्री ओरविले फ्रीमैन ने पहली बार अनुभव किया कि भारत विदेशी पूंजी अर्थात बहुराष्ट्रिक पूंजी को लेने को तैयार है। कल ही मुझे एक पत्रिका प्राप्त हुई जो कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होती है जिसे यह सरकार पसन्द नहीं करती, स्वतन्त्र पार्टी के भूतपूर्व सदस्य श्री लोभो प्रभु जो कि एक सेवा निवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी हैं। अपने सम्पादकीय में वह कहते हैं:

> "यदि श्रीमती गांधी को राजनीतिक अनैतिकता एवं भारतीय संविधान के बिगाड़ने का दोष दिया जाता है तो कम से कम आर्थिक नीतियों में वह सही दिशा में है। यह अच्छी बात है कि उच्चस्तरीय उद्योगपतियों के एक दल ने श्री एन० डी० तिवारी के नेतृत्व में बहुराष्ट्रिक प्रमुखों तथा बैंकरों की बैठक में भाग लिया तथा दल ने बहुराष्ट्रीय पूंजी को आमन्त्रित करने में भारी प्रयास किया। श्री तिवारी ने बताया कि भारत के पास तुलनात्मक दृष्टि से कम वेतनों पर प्रशिक्षित जन-शक्ति के सबसे भारी स्रोत विद्यमान हैं।"

यही आपकी प्रगति है और आपने जो आर्थिक नीतियां अपनाई हैं वे बहुराष्ट्रिकों के अनुकूल हैं मैं देखा रहा हूं प्रो० रंगा हंसते हुए स्वीकृति दे रहे हैं—धन्यवाद इसी प्रकार आपकी नीतियां इस देश के एकाधिकार गृहों के भी अनुकूल हैं। 30 जनवरी 1982 के इकानोमिक टाइम्स में कहा गया है कि एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को प्रोत्साहन देना होगा। प्रोत्साहन क्या है तथा किन क्षेत्रों में है? इसमें कहा गया है:

> "कोर क्षेत्र के पूंजी प्रधान तथा प्रौद्योगिकी प्रधान क्षेत्रों में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा निवेश को संघ सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने का विचार है। इस प्रयोजनार्थ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में एक संशोधन करने का प्रस्ताव है।"

वे क्षेत्र कौन से हैं?

> "ये क्षेत्र वे होंगे जिनमें मध्यम-स्तरीय उद्यमी तथा सरकारी क्षत्र पर्याप्त पूंजी लगाने की स्थिति में नहीं है ताकि विशिष्ट मदों में जिनकी सप्लाई में कभी-कभी कमी हो जाती है, उनकी आर्थिक आवश्यकता में ही पूर्ति की जा सके।"

दूसरे शब्दों में हमें बताया गया कि इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र तथा मध्यम क्षेत्र धन लगाने की स्थिति में नहीं हैं। जबकि एम० आर० टी० पी० गृह धन लगाने की स्थिति में हैं। हम बार-बार कह चुके हैं : यह भली प्रकार विदित है कि इस देश के सभी एकाधिकार गृह सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ही धन लेते हैं। जब यही संसाधन सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से जो राष्ट्रीयकृत है; एकाधिकार गृहों को उपलब्ध हैं तब मैं इस बात को समझ नहीं सका कि सरकार यह तर्क कैसे दे सकती है कि वही संसाधन सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं है। यह कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो कि अब रखा जा रहा है। प्रश्न केवल बहुराष्ट्रिकों को आमंत्रित किए जाने का है। प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। राष्ट्रपति ने इसका उल्लेख नहीं किया है। अपने ही हित में उन्होंने इस मामले में मौन साधे रखा। परन्तु यदि आप इन आंकड़ों को देखें कि कितने एकाधिकार गृहों ने लाइसेंसों के लिए आवेदन दिए तथा कितने लाइसेंस दिए गए। 1979 में 69 तथा 1980 में 84 की तुलना में 1981 में 261 एकाधिकार गृहों को लाइसेंस स्वीकृत हुए। इस प्रकार परिवर्तन हो गया है।

मैं सामाजिक न्याय के साथ विकास को लेता हूं। हमें बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं है यद्यपि राष्ट्रपति ने पारादीप में एक समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति पर एक रोचक बात कही है तथा इससे लोगों में बड़ी उम्मीदें पैदा होने की सम्भावना है। उन्होंने कहा है :

"इससे तथा विशाखापत्तनम में एक समेकित इस्पात कारखाने की स्थापना करने के फैसले से जाहिर है कि सरकार ने इस बारे में अपनी कमर पूरी तरह कस ली है कि वह अपनी मौजूदा क्षमता को इतना बढ़ा कर ही दम लेगी कि इस अहम सैक्टर में अपनी जरूरतों को खुद पूरा किया जा सके।"

राष्ट्रपति के माध्यम से दिए गए सरकार के इस वक्तव्य पर मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं देखता हूँ कि श्री वीरेन्द्र पाटिल बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिजयनगर इस्पात संयंत्र का क्या हो रहा है। मेरे मित्र श्री लकप्पा यहां नहीं हैं। वह रात दिन इस बात की चर्चा करते रहते हैं। विजयनगर संयंत्र का शिलान्यास उन्होंने 1971 में रखा था। जिन 2 1/2 बर्षो में वे सत्ता में नहीं थे वे लोग देश भर में घूमे तथा विशेष रूप से कर्नाटक में कहा :

"देखिए विजयनगर इस्पात संयंत्र का कार्य नहीं हो रहा क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। अब राष्ट्रपति ने पारादीप में तथा विशाखापत्तनम में एक इस्पात संयंत्र का आश्वासन दिया है। परन्तु विजयनगर इस्पात संयंत्र को पूरी तरह भुला दिया गया प्रतीत होता है।"

श्री सी० एम० स्टीफन : इसे बनाया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसका इसमें उल्लेख नहीं हुआ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित की जायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपके कार्यक्रम के अनुसार एक संयंत्र की आधारशिला रखने तथा कार्य शुरू करने में कितना समय लगता है ?

एक माननीय सदस्य : जनता सरकार इसे शुरू कर सकती थी ।

श्री जार्ज फ़र्नान्डीस : जनता सरकार पर चर्चा हम बाद में करेंगे । क्योंकि एक ओर आप कह रहे हैं कि धन नहीं है । दूसरी ओर आप जनता को दो और इस्पात संयंत्र के निर्माण का आश्वासन दे रहे हैं । परन्तु जिस इस्पात संयंत्र की आधारशिला आपने 1971 में चुनाव के समय रखी थी उसे पूरी तरह भुला दिया गया है ।

हमारे सामने यह स्थिति है जहाँ बात तो सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था को दिशा देने, बीस सूत्री कार्यक्रम आदि की की जाती है परन्तु वास्तव में दबोस में बहुराष्ट्रिकों तथा इस देश के एकाधिकार गृहों को बढ़ावा दिया जाता है । जहाँ तक सामाजिक न्याय का सम्बन्ध हैं, मैं समझता हूं इसका उत्पादन वृद्धि वर्ष से सम्बन्ध है क्योंकि हमें यह भी बताया गया है कि यह उत्पादन-वृद्धि वर्ष है ।

लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में अभिभाषण देने से दस ही दिन पहले आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया और आपने 16 भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत रखा । गृह मंत्री अभी यहाँ नहीं बैठे हैं । लेकिन मुझे याद है कि गृह मंत्री ने यहाँ खड़े होकर एक बार यह कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का श्रमिकों के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा । उन्होंने कहा था कि इसे समाज विरोधी तत्वों के अलावा किसी अन्य के विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा । मुझे याद है कि मैंने उस दिन गृह मंत्री से कहा था कि क्या समाज विरोधी तत्वों का नेतृत्व 1975 की तरह श्री जयप्रकाश नारायण जैसे लोग करेंगे । 8 फरवरी, 1982 की अधिसूचना के अन्तर्गत हर श्रेणी के कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है और इस प्रकार उन्होंने फिर लोगों को धोखा देने की कोशिश की है । उन्होंने उद्योगों तथा रोजगार की 15 मदों की सूची बनाई है । उन्होंने कहा : इस श्रेणी या उस श्रेणी के कर्मचारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इसके बाद श्रेणी संख्या 16 है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन जो कर्मचारी इन 15 मदों के अन्तर्गत नहीं रखे गए हैं, वे इसके अन्तर्गत आते हैं । आप यह बात कह सकते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जारी 8 फरवरी, 1982 की अधिसूचना के अन्तर्गत राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारी आते हैं। क्या उत्पादकता वर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम साथ-साथ चल सकते हैं ? क्या आवश्यक सेवायें अधिनियम तथा उत्पादकता वर्ष साथ-साथ चल सकते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : वे अकेले-अकेले साथ चल सकते हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने माना है कि जहाँ तक इस सरकार के कर्मचारियों तथा देश के श्रमजीवी वर्ग का सम्बन्ध है उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवायें अधिनियम के अधीन ही कार्यवाही की जाएगी । मैंने आवश्यक सेवायें अधिनियम को पारित करते समय गृह मंत्री से कहा था कि आप ऐसा कानून न बनायें जिसे आप कार्यान्वित न कर सकें । बम्बई में आज 2 लाख 50 हजार कपड़ा मजदूर हड़ताल पर हैं । हड़ताल का छटा सप्ताह चल रहा है । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आवश्यक सेवायें अधिनियम को भूल जाइये । कल ही श्रमिकों ने कहा : हमें जेल ले जायें । क्या आपके पास जगह है। आपके पास जेलों में जगह नहीं है । आप उस हड़ताल के बारे में क्या कर रहे हैं ? यदि आप

उत्पादन तथा उत्पादकता के बारे में सचमुच गम्भीर हैं तो आपके पास औद्योगिक विवादों के तय करने के लिए सही नीति होनी चाहिए। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा पहले अनिवार्य सेवा अधिनियमों, जिन्हें जनता सरकार ने निरस्त कर दिया था के अन्तर्गत यह सब ठीक था लेकिन आप इन बातों को दोहरा नहीं सकते। इस देश के श्रमिक तथा देशवासी इन अधिनियमों को देख चुके हैं। उन्हें इन दमनकारी कानूनों का अनुभव हो चुका है। आप उन्हें बार-बार नहीं आजमा सकते। आप उत्पादन चाहते हैं; आप उत्पादकता चाहते हैं, तो आपको मजदूर संघों से बात करनी चाहिए; आपको कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। एक बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध कानून है; यह उन मजदूर संघों को सहारा देता है, जिन्हें जन समर्थन प्राप्त नहीं है। फिर आप उत्पादकता तथा उत्पादन की बात करते है और हड़तालों के विरुद्ध क्रोध प्रकट करते हैं और फिर आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करते हैं। बम्बई में प्रति दिन हड़ताल के कारण 3.5 करोड़ रुपये की लागत के उत्पादन की हानि हो रही है। इसके लिए भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय ही मुख्यतः जिम्मेवार है। राज्य सरकार दंगे ही करा रही है और भारत सरकार के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। देश के अन्य भागों में भी आप कर्मचारियों पर ऐसे ही हमले कराते रहे हैं। हम इस संघ में चर्चा करने की कोशिश करते आ रहे हैं। 19 जनवरी को क्या हुआ ? कर्मचारियों ने कुछ मांगें रखीं और हड़ताल समाप्त करने के लिए उन्होंने केवल यही बात कही कि सरकार को आवश्यक सेवायें अधिनियम को निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन आप उसके लिए भी तैयार नहीं हैं। आपने मजदूरों को हड़ताल करने के लिए मजबूर किया। आप ने दुनिया को यह बताने के लिए रेडियो और प्रचार साधनों का उपयोग किया कि कोई हड़ताल नहीं हो रही है और कल सब प्रश्न पूछे गए तो आपने उनका उत्तर देने में संकोच किया। यदि कोई हड़ताल नहीं हुई तो 60,000 लोग गिरफ्तार क्यों हुए ? 60,000 लोगों को जेल में क्यों जाना पड़ा ? एक दर्जन लोगों को गोली से क्यों मारा गया ? लोगों को इस प्रकार सामूहिक रूप से परेशान क्यों किया जाता है, यह बात अब रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, हो रही है। ऐसा क्यों हुआ ? एक ओर तो राष्ट्रपति ने तथा इस सरकार ने उत्पादकता की वर्ष कही है और दूसरी ओर आप कर्मचारियों को इस प्रकार दबाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के बारे में भी चर्चा हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय है कहां ?

आप मुठभेड़ों के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। आपके एक मुख्यमंत्री ने 12 या इससे अधिक हरिजनों के गोली से मारे जाने के बाद त्यागपत्र देने की बात कही। किन्तु बाद में त्यागपत्र देने की तिथि से कुछ ही समय पहले उन्होंने घोषणा की कि मुख्य अपराधी गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं नहीं जानता कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति क्या मुख्य अपराधी था या नहीं अथवा यह एक नाटक ही था। मैं सरकार से तथा विशेषकर गृह मंत्री से, इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, जिसका बहाना लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र देने का अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया, उत्तर प्रदेश विधान सभा के कांग्रेस (आई) के एक विधायक ने ही सरकार के हवाले किया था ? क्या यह सच नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली पांच मिनटों में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अभी हाल में जब उत्तर प्रदेश में ये हत्याकांड हुये तो उत्तर प्रदेश

के मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सदस्यों ने मेरे दल के चेयरमैन श्री मेहरसिंह यादव को तथा इस सभा के माननीय सदस्य श्री वर्मा को उस समय फंसाने की कोशिश की जब मैनपुरी में घटना हुई थी। मैं उस क्षेत्र में गया जहां असंख्य हरिजनों को पुलिस ने जला डाला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा इस सरकार के अन्य सदस्य मुझ पर आरोप लगाते रहे कि उस क्षेत्र का एक डाकू मुझे वहां ले गया था।

अब पिछले पखवाड़े में कुछ डाकू सामने आये हैं; मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता; आप उनके नाम जानते हैं। डाकू सामने आए हैं और उन्होंने अपने दरबार लगाये हैं और आपके मंत्री वहां गए हैं। उन्होंने उनसे वार्ता भी की थी। आज डाकू उत्तर प्रदेश में दंगा क्यों कर रहे हैं? चम्बल से वे मैनपुरी, एटा, इटावा, जालौन और कानपुर जिलों में आ गये हैं। डाकुओं और राज्य प्रशासन के बीच सांठगांठ है। पिछले एक वर्ष के दौरान 5000 लोगों को केवल उत्तर प्रदेश में ही यह कहकर मौत के घाट उतार दिया गया है कि डाकुओं को मारा जा रहा है। लोगों को उनके घरों से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और उनके रिश्तेदारों तथा ग्रामीणों के सामने ही उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस यह समाचार प्रकाशित करती है कि कुख्यात डाकू जिनके नाम मालूम नहीं हैं पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये।

सामाजिक न्याय कहां है? जिस किसी को भी आज मारा जा रहा है, वह समाज के कमजोर वर्ग का होता है; वे या तो हरिजन होते हैं या पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं। वे अल्प-संख्यकों में से होते हैं। आप कहते हैं कि :

> "सरकार कुछ स्थानों पर अनुसूचित जाति के लोगों पर किये गये अत्याचारों से दुखी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि समाज के सभी वर्ग सुरक्षा और सम्मान से जीवित रहें।"

और आप हमसे कहते हैं :—

> "इन वर्गों के सामने जो समस्याएं हैं वे देश की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का अंग हैं। इन ताकतों के विरुद्ध बढ़ने के लिए जनता का पूरा सहयोग जरूरी है..."

माननीय वयोवृद्ध सदस्य प्रो० रंगा इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोग चाहते हैं और उन्होंने कहा है "इन समस्याओं को दलगत भावनाओं से न देखें।" बेशक, नहीं देखना चाहिए। लेकिन कब से? क्या मैं सरकार के सदस्यों से पूछ सकता हूं कि ये समस्याएं कब से दलगत मसले रही हैं? ये समस्याएं कब से राष्ट्रीय समस्याएं बन गई हैं? क्या आप बेलची काण्ड को भूल गए हैं? क्या आप नारायणपुर काण्ड को भूल गये हैं? क्या आपने उत्तर प्रदेश सरकार को केवल नारायणपुर की घटना के फलस्वरूप बर्खास्त नहीं कर दिया था? आपकी प्रधानमंत्री नारायणपुर गई थीं और आपकी पार्टी के एक नेता ने जो अब नहीं है, कहा था कि नारायणपुर की हर महिला के साथ बलात्कार किया गया और इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार को जाना पड़ा और वह सरकार बर्खास्त कर दी गई।

एक आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस (आई) की सरकार है। नारायणपुर की घटना की जाँच के लिये एक आयोग का गठन किया गया। मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं कि यह नारायणपुर सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट पेश करे और यह देखे कि इसमें

क्या कहा गया है। जब नारायणपुर की घटना हुई तो यह एक दलगत प्रश्न था; जब बेलची की घटना हुई तो वह भी एक दलगत प्रश्न था।

अलीगढ़ का मामला पक्षपातपूर्ण था। पुणे, शोलापुर, अहमदनगर जहां आज दंगे हो रहे हैं, वे पक्षपातपूर्ण समस्याएं नहीं हैं। बिहार-शरीफ का मामला पक्षपातपूर्ण नहीं है। ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं। मैनपुरी में जो कुछ हो रहा है वह एक राष्ट्रीय समस्या है। कफालता राष्ट्रीय समस्या है। साधुपुर एक राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु बेलची राष्ट्रीय समस्या नहीं थी। आप 'चित भी मेरा, पट भी मेरा' वाली नीति कैसे अपना सकते हैं? सहयोग है कहां? सामाजिक न्याय कहां है? किस क्षेत्र में है? अत: आज हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां मेरे विचार से इस सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है फिर चाहे वे आर्थिक समस्याएं हों या सामाजिक समस्याएं। मेरे विचार से और मुझे विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल के ऐसे सदस्य भी हैं, जिनमें दृढ़ धारणा का विश्वास है यद्यपि वे अपनी बात सार्वजनिक रूप से न कहते हों, फिर भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज से तीन वर्ष बाद जब आपका प्रगतिवादी आन्दोलन समाप्त हो जायेगा तो उस समय इस देश में अधिक बेरोजगारी होगी। आज से तीन वर्ष पश्चात इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी। तीन वर्ष पश्चात कीमतें इतनी ऊंची होंगी कि देश के अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर होंगी और फिर भी आप यह भ्रम जाल फैला रहे हैं, विश्वास जमाने का माया जाल खड़ा करके आप देश का शासन ठीक से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं।

प्रधानमन्त्री महोदया यह मांग करती रही हैं, चाहे कभी-कभी ही क्यों न हों, यह तो मैं नहीं जानता। संसद के इस सत्र की पूर्व सन्ध्या पर वह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सम्बोधित कर रही थीं तो उन्होंने विपक्ष से सहयोग की मांग की थी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से क्षेत्रों में सहयोग चाहते हैं। हम तो सहयोग देने को तैयार हैं परन्तु आप हमें यह बताइये कि आपको किन क्षेत्रों में सहयोग चाहिए। एक बार तो हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि वे कौन से क्षेत्र हैं, कौन-सी परिस्थितियां हैं और कौन से हालातों में आपको हमारा सहयोग चाहिए? इस सभा में हमसे यह कहने में, हमें यह बताने में कोई लाभ नहीं है कि विपक्ष नकारात्मक हथकण्डे अपना रहा है। विपक्ष प्रहार कर रहा है। लेकिन विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है।

जब कुछ विपक्षी दलों ने मिलकर एक होने की इच्छा प्रकट की तो प्रधानमन्त्री महोदया ने अचानक कहा—"वे इसलिए एक हो रहे हैं क्योंकि वे मुझे सत्ता से हटाना चाहते हैं।" मैंने अपने माननीय मित्र श्री राव को अभी-अभी कहते सुना है कि वहां पहुँचेंगे और कोई उनकी नेता को हाथ नहीं लगा सकता है। परन्तु आपकी नेता स्वयं कहती हैं कि वे उसे हटाना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि हम उन्हें सत्ताच्युत करने योग्य हैं। आप हतोत्साहित क्यों करते हैं? वह इस बात पर यहां तक विश्वास करती हैं कि उन्हें 14 मास के बाद कांग्रेस (इ) कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलानी पड़ी, ठीक 14 मास के अन्तराल के बाद। 14 महीने तक दल की बैठक ही नहीं हुई थी। राज्य-दल अध्यक्षों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अचानक बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि क्योंकि कुछ विपक्षी दल एक हो रहे हैं, इसलिए चारों

ओर से खतरा घिर रहा है। फिर हमें सत्ता में आने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होता है और चाहिए भी। ठीक ही तो है, इसीलिए हम राजनीति में हैं।

जहाँ कहीं कमियां होंगी, होंगी विपक्ष निश्चय ही उन्हें ढूंढने का प्रयास करेगा और इसलिए यदि आपको विपक्ष का सहयोग चाहिए तो, फिर चाहे यह आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो या सामाजिक समस्या को हल करने के क्षेत्र में हो अथवा फिर राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र हो। हम चाहते हैं कि आप उन क्षेत्रों को गिनाएं। दूसरी ओर से श्री राव तथा अन्य सदस्य संविधान में संशोधन करने की संसद की क्षमता के बारे में बोल रहे थे और उनका कहना था कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भी लोकतांत्रिक होती है। अभी-अभी कनिष्ठ विधि मंत्री महोदय बोल रहे थे कि यहाँ तक कि राजतन्त्र भी लोकतान्त्रिक होता है और हम देख रहे हैं कि उसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और जब हम सरकार से इस बारे में प्रश्न पूछते हैं तो सीधे-सीधे उत्तर कभी नहीं दिये जाते हैं। उत्तर इस प्रकार घुमा फिराकर दिए जाते हैं कि हमें उनके मन की बात कभी पता नहीं चलती है। अतः यदि आपको सहयोग चाहिए तो हमें बताइये कि किस जगह सहयोग चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम द्वारा, उत्तर में पुलिस मुठभेड़ों द्वारा कमजोर वर्गों को मारकर और किसानों पर प्रहार करके यदि आप सहयोग चाहते हैं तो आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। इसका तो आपको जवाब दिया जायेगा।

और फिर, उनका विचार है कि अपने स्वयं के इस्ताप ढांचे पर अर्थात् नौकरशाहों पर, निर्भर करके, जिनकी परसों श्री रंगा ने सराहना की थी, उन्हें विश्वास है कि वे हमारे लोगों के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में वे कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह उनका सौभाग्य है।

महोदय, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा प्रयास लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डालना होगा। हमारा प्रयास लोगों की रक्षा करना होगा उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना होगा और इस प्रक्रिया में संघर्ष, एक निरन्तर संघर्ष करना आवश्यक हुआ तो कोई भी शक्ति हमें लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों पर बल देता हूं।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सत्र के उदघाटन के अवसर पर दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं किसी प्रकार के अनुष्ठानिक उत्तरदायित्ववश ऐसा नहीं कर रहा हूं जैसा कि मेरे विपक्ष के मित्रों ने इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए आनुष्ठानिक उत्तरदायित्व के रूप में किया है।

एक कांग्रेसी होने के नाते इस प्रस्ताव का समर्थन करने के अलावा, मैं एक भारतीय होने के नाते इसका समर्थन करता हूं। मुझे अपने देश की विरासत, संस्कृति और उपलब्धियों पर गर्व है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण उनका अपना नोट नहीं है। यह राष्ट्र की प्रगति का प्रतिवेदन है। दुर्भाग्य से मेरे विपक्षी मित्र राष्ट्रपति के अभिभाषण को राष्ट्र

की प्रगति रिपोर्ट नहीं समझते हैं और यह पूर्णतया उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे विचार से कोई भी वह भारतीय दयापात्र है जो देश में प्रगति और कार्य निष्पादकता को देखने में असमर्थ है।

मेरे प्रिय सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक वाक्य उद्धृत किया है। अतः मैं भी राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के अन्तिम पैराग्राफ से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूँगा, जो मेरे विचार से, दलगत भावना और दलगत सुझाव से ऊपर है। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा है ? उन्होंने कहा है :

"सौभाग्य से हमारा देश लक्ष्य भावना से ओतप्रोत है। हमारे लोगों ने चुनौती के समय एकजुट हो जाने की प्रशंसनीय क्षमता भी दर्शायी है।"

और आगे वह कहते हैं :

"राष्ट्र की भलाई एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए हमें सहयोग करना सीखना चाहिए, मतभेद दूर करना सीखना चाहिए। तीव्र गति से प्रगति करने की हम में शक्ति है और हमारे पास स्रोत भी हैं।"

जो पैराग्राफ मैंने अभी-अभी उद्धृत किया है वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के सर्वग्राही गैर-दलीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है।

मेरे प्रिय मित्र ने उन बहुत सी बातों की बात कही हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जी छोड़ गये हैं। मैं भी यह कहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय कुछ बातें छोड़ गये हैं। राष्ट्रपति महोदय ने विपक्ष द्वारा हड़तालों को भड़काकर पैदा की जा रही कठिनाइयों के बारे में, उत्तर प्रदेश में लोकदल और डाकुओं के गठजोड़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दुर्भावना भड़काने के लिए उसकी निन्दा नहीं की है। अतः मैं इस बात का कोई कारण नहीं समझता कि मेरे विपक्ष के मित्रों की भावनाओं को यह किस प्रकार ठेस पहुँचाता है जबकि राष्ट्रपति महोदय इतने मुख्य भाग को, इतने मुख्य मुद्दों को छोड़ गए हैं।

जब राष्ट्रपति महोदय अपना अभिभाषण कर रहे थे तो मेरा मन विगत में घूम रहा था आज से कुछ दो ही वर्ष पूर्व जब मैंने इस सम्मानित सदन में शपथ ली थी। मैं भावनाओं को तो उभाड़ना नहीं चाहता हूं परन्तु विगत को वर्तमान से जोड़ने के लिए समानान्तर चिंतन करना और इतिहास के मार्ग को खोलना मानव स्मृति का प्रकृति जन्य व्यवहार रहा है। दो वर्ष पूर्व जब मैं लोक सभा में चुनकर आया था, तो जैसा कि हम में से बहुत से करते हैं, मैंने भी बहुत सी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ आया था। ये सभी आशाएं और आकांक्षाएं देश की उस समय की स्थिति को देखकर बनी थीं, उस समय देश की जैसी बिगड़ी हुई स्थिति थी, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा—वह तो हम पहले ही बता चुके हैं। उस समय कृषि उत्पादन गिर रहा था, कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी और नगरों और कस्बों में आमतौर से अराजकता फैली हुई थी। परन्तु मुझे उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू याद आ रहा है और मुझे विश्वास है कि इस सदन में मेरे बहुत से सहयोगियों को याद होगा कि जनवरी 1980 में इस देश में निराशा व्याप्त थी। समाज के केवल विशिष्ट वर्ग में ही निराशा नहीं छाई हुई थी। आम आदमी की निराशा थी, खेत के आम मजदूर, एक श्रमजीवी की निराशा थी और आम आदमी

सोचता था कि उसके चारों ओर की दुनिया धीरे-धीरे सिकुड़ रही है। मुद्रास्फीति के दबावों के कारण, उसकी दैनिक मजदूरी या उसकी कमाई दिन पर दिन घटती जा रही थी और उन्नति के अवसर अवरुद्ध किये जा रहे थे क्योंकि औद्योगिक मोर्चे पर वृद्धि नहीं हो रही थी।

मुझे अभी तक याद है कि दिसम्बर, 1979 में, इस सभा के लिए मेरे चुनाव अभियान के दौरान, एक वृद्ध मेरे पास आया और बोला कि यद्यपि वह कांग्रेस उम्मीदवार को देखना चाहेगा, जो कि मैं उस समय जीता था, फिर भी वह अपना मतदान नहीं करेगा। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि जिस प्रकार वह परमात्मा में विश्वास खो चुका है, वैसे ही सरकारों में भी विश्वास खो चुका है। जनता और लोकदल शासक, तीन वर्ष में वह सब कुछ प्राप्त करने में सफल रहे जो विश्व के कुछ निकृष्टतम लोकतन्त्र भी प्राप्त करने में सफल नहीं रहे। इस कारण राजनैतिक प्रणाली से लोगों का विश्वास उठना आरम्भ हो गया।

आज बोलने के लिए उठने से पहले मैंने उन सपनों तथा आकांक्षाओं को याद किया जिनके साथ हम इस भव्य सदन में आये थे। मुझे याद है जब वर्षों पहले मैं इस सभा का सदस्य नहीं था तो दीर्घाओं से नीचे श्रद्धायुक्त विस्मय के साथ देखा करता था कि ये वे व्यक्ति हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमारे देश का शासन चलाते हैं।

अतः अब मुझे बोलने के लिए कहे जाने से पहले ये सब सपने तथा आकांक्षायें मुझे ताजा हो गयीं।

मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिन की याद है। मैं सोच रहा था कि यदि हम जिस घाटी में थे उसमें से न आते तो क्या होता; यदि हम जिस सुरंग में फंस गये थे उसमें से निकलने में समर्थ नहीं होते तो क्या होता ?

यह मेरे मित्रों के प्रति नफरत अथवा द्वेष का प्रश्न नहीं था। उस समय हमारे मन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जरूरतमंद तथा गरीबों को राहत पहुंचाना था। छोटे रूप में हम उस समय अपने सामने प्रस्तुत कार्य से अभिभूत थे। आज दो वर्षों के बाद 1980 की यादगार मेरे सामने विरोधाभास के रूप में आ रही है।

वास्तव में, मैं यह दावा नहीं करता कि 1980 में हमारे कन्धों पर जो समस्यायें आयी थीं उन सभी को हल किया जा चुका है। मैं यह दावा नहीं करता कि सारी समस्यायें पूर्ण रूप से हल कर ली गई हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारा देश कठिनाई से मुक्त हो गया है।

हमने चुनाव वायदों या कहीं दूसरी जगह जादू करने का वायदा नहीं किया तथा दिन प्रतिदिन के जीवन में जादू नहीं होते।

अतः जब मैं पिछले दो वर्षों की ओर देखता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं देखता हूं वह यह है कि देश के ऊपर जो उदासी छाई हुई थी वह अब समाप्त हो गई है। समस्यायें अभी भी बहुत अधिक हैं।

परन्तु प्रश्न यह है कि वह उदासी अन्तिम रूप से समाप्त हो गई है और अब मैं यह नहीं समझता कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका सभी चीजों से, भगवान से भी विश्वास हट गया है। मैं अपने साम्यवादी मित्रों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तथा मेरे जनता तथा लोकदल के मित्रों को केवल भगवान ही बचा सकता है।

मैं जो कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि देश का रुख बदल गया है तथा यह परिवर्तन भले के लिए ही है।

मैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उनकी लम्बी सूची नहीं बनाना चाहता। साथ ही साथ मैं जो प्राप्त नहीं किया जा सका तथा जो बहुत ही सीधा तथा स्पष्ट है उनकी तरफ अपनी आंखें नहीं मूंदना चाहता।

मुद्रास्फीति की दर बहुत कम हो गई है। जैसा कि हम देखते हैं, जनवरी 1980 में हमारे सामने केवल मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण करने का कार्य ही नहीं था परन्तु सबसे पहले मूल्य वृद्धि में नियन्त्रण करना था।

मुद्रास्फीति की वर्तमान 7% की दर अभी भी गिर रही है तथा अभी-अभी हमारे माननीय मित्र जार्ज फर्नान्डीस ने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे।

जब भी हम आंकड़ों की बात करते हैं तो मेरे विपक्षी मित्र अपने आंकड़ों के साथ प्रति उत्तर देते हैं।

अतः मैं उनकी कुछ गलतियों को ठीक करना चाहता हूं। सबसे बड़ी एक गलती आंकड़ों में है, उनके कार्यों सम्बन्धी आंकड़ों में जो वे यदाकदा प्रस्तुत करते हैं।

जब हमने मार्च 1977 में, जब हमने उन्हें शासन की बागडोर दी थी, तो अर्थव्यवस्था उन्नति के पथ पर थी। अर्थव्यवस्था में उद्दीपकों तथा मार्च 1977 के बाद के दो वर्षों की आर्थिक नीतियों के परिणाम सामने आने वाले थे। जैसे कि जब 1977 में जब जनता पार्टी शासन में आई थी तो उनकी विनाशकारी विशेषज्ञताओं से भी बहुत से लाभों को, जिनकी शुरूआत पहले ही की जा चुकी थी, कुचला नहीं जा सका जिनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तथा जिनके लिए उनको कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता।

इसके कुछ आंकड़े हैं। वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान कुछ विकास के आंकड़े हैं परन्तु बात यह है कि वे सामने आये और उनकी शुरूआत 1975 तथा 1976 में की गई थी जब हमारी सरकार थी।

जब हमने 1980 में शासन संभाला तो अर्थव्यवस्था बहुत ही गिरी हुई हालत में थी जिसके विनाशकारी परिणाम सामने आने में भी समय लगता था जिनको दबाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता थी।

मैं यहां पर कृषि के मामले पर कहना चाहूंगा। यह बात, कि इस वर्ष हम 1320 लाख टन की अच्छी फसल की आशा कर रहे हैं, कोई जादू नहीं है। यह प्रकृति की दया भी नहीं। हमें उन ठोस प्रयत्नों को भी याद रखना चाहिए जो हमने किए हैं। हम निश्चित रूप से इसे पुनरुद्धार कह सकते हैं। मैं इसको 'कृषि उत्पादन' ही नहीं कह रहा हूं। मैं इसको कृषि पुनरुद्धार कह रहा हूं क्योंकि 1979-80 में जब हमने जनता पार्टी के बोये हुए को काटा तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन गिरकर 1090 लाख टन हो गया था तथा देश में अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कायम रखने की बात तो क्या कहें यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। यह कृषि पुनरुद्धार बहुत प्रयत्नों से लाया गया है। इस अवधि के दौरान 24 लाख 60

हजार हैक्टेयर अधिक भूमि की जुताई की गई। गत वर्ष छः लाख टन अतिरिक्त उर्वरकों के वितरण से गेहूं का उत्पादन 366 लाख तक पहुंच जायेगा। मगर केवल खाद्यान्नों के उत्पादन से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर भी देखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या हुआ था ? 1979 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा केवल 110 लाख टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था। 1981 में यह बढ़कर 146 लाख टन हो गया। हम आधारभूत ढाँचे के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आधारभूत ढांचे में सुधार हमारे समय का सुविदित आख्यान है क्योंकि एक समय था जब, हम भी जानते हैं और वे भी जानते हैं, हमारी रेलें माल नहीं ले जा रही थीं कोयले की खानों में कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा था, तथा हमारे ऊर्जा संयंत्रों में स्थापित क्षमता का केवल 30 से 35% उत्पादन हो रहा था। अतः हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ा कार्य आधारभूत ढांचे के मोर्चे पर था और इसके लिए एक विशेष समन्वय सैल की स्थापना की गई। कोयले के उत्पादन की भी यही कहानी है परन्तु मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं जो कुछ हमने किया उसी पर प्रकाश डालता रहूं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता परन्तु इस धन्यवाद प्रस्ताव पर कल और आज इतना कुछ सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने अधिक आँकड़े तथा तथ्य दिये जाने के बाद भी मेरे विपक्ष के मित्र देश की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त कर रहे ह। उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह लोक सभा नहीं है; ऐसा लगा जैसे हम शोक सभा में बैठे थे।

इस समय, समाप्त करने से पहले मैं 'विपक्ष की संस्कृति' विपक्ष के बैंचों की संस्कृति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ में एक बात नही आती कि मेरे कुछ मित्र हमेशा खड़े होकर आलोचना क्यों करते हैं ? हम अपना ध्यान समकालीन भारत की ऐतिहासिक वास्तविकताओं की ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सकते ? हमने जो प्रगति की है न केवल दो वर्ष में बलिक 32 वर्षों में, हम उसको मान्यता क्यों नहीं देते ? हम अपने राष्ट्र की उपलब्धियों को कम क्यों करते हैं ? एक दो मिनट के लिए मैं वर्ष 1947 की बात करूंगा जब मैं एक वर्ष का भी नहीं था। उस समय हमारा देश क्या था ? उस समय हमारा भारत क्या था ? एक विस्तृत समस्याओं वाला, विस्तृत अवसरों वाला तथा विस्तृत जनसंख्या वाला विस्तृत देश था। यह ऐसा देश था जहाँ पर 1000 नवजात शिशुओं में से 150 जन्म के तुरन्त बाद मर जाते थे। यह एक ऐसा देश था जहाँ पर 85 प्रतिशत लोग जगह-जगह मकान बनाकर या कच्चे घरों में रहते थे। यह एक ऐसा देश था जहां पर वैज्ञानिक तथा तकनीशन पैदा नहीं होते थे—हम उनमें से बहुत कम हैं, यह ऐसा देश था जहां पर केवल क्लर्क ही बनाये जाते थे। यह एक ऐसा देश था जहाँ के किसान वर्षों से तथा सदियों से जागीर जमीनदारों द्वारा शोषित किये जा रहे थे।

महोदय, यह भी आज एक कल्पित कहानी लगती है जब हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की पहली पीढ़ी थे और जब हम बड़े हुए तो हमने अपने आपको एक दूसरे ही संसार में पाया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप को उन्नति करने के लिए 200 वर्षों की आवश्यकता पड़ी तथा अमेरिका को उन्नति करने में सदियां लगी और हम तीस साल की अवधि में ही सभी दिशाओं में परिवर्तन की हवा बहते देख रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हरेक काम हो गया। बहुत कुछ करना बाकी है। हम सब इससे सहमत हैं तथा सभी इसको मान्यता देते हैं। सदियों की उपेक्षा के बाद हमारे देश के 64 करोड़ व्यक्ति अपने महासागरों को देख सकते हैं, अपनी नदियों को देख सकते हैं अपने खेतों को देख सकते हैं तथा उन्हें अपना कह

सकते हैं। क्या यह एक विजय नहीं है ? क्या यह एक नागरिक के लिए गर्व की बात नहीं है ? क्या यह मानवीय आत्मा के लिए बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है ? ये प्राप्तियाँ कारखानों तथा खेतों में कार्य कर रहे श्रमिकों द्वारा की गई हैं और इस प्रगति की उपेक्षा सामान्य जनता की उपेक्षा है।

अतः महोदय, यह इन लोगों के परिश्रम का फल है जिसके परिणाम आर्थिक आंकड़ों के रूप में प्रतिबिम्बित हुए हैं। महोदय, इस प्रस्ताव का विरोध तथा इसमें संशोधन प्रस्तुत करना, जो कि हमारे विपक्ष के नेता वास्तव में कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय गर्व को समाप्त करना है और मैं उनसे यह अपील करता हूं कि हमें प्रत्यारोपण तथा कटुता की पुरानी बातों को छोड़कर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर एक मजबूत आधुनिक तथा आत्म विश्वासी भारत का निर्माण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूँ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

> "किन्तु खेद है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के पुनर्गठन, न कि उसके विभाजन की अविलम्बनीय राष्ट्रीय आवश्यकता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं बोलता हूं लेकिन मुझे इस बारे में कम जानकारी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय में क्या होता रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं विधि आयोग की प्रश्नावली का स्वागत करता हूं। जैसी कि आशा नहीं थी कि इसके बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए दुर्भाव-पूर्वक इसकी आलोचना की गई है और कुछ आरोप भी लगाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि इस प्रश्नावली के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की प्रणाली को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं अपनी ओर से यह कह सकता हूं कि मैं राष्ट्रपति शासन का प्रशंसक नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि इससे देश की स्थिति में रत्ती-भर भी सुधार होगा। इससे वह स्थिति पहले से भी जटिल हो सकती है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन की बहुत समय से आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। उन पर ऐसा आरोप लगाने की बात मेरी समझ में नहीं आती कि वह वास्तव में सरकार बदलने के पक्ष में है क्योंकि इससे उन्हें किसी भांति देश का राष्ट्रपति बनने में सहायता मिल सकती है। मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूं।

मुझे अमेरिका की प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी है। निजी तौर से मैं यह महसूस करता हूं कि प्रधानमंत्री की केवल अपने दल में ही नहीं वरन् देश में भी इतनी प्रभावशाली स्थिति है कि वह वास्तव में किसी अन्य राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक शक्ति रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि आयोग द्वारा प्रतिपादित किए गए बहुत से सुझावों से सहमत नहीं हूँ लेकिन जैसा कि मैंने कहा है मैं यह अनुभव करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। यह जितनी जल्दी हो, अच्छा है। मैं ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं

उठा सकता, उनका इस वक्तव्य में उत्तर नहीं दिया जायेगा। सबसे पहले, मैं पूर्णतः इस प्रश्नावली में प्रयुक्त 'रिपल्से' शब्द के० विरुद्ध हूँ। यह आशातीत नहीं है, कि कुछ आलोचकों द्वारा यह सुझाव दिए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कम अथवा अनायास ही कम न किया जाए।

संवैधानिक मसलों को छोड़कर अन्य मसलों से निपटने के लिए किसी माध्यमिक न्यायालय की स्थापना के किसी सुझाव का भी मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

सबसे पहले माध्यमिक न्यायालय के लिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है संविधान में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी। क्षेत्राधिकार के बारे में निश्चित रूप से बहुत विवाद होगा। स्पष्टतः उसका क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के समान नहीं होगा। क्या इस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक पहलू पर और कानून के प्रत्येक अंग पर दिए गए निर्णय लागू होंगे? मैं इससे बिलकुल सहमत नही हूं कि संवैधानिक मामलों को कोई गोपनीयता दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे डर तो यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह विभाजन हो गया और यह मात्र संवैधानिक न्यायालय बना दिया गया और आपके पास कोई माध्यमिक अदालत हो गया तो इससे न केवल इसमें दुर्बलता आएगी वरन् इसमें संविधान का अनुच्छेद 136 भी समाप्त जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 136 में निर्णयों डिग्रियों, निर्धारणों, अन्तिम आदेशों या दण्डों के बारे में उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत देने की शक्ति का संक्षेप में हवाला दिया गया है। और मेरा विश्वास है कि कई वर्षों से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अब अनुच्छेद 136 को संविधान का एक मूल अंग मान लिया जाना चाहिए। यह केवल उन लोगों के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया है अथवा जिनके सामने जीवन और मौत का प्रश्न है, केवल उनके लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है जिन्हें आजीवन कारावास दिया गया है वरन् उन हजारों लोगों के लिए भी है जो किसी मामले से छुटकारा पाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बकाया कार्य के भय से किसी एक तरफा बनावटी प्रवृत्ति से अनुच्छेद 136 के महत्त्व को घटाना या कम करना नहीं चाहता। मुझे न केवल उच्चतम न्यायालय के बढते हुए कार्यों की जानकारी है। जैसा कि मैंने कहा हैं कि मैं स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विभाजन के विरुद्ध हूँ, इसी तरह मैं बहुत लंबे समय से इसके पुनर्गठन की आवश्यकता के पक्ष में हूं। और यह मैं किसी शर्त के बिना नहीं कह रहा वरन् बड़े खेद से कह रहा हूं। मैं यह व्यक्तिगत प्रायः फौजदारी मामले हाल में लेने वाले उच्चतम न्यायालय के एक प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज सर्वोच्च न्यायालय में जो भी हो रहा है वह बहुत दुःखद है। सबसे पहले चूंकि न्यायालय में बहुत अधिक काम है और इस अधिक काम को रोकने के प्रयास में कुछ जजों ने बड़े पैमाने पर विशेष इजाजत याचिकाओं का मुकदमा खारिज करने का तरीका अपनाया है। और मैं विशेषकर फौजदारी कानून सम्बन्धी याचिकाओं का उल्लेख कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय के हाल ही में दिए गए निर्णय को नहीं देखा गया। एक दिन—मैं नाम का उल्लेख करना नहीं चाहता—जब मैं वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायपीठ में प्रस्तुत हुआ, मैंने उन्हें कहा, जब आप

उदार न्यायाधीश थे, मैं अपने कनिष्ठों को बताया करता था : प्रयत्न करके मेरी विशेष इजाजत याचिका उनके सम्मुख रखिए। आज मैं इसका विरोध करता हूं कि मैंने यह बात किन्हीं परिस्थितियों के कारण कही। जब मैं अन्य न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उन निर्णयों का उल्लेख किया जो आज भी वैध हैं तो उन्होंने कहा, श्रीमान एंथनी आप सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे पुराने दिनों की बात कर रहे हैं। तब मैंने कहा : श्रीमान, आप क्या कह रहे हैं ? क्या आप सर्वोच्च न्यायालय के बुरे नए दिनों की बात कर रहे हैं ? महोदय, पुराने निर्णयों की उपेक्षा कर दी जाती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय काम कैसे करेगा ? मैं सर्वोच्च न्यायालय पर आक्षेप नहीं लगा रहा। वहां पर बकाया काम की भरमार है। विशेष अनुमति याचिका के लिए सप्ताह में दो दिन निश्चित किए गए हैं—सोमवार और शुक्रवार। तथा नियमित विषयों की सुनवाई के लिए केवल 3 दिन ही बचते हैं। न्यायपीठों की संख्या 6 या 7 हैं जिसमें प्रत्येक में दो न्यायाधीश होते हैं। औसतन, प्रत्येक न्यायपीठ में सोमवार या शुक्रवार को 40 या 50 के बीच विशेष अनुमति याचिकाएं शेष होती हैं। जरा इसकी संख्या पर विचार कीजिए। क्या हो रहा है ? प्रत्यक्षत; तर्क करते समय मैं उन पर आरोप नहीं लगा सकता। सप्ताह के अन्त में मामलों के संक्षेप तक नहीं पढ़ सकते। कोई मेहनती न्यायाधीश ही उच्च न्यायालय के 40 या 50 निर्णय पढ़ सकते हैं। कुछ निर्णय बहुत अधिक पृष्ठों में होते हैं। परिणाम यह होता है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के, यदि उनके पास समय होता है, तो वे निर्णय पढ़ लेते हैं। लेकिन उनके पास विशेष इजाजत याचिकाएं पढ़ने के लिए समय नहीं होता। उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णयों की कमियों का थोड़ा-सा भी ज्ञान नहीं हो पाता। मेरे विचार से, चूंकि उच्च न्यायालय में, विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए उनके निर्णय छिछले होते हैं। उनकी अपनी निश्चित धारणाएं होती हैं। वे विशेष अनुमति याचिका के लिए 4 या 5 मिनट का समय देते हैं। मेरे पास मृत्यु दण्ड सम्बन्धी या आजीवन कारावास सम्बन्धी मामले आते हैं। मुझसे कनिष्ठ लोगों को दो या तीन मिनट मिल पाते हैं। आजीवन कारावास के मामले में मुझे 10 या 15 मिनट का समय मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले खारिज कर दिये जाते हैं और ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके बारे में कोई अनुपात नहीं हैं। ये न्यायाधीशों पर, उनकी व्यक्तिगत विचारधारा पर तथा विषय परक मत पर निर्भर करता है। आपको ऐसे न्यायाधीश भी मिलेंगे जो यह कहते हैं कि वे किराएदार सम्बन्धी मामला निपटाने वाले न्यायधीश हैं। इसलिए किराएदार सम्बन्धी याचिका उनको भेजी जाती है। वह चार मामलों में हार चुके हैं। वह विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई 40 या 50 मिनट तक करते हैं। आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड के मामले की सुनवाई में आधा घण्टा लग सकता है। यदि मुझसे कनिष्ठ वकील बहस कर रहे हों तो इस पर 5 मिनट लग सकते हैं। इन्हें 4 या 5 मिनट में खारिज कर दिया जाता है। किराएदारी के मामले पर 40 या 50 मिनट बहस होती है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। जैसा कि भारत के संविधान में उल्लिखत है कि सदन को न्यायाधीशों के आचरण पर विवाद करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आचरण सम्बन्धी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : महोदय, यह विवादास्पद विषय हैं जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा

हो सकती है और यह ऐसा मामला है जिस पर वकीलों में काफी रोष है। महोदय, मैं यह समझता हूं कि—यह स्वतः स्पष्ट है कि किसी भी वकील को कानून के प्रत्येक अंग की जानकारी नहीं है भले ही वह कितना योग्य हो। और मैं यह कहूंगा कि उसी भांति यह भी स्पष्ट है कि किसी न्यायाधीश को भी कानून के प्रत्येक अंग की जानकारी नहीं होती। केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन जाने से ही वह सर्वज्ञाता नहीं हो जाता। और मेरा यह कहना है कि निश्चिय ही मेरे सहयोगी को कुछ वरिष्ठ वकीलों से बातचीत करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि वे क्या महसूस करते है। कनिष्ठ वकीलों को उतना अनुभव या विचार सन्तुलन नहीं हो सकता जितना हम में से कुछ लोगों को है।

एक वरिष्ठ वकील होते हुए मैं मनमाने तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की आलोचना कभी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है ? हमें एकदम स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। इस बात को सभी जानते हैं। एक न्यायाधीश आता है। उस पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए। उसने अपने पूरे जीवन में दण्ड विधि सम्बन्धी मामला कभी नहीं लिया। उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हैसियत से भी दण्ड विधि सम्बन्धी मामला कभी नहीं निपटाया। उनमें से कुछ पूरी तरह ईमानदार हैं। उस दिन—एक पखवाड़े पहले—मैं एक मामले पर बहस कर रहा था और एक न्यायाधीश को संबोधित कर रहा था। सामान्यतः एक न्यायपीठ में दो न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश ने मुझ से कहा, "श्रीमान एंथनी, कृपया मुझे संबोधित न कीजिए। आपने कदाचित एक...उठाया हैं..."

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य का सम्मान करते हुए मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 121 इस प्रकार है।

> "121, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबंधित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किए गए आचरण के विषय में न होगी।"

अतः मैं समझता हूं कि अनच्छेद 121 एकदम स्पष्ट है। महोदय, मैं अपनी बात पर एकदम दृढ़ हूं। अनुच्छेद 121 संसद के किसी सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए किए गए आचरण के विषय में चर्चा करने की अनुमति नहीं देता। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) : इसमें किसी न्यायाधीश का सवाल नही है, ये जैनरल बात कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका विनिर्णय नहीं मांग रहा हूं। मैं उपाध्यक्ष, महोदय का विनिर्णय मांग रहा हूँ। महोदय, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विगत काल में अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसे विनिर्णय दिए गए हैं और उन्होंने इस सदन के सदस्यों से कहा है कि वे किसी न्यायाधीश के आचरण सम्बन्धी बात सदन में न करें।

श्री फ्रेंक एन्थनी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी मेरे द्वारा किसी विशेषकर एक न्यायाधीश के बारे में विशेष रूप से, पर आपत्ति कर रहे हैं। मैं अपने इस कथन को वापस ले

लूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि चूंकि यह जातीय मामला है, अतः मैंने यह सोचा था कि मेरे मित्र सरकार से इस प्रकार झगड़ने की बजाय सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्गठन कराने में रुचि लेंगे जिसकी एक काफी लम्बे समय से आवश्यकता समझी जा रही है। मैं अपना वास्तविक अनुभव बता रहा हूं; कोई मनगढ़न्त बात नहीं कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझसे एक न्यायाधीश ने उन्हें सम्बोधित न करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि "कानून की इस शाखा में मुझे अनुभव प्राप्त नहीं हैं।"

मेरा अगला सवाल यह है। आपके पास कुछ अत्यधिक योग्य न्यायाधीश हैं। लेकिन उनमें इस प्रकार की विचारधारा पूरी तरह व्याप्त है। यह सच है कि उन पर कार्यभार बहुत अधिक है। वे यह समझते हैं कि काम की इस अधिकता से, बकाया कार्य के भार से किसी न किसी तरह छुटकारा पाने का एकमात्र यही तरीका है कि इन मामलों का निपटान इस तरह एक साथ बड़े पैमाने पर किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ न्यायाधीशों को इन दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धी मुकदमों का कोई अनुभव नहीं रहा। मैं अब दण्ड विधि की बात कर रहा हूं। वे दंड विधि के प्रारम्भिक सिद्धान्तों को भी नहीं जानते। आज जो कुछ हो रहा है उसी को देखते हुए मैं ऐसा कह रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय का मामला 4 या 5 मिनट में निपटा दिया जाता है। आजीवन कारावास के मुकदमे भी प्रायः 4 या 5 मिनट में निपटा दिए जाते हैं। मुझे दंड विधि 45 वर्ष का अनुभव है और ऐसे अनुभव से इन मामलों में किसी की भी प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट हो सकती है। मैं जानता हूं कि बहुत से मामलों में लोगों को गलत तरीके से दोषी करार किया गया है क्योंकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है। परिवार के तीन सदस्य रिहा कर दिये जाते हैं, एक सदस्य बच्चे से कुछ ही बड़ा है। मैं मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि आपकी आयु 16 वर्ष से कम है तो आपको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता। एक बच्चे को मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन बार-बार ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे से थोड़े ही बड़े होते हैं, उनके आजीवन कारावास का मामला 5 मिनट में खारिज कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि न्यायाधीश यह महसूस करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत अधिक बोझ है और ऐसे अधिक मुकदमे लेकर इस बोझ को और भी बढ़ाया नहीं जा सकता।

आज जो हो रहा है वह यह कि दूसरा न्यायाधीश ऐसा होता है जो दण्ड विधि के मूलभूत तत्त्वों को भी नहीं जानता। आप मुझसे मत पूछिए, इस बारे में फौजदारी कानून के वरिष्ठ न्यायाधीशों से पूछिए। आजकल इस तरह से इतना अधिक अन्याय हो रहा है। फौजदारी कानून सम्बन्धी विशेष अनुमति याचिकाओं को पूर्णतः नजरअंदाज किये जाने की वजह से ही इतना अधिक अन्याय हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे पास एक ही मूलभूत सुझाव है और वह यह सर्वोच्च न्यायालय में काम का वितरण कानून के व्यापक भागों के आधार पर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट ज्ञान प्राप्त न्यायपीठों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। आपके सामने संवैधानिक पक्ष भी है। मैं कोई तदर्थ सुझाव नहीं दे रहा। मैं यह नहीं कहता कि आपके पास 100 या 150 न्यायाधीश हों। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कार्यभार का यथार्थ मूल्यांकन

किया जाना चाहिए। यह आसानी से किया जा सकता है। यह देखिए कि संवैधानिक मामलों से सम्बन्धित कितने मुकदमे दायर किये गए हैं। आप एक वर्ष या दो वर्ष से दायर किए गए मुकदमों की ही अनुमानित संख्या बता सकेंगे। फौजदारी कानून सम्बन्धी याचिकाओं को देखिए। कदाचित यह सम्भव हो सकता है कि संवैधानिक मामलों से संबंधित याचिकाओं की संख्या सर्वाधिक हो। ठीक है। फिर अब आप निर्णय कीजिए कि आपको प्रत्येक संवैधानिक न्यायपीठ के लिए कितने न्यायधीशों की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संवैधानिक कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय कम से कम पांच न्यायधीशों की न्यायपीठ द्वारा किया जाना चाहिए। आप अपना कार्यभार देखिये। यह बताइये कि हमें तीन पूर्णकालिक संवैधानिक कानून न्यायपीठों की आवश्यकता है, जिनमें प्रत्येक न्यायपीठ में पांच न्यायाधीश हों अर्थात संवैधानिक कार्यों के लिए 15 न्यायधीश चाहिए। फिर आप फौजदारी कानून के कार्यभार का मूल्यांकन कीजिए। हम यह मान लेते है कि आपके पास इतना कार्यभार है कि आपके पास फौजदारी कानूनों के लिए तीन पूर्णकालिक अपराधिक न्यायपीठ होनी चाहिए। मेरा दूसरा मुख्य निवेदन यह है कि आपके पास एक न्यायपीठ में कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए। दुर्भाग्य से, चूंकि आज सर्वोच्च न्यायालय में आज न्यायाधीशों की कमी है इसलिए एक न्यायपीठ में ही आपके पास दो न्यायाधीश होते हैं। फिर उन दोनों न्यायाधीशों के विचारों में भिन्नता है। पुराने दिनों में, जब उनमें मतभेद होता था तो वे हमेशा विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर लेते थे। आज होता यह है कि कनिष्ठ न्यायाधीश शायद ठीक से यह नहीं समझ पाता कि इस मामले में क्या बातें अन्तर्ग्रस्त हैं और इसलिए अपना सिर हिला देता है, उसे बंद कर देता है और वरिष्ठ न्यायाधीश कह देता है : खारिज। आज यह सब हो रहा है। इसी कारण मैं कहता हूं आपकी एक न्यायपीठ में कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए।

मैं विधि आयोग के सभापति की आलोचना नहीं कर रहा हूं। उन्होंने अमेरिका में हुई कई घटनाओं का उदाहरण दिया। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि अमेरिका में या किसी अन्य देश में क्या होता है। यदि हमारे में कोई विशेषता नहीं है तो हमारा कोई महत्त्व नहीं। आम-तौर पर लोग जनगणना के अंतिम आंकड़े देखकर कह देते हैं कि हमारी संख्या 68 करोड़ है। कोई कहता है कि आप सही नहीं है, आपकी संख्या 7250 लाख से अधिक है। लेकिन जो भी हो। संभवतः मुकदमेबाजी में रुचि रखने में हम विश्व में सबसे आगे है। लेकिन क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि दायर किये जाने वाले मुकदमों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या हुआ? वे 15 न्यायाधीश थे। मुझे उनके मुख्य न्यायाधीशों से कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं। 1948 में लखनऊ की न्यायपीठ को मिलाकर वे 15 न्यायधीश थे। आज उनकी संख्या 62 होनी चाहिए; लेकिन वास्तव में उन्हें 56 न्यायधीश ही मिले हुए हैं। दिल्ली में, प्रारम्भ में 5 न्यायाधीश थे। आज 24 न्यायाधीश हैं। आरम्भ में सर्वोच्च न्यायालय 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। 1960 में, उन्हें बढ़ाकर 14 कर दिया गया। अब हमारे पास 18 न्यायाधीश है। लेकिन वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहे न्यायाधीशों की संख्या कभी 16 से अधिक नहीं रहती। यदि हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश भी हों तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था : उसने कहा—अफ्रीका के बलगारिया जैसे छोटे देश में भी 70 न्यायाधीश हैं। भारत की तुलना

में बल्गारिया कुछ भी नहीं है। हमारा देश मुकदमेबाजी करने में अद्वितीय है। मैं यह समझता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से और मित्रता के कारण कई न्यायाधीशों को जानता हूं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह मेरा पक्ष लेंगे। एक मृत्यु दण्ड से सम्बन्धित मामला था और मैं उन्हें संबोधित करता रहा। और वरिष्ठ न्यायाधीश यह पूछते रहे—कि तुम उन्हें क्यों सम्बोधित कर रहे हो। मैंने कहा संभवत: आप हमें मृत्यु दण्ड से छुटकारा देंगे। लेकिन मेरे एक मित्र, जिनके अंकल के साथ मैंने वकालत शुरू की थी और जो मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, उन्होंने कहा, "जहां तक मेरा सवाल है मैं मृत्यु दण्ड की पुष्टि करना चाहूंगा।" अत: किसी न्यायाधीश का मित्र होने का कोई अर्थ नहीं हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निर्धारित संख्या तक बढ़ाने की आवश्यकता है तो वह 50 या 45 या फिर 50 से अधिक होने चाहिए। संभवतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। वे समझेंगे कि उनसे उनका बहस करने का हक छीना जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अशांति महसूस नहीं करता। मैं न्यायाधीश नहीं हूं। मैं केवल संविधान की रक्षा करना चाहता हूँ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : नहीं, मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा। यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में प्रचार होना ही चाहिए। मैं जहां तक संभव हो मैं वस्तु परक होने का प्रयत्न कर रहा हूं और जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविक जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। वे कह सकते हैं, "ओह, यदि हमारी संख्या 50 हो जायेगी तो हम भी जनसामान्य का एक अंग बन जाएंगे। लेकिन मेरा संबंध केवल दो बातों से हैं, पहला—देश की आवश्यकताएं क्या हैं और दूसरा—न्याय की वास्तव में क्या आवश्यकता है। आज जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय में हो रहा है उसका पक्ष नहीं लिया जा सकता। कुछ न्यायाधीश—मुझे यह कहना चाहिए—विश्व में सर्वोत्तम हैं। उन्हें उतना ज्ञान प्राप्त है जो उन्हें होना चाहिए था। वे उदार हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। लेकिन कुछ न्यायाधीशों पर, कुछ कारणों से, कार्यभार बहुत अधिक हो गया है जबकि अन्य कुछ शेष न्यायधीशों को उस कानून मूलभूत सिद्धान्तों के आवश्यक तत्वों का ज्ञान नहीं है जिसके बारे में उन्हें निर्णय करना है।

न्यायाधीशों का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ न्यायाधीशों को संवैधानिक कानून का अनुभव और जानकारी है और अन्य कुछ को फौजदारी कानून का। अतः विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न न्यायपीठ बनाई जानी चाहिए। उच्च न्यायालय में भी हमें संभवतः इसी व्यवस्था की आवश्यकता है। वहां भी पर्याप्त असंतुलन है। मैं इस सुझाव के पूर्णतः विरुद्ध हूं कि इन न्यायालयों की सामूहिक बैठक होनी चाहिए। आपका क्या मतलब है—कि 16 न्यायाधीश एक साथ बैठेंगे ? यह बहुत ही गलत है जबकि आप के पास 7 या 9 न्यायाधीश हैं। और मैं यह भी कहूंगा—संभवतः मेरे सहयोगी इस पर आपत्ति उठायेंगे—मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं यह नहीं कहता इसके पीछे कोई निजी, अथवा अस्पष्ट या फिर कोई भ्रष्ट-इरादे हैं। लेकिन कभी-कभी वह इन मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघ जाते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

धारक बाण्ड योजना को लीजिए। हममें से बहुत लोगों ने यह महसूस किया—और बहुत से वरिष्ठ वकील भी इस बार में एकमत थे—कि यह राजनैतिक जंजाल का मामला है, यह

सरकार की विशिष्ट जानकारी का मामला है—चाहे आपका काला धन भारत में हो या फिर बाहर के देशों में। इससे पहले, मैं काले धन पर एक लेख पढ़ रहा था। जिसमें लिखा था भारत में काला धन अपेक्षाकृत कम है। अमेरिका में उनके कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 10 प्रतिशत काला धन है। मैंने उसकी गणना की है। वह करोड़ों डालर है—अमेरिका में काला धन लगभग 76,000 करोड़ डालर है। इस्राइल में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 30 प्रतिशत काला धन है। अमरीकी कहते हैं कि वे ऐसा कानून बनाने में लगे हुए हैं जिससे काले धन को सफेद में परिवर्तित किया जा सके।

संभवत: न्याय अधिकार क्षेत्र का दावा झूठा है, जो मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। हमने कुछ मामलों पर सप्ताह तक नहीं महीनों तक बहस की। बाकी सब मामलों पर इतनी लम्बी बहस नहीं की गई। महीनों और वर्षों तक मुकदमे सुनवाई के लिए पड़े रहते हैं और उन पर बहस नहीं होती। इन विभिन्न कारणों से वहां पर इतना अधिक असंतुलन है। यह तभी दूर होगा जब हमारे पास विशिष्ट ज्ञान प्राप्त न्यायपीठ हों। उनके पास विशिष्ट ज्ञान होगा। जिन न्यायाधीशों को संवैधानिक कानून की विशिष्ट जानकारी होगी वे ऐसे मामलों का जल्दी निपटान कर लेंगे। जिन न्यायाधीशों को फौजदारी कानून की विशिष्ट जानकारी प्राप्त होगी वे भी फौजदारी मुकदमों का निपटान जल्दी करेंगे। मैं एक न्यायाधीश का नाम लेने वाला हूं—मुझे उनका नाम लेने दीजिए—वह मर चुके हैं। मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मेरा नाम ले रहे है ? मेरी अभी मृत्यु नहीं हुई है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वकील लोग इससे सहमत होंगे। वह स्वर्गीय न्यायाधीश जफर इमाम थे। वह फौजदारी कानून के बहुत बड़े वकील थे। जब मैं सर्वोच्च न्यायालय में उनसे मिलता तो मामला कितना भी जटिल क्यों न हों, उनमें इस कानून की इतनी गहरी समझ थी कि वह 10 ही मिनट में मामले को निपटा देते—या तो उसे स्वीकार कर लेते या खारिज कर देते। मुझे याद है—मैंने उनकी अदालत में एक मुकदमा लड़ा था। वह मामला 10 रु० के जुर्माने से संबंधित था। क्या आप सर्वोच्च न्यायालय में 10 रुपये को जुर्माने के मुकदमे की बात पर विश्वास कर सकते हैं ? वह अपनी गहरी सूझ बूझ से समझ गये कि याचिकादाता पर गलती से जुर्माना किया गया है और उन्होंने याचिका मंजूर कर ली। तीसरे न्यायाधीश ने "मैं ऐसे मुकदमों को दायर किए जाने के विरुद्ध हूं।" मैं यह कह रहा हूं कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त न्यायाधीशों का भी न्यायपीठों में मुकदमे में कम समय लगेगा। मैं अमेरिका की भांति आधे घंटे के तर्क-वितर्क जैसी प्रणाली नहीं लाना चाहता; लेकिन हमारे यहां इसके विपरीत भी तो अति नहीं होनी चाहिए तथा हफ्तों और महीनों तक उच्च न्यायालय में मुकदमों पर बहस नहीं होने देनी चाहिए। धन्यवाद।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो प्रभावपूर्ण अभिभाषण सदन में दिया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

नि:संदेह यह सत्य है कि हमारे पिछले दो वर्ष हमें विरासत में मिली विपरीत अर्थव्यवस्था को सुधारने में लग गए। इसके बावजूद इन दो वर्षों में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको नकारा

नहीं जा सकता। यदि हम अपने विकास के मानचित्र के ऊपर दृष्टि डालें तो पता लगेगा कि विज्ञान और टेक्नालाजी के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक तरक्की की है। हमारे यहाँ हम यह देखते हैं कि रोहिणी-2, एपल, भास्कर-2 का छोड़ा जाना हमारी महानतम उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों ने अन्तरिक्ष युग में लाकर खड़ा कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने विदेशों से सम्बन्ध बिगाड़ लिए थे। इसमें सन्देह नहीं कि कई राष्ट्र हम से किसी प्रकार का लेन-देन करने में भी हिचकते थे, परन्तु इस समय हमारे सम्बन्ध विदेशों से सुधरने लगे है। निर्गुट राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ उसमें हमारे महान नेता का निर्भीक तथा समर्पित व्यक्तित्व विश्व शान्ति के प्रतीक के रूप में सामने आया है। इसके साथ-साथ हम यह कह सकते है कि हमारे सम्बन्ध सुधरे है। मेलबोर्न में राष्ट्र-मण्डलीय सम्मेलन तथा दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूरोप के देशों में उनका भ्रमण इस बात का प्रतीक है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारे सम्बन्धों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। फ्रांस के साथ सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विकृत कर दिया था, उनको फिर से संवारा गया है।

हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है "जन-विश्वास"। जनता का विश्वास हमने प्राप्त किया है। यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है। इसका प्रमाण है राजस्थान में हुए पंचायत और नगर-पालिकाओं के चुनाव। इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमें जनता का विश्वास प्राप्त है। 26 में से 26 जिला-परिषदें कांग्रेस (आई) की बनीं तथा 141 नगरपालिकाओं में से 97 नगर-पालिकाएं कांग्रेस (आई) की बनीं। यह इस बात का प्रतीक है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र की जनता ही श्रीमती गांधी के साथ नहीं हैं, बल्कि नगरीय क्षेत्र की जनता भी इस नेतृत्व को मानता है और यह सोचता है कि इनके हाथ में अगर अपना नेतृत्व जाता है तो हमारे गाँवों और नगरों का बहुमुखी विकास होगा। इसलिए यह जो जन विश्वास हमने प्राप्त किया है, यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके साथ-साथ मुद्रास्फीति के क्षेत्र में जो कमी हुई है, शायद विश्व का कोई देश ऐसा नहीं कर पाया है। जनवरी 1980 में मुद्रास्फीति की दर 22.2% थी जो 1982 में 6.9% हो गई है।

मान्यवर पक्ष और प्रतिपक्ष प्रजातन्त्र के दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, परंतु मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारा प्रतिपक्ष नकारात्मक भूमिका निभाता है। यह एक प्रश्न चिह्न हमारे सामने बना हुआ है। भारत बंद से क्या अभिप्राय था ? यह प्रश्न चिह्न हमारे सामने बना हुआ है। हमने महाराष्ट्र में किसान आंदोलन किस लिए किया। यह भी हमारे सामने प्रश्न चिह्न बना हुआ है। हमने गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन किस वजह से किया, ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि हमारा ध्यान गुणात्मक सुझावों की तरफ कम रहकर नकारात्मक बातों की तरफ अधिक रहा है। कितना अच्छा हो कि हम अपना ध्यान देश के समक्ष खड़ी महत्त्वपूर्ण समस्याओं की ओर मिलकर उनका समाधान करें। ये महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं गरीबी और बेरोजगारी।

हम मिलकर यदि इसके सुधार की ओर बढ़ते हैं, मिटाने के लिए बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रतिपक्ष का एक महत्त्वपूर्ण योगदान होगा ।

आज देश के बहुत से प्रान्तों में सूखे की स्थिति है । राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रान्त है । वह सूखे की चपेट में हैं । तीन वर्ष से वहाँ निरंतर अकाल की स्थिति है । खेती की बात तो दूर रही वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है । अकाल राहत के काम वहाँ चलाए गए है । परन्तु राजस्थान में पहले ही ओवर ड्राफ्ट है । ऐसी स्थिति में पूरे व्यक्तियों को काम भी नहीं मिल पा रहा है । मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार अकाल राहत के अधिक-से-अधिक सहयोग देकर राजस्थान में इस भयंकर सूखे से निपटने के लिए सहयोग करें ।

राजस्थान का आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय है और उस मरुस्थल की एक सीमा पाकिस्तान से भी लगती है । इसलिए मरुस्थल की समस्या प्रांतीय समस्या नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है । मेरा विनम्र निवेदन हैं कि मरुस्थल की रोकथाम के लिए विशेष धनराशि केन्द्र की ओर से आवंटित की जानी चाहिए ।

अकाल निरंतर पड़ता रहता है । अकाल का क्या कोई स्थाई हल नहीं ढूँढा जा सकता है? मैं समझती हूं कि निश्चित रूप से ढूँढा जासकता हैं । राजस्थान कैनाल इसका एक हल हैं । राजस्थान कैनाल राजस्थानियों का एक अधूरा सपना हैं और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । 1957 में इस नहर का काम आरम्भ किया गया था । मैं सोचती हूँ यदि इस नहर को पूरा कर दिया जाता तो हमारे प्रांत की अन्न समस्याओं का समाधान हो गया होता और हमारी ही नहीं बल्कि देश की बहुत सी समस्याओं का भी हम समाधान कर सकते थे । इसके बन जाने पर 31 लाख टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष पैदा हो सकता है और इससे हम देश की खाद्यान्न समस्या का काफी समाधान कर सकते हैं । राजस्थान के ओवर ड्राफ्ट को देखते हुए, राजस्थान की आर्थिक हालत, माली हालत को देखते हुए राजस्थान कैनल के लिए विशेष धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि इस अधूरे सपने को साकार किया जा सके । पेय जल की समस्या भी इससे दूर हो सकती है ।

राजस्थान कैनल के बनने के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित एक और समस्या वहाँ पैदा हो गई है । जैसे ही वहाँ हरियाली होने लगी है, खेत उपजाऊ होने लगे हैं, समृद्धिशाली लोगों ने वहाँ आकर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं और जो वहाँ के मूल निवासी है, आदिवासी हैं, अनुसूचितजाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग है वे देखते रह गये हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के मूल निवासियों में जमीन आवंटित की जा सके और बाहर से जो समृद्धिशाली व्यक्ति आ कर इन्हें न खरीद सकें जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं और कठिनाइयों का सामना करते आ रहे है, वे ही उन जमीनों को ले सकें और बाहर के लोग न ले सकें ।

हमारा देश विकासशील देश हैं । विश्व की पंद्रह प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में हैं परंतु विश्व की आय का केवल 1.5 प्रतिशत भाग ही हमारे राष्ट्र के हिस्से आता है । इसका क्या कारण हैं ? केवल भाषण दे देने से या आलोचना कर देने से ही यह समस्या हल नहीं होगी । इसके लिए हमें लांग टर्म प्लानिंग करना होगा, नियोजित विकास करना होगा और उसके लिए योजना बनानी होगी ।

आज इस देश में बेरोजगारी की बहुत ही भयावह समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है। इस बेरोजगारी का कारण क्या है ? हमने योजनाएं बनाई हैं, पांच पूरी कर ली हैं, छठी योजना भी कार्यरत हैं। मैं समझती हूं कि इस बेरोगारी के दो प्रमुख कारण है। एक तो जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार रही तो मैं सोचती हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद भी हमारे देश में 350 लाख लोग बेरोजगार होंगे। इसलिए बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए और देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार ने इस ओर कुछ कदम उठाये थे। परंतु बड़े दुख की बात है कि कई विरोधी पार्टियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस राष्ट्रीय नीति को, बहुत ही अच्छी नीति को तहस-नहस कर दिया।

फिर से दो सालों में हमने जनमानस बनाया हैं और मैं सोचती हूं कि इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी का मुख्य कारण यह हैं कि शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। 34 वर्षों से बराबर हम कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति में आमूलभूत परिवर्तन होनी चाहिए। परंतु वही मैकाले पद्धति आज भी विद्यमान है। क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया जाता है ? हो यह रहा है कि किसी ने टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त कर ली तो वह देश छोड़कर बाहर जा रहा है। प्रतिभा पलायन एक महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है। अब शिक्षा को समवर्ती सूची में ले लिया गया है तो हमें इसके लिए प्लानिंग करनी होगी और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायमुखी बनाना होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा को राज्य पर न छोड़कर पूरा का पूरा नियंत्रण केन्द्र का होना चाहिए। मैं समझती हूं कि शिक्षा के साथ यदि श्रम को जोड़ दिया जाए, जैसा कि हमारी प्रधानमंत्री ने भी कहा है "श्रमएव जयते" अगर श्रम के साथ शिक्षा को जोड़ते हैं तो आज यह स्थिति नहीं रहेगी कि एक किसान का बेटा जो कृषि विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करता है वह गांव छोड़ देता है, कोई वैज्ञानिक बनता है तो देश छोड़कर बाहर चला जाता है। यदि श्रम के साथ इसको जोड़ेंगे तो इस समस्या का सही समाधान हो सकता है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जो एक छोटा सा देश है और जिसके पास अपनी प्राकृतिक सम्पदा नहीं है फिर भी श्रम के आधार पर विश्व बाजार में उसने अपनी धाक जमाई है। हमारे देश में तो प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा है अगर हम श्रम करे तो निश्चय ही आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रत्न गर्भा भूमि है जहाँ पर खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं। अबरक का हमारे यहाँ प्रचुर भंडार हैं। इसी प्रकार से कोयले और लोहे में अमेरिका के बाद हमारा ही नम्बर आता है। इसी प्रकार परमाणु बिजली के लिए थोरियम की आवश्यकता होती है। अनुमान है कि प्रतिशत डिपोजिट्स हमारे देश में हैं। फिर क्यों नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं ? श्रम के आधार पर निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ सकता है। और 20 सूत्री कार्यक्रम को नए परिवेश में लागू किया गया है उसका मैं स्वागत करती हूं और आशा करती हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे देश के गरीबों, बेरोजगारों, आदिवासियों और पिछड़े हुए वर्गों को उससे राहत मिलेगी।

यह भी सत्य हैं कि 2050 तक हमारे देश की ऊर्जा शक्ति, बल्कि विश्व में भी, खत्म हो जायेगी। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बायोगैस तथा सौर्य-ऊर्जा के लिए हमारे देश में अन्वेषण हुए है और मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। अणु-शक्ति के माध्यम से भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुले हैं।

इसके साथ ही हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आज कई फौजी ताकतें जमाव किए हुए हैं। हमारे पड़ोसी राष्ट्र के इरादे नेक नहीं हैं। जब हमारी प्रधान मंत्री इस बात को

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कहती हैं तो विपक्ष इसको केवल एक डराने वाली बात कहता है। परन्तु इस ओर उन्हें सोचना चाहिए कि निःस्सन्देह आलोचना नहीं करके एक व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि विरोधी दल नकारात्मक भूमिका न निभाकर सुझावात्मक तथा सहयोग की भूमिका निभायें तभी हम आगे बढ़ सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री कमल नाथ ने अपने भाषण में, जिस पीढ़ी का जन्म स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुआ है, उस पीढ़ी की ओर से स्वतन्त्र भारत में जो प्रगति हुई है, उस पर गर्व प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की, तब यहाँ सामन्तवाद था। मैं मानता हूं, मैं भी उसी पीढ़ी में हूं जिस पीढ़ी ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जन्म लिया। श्री कमलनाथ ने सामन्तवाद का अन्त हुआ, ऐसा वादा किया लेकिन यह नहीं कहा कि सामन्तवाद के स्थान पर क्या आया।

यह भी ठीक है कि सामन्तवाद का अवशेष आज भी हमारे समाज में है, इसलिए आज भी हरिजनों और अल्प संख्यकों व पिछड़े वर्गों पर अत्याचार हो रहा है। सामन्तवाद के स्थान पर समाजवाद लाना, पं० जवाहर लाल नेहरू जैसे हमारे नेता चाहते थे, लेकिन सामन्तवाद के स्थान पर समाजवाद हम नहीं ला सके। हम तो उसके विरुद्ध दिशा में चले हैं। सामन्तवाद के स्थान पर पूंजीवाद पनप रहा है। सामन्तवाद के अवशेष जो बचे हुए हैं, अब पूंजीवाद के साथ जुटकर बहु राष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व की पूंजीवादी शक्तियों के साथ सम्मिलित होकर हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का लूटपाट कर रहे हैं।

हमारी प्रजातन्त्र प्रणाली संघीय व्यवस्था पर आधारित है। संविधान ने हमारी संघीय व्यवस्था के अनुसार राज्यों को जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिये हुए हैं, उनको वर्तमान केन्द्रीय सरकार और शासक दल द्वारा राज्यों से लिया जा रहा है। उदाहरणार्थ तृतीय पंचवर्षीय योजना तक प्लान एलोकेशन में 34 प्रतिशत तो केन्द्र का था और 66 प्रतिशत राज्यों का था, लेकिन अब तो उलटा हो रहा है। अब 67 प्रतिशत केन्द्र लेता है और 33 प्रतिशत राज्यों के लिए छोड़ता है।

केन्द्र तो कई प्रकार के ऋणों पर भी निर्भर रह सकता है। लेकिन राज्यों को प्लान्ड एक्सपैंडीचर के नाम पर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जिस प्रकार कांग्रेस (इ) के शासन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति और उनका बदलाव जो किया जाता है, उससे हमारी संघीय व्यवस्था का मजाक हो रहा है।

हाल ही में प्रधानमंत्री पश्चिमी बंगाल गई थीं। वहाँ उन्होंने उस राज्य की विधि और

व्यवस्था के बारे में आशंका प्रकट की, जबकि यहाँ दिल्ली में, जहां प्रधान मंत्री और केन्द्रीय सरकार का शासन है, दिन-प्रतिदिन बैंकों और पेट्रोल पम्पों की लूटपाट हो रही है।

आज हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। 19 महीनों से गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि इस सदन में नहीं हैं। यह सरकार दिल्ली मे भी चुनाव नहीं कराती और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव टालने के कोई-न-कोई उपाय ढूंढ निकालती है। यह सरकार चुनाव आयोग के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। गढ़वाल उपचुनाव के सिलसिले में चुनाव आयोग के सेक्रेटरी उस संसदीय क्षेत्र में घूमे और उन्होंने कहा कि गढ़वाल में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसके कारण चुनाव न हो सके। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने चुनाव आयुक्त पर दबाव डालकर चुनाव को पोस्टपोन कराया। इसी तरह चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने पश्चिम बंगाल में जांच करने के बाद कहा कि वोटर्ज लिस्ट में कोई विशेष गलतियां या त्रुटियां नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री कहती हैं कि वोटर्ज लिस्ट में 30 प्रतिशत बोगस वोटर्ज हैं।

केन्द्रीय सरकार ने केरल के गवर्नर पर दबाव डाला कि कांग्रेस (आई) के नेता को मंत्री-मंडल बनाने के लिए निमंत्रित किया जाये। जब गवर्नर ने कांग्रेस (आई) के नेता को मंत्री-मंडल बनाने के लिए बुलाया, तो केरल विधान सभा में कांग्रेस (आई) पार्टी के केवल 17 सदस्य थे और उस पार्टी के नेता को केवल 67 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जबकि विधान सभा में कुल 141 सदस्य है। एक महीने तक हार्स-ट्रेडिंग चलता रहा। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने स्वयं केरल जा कर वहां पर अल्पसंख्यक मंत्री-मंडल के लिए हार्स-ट्रेडिंग किया। इसके बाद भी कांग्रेस (आई) पार्टी को केवल 69 सदस्यों का समर्थन मिल सका। एक मनोनीत सदस्य के समर्थन से वह संख्या 70 तक पहुँची। फिर भी स्पीकर के कास्टिंग वोट से ही वह सरकार बच सकी है। यह हमारी प्रजातन्त्रीय प्रणाली और प्रजातन्त्रीय परम्पराओं का अपमान है।

विधि और व्यवस्था की स्थिति कैसे खराब हुई ? चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस (आई) के नेताओं ने पोलिंग बूथों पर हमला करने और उन्हें कैप्चर करने के लिए डाकुओं और गुंडों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया और पुलिस की सहायता ली, वह विधि और व्यवस्था के खराब होने के प्रधान कारण है।

आज भी इंडियन एक्सप्रैस के फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री डाकुओं से मिले हैं। इसलिए ये लूटपाट, डकैतियां और हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है। वह इस तरह बढ़ा है कि केरल में जहां इस प्रकार का अत्याचार नहीं था, वहां भी अल्पसंख्यक कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में सरकार के आने के बाद सुल्थाम्बेथेरी में आदिवासियों पर अत्याचार हुआ और कई आदिवासी मारे गये। यह सरकार तो हरिजन विरोधी सरकार है जिसके कुछ नेताओं ने गुजरात में हरिजनो को जो आरक्षण दिया जाता है उसके विरुद्ध आंदोलन किया और यह सरकार तो पिछड़े वर्ग के भी विरुद्ध है। एक से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सदन के सामने वह नहीं रख रही है।

इस सरकार की आर्थिक नीति पूँजीवाद के पनपने में सहायक है और बहु-राष्ट्रीय

कम्पनियों का स्वागत करती है जिस के बारे में जार्ज फर्नान्डिस ने ठीक तरह से जिक्र किया है। दरिद्रता की रेखा के नीचे जो लोग जीवन बिताते हैं उनके लिए यह सरकार अभी तक कुछ नहीं कर सकी। हमारे यहाँ केरल में नारियल, रबर और कोको अधिक मात्रा में लोग पैदा करते हैं। वहां नारियल, रबर और कोको के जो कृषक हैं वह जब अपनी पैदावार को मार्केट में देते हैं तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है और यह सरकार विदेशों से खोपरा, नारियल, तेल, रबरें और कोको का आयात करती है। आइ एम एफ व्यवस्था जो विश्व की पूंजीवादी ताकत है और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ जुड़ी हुई है, उस के कारण यह हो रहा है।

संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1975 में जो बीस सूत्री कार्यक्रम की आयोजना की थी उसका क्या हुआ ? उसमें जो बंधुआ मजदूरी को खत्म कराने का वादा किया था उसका क्या हुआ ? आदिवासियों की भूमि पर उनकी पुनर्स्थापना की बात जो कही थी उसका क्या हुआ ? उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम में हैन्डलूम बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने का जो वायदा किया था उस दिशा में भी कुछ नहीं किया गया।

1971 में प्रधान मंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में कुछ और कार्यक्रम रखे जा चुके हैं, अभी तक गरीबी हटाने के मार्ग में कुछ भी नहीं किया गया। पिछले चुनाव के समय चुनाव घोषणा पत्र में जो कार्यक्रम रखे थे, दो साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसमें से एक भी लागू नहीं किया है। ऐसी हालत में फिर से कार्यक्रम की घोषणा करने का प्रधान मंत्री को क्या नैतिक अधिकार है, यह मैं पूछना चाहता हूं। संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है वह तो प्रथम पंच वर्षीय योजना से हमारे जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति ही है।

वास्तव में उस कार्यक्रम पर इस सरकार की कोई सिंसियरिटी नहीं है। संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम सिंचाई से सम्बन्धित है। हमारे केरल के नए राज्य विधि मंत्री की कांस्टीचूयेंसी की वामनापुटम सिंचाई योजना, जिसकी कि रिपोर्ट वर्षों पहले केन्द्रीय सरकार को दी जा चुकी है, उसको भी अभी तक क्लीयरेंन्स नहीं दिया गया है।

राष्ट्रपति जी द्वारा गणतन्त्र दिवस पर अपने भाषण में हमारे सार्वजनिक जीवन में धार्मिक और नैतिक पतन के बारे में शंका प्रकट की गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि जो नैतिक पतन हुआ है; जो धार्मिक पतन हुआ है, उसके लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी तो हमारी प्रधान मंत्री है। एक राजनीतिक विद्यार्थी जो कि 1966 से 1967 तक और सन् 1980 से अब तक जब वे सरकार में थी, उस जमाने को यदि पढ़ाई करता है, तो वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि प्रधान मंत्री का कोई आदर्शों पर कमिटमेंट नहीं है। जो साथी उनके साथ हैं, उन पर भी कमिटमेंट नहीं है।

भ्रष्टाचार के बारे में हम सब कहते हैं। हमारी प्रधान मंत्री उसको एक ग्लोबल-फिनोमिना कहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार तो कम-से-कम हटा नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही—वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)

किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है । व्यक्तिगत आरोप मत लगाइये । आपको नियमों का पालन करना चाहिए । हमने कई बार निश्चित किया है ।

(व्यवधान)

और कुछ नहीं कहिए । समाप्त ।

(व्यवधान)

कृपया, शांति रखिए । अपनी-अपनी बात मत कहिए । इसकी अनुयति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नाडार, कृपया बैठ जाइये । कृपया शांति रखिए हाँ, श्री स्पैरो ।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा होने पर बहुत प्रसन्नता हो रही क्योंकि इस ऐतिहासिक दस्तावेज में नीतियो, कार्यक्रमों और हमारे कार्य-निष्पादन का जो विवरण दिया गया है उससे हमें यह पता चलता है कि भारत कैसे और किन तरीकों से उन्नति कर रहा है ।

भारत एक विकासशील देश है, जो विकासात्मक स्थितियों से गुजर रहा है । और किसी भी देश का विकासशील परिस्थितियों से गुजरना उसके लिए बहुत ही कठिन अवस्था है । भारत में लगभग 70 करोड़ लोग हैं जो विभिन्न भाषाओं, वर्गों, पंथों, धर्मों, विचारधाराओं और संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशों से सम्बन्धित है, और निश्चिय ही कुछ वर्गों में झगड़ा करने की साम्प्रदायिक प्रवृत्ति है, और कुछ वर्ग पृथकतावादी प्रवृत्तियां भी दिखा रहे हैं, भले ही वह विदेशों पर आधारित हों अथवा विदेशियों से सहायता प्राप्त अथवा पूरी आंतरिक ही हो । अतः इस समय हमारा देश उन्नति की बहुत जटिल स्थिति से गुजर रहा है ।

इस संदर्भ में यदि हम अपनी वित्तीय नीतियों और उन स्थितियों पर विचार करें जिन से हमारा देश गुजर रहा है तो इन परिस्थितियों का सामना करना असाधारण रूप से कठिन है। इसे कहना आसान है, करना नहीं ? 35 वर्ष के संघर्ष की अवधि में यह देश पिछड़ेपन से उन्नति की तरफ इतना अग्रसर हुआ है कि अब यह उस अवस्था तक पहुच चुका है जबकि विश्व का कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि यहां कितनी प्रगति हो रही है । उदाहरणतः कुछ लोगों ने तो अमेरिका आदि देशों के साथ भी हमारी तुलना करनी शुरू कर दी है । हम सब मिलकर जितना बजट बना सकते हैं, अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य न्यूयार्क उससे अधिक बजट बना सकता है । यह बहुत ही दुविधापूर्ण संघर्ष है । यही कारण है महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रगति की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं और यह कार्य सभी कठिनाइयों और मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए करना होगा । हमें इस बारे में यह स्पष्ट धारणा बनानी है कि किस दृढ़ता से और चतुरता से हमें समस्याओं का समाधान करना है और थोड़े अधिक उत्साह से अपनी समस्याओं का सामना करना है ।

मैं, दूसरी तरफ बैठे हमारे विपक्षियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किये गए व्यवहार के बारे में सोच रहा हूं । कार्य निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति पर विचार प्रकट करने से पहले मैं उन

मुद्दों के बारे में बात करूंगा जो प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने उठाये थे। लेकिन मैं सबको सतर्क कर देना चाहता हूं, विशेष कर उन लोगों को जो कार्य को हितकारी और एक समान गति से नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि तीसरे विश्व के कुछ देशों के विषय में आपने ऐसा देखा है कि उच्च शक्तियों के दबाव से और उनकी अपनी अंतरिम कठिनाइयों और गलत नीतियों से वहाँ कभी भी विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है। शीशे की प्लेट के समान वह किसी भी समय बिखर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, वियतकांग, लाओस, कम्बोडिया आदि देशों और दूसरी तरफ सीरिया, गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया आदि देशों के साथ क्या हुआ।

इस प्रसंग में हमें राष्ट्रपति के 18 फरवरी, 1982 के अभिभाषण में जिन बातों पर प्रकाश डाला गया है उनके संदर्भ में चर्चा करनी है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में कही गयी बातों से पता चलता है कि बहुत खराब स्थिति से हमने बहुत धीरे-धीरे जो प्रगति अच्छी स्थिति तक आज तक की है वह सराहनीय है। मैं अपने तथा अपने सहयोगियों द्वारा पहले ही कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को समझने में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भविष्य के लिए हमारी तथा प्रतिपक्ष की क्या जिम्मेदारियां हैं।

मेरा प्रथम विचार यह है कि हमें देश के कार्यों को सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक तथा सुनियोजित ढंग से करना होगा जैसा कि इस विशेष दस्तावेज (राष्ट्रपति के अभिभाषण) में संकेत दिया गया है।

मेरा दूसरा विचार उन बातों से संबंधित है जो प्रतिपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने उठाई हैं ताकि हमारे सामने सब चीज स्पष्ट होकर आ सके।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मामलों को न केवल अपने दृष्टिकोण से, बल्कि प्रतिपक्ष के सदस्यों के दृष्टिकोण से भी देखें।

मैं कुछ लोगों की मानसिकता को जानता हूं मैं यह भी जानता हूं कि उनकी धारणाएं क्या हैं। मेरे अपने विचार अलग हो सकते हैं लेकिन इससे तथ्यों को उसी रूप में रखने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण के रूप में माननीय सदस्य श्री जेठमलानी तथा श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एक ही बात अलग-अलग शब्दों में कही और यह बताया कि यह व्यक्ति-पूजा है आदि-आदि।

मैं ईमानदारी से सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी समझ के अनुसार इस समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है।

सबसे पहले तो मैं व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहता हूं। निश्चय ही श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनके पास एक करिश्मा है और उसे पूरा विश्व अच्छी तरह जानता है। न केवल मैं ही इस बात को कह रहा हूं किन्तु यह बात इस देश में तथा दुनिया भर में पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी है।

आपने हमारे दल को काफी नीचा दिखाया है। इसमें कोई बुराई नहीं थी। जनता पार्टी बनी और लोगों के अन्दर आशायें बंधाई गईं कि वे एक दूसरा धर्मनिरपेक्ष दल बनायेंगे और एक

अच्छा परिवर्तन आयेगा। उस तरह की बात में कोई भी बुराई नहीं है। आपने कहा कि आपने हमारे दल को काफी नीचा दिखाया है।

किन्तु इतना ही नहीं। 2 1/2 वर्षों के जनता पार्टी के काम को सबने बहुत ही नजदीकी से देखा है।

सभी लोगों ने, जनता ने, गरीब लोगों तथा अन्य लोगों ने अपनी समझ से काम लिया और वे उसके करिश्मे के पीछे भागे अर्थात श्रीमती इन्दिरा गांधी के करिश्मे के पीछे चले।

अब भी लाखों लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुयायी हैं।

मैं उस मुद्दे को लेना चाहूंगा जिसे यहां बार-बार उठाया गया है। अर्थात एक दल का आधिपत्य मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं इसकी व्याख्या अपने ही ज्ञान से करूंगा, उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य पर बिल्कुल भी आक्षेप नहीं करूंगा।

उदाहरण के लिए, मैं राष्ट्र की सेवा एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक ही दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा करता आ रहा हूं। मैंने इस महान नेता, श्रीमती गांधी का अध्ययन किया है और दस वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में, मैंने इनके साथ काम किया है और कोई पाँच वर्ष तक कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी समय कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिस पर पहले अच्छी तरह से विचार न होता हो और जिस पर चर्चा न होती हो तथा जिसमें कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य द्वारा अपना योगदान न किया जाता हो और अपने विचार न रखा जाता हो। मैं अपने दो-तीन मित्रों की सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि हर समय मतैक्य लिया है और हर समस्या पर पार्टी सामान्य प्रजातंत्रीय तरीके से विचार करती है। निस्संदेह, अध्यक्ष एक सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यदि टीम मेल मिलाप की भावना से काम कर रही है, यदि टीम मानती है कि वह उनकी कप्तान हैं और वह टीम को अच्छी तरह से चला रही हैं, तो मैं पूछता हूं कि उसमें क्या बुराई है। इतना ही नहीं, टीम के सदस्य, विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) के सदस्य आज हर प्रकार से एक होकर काम कर रहे हैं। जो कुछ दूसरे पक्ष में होता है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा। पूरे विस्तार से कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 13 महीनों के बाद हुई थी। क्या मैं उन्हें कह सकता हूं कि "मेरे मित्र, जब सब काम शांति से चल रहे हों तो आपको लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती"। मुझे पता चला है कि विपक्ष के कुछ दलों की सात दिनों के अंदर, छः-छः या सात-सात बैठकें होती आ रही हैं—कांग्रेस-जे, कांग्रेस-एफ, लोकदल आदि की बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, हवा में बातें करते आ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैर कहां टिका है। क्या यह सफलता है? क्या यह कोई संघ या टीम कार्य है? क्या यह कोई पार्टी कार्य है? यदि श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) कोई अच्छे परिणाम दिखाती है और टीम की तरह मिलजुल कर काम करती है और हर प्रकार की कठिनाइयों और जटिलताओं का सामना करती है, तो उसमें क्या बुराई है। आप व्यक्ति पूजा और अधिपत्य की बात करते हैं अथवा एक, दो या तीन के नियंत्रण की बात करते हैं। इसके बारे में, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यहां जो

भी मंत्री हैं, वे सब अपने-अपने ही क्षेत्रों में काम करते हैं, वे अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। यदि टीम का कप्तान किसी परिवर्तन के बारे कहें तो उसे परिवर्तित न करने का कोई भी कारण नहीं होता है। इसमें ऐसा ही परिवर्तन लाया जाता है जैसे कि एक अच्छा कप्तान क्रिकेट के खेल में अपने गेंदबाजों में परिवर्तित करता है। मैं तथा स्वयं प्रो० मधु दंडवते दोनों ही जानते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन किस प्रकार किये जा सकते हैं। एक दिन हम दोनों ने मिलजुल कर खेल के मैदान में खेला था। आप छोटे क्यों होना चाहते हैं। आपको बड़ा होना चाहिए। आपको भारत के लिए ऊंचा उठना है, अपने तथा मेरे लिए नहीं अथवा श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए नहीं। आपको उठना है; आपको बड़ा बनना है, अपनी सभ्यता के लिए अपनी संस्कृति के लिए, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए, बच्चों तथा पोत्रों के लिए हमें उठना है, हम जहां कहीं भी हों हमें जिम्मेदारी निभानी ही होगी। इसीलिए मेरा यह अनुरोध है और यही कहकर मैं इस विषय को समाप्त करता हूं।

किसी माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात कही है। क्या मैं आपकी अनुमति से जो बातें कह सकता हूं? जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध हैं, मैं कहूंगा कि आप सदियों तक विदेशियों के गुलाम रहे हैं और आपने धन को गलत तथा अनुचित तरीके से कमाने तथा खर्च करने की कला सीखी। मैं कहना चाहूंगा कि अब स्थिति क्या है और भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इस बारे में, मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहूंगा, मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह दल सत्तारूढ़ दल, सबसे बड़ा दल है। इसकी रचना किस प्रकार हुई है? मैं कहूंगा कि देश की 80 से 90 अथवा 95 प्रतिशत जनसंख्या हरिजनों, गरीब आदिवासियों, गरीब किसानों, गरीब सीमांत किसानों, गरीब शिल्पकारों, रिक्शा खींचने वालों तथा अन्य लोगों की है—उनका अधिकांश भाग इस वर्ग में है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन किसे धोखा दिया जा रहा है और कौन दे रहा है? धोखा इस दल के लोग नहीं बलिक विलासिता का जीवन बिताने वाले काले धन वाले लोग धोका दे रहे हैं, जिसे हम वित्त मंत्रालय के माध्यम से पैसा लेना चाहते हैं, यह कहना ठीक नहीं है कि भ्रष्टाचार कहीं और है। आपके पक्ष का भी कोई व्यक्ति वैसा ही बुरा हो सकता है जैसे कि इस पक्ष का हो। इसी कारण मैं कहता हूं कि सत्तारुढ़ दल पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं है। क्यों न कुछ यथार्थ बात कही जाये?

क्यों न कुछ प्रगतिशील बात कही जाये? रचनात्मक तरीके से क्यों न आलोचना की जाये? मैं कहूंगा कि विपक्ष के मेरे कुछ मित्र ऐसा नहीं कर सके है? यदि मैं आर्थिक पहलू पर बोलूं तो तत्सम्बन्धी आंकड़े भी दे सकता हू। मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे है। मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दी जाये। हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं; हम शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्री जार्ज फर्नान्डीस ने आगे बढ़ने की बात उदाहरणपूर्वक की है। वह ठीक नहीं हैं। क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि जहां तक औद्योगिकी उत्पादन का सम्बन्ध है हमने प्रधान मंत्री के नेतृत्व में अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में विश्व के पहले जहां तक आणविक श्रवण, आणविक विखंडन तथा आणविक ऊर्जा का सम्बन्ध है, हम विश्व के प्रथम देशों में हैं। जहां तक गुणात्मक जनशक्ति का सम्बन्ध हैं, हम रफैर ऊर्जा अनुसंधान आदि विज्ञान के मामले में प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व के पहले चार देशों में हैं। जहां तक व्यापक तथा मजबूत आधार वाली हमारी सेनाओं का सम्बन्ध है, हमारा देश किसी से पीछे नहीं हैं। मैं आपको यह बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं

विदेशी भी इस बात को सुन लें। वे खुले दिमाग से जनरल स्पैरो का भाषण सुन ले और मैं इस बात को हर दृष्टि से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहां तक हमारी कृषि का सम्बन्ध हैं, हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन उसमें कुप्रबन्ध है और वितरण का तरीका त्रुटिपूर्ण हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, पिछली बार मैंने सभा में कहा था कि 26 लाख टन आलू हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के खेतों में जनता शासन के दौरान सड़ गये—मुझे यह कहते हुए खेद होता है, मैं आपकी निंदा नहीं करना चाहता। इस प्रकार की त्रुटियां और कठिनाइयां तो होती ही हैं। फिर भी भारत आगे बढ़ रहा हैं यह हमें करना ही है। इसी कारण मुझे यह कहना है कि जिस तरीके से प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के मार्गदर्शन में तथा जिस तरीके से सरकार तथा मंत्री आगे बढ रहे है उससे यह सिद्ध होता है कि हम हर बाधा का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अगले 15 वर्षों के दौरान भारत का अपना ही स्थान होगा। आप सब हमें अवश्य सहयोग दें। हम विश्व में एक महान तथा सबसे मजबूत राष्ट्र बनते जा रहे हैं। महोदय, इन शब्दों के साथ, आप की अनुमति हो तो आपने मुझे बोलने का जो कुछ अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं राष्ट्रपति के शानदार भाषण का एक बार फिर समर्थन करता हूँ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जनाब स्पीकर साहब, सदर जम्हूरिया के खुतबे पर इस मुअज्जिज एवान में जो बहस चल रही है उसमें मैं अपने खयालात का इजहार करना चाहता हूं। इस खुतबे को सपोर्ट करते हुए मैं चन्द एक नुक्ते उभारना चाहता हूं। इस एड्रेस में मुल्क के मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्टस का जिक्र किया गया है। जरायत के शोबे में या साइंस और टैक्नालाजी के शोबे में या इंडस्ट्रीज के मैदान में इस खुतबे में पूरे फैक्ट्स और फिगर्ज दिये गये हैं जिन पर बहुत से मुअज्जिज साथियों ने अपने ख्यालात रखे हैं। मैं उसकी पूरी ताईद करता हूं और कुछ ज्यादा इस मौजू पर कहना नहीं चाहता। मुल्क में ला एण्ड आर्डर की बात भी कही गई हैं। शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज और दूसरे वीकर सैक्शंज के साथ जो कुछ वाकात हुए है या हो रहे है उनको रोकने के लिए जो तदाबीर हकूमत की तरफ से की जा रही है या उनकी भलाई के लिए जो काम बीस नुक्काती प्रोग्राम में मेंशन किए गए हैं उन पर जो अमल हो रहा है, मैं समझता हूं कि उन पर हो रही एट्रासिटीज को रोकने की तरफ यह एक अहम कदम है।

इन बातों पर ज्यादा तबसरा न करते हुए कुछ बातें मैं अपने इलाके की करना चाहता हूं। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा अखबारों में कि पिछले दो सालों से मेरी कांस्टिट्युएसी लद्दाख में वहां की सरकार की तरफ से जुल्म और तशद्दुद हो रहा हैं। ऐसा करने से उनको रोकने के लिए और दुनिया के सामने लाने के लिए जो कुछ वहां हो रहा हैं वह भी कुछ-कुछ आपने पढ़ा होगा। लेकिन सब आपने न पढ़ा होगा और न सुना होगा। 1979 से यह बात शुरू होती है जब शेख साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, जिसमें लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के भी दो हिस्से कर दिये गये थे एक कारगिल और दूसरा लेह। प्लान बजट में खासतौर पर लद्दाख के लिए जो पैसे होते ये सेंटर से उसका नब्बे परसेंट ग्रांट के तौर पर मिलता था और दस परसेंट लोन के तौर पर, यानी सौ फीसदी उसके वास्ते सैंट्रल गवर्नमेंट देती आई थी। उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने पोपूलेशन के सोल क्राइटीरिया बना दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

6.01 बजे म० प०

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 26 फरवरी, 1982/7 फाल्गुन 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

1982 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिन्टर्स, नई दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित।